स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 13, ISSUE-1(1) (JANUARY 2021) ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :
चौ. एम. सिहाग

प्रधान सम्पादक :
डॉ. अन्जूबाला
गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली।

सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
विभागाध्यक्ष एवं शोध निर्देशक (हिन्दी विभाग)
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

सह सम्पादिका :
डॉ. रेखा सोनी
उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टाटिया वि.वि. श्रीगंगानगर

सह सम्पादिका :
डॉ. सुशीला आर्या
हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी

सह सम्पादक :
समुद्र सिंह
भिवानी (हरियाणा)

प्रकाशक :
गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी–127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी–127021 (हरियाणा)
Email : nksihag202@gmail.com
मो. 09466532152

Published by :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board,
Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA
Email : grsbohal@gmail.com
Facebook.com/bohalshodhmanjusha
Website : www.bohalsm.blogspot.com
WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

Disclaimer :
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार

–: मानद संरक्षक :–

प्रो. राधेमोहन राय
पूर्व उप प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महा.,
अलवर, राजस्थान

डॉ. राजेन्द्र गोदारा
परीक्षा नियंत्रक,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान

डॉ. विनोद तनेजा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरूनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

–: विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति :–

माई मनीषा महंत
किन्नर अधिकार ट्रस्ट
भूना, जिला कैथल, हरियाणा

डॉ. विश्वबंधु शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि. रोहतक

डॉ. संजय एल. मादार
विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,
नैशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. विनोद कुमार
हिन्दी विभाग, लवली प्रोफेशनल
यूनिवर्सिटी, पंजाब

डॉ. कुसुम कुंज मालाकार
हिन्दी विभाग,कॉटन विश्वविद्यालय
गुवाहाटी, असम

डॉ. कैलाशचन्द्र शर्मा 'शंकी'
पूर्व जि.शि.अधिकारी, च. दादरी

श्री सहदेव समर्पित
सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय
उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़

प्रो. अमनप्रीत कौर
गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. राजपाल
राजकीय पी.जी. महाविद्यालय
हिसार

प्रो. कमलेश चौधरी
राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. किरण गिल
दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. सविता घुड़केवार
पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. परमजीत कौर
बरेली कॉलेज बरेली, उ.प्र.

डॉ. राजकुमारी शर्मा
नेपाल

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.
श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.केरल

डॉ. बी. संतोषी कुमारी
पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास

श्री राकेश ग्रेवाल
सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

डॉ. पंडित बन्ने
भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. पार्वती गोंसाई
सरदार पटेल वि.वि., गुजरात।

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

डॉ. उमा सैनी
आई.ए.एस.ई. सरदारशहर।

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र
बिहार।

डॉ. विनोद कुमार शर्मा
टांटिया वि.वि. श्रीगंगानगर

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
टांटिया वि.वि. श्रीगंगानगर

सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार अवैतनिक है।

शोध–पत्र प्रकाशन के लिए निर्देश मंजूषा

गुगनराम सोसायटी (पंजीकृत) द्वारा शोधार्थियों व अध्येताओं के शोध/अनुसंधान की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतू बोहल शोध मंजूषा ISSN 2395-7115 नामक बहुभाषिक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। कला, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी, प्रबंध, प्रौद्योगिकी, विधि, भूगोल, शिक्षा, पत्रकारिता पर केन्द्रीत इस शोध पत्रिका को विषय विशेषज्ञों तथा मनीषी विद्वानों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क 1100 रु. है।

आप अपना शोध पत्र कम्प्यूटर से मुद्रित फोन्ट साईज 14, कृतिदेव–10, कृतिदेव–21 में व अंग्रेजी के Arial, Times New Roman में पेज मेकर या माइक्रोसोफ्ट वर्ल्ड में हमारी Email ID : grsbohal@gmail.com पर भेजें। शोध पत्र प्रेषित करने से पूर्व दिये गये सन्दर्भ, मात्रा आदि की पूर्णतया जाँच कर लें।

नोट :– उर्दू, पंजाबी आदि भाषा के शोध पत्र पेपर साईज 7x9.5 पर टाईप कराकर JPG या PDF फाईल हमारी ईमेल आई.डी. पर भेज सकते हैं।

हमारी पत्रिका में शोध पत्र लेखक के फोटो सहित प्रकाशित किये जाते हैं। इसलिए आप अपने शोध पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, सम्पर्क सूत्र; टेलीफोन, मोबाईल नं., ई–मेल तथा पिनकोड सहित पत्र व्यवहार का पूरा पता (हिन्दी व अंग्रेजी) कम्प्यूटर द्वारा टाईप करवाकर भेजें।

शोध पत्र 2000–2500 शब्दों (4–6 पेज) से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि शब्द सीमा अधिक होती है तो सम्पादक को अधिकार होगा यथा स्थान संक्षिप्तीकरण कर दें। अस्वीकृत शोध पत्र की वापसी संभव नहीं है।

पत्रिका में प्रकाशित श्रेष्ठ शोध पत्र को हमारी सोसायटी/पत्रिका की ओर से बहुउपयोगी श्रीमती गिना देवी शोधश्री सम्मान प्रदान किया जायेगा।

शोध पत्र में व्यक्त विचार लेखकों के स्वयं के विचार हैं। उनसे सम्पादक, प्रकाशक की सहमति आवश्यक नहीं है। शोध पत्र में प्रयुक्त किए गए तथ्यों के प्रति संबंधित लेखक उत्तरदायी होगा। पत्रिका में शोध आलेख प्रकाशन के लिए भेजने से पहले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना लेखक का दायित्व है। प्रत्येक विवाद का न्यायक्षेत्र भिवानी (हरियाणा) होगा।

सम्पादकीय पद अव्यावसायिक और अवैतनिक हैं। पत्रिका में केवल शोध पत्र ही प्रकाशनार्थ भेजें। शोध पत्र का प्रकाशन योजना एवं व्यवस्था के अनुसार यथा समय व प्रकाशित समस्त शोध पत्रों का सर्वाधिकार समिति/सम्पादक के पास सुरक्षित होगा।

नोट :

सहयोग/सदस्यता राशि 1100/– रू. का ड्राफ्ट/चैक/आई.पी.ओ. 'गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी' के नाम भेजें तथा ऑनलाईन बैंक में सहयोग जमा राशि की रसीद की फोटोप्रति अपने आलेख के साथ हमें मेल कर सूचित करने का कष्ट करें ताकि समय पर रसीद भेजी जा सके। ऑनलाईन सहयोग राशि के साथ 50/– रू. अतिरिक्त अवश्य जमा करवायें। प्रकाशन सहयोग शुल्क वापिस देय नहीं।

बैंक का नाम	:	**पंजाब नैशनल बैंक, हालु बाजार, भिवानी (हरियाणा)**
खाता धारक का नाम	:	**गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी**
बैंक खाता संख्या	:	**1182000109078119**
IFSC Code	:	PUNB0118200
MICR CODE	:	127024003

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. अन्जूबाला	7–7
2.	समकालीन हिंदी कहानी में पारिस्थितिकी	डॉ. षीना. एम. ए	8–12
3.	संस्कृतबाङ्मये पर्यावरणपर्यालोचनम्	डॉ. सम्बितमहापात्रः	13–17
4.	आतंक की त्रासदी और विस्थापन की पीड़ा : इकबाल	लक्ष्मी देवी	18–20
5.	'टूटते दायरे' उपन्यास में चित्रित ग्रामांचल का सामाजिक यथार्थ	नीलम कुमारी	21–24
6.	गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह 'अनुगूँज' में व्यक्त सामाजिक समस्याएँ	निशा देवी	25–28
7.	**Professional Enrichment of Teachers in 21st Century Scenario ICT & Professional Development**	**Priyanka Deb Sett**	**29-32**
8.	श्री नरेश मेहता के उपन्यासों में मानवीय संवेदना	Sujitha Lakshmi S.G.	33-35
9.	तेरजोमा सांवहेद रे सारदा प्रसाद किस्कुआक्एनेम	ज्योत्सना टुडु	36–38
10.	**Diel Cycle of Some Abiotic Factors in Winter Season of Talla Pond, sukhjora, Ranishwar, Dumka Jharkhand**	**Dr. Prasant Patar**	**39-42**
11.	डॉ. सुशीला टाकभौरे की कविताओं में दलित नारी की संवेदना	वड्डी जगदीश	43–45
12.	भारतीय कर नीति एवं कर प्रबन्ध व्यवस्था	डॉ० विजयलक्ष्मी पारीक	46–51
13.	गाँधी दर्शन और हिन्दी सिनेमा	राजेश कुमार राजन	52–56
14.	'सपनों की होम डिलिवरी' में रूढ़िमुक्त नारी	डॉ. नीरजा.वी.एस	57–61
15.	मानव मूल्य और संत साहित्य	डॉ. सिन्धु सुमन	62–66
16.	शिक्षा का व्यवसायीकरण : वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में	डॉ. सुनीला एक्का	67–69
17.	वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में चित्रित ग्रामीण परिदृश्य : कल और आज	डॉ. प्रवीण देशमुख	70–74
18.	व्यंग्य साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल और उनके व्यंग्य संग्रह	प्रो. वडगे वृशाली रंगनाथ	75–78
19.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रमुख पक्षों एवं प्रावधानों का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ. नरेश कुमार	79–92
20.	वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संस्कृति का बदलता स्वरूप	डॉ. देविदास भिमराव जाधव	93–96

21.	संचार क्रांति के दौर में मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकारों का बढ़ता उत्कर्ष व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच पनपता संघर्ष	प्रो. पवन कुमार	97–100
22.	संस्कृत साहित्य में पर्यावरण चिन्तन	डॉ. वीरेन्द्र कुमार जोशी	101–107
23.	ग्रामीण विकासात शासकीय योजनांची भूमिका : एक अभ्यास	प्रो. व्यंकटेश काळूराम मदनुर	108–110
24.	'अपने-अपने कोणार्क' में नारी मनोविज्ञान	षमीना० टी, डॉ० शोभना कोक्काडन	111–114
24.	हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार में मिडिया का योगदान	डॉ. माया बी. मसराम	115–117
25.	खोरठा नाटकों की विभिन्न श्रेणियॉ	संजय रविदास	118–120
26.	बाहुबली चलचित्र में रस-विमर्श	प्रियंका कालिया	121–123
27.	तृतीय लिंगी समुदाय और भारतीय समाज	डॉ. हिमानी सिंह	124–128
28.	**Role of Education for the growth of Woman**	**Dr. Aruna Anchal**	**129-132**
29.	संस्कृत साहित्ये महाकवि भारवेः चित्राशरस्य योगदानम्	डॉ0 वैदेही तिवारी	133–136
30.	शिक्षा के क्षेत्र में संचार और तकनीक की उपादेयता	डॉ. प्रकाश भगवानराव शिंद	137–141
31.	कुँड़ुख़ (उराँव) लोकगीतों की विशेषताएँ	सुनीता कुमारी	142–144
32.	योगः कर्मसु कौशलम्	डॉ. प्रमिला मिश्रा	145–147
33.	कोरोना महामारी का समाज पर प्रभाव	लखन सिंह दांगी	148–151

सम्पादकीय-

साहित्य समाज का दर्पण है किन्तु इस दर्पण में मनुष्य केवल वहीं देखना पसंद करता है जो उसके लिए लाभकारी/हितकारी हो अन्यथा यह दर्पण वैसा ही दर्पण है जैसा हमारे घरों की दीवारों पर टंगा रहने वाला दर्पण है। वर्तमान समय में साहित्य में अणुबम की तरह बहुत ही विस्फोट हो रहे हैं। दिन–प्रतिदिन देखा–देखी फेसबुक या ग्रुप आदि में साहित्यकार जन्म ले रहे हैं और बरसाती मेंढ़क की तरह लुप्त भी हो रहे हैं। जिससे एक तरफ साहित्य का प्रचार–प्रसार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ साहित्य का पतन भी हो रहा है। यह साहित्य समाज से जुड़े अनुसंधान कर्ताओं/लेखकों/कवियों के लिए विचारणीय विषय है। इस ओर हम सबको मिलकर विचार करना होगा।

साहित्य सृजन आत्मा और दिमाग से निकलकर मूर्त रूप धारण करता है। आत्मा से निकला हुआ साहित्य जहां पर लेखक को आत्म संतुष्टि देता है वहीं समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक होता है। दिमाग से निकला हुआ साहित्य ना हीं तो रचनाकार की आत्मा को संतुष्टि देता है और ना ही समाज को नई दिशा। क्योंकि दिमाग से लिखा हुआ साहित्य बहुत बार तो फेसबुक, ग्रुप में झूठी वाहवाही लूटने के लिए तोड़–मरोड़कर या कट व पेस्ट करके लिखा जाता है। यथार्थ लिखने के लिए उस यथार्थ के लिए दो–दो हाथ करने पड़ते हैं। आधुनिकता की दौड़ में ना हीं तो किसी के पास दो–दो हाथ करने का समय है और ना ही परिस्थितियां इस समाज में है।

एक तरफ हम सभी पढ़–लिखकर लायक बनने के लिए उपदेश देते हैं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति पढ–लिखकर खेती–किसानी से अपना भविष्य संवारता है तो मैकाले के ऑर्स पुत्र/पुत्रियां उसे किसान मानने से भी इंकार कर देती हैं। जिस प्रकार से शिक्षा, उद्योग आदि में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचलन बढ़ा है उसी प्रकार से कृषि को भी विज्ञान ने बहुत सरल बना दिया है। जिस कारण आज बीए, एम.ए., पी.एच.डी., बी.टेक. आदि उच्च उपाधि धारक अपना व देश का भविष्य कृषि से संवार रहे हैं। हमारा यह नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि हम किसान पढ़े–लिखे किसानों का भी उतना ही मान–सम्मान करें जितना प्राचीनकाल के किसानों का करते थे क्योंकि हम कितने ही आधुनिक हो जायें पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न का सेवन करते हैं और अन्न संसार में केवल किसान के खेत में उगता है किसी स्कूल या कॉलेज या फैक्टरी में नहीं?

–डॉ. अन्जूबाला

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 8-12

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

समकालीन हिंदी कहानी में पारिस्थितिकी

–डॉ. षीना. एम. ए

सहायक आचार्या संविदा, हिन्दी विभाग, कोच्चिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, विश्वविद्यालय –कोच्ची–22

प्रकृति के साथ मनुष्य का गहरा आत्म संबंध है। उसका हर कार्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य की जड़ प्रकृति से है। यही कारण है कि आदिम मनुष्य से लेकर आधुनिक मनुष्य तक की जिंदगी प्रकृति पर निर्भर है। लेकिन एक अंतर यह है कि जहां आदिम मनुष्य का संबंध जितना प्रकृति से था वहीं आधुनिक मनुष्य उस गहराई से काफी छूट गया है। जहां मनुष्य प्रगति के गोद में अपने को सुरक्षित महसूस करता था वही आधुनिक मनुष्य अपने इस गोद को खोदकर उसकी जड़ को उखाड़ने में तुला हुआ है। यही वजह से आज पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है। औद्योगीकरण के फलस्वरूप जो तकनीकी दुनिया आज बन रही है, जिसके लिए नए नए निर्माण हो रहे हैं, भौगोलिक स्तर पर तथा वैज्ञानिक स्तर पर जो विकास हो रहा है, उन सब के पीछे पारिस्थितिक शोषण की विभीषणता प्रकट होकर सामने आती हैं।

आज दुनिया आधुनिक बनते बनते तीन लोकों में बदल गयी है। पहली दुनिया जो है आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से विकसित देशों की है जिनमें प्रथम है अमरीका। दूसरी दुनिया विकासोन्मुख देश है जो विकसित देशों के समक्ष पहुंचने के लिए उसके ठीक पीछे है। तीसरी दुनिया है जो ना विकसित देशों के साथ है और ना ही विकासोनमुक देशों के साथ। एक ऐसी दुनिया है जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से काफी पीछे हैं, जिन्हें हम दरिद्र राष्ट्र की संज्ञा से पुकार रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विकासशील देश जिनमें भारत आते हैं। ऐसे राष्ट्र विकास होने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रों में 80 प्रतिशत से लोग गरीब तथा मध्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं और 20 प्रतिशत लोग अमीर के दर्जे में है। भारत ऐसा ही एक राष्ट्र है जहां निम्न–मध्य वर्ग के लोग उच्च वर्ग से काफी ज्यादा मायने में है। और 20 प्रतिशत वाले इस उच्च वर्ग के लिए 80 प्रतिशत आने वाले यह निम्न–मध्य वर्ग के लोग अपना खून पसीना कर रहे हैं।

भारत हजारों वर्षों से कई देशों के अधीन में पला हुआ राष्ट्र है। 250 वर्षों तक भारत अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज व्यापार के तौर पर आकर भारत को अपने अधीन में कर लिया था। जहां अंग्रेज प्रत्यक्ष उपनिवेश चलाया वहीं स्वतंत्रता के पश्चात भारत पर परोक्ष रूप से उपनिवेश का दबाव करने लगे। तीसरी दुनिया के पीछे लगी फार्मूला भी यही है कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में विकास के नाम पर यह पहली दुनिया फिर उस पर अपना अधिकार जमा रहा है। मल्टी नैशनल कंपनियाँ औद्योगीकरण के नाम पर वे लोग यहां पर कारखाने, फैक्टरियाँ, गैस प्लांट आदि का निर्माण करके यहां के भूमि ही नहीं बल्कि वायु, जल तथा प्रगति संपत्ति को भी लूट रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा जो उपभोग संस्कृति को पनप रही है उसका सीधा शिकार भारत जैसे देश बन रहा है। भारत किसानों का देश है जहां खेती बारी प्रमुख धन संपत्ति का मार्ग था। उसी खेती बारी जमीन को किसानों से हड़पकर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ और कारखाने बन रहा है। शहरीकरण के नाम पर गांव के लोगों को हाशिए कृत कर रहा है। थर्मल पावर प्लांट, अमोणिया प्लांट आदि विषैली तथा जीव जंतुओं के लिए खतरनाक स्थापित होने वाले बहुत सारी फैक्टरियाँ ग्रामीण जगहों पर ही बना हैं। वहाँ के लोगों की जिंदगी हमेशा खतरे में ही है। इस यथार्थ को व्यक्त करने वाली कहानी है मृदुला गर्ग की 'विनाश दूत'। इसमें भोपाल गैस त्रासदी को आधार बनाया गया है।

भारतीय कवियों की रचना का प्रमुख विषय प्रकृति रहा है। आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रेम, विरह, युद्ध इन सभी के वर्णन में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कालिदास का मेघदूत भी इसका प्रमाणिक आधार है। राजाओं का प्रिय कवि था कालिदास। उनकी प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, जिसमें मेघ के सहारे अपना संदेश प्रेयसी तक पहुंचाने की बात कही गई हैं। उस समय ना ही औद्योगीकरण का था और ना ही दुनिया तीन लोकों में बंटी थी। कालिदास के समय से काफी आगे आज के वर्तमान समय में वही मेघ अपना संदेश ले जाने के लिए इंकार करता है। कहानी का आरंभ भी मेघ के उसी कथन से होता है– ''मैं तुम्हारा संदेश तुम्हारी प्रेयसी तक नहीं ले जाऊँगा, हरगिज नहीं ले जाऊंगा'' (विनाश दूत–उर्फ सैम कहानी संग्रह पृष्ठ 120)। इसके बीच लेखिका ने साहित्य क्षेत्र में मौजूद ब्राह्मणत्व पर भी व्यंग्य किया है। एक समय था साहित्य लेखन सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के लिए ही माना जाता था। कालिदास के हजार साल बाद भी साहित्य के क्षेत्र में मौजूद उच्चस्तरीयता की और लेखिका ने इशारा किया है। लेकिन यहां बात ब्राह्मणों का नहीं है बल्कि आधुनिक काल तक आकर बनी तीसरी दुनिया की उस विषय पर है जहाँ आम जनता की जिंदगी की कोई माइने ही नहीं रखती। यहां मेघ प्रेम का दूत न बन कर विनाश का दूत बन कर सामने आता है। वह चेतावनी देता है कवि लोगों को कल्पना लोक से उतरकर यथार्थ में आने के लिए। मेघ के तिरस्कार पर ब्राह्मण कवि कविता के उद्‌गम के संबंध में कहता है ''कविता क्या है, प्रेम का त्रास और आनंद ही तो। उसकी अभिव्यक्ति में अवरोध डालोगे तो भावावेग का गला घुट जाएगा, भावना का गला घुट जाएगा, पराबौद्धिक रचना का रास्ता रुक जाएगा, फिर बचा क्या रहेगा धरती पर? केवल जन्म और मृत्यु? न–न रचना का प्रस्फुटन कैसे होगा।

कहां से आएगी उसकी लय–ताल, उसका भाव –संवेग, उसका चरम आह्लाद?''(विनाश दूत– उर्फ सैम कहानी संग्रह– पृ. 121)। इस पर मेघ का जवाब इस प्रकार है। ''चरम आह्लाद! रचना का प्रस्फुटन! और कहते हो अपने को कवि। बाहरी आंखें जो दिखलाती हैं, उतना –भर ही देख पाते हो, उससे परे कुछ नहीं? जानते नहीं, यहां से 80 कि. मी. की दूरी पर शहर भोपाल है ''(विनाशदूत – पृ 121)। कवियों ने हमेशा प्रकृति का आधार बनाकर कल्पना के सहारे भावना का जो प्रसारण किया है उस लोक से उतर कर आने की चेतावनी यहां मेघ देता है। जैसे उच्च लोग निम्न–मद्य वर्ग को नकारता है वैसा ही ब्राहमण कविगण भी आम लोगों के जीवन यथार्थ को नजरंदाज कर रहा था। मेघ कवि को आगाह करता हैं कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है।

मेघ यहाँ खुद प्रकृति बन कर बात कर रहा है। अपने पर हो रहे शोषण के बारे में उन लोगों के बारे में बता रहा है जो 1984 के भोपाल गैस त्रासदी का शिकार बने थे। कहते हैं कि साहित्यकार दीर्घ दृष्टि अपनाने वाले होते हैं। सब के बारे में जानने वाले होते हैं। युगों से वह अपने को त्रिकाल दर्शी मानता आया है। लेकिन कालिदास का समय तथा वर्तमान समय में काफी बदलाव आ चुका था। दुनिया तीन हिस्सों में बांट गया था। उच्च जाति के कवि पहली दुनिया यानी कि उच्च वर्ग के लोगों को समझ सकता था लेकिन तीसरी दुनिया का यथार्थ कुछ और ही था उस यथार्थ की ओर उतर आने के लिए कहता है यहां मेघ। भोपाल गैस त्रासदी के बाद की प्राकृतिक विभीषणता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मेघ कवि से पूछता है– ''देखने के साथ क्या सुनने–सूंघने की शक्ति भी गँवा बैठे कवि? कीडे पड़े कड़वे बादामों की गंध सूँघ नहीं पा रहे? एकाएक छा गए सन्नाटे से तुम्हारे कान फटे नहीं जा रहे? चीख–पुकार बर्दाश्त हो भी जाए, ऐसा बेजान बे आवाज सन्नाटा कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हो तुम? या अपनी मायावी दुनिया में इस तरह डूबे हुए हो कि प्रलय सा नरसंहार सपनों में खोई आंखों को दिखाई नहीं देता।'' (विनाशदूत–पृ. 122)

प्रकृति के ऊपर आधुनिक मनुष्य कर रहे शोषण पर तीखा प्रहार यहाँ मेघ करता है। प्रकृति का अपना एक स्वभाव है, वह अपने को खुद संभालती है। यही कारण है कि महाप्रलय में भी वह अपने में सृष्टि का बीच लिए बैठी थी। लेकिन खुद अपूर्ण होते हुए भी अपने को पूर्ण मानने वाला मनुष्य द्वारा जो विनाश प्रकृति पर हो रहा है उस पर अपना आक्रोश मेघ प्रकट करता है। मशीनी तथा तकनीकी युग में मनुष्य अपने को महान मानने लगा है। विज्ञान के आविष्कार से अपने

को श्रेष्ठ मानने लगा। सब पर काबू पाकर यहां तक कि पृथ्वी के बाहर कदम रखकर अपने को विश्वविजयी मानने लगा। अपने अधीन में समस्त ब्रह्मांड को काबू में कर लेने पर अपने को शक्तिशाली मानकर वह खुद प्रकृति का संरक्षक बनकर प्रगति के विरुद्ध युद्ध छेड़ बैठा। लेकिन वह इस यथार्थ को भूल गया की प्रकृति तभी देती है जब नतमस्तक होकर उससे मांगा जाए। नहीं तो प्रहार कर उठती है प्रकृति के अपार शक्ति के सामने मनुष्य कितना तुच्छ है यह मेघ की बातों से व्यक्त होता है कि'' प्रकृति से युद्ध किया ही नहीं जा सकता क्योंकि जो प्रकृति के विरुद्ध है, अंततः समझ लो, वह नहीं है। खिलवाड़ भी नहीं किया जा सकता उससे, खेल के मैदान की कृत्रिम सीमाएँ प्रगति नहीं मानती। प्रहार करने पर बाध्य हो तो कहीं भी कर सकती है, तीसरी दुनिया में भी। पर प्रहार करती तभी है जब और रास्ता बच्चे नहीं। और रास्ता बंद करने का काम केवल मनुष्य करता है –अहंकारी, अल्पज्ञ और लोभी मनुष्य।'' (विनाशदूत– पृ. 122–123)।

विदेशी तथा संपन्न देश अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए तीसरी दुनिया को प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया। संपन्न देश अपना परोक्ष दबाव विकासशील देशों पर डाल कर उसका शोषण कर रहा है। उपनिवेशवादी शक्तियों का हमेशा यह दावा है कि विकासशील देश तथा वहां के लोग उनके लिए बना है। इस कहानी में कहानीकार ने खुलकर विकसित राज्यों के यथार्थ को हमारे सामने पेश करता है कि विकासशील देशों के नेता विकसित संपन्न राष्ट्रों के सामने अपने को सौंप देता है। एक–एक संधि के नाम पर, अपने राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने के नाम पर यहां की जनता के ऊपर कर्ज का बोझ डाल रहा है। यहां के निम्न–मद्य वर्ग के लोग कर्ज में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। किसानों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं हुआ है। प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास में बहुत साल पहले ही इस यथार्थ को खुलकर व्यक्त किया था। कहानी में मेघ का कथन –''क्यों भूल गए तीसरी दुनिया के शासक कि उनके देशों में मनुष्य रहते हैं, कीड़े–मकोड़े नहीं, जिन पर प्रयोग करके संपन्न देश अपने को विकसित बतला लें और विपन्न देश वैज्ञानिक दृष्टि से जागरूक। दरअसल संपन्न देशों के लिए कीड़े–मकोड़ों और उस आपार जनसंख्या में अंतर था भी नहीं, जो उनकी अपनी दुनिया की वासी नहीं थी, केवल उस हवा, पानी और मिट्टी पर दखलंदाजी कर रही थी, जो उनके हिसाब से उनके ऐशोआराम के लिए बनी थी। जब जहर उन्होंने बनाया तो शायद इतना ही सोचकर कि उन कीट–पतंगों का सफाया करेगा जो मनुष्य के हिस्से का अन्न खा जाते हैं बस, मनुष्यों से उनका सरोकार केवल अपनी दुनिया के मनुष्य से था। तीसरी दुनिया के निवासियों ने गलती की कि खुद को मनुष्यों की गिनती में मान लिया। फिर क्या था! जहर फैलता चला गया। इस कदर फैला की कीट–पतंगों को पार करके दो पैरों पर सीधा चलनेवालों पर आक्रमण कर बैठा ''(विनाशदूत– पृ. 123)।

मनुष्य द्वारा निर्मित मनुष्य द्वारा बनाए गए विनाशकारी फैक्ट्रियों की वजह से निकलने वाली विषैली गैस मनुष्य तथा प्रकृति दोनों का नाश कर रहा है। पहले इसकी विभीषणता को अमेरिका द्वारा जापान में गिराए अणु बम से दुनिया ने देखी थी। उसके बाद चरणोब, भोपाल और हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखपट्टनम तक आकर रुकी है। यही चेतावनी मेघ देता है कि –''लो देखो, सुनो ,सूँघो, त्रिकालदर्शी तुम्हारे बिल्कुल करीब आ पहुँचा भोपाल शहर।''(विनाशदूत–पृ. 123)। जहरीला ग्यास अंतरिक्ष में फैलने पर सिर्फ मेघ के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु के लिए मारक बन सकता है–'' ऐसी लाशें जो सडती तक नहीं, बस, बढ़ती जाती हैं गिनती में। सडती नहीं क्योंकि सड़ने के लिए भी जीव चाहिए, नन्हे कीटाणु। जहर के प्रकोप से बच नहीं पाया कोई जीवाणु। ... आवाज नहीं, गंध नहीं, आकार नहीं, केवल शून्य और शून्य में जमा होती लाशें।''(विनाशदूत–पृ–124)।

आसमान में स्वच्छ विचरण करने वाला मेघ अपने में खुल गए इस जहरीले गैस से वाकिफ था। उसे मालूम था कि उसी के जरिए यह जहर अंतरिक्ष में फैलता है। अंत में वह खुद कवि के कमरे में घुस जाता है और कमरे में तथा बाहर भरी दोपहरी में अंधेरा छा जाता है। लेखिका ने फेंटेसी के जरिए उस यथार्थ को खोलने का कार्य किया है जो आज मानव राशि के काफी निकट है, कहीं भी कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना हो सकता है। विज्ञान से तो मनुष्य ने प्रगति हासिल की लेकिन प्रकृति को खो बैठी। इससे जनता को अवगत कराने का कार्य किया है। आज हम परिस्थिती

के प्रति सजग बन गए। उसके संरक्षण की बात हो रही हैं। हम जानते हैं कि हमारे आस पास बहुत सारे ऐसी क्रांतियां चल रही है जो अपने प्रकृति को बचाने के लिए हुई है। पालक्काड के प्लाचिमादा आंदोलन, तमिलनाडु के कुंबकोणम में थर्मल प्लांट के खिलाफ चलाए गए आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, केरल के पुतुवाइपिन में चल रहे आइओसी प्लांट विरुद्ध आंदोलन आदि एक जनता का संघर्ष है ना सिर्फ अपने को बचाने के लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को जिंदा बचाए रखने के लिए भी। क्योंकि ऐसी दुर्घटना की विभीषिका सिर्फ यह पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को झेलनी पड़ती है। जापान में अणुवर्षा के 70 साल बाद भी पैदा होने वाले बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक पिछडाव हम देख सकते हैं। कासरगोड के एंडोसल्फान की विषमता से कई लोग आज भी जूझ रहे हैं। यहां मेघ एक प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। विषैली गैस बनने के पहले वह प्रकृति की इस विवशता पर रो दिया था।

जहां मृदुला गर्ग ने मानव लोलुप सा से बनाई गई प्राकृतिक विपदाओं का जिक्र विनाश दूत कहानी में किया है, वहीं संजीव ने आरोहण नामक अपनी कहानी में पहाड़ी इलाके में होने वाली प्राकृतिक भूस्खलन का तथा अपनी जमीन से उखाड़ जाने की भीषण यथार्थ को 'आरोहण' नामक अपनी कहानी में पेश किया है। पर्वत प्रांत में निवास करने वाले लोगों की जिंदगी में हमेशा यह डर बनी रहती है कि उनके ऊपर कभी भी हिमपात हो सकता है। पृथ्वी का अपना एक संतुलन है उस संतुलन में कभी कबार उतार–चढ़ाव आ जाता है। लेकिन इसका नुकसान इंसान को भुगतना पड़ता है।

आरोहण कहानी का पात्र रूप 11 वर्ष पहले अपना पर्वती गांव छोड़ कर गया था। 11 वर्ष बाद पर्वतारोही बन कर अपने एक मित्र शेखर के साथ वापस अपना गांव माही आता है। देवकुंड स्टॉप से माही 15 किलोमीटर की दूरी पर है पहाड़ के ऊपरी चोटी पर है माही गाँव। दो घोड़ों के सहारे वे लोग देवकुंड से माही की ओर निकल पड़ते हैं। उनके साथ महीप नामक घोड़े वाला एक लड़का भी है। रास्ते के बीच में पहाड़ी इलाकों की खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का वर्णन संजीव ने बहुत ही संजीदगी के साथ किया है– ''सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झर–झरकर उनके अगल–बगल उड़ रहे थे। नीचे घास लताएँ और पेड़ों की कहीं फीकी, तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे, कहीं पक्के!''(आरोहण पृष्ठ. 308, संजीव की कथा यात्रा)। सुपिन नदी के बगल से होकर वे लोग जा रहे थे। बीच में रूप अपने बचपन की यादगार बातें भी कर रहा था। शाम तक वे लोग अपना गाँव पहुँच गए थे। लेकिन जहां पर रूप का घर था वहां पर उसका घर नहीं था। उसके एक रिश्तेदार से मालूम पड़ा कि हिमस्खलन होने से उनका घर, मां–बाप खेती बारी सब कुछ नष्ट हो गया। सिर्फ बचा था उनका भाई जो वहां से भी ऊपर चोटी पर बसता है। रूप के भाई का नाम भूप था और रूप उन्हें भूप दादा ही बुलाता था। हिमस्खलन के पश्चात भूप दादा की जिंदगी काफी बदल गई था। 11 साल बाद धूप रूप को देखता है तो वह कुछ ना बोलता है उसके और उसके दोस्त का सामान लेकर चल पड़ता है। ऊपर हिमांग की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव में रहता है भूप और उनकी दूसरी पत्नी।

हिमांगी की तलहटी में स्थित इस गांव तक पहुंचना उतना आसान नहीं था। पेड और पत्थरों के सहारे चल कर ही ऊपर पहुंच सकता था। रूप के चले जाने के बाद भूप की जिंदगी में क्या गठित हुआ इसका साफ चित्रण कहानी में मिलता है। पहाड़ टूटना एक कहावत के रूप में प्रयोग होता था वहीं खुद भूप की जिंदगी में भी हुआ था। पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा के कारण जमीन का फिसलना स्वाभाविक कार्य है, लेकिन जहां मानव वास करता है वहां पर यह साधारण सी बात नहीं है। भूप के साथ भी यही हुआ था ''हिमांग पहाड़ उसका बोझ न उठा सका, धसक गया और अपने तीस नाली खेत, मकान ,माँ– बाबा, सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया, छानी पर था, इसलिए। वहीं से तबाही देखी थी मैंणे लाचार, असहाय।''(आरोहण पृष्ठ 321, संजीव की कथा यात्रा : दूसरा पड़ाव)। उस हादसे से भूप अपने को किस प्रकार बाहर निकाल कर लाया इसके लिए वह एक गिध और चिड़िया की कहानी बताता है। गीध नन्ही सी चिड़िया की कमजोरी का फायदा उठाकर चिड़िया से उसे खाने की बात कहता है। लेकिन वह चिड़िया धीरज संभालकर उड़कर जा बैठी गिध के पीठ पर। अब वह बेडर थी। मौत की पीठ पर जा बैठी चिड़िया की कहानी से भूत स्पष्ट करता है कि मनुष्य की जिजीविषा उसे हर हालत से ऊपर उठाने के लिए ताकत देती है ''मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ

पर उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था'' (आरोहण –पृष्ठ 322, संजीव की कथा यात्रा)।

जहाँ एक और प्रकृति मनुष्य को सब कुछ देख कर भी प्राकृतिक विपता के रूप में उसी से सब कुछ छीन लेता है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य उसी प्रकृति में अपनी जिंदगी दुबारा बनाती है। वह अपने उस हिमांग प्रदेश को खेती–बाड़ी के लिए योग्य बनाया। पास से बहने वाली झरने की गति को मोड़ कर पानी की समस्या का हल ढूंढ निकाला। जिस प्रकार वह नन्ही सी चिड़िया अपने को गीध के ऊपर बैठकर मौत को हराया था वैसा ही भूप खुद पहाड़ बनकर सारी धाराओं को प्रकृति से फूट निकालकर उस धरती को उरवर बनाया। यही कारण रूप के कहने पर भी भूप वह हिमांग को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। भूप की जिंदगी का तरीका तो 'जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो वहां जीने में था'। अगर प्रकृति से नतमस्तक होकर कुछ भी मांगा जाए तो प्रकृति पूरी तौर से वह मनुष्य के लिए बनी बैठी है(जैसा कि पौलो कोइलो का कहना है कि अगर सच्चे दिल से माँगा जाए तो पूरे काइनात उस माँग की पूर्ती के लिए तुम्हारा साथ देता है।)। धूप ने अपनी जिंदगी के जरिए यही दिखाया था।

'विनाश दूत'और 'आरोहण 'इन दो कहानियों में प्रगति का सम्हार ही सामने आती है। लेकिन अलग–अलग रूप में। एक में मनुष्य खुद अपने नाश का कारण बनता है तो दूसरे में खुद प्रकृति। दोनों कहानियों में प्रकृति मनुष्य को चेतावनी देती है। आरोहण कहानी में रूप और शेखर घोड़े के ऊपर बैठकर पहाड़ चढ़ता है तब एक गीत का जिक्र होता है जिसका मतलब बताता है कि ''कुहरे से सवाल कर रही है कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की की ऐ कुहरे, ऊंची –नीची पहाड़ियों में तुम न लगो जाकर। इस पर कुहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊँची–नीची पहाड़ियों में तू न जाया कर। इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊँची–नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा न बनाया करे। ''(आरोहण –पृष्ठ 309, संजीव की कथा यात्रा : दूसरा पड़ाव)। यहां मानव को प्रकृति खुद चेतावनी देती है कि मनुष्य को जब वह अपना दहलीज पार कर प्रकृति तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसका असर बुरा ही होगा। विनाश दूत में भी मेघ कवि को चेतावनी देता है कि ''और अब यहां से कुल 8 किलोमीटर की दूरी पर शहर भोपाल है। नहीं, मैं गलती नहीं कर रहा। पहले अस्सी था, अब सिर्फ आठ रह गया है। दुनिया के हर शहर से भोपाल शहर केवल आठ कि.मी. दूर पर रह गया है। और यह फासला हर पल घटता जा रहा है ,हर पल।''(विनाश दूत–पृ. 123)

मनुष्य ने प्रकृति को मां का दर्जा दिया है। क्योंकि वह जननी है। वह सब कुछ अपने संतानों को देती आई है। प्रकृति का शोषण करके मनुष्य खुद अपने पैर तले की जमीन को उखाड़ रहा है। जितना उस पर कुल्हाड़ी मारेगा उसका परिणाम उसे नहीं बल्कि आगामी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। हमें अपनी आगामी पीढ़ी के लिए इस दुनिया को वैसी ही छोड़नी चाहिए जैसे हमें मिला है। हमें उस पर कब्जा करने की कोई हक नहीं है। बल्कि यह हम सबका फर्ज है कि हम हमारी प्रकृति की पूरी हिफाजत करें। यही कारण है कि आजकल हम परिस्थिति में हो रहे इस शोषण के प्रति काफी सजग हो गए हैं। जैसा किशगांधी जी ने बताया था कि भारत की आत्मा गाँव में बसा है वैसा ही मनुष्य की आत्मा प्रकृति में ही है।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 13-17

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संस्कृतबाङ्मये पर्यावरणपर्यालोचनम्

–डॉ. सम्बितमहापात्रः

संविदाध्यापकः, अद्वैतवेदान्त विभागः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, एकलव्य परिसरः, अगरतला, त्रिपुरा–799006

भारतीय दर्शन परम्परायां वेदानां महत्त्वम् अतीव गुरुत्वपूर्णम्। वेदाश्रितेयं अस्माकं परम्परा न केवलं भारते अपितु समग्रविश्वे प्रमुख स्थानम् अलङ्करोतीति नास्ति विसंवादः। भारतीय दर्शनेतिहासे सन्निहितानां पारिवारिक–प्राकृतिक–वैश्विक समस्यानां समाधानं वेदे समुपलभ्यते। पुराकाले तु वैज्ञानिकपद्धतिः तु नासीत्, परन्तु विभिन्न पुराण ग्रन्थानां तथा वेदे प्रवर्तमानवाक्यानि श्रुति–स्मृत्यादिषु वर्णित पूर्वजानां देवानां वाक्यानि चाश्रित्य आसां समस्यानां समाधाननिमित्तं मानवः अन्वेषणं कृत्वा समस्यायाः समाधानं करोति।

वर्तमाने आधुनिकयुगे प्रमुखसमस्या भवति पर्यावरण समस्या। अधुना मानवः पर्यावरण संरक्षणे अक्षमः मानवः इंदानं स्वल्पवृष्टि भूकम्पः, सुनामी तथा ऋतुणां परिवर्तनम् इत्यादि समस्यानां सम्मुखे परिपतति। पर्यावरण संरक्षणे प्रकृतेः तथा मानवानां समीकरणं अत्यावश्यकम्। यदि कश्चित् पुरुषः यदि कस्यचित् कृते किमपि दास्यति तर्हि तस्यापि कर्तव्य भवति यत् तेषां सम्माननम् विधेयम्। तादृश एव मूकप्रकृति मानवानाम् प्रत्येकम् आवश्यकता परिपूरयति तर्हि ईश्वर प्रदत्त बुद्धिचक्षुवाणि संयुक्त मानवानां प्रमुखं कर्तव्यं भवति प्रकृतेः संरक्षणः। संस्कृत साहित्ये बहुचर्चितमन्त्रम् अस्ति –

''पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावाश्ष्यते।। इति।।

मानवः स्वेच्छां स्वाधिनं कृत्वा प्रकृतेः यत् आवश्यकं तदेव यदि प्रतिगृह्यते तर्हि प्रकृतिः सदा सर्वदा पूर्णा च भवतीति नास्त्यत्रसंशयः। यदि मानवः संरक्षितं धनं यदि यौवनकाले व्ययीकरोति तर्हि वृद्धावस्थायां दुःखं तु अवश्यम्भावि अतः प्रकृतेः संरक्षणं मानवस्य प्रमुखं कर्तव्यम्।

अस्मान् परितः यदावरणं तदेव पर्यावरणम्। कानि च तानि वस्तुनि यत् अस्मान् परितः चेत्– पञ्चमहाभूताः, वनस्पतयः, औषधयः अन्यानि च निसर्गजातानि वस्तूनि विराजन्ते। एतेषां सर्वेषां समष्टिः पर्यावरणं इति कथ्यते।

संस्कृत साहित्ये प्रचिनकालादेव पर्यावरणं प्रति काचित् असामान्या चेतना दृश्यते। एतस्मादेव कारणात् पर्यावरण घटकेषु वनस्पत्योषध्यादिषु वा नदीपर्वतादिषु वा जलवायुप्रभृतिषु वा तत्तदभिमानिदेवातानां सद्भावः निरूप्यते। तद्यथा भगवता वादरायणेन कथितम् – अभिमानिव्यपदेशस्त विशेषानुगतिभ्याम्।

एवमेव ऋग्वेदभाष्य भूमिकायां सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकारः सायणाचार्यः वदति यत्–औषध्यादिमन्त्रेष्वपि चेतना एव तत्तदभिमानि देवताः तेन तेन नाम्ना सम्वोध्यन्ते।।

एवमेव संस्कृत काव्य साहित्ये वहुना कविना पर्यावरणोपरि स्वस्य कवित्व प्रदर्शनपूर्वकं पर्यावरण संरक्षणाय वविधोपायमपि प्रदर्शितम्। केचित् स्थलेषु पृथीवि आदि मातृरुपेण पूजीता केचित् स्थले भगवन्तः स्वरूपेण प्रस्तुतम्।

संस्कृतकाव्य–साहित्ये वनाश्रमतपोवनम्–नदी–तड़ाग–प्रपात–वनस्पत्योधिचन्दोदय–व्योग–गिरि–कानन–मत्स्य–सर्पस्वेदजाण्डोद्भिज्ज प्रभृतीना मञ्जुलवर्णनं दृश्यते। अस्माकं संस्कृत–साहित्येतिहासे विविधोपादानेषु पर्यावरणस्तूनि प्रधानानि सन्ति।

पर्यावरण चेतना –

चमत्कृतहृदयः कविकुलगुरू कालिदासः विविध पर्यावरण घटकतत्त्वानां समुदितरूपम् अष्टमूर्ति भगवन्तं शङ्करं स्मरति तद्यथा –

या सृष्टिः श्रष्टराद्या वहति विधिहुतं या हवि र्यण च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहुः सर्ववीजप्रकृतिरिति यया प्रणिनः प्रणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टीभिरीषः।।

पद्येस्मिन् नान्दीपाठव्याजेन शङ्करस्मरणव्याजेन पर्यावरणघटकविविधत–त्त्वानां जलवायुधराकाशाग्नि प्रमुखानां शङ्करत्वं सम्यक्पेण व्यज्जितवान् सा सर्वथा उपादेया गम्या च।

पर्यावरणपर्यवेक्षणपटुः संस्कृतकविः सुक्ष्मातिसुक्ष्म तत्त्वं विशदतया निरूपयन स्वपर्यावरणचेतनां प्रकटीकरोति सुष्ठुरित्या। काव्यस्य सकलविदासु तपोवनानां सम्यक् वर्णनं लभ्यते। एतेषां वर्णनानाम् अनुशीलनेन कवेः पर्यावरणचेतना विशदीभवति। तद् यथा स्वप्नवासवदत्ते –

खगा वासोपेताः सलिलमवगातो मुनिजनः
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति थुमो मनिवनम्।
परिभ्रष्टो दूरादविरपि च संक्षिप्तकिरणो
रथं व्यावासौ प्रविशति शनैवस्त शिखरम्।।

पद्येस्मिन कवेः पर्यावरणचेतना परिस्फुरति तपोवन–सूर्यास्तवर्णनव्याजेन।

पर्यावरणचेतनायां अन्यत्र कालिदासः दुष्यन्तम् आश्रममृगहनणात् निवारयति तद् यथा – राजन् ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः।

पुनश्च जलतत्त्वान्विता पर्यावरणचेतना विषयेऽपि कविनां कवित्वं प्रदर्शितम्। पुण्यसलिलासु नदीषु अवगाहनेन मानवाः शरीरवन्ध्यात् मुक्ति प्रप्नुवन्तीति वर्णयन् कालिदासः स्वकीयां जलतत्त्वसम्वद्धां पर्यावरणचेतनां सूचयति –

समुद्रपल्योर्जलसन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्।
तत्त्वाववोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजा नास्ति शरीरवन्धः।।

एवं संस्कृत काव्य साहित्ये तडाग–नदी–सरोवर–निर्झर–सङ्गम प्रभृति वर्ण्यनेषु जलस्य पावनत्वापेक्षा व्यजिता। कवीनां भूयोभूयः पावनजलवर्णननैः अद्यत्वे व्याप्तां जलप्रदूषण समस्यां प्रति सामान्या चेतना जागर्ति। पवित्रनदीजलेषु तीर्थोदकेषु यत्पापहरणसामर्थ्यग् गुयासः वर्ण्यते तस्यापि मूले इदमेव तथ्यं विद्यते यत्तेषु प्रदुषणनिवारणक्षमता विद्यते। एतस्मादेव कारणात् भवभूतिना उक्तम् –

उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः।
तीर्थोदकश्च वहिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः।।

एवं प्रतिभाति यत् संस्कृतकवयः जलसम्वद्धां पर्यावरणचेतनां प्रति अवहितचेतसः आसन्। स्थले स्थले तैः जल

प्रदूषणकारिकृत्येभ्यः निवारयति पर्यावरणसंरक्षणप्रति च अवोधितरू इति महद्योगदानं संस्कृतकविनां लोकस्य पर्यावरण संरक्षण चेतनोद्भावनायाम्।

पर्यावरण संरक्षणे वेदेसमुपलभ्यमानोपाया :-

सत्य–ऋत–संकल्प–तप–ज्ञान– त्यागादिगुणविशिष्ट युक्तं मानव एव प्रकृतेः धारणे तथा तस्य संरक्षणार्थं सक्षमः। उक्तं च–सत्यं बृहदुतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।। आलस्य तथा प्रमादरहितमानवरू एव प्रकृतेः संरक्षणार्थं सक्षमः। या रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानी देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम्।।

आलस्य राग द्वेषादिभावनायुक्तो मानवः एव प्रकृतेः हननं करोति। अतः पृथिवीम् अस्माकं मातृरूपेति ऋषिमुनयः कथयन्ति। ते ऋषयः आलस्य–राग–द्वेषादिदोषेभ्यो मानवी मुक्तो भवतु इति प्रार्थयन्ति।

यो नो दवेषत्पृथिवी यः पृतन्याद्योऽभिदासान्मनसा यो वधेन।
तं नो भूमे रन्थय पूर्वकृत्वरि।।

बर्धिता जनसंख्या एव प्रदूषणस्य प्रमुखं कारणम्। जनसंख्याः अधिक्येन निवासार्थ अधिकं स्थानम्, उदरपुरणार्थम् अधिकभोजनं तथा अधिकमलत्यागादि एव पर्यावरण प्रदूषणस्य कारणम्। निवासस्थाननिमित्तम् अधिकाधिक वृक्षच्छेदनम्, भोजननिमित्तं कृषिभूमेः अधिकाधिक जैविककिटनाशकादि प्रयोगः तथा अधिक धनोपार्जननिमित्तं प्रकृतेः हननं भवति। अस्मात् कारणात् प्रकृतेः हानिर्भवति एवं पर्यावरणं कलुषितो भवति। अतः एतस्या समस्यायाः निवारणार्थं अथर्ववेदे पृथ्वीसुक्ते पञ्चत्रिंशत् मन्त्रः (१२.१.३५) भूमिसंरक्षणं स्पष्टरूपेण प्रबोधयति। एवं स्वाभाविकरूपेण कृषि–उपार्जननिमित्तं उपदेशः प्राप्यते। 'यत्सीमान्तं मा धूनुथ' इति वाक्ये कृषि भूमिक्षतिक्षणार्थं निषेधयति। तथा 'मा काकबीरमुद्धमहो वनस्पतम्' इति वाक्यं पक्षीणां पोषकाः वृक्षाः तेषां च्छेदनं निवारयति। पुनश्च वेदः कथयति यद् आवश्यकं तावदेव प्रकृतेः ग्रहणीयम् – 'यात्सिंघौ यदसिकन्यां यत्समुदेषु मरूत सुवर्हिषः। तत्पर्वतेषु भेषजम्'। विपरीता यदि क्रियते तर्हि पृथ्वी कम्पिष्यते। 'भूमिर्यामेषु रेजते' इति। अस्मिन् धुलोकः–पृथ्वीलोकः–अन्तरिक्षं तथा वनस्पतिः च पुनः पुनरू उत्पन्न न भवति एतदर्थं एतस्याः संरक्षणं अत्यावस्यकम्।

सकृद् द्योरजायत सकृद्भूमिरजायत।
पृश्न्या दुध्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानु जायते।।

वृक्षः स्वस्य कृते किमपि न करोति यत् किमपि तस्य पार्श्वेअस्ति तत्सर्वं मानवानां निमित्तं समर्पयति अतः वृक्षः देवतारूपेण पूजितोस्ति।

कोऽपि वृक्षः अनुपयोगी नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। प्रत्येकं वृक्षः औषधिरूपेण व्यवह्रियते 'औषधीरिति मातररू'। अतः वृक्षाणां संरक्षणम् अस्माकं परमकर्तव्यं भवति। वैदिककाले वृक्षाणां संरक्षणम् एव स्वस्य परमकर्तव्य इति आमनन्तिस्म। तथा च ऋग्वेदे 'वनानि ऋञ्जते' तथा 'रिषते बनानि' इति अग्निः तथा मरूत्सुक्ते वृक्षाणां संरक्षणार्थं उपदेषः समुपलभ्यते। वृक्षः एव अस्माकं भूमण्डलस्य आवरणम्। वृक्षच्छेदनं भूमण्डलस्य विनाशस्य कारणम्। नदीतीरे अवस्थितवृक्षः वर्षासमये नदीनां प्रवाहम् अवरोधयति तथा भूस्खलनं अवरोधयति एतदर्थं अपि ऋग्वेदस्य मरूत्सुक्ते (५.५४.६) मध्ये नदीतीरे अवस्थितवृक्षाणां च्छेदनं निवारयति वेदः। परन्तु मानवः अधिकाधिकधनोपार्जन तथा मनोरजननिमित्तार्थं निवासोपयोगि–अट्टालिकानिर्माणं करोति नदीतीरे। वृक्षः न केवलं तस्य जीवनकाले मानवानां इच्छा पुरयति अपितु मरणकालेऽपि मानवानां कृते स्वस्य अवदानं दास्यति एतदर्थ वेदः वृक्षसंरक्षणार्थ उपदेशं प्रदास्यति। ये पर्यावरण संरक्षणे असक्षमः तेषां कृते (अ.वे. १२.१.५७,१२.१.५८) सुक्ते दण्डविधानापि प्रप्यते। यथा अश्वः स्वकिये पृष्ठे पतितान् रजकणान्

झटित्येवापसारयति तद्वदैव प्रकृतेः उपरि ये अन्यायाचरणपूर्वकं निवसन्ति तादृशान् दुष्टान् झटित्येव अस्मात् जगतः अपसारयेत्।

न केवल वैदिककाले अपितु आधुनिकयुगेस्मिन् सर्वे तुलसि वृक्षान् रोपयित्वा प्रातरू तथा सायंकाले पूजां कुर्वन्ति। वर्तमानवैज्ञानिक युगे वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् तुलसीवृक्षः अस्माकं कृते शुद्धवायुं प्रदधाति तथा घातकक्रिमिकीटादिनां नाशं करोति। वेदे अश्वत्थ–आम्रअशोक–कदम्ब वटवृक्षादिनां महत्वं प्राप्यते। पुराकाले वेदानां वक्यानाम् अवलम्बनं कृत्वा जनाः ग्रामस्य चतुर्दिक्षु अश्वत्थ–आम–अशोकादिवृक्षान् रोपणं अकुर्वन्। एतदर्थं ग्रामः निरोगी भवतिस्म। अश्वत्थादिवृक्षाः आकाशे प्रदूषितरजकणान् आकर्षयन्ति वैज्ञानिकदृष्टिकोणे।

वृक्षः		रजकणान् तथा धुलिः आकर्षण शक्तिः
(क)	अश्वत्थः	४.१५
(ख)	अशोकः	४.५६
(ग)	आम्रलता	२.२४
(घ)	आम्रवृक्षः	४.०५
(ङ)	गुल्मः	१.४४
(च)	त्रिन्त्रिणि	२.०८
(छ)	कदम्बः	४.५७
(ज)	वटवृक्षः	३.५६

यदि वयं वैदिकदृष्ट्या यत्र–यत्र प्रदूषणं वाहुल्यं दृष्यते तत्र–तत्र यदि उपरिलक्षतिवृक्षरोपण कुमर्रू तर्हि वातावरणं तथा प्रकृतिः प्रफुल्लिता भवति एवं प्रदुषणरक्षणेऽपि सहायकं भवति।

ऋग्वेदे प्रदूषणरहितवायु औषधिगुणयुक्त तथा दीर्घजीवनं यापयितुम् अमृतरूपेण वर्तते तथा सः अस्माकं पितृ–मातृ–भगिनि–भातृ मित्ररूपरू इति वर्णनं लभ्यते।

वाता आ आ वातु भेषजं शंयु मयोभु नो हृदे।
प्राण आयूषि तारिषत।।
उत वात पितासि न उत भ्रातात नः सखा।
श नो जीवातवे कृधिः।।
यददो वाता ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितिः ।
ततो नोदेहि जीवसे।।

सस्यश्यामला पृथ्वीमाता एव वृष्टेः तथा शुद्धवायोः कारणम् भवति। शुद्धवायुनिमित्तं वेदे यज्ञविधानम् अस्ति। यज्ञेस्मिन् चरू तथा तिलतण्डुलादि अस्माकं वातावरणं संशोधयति तथा शुद्धवायु प्रदास्यति। तत्र छान्दोग्योपनिषदि –

एष हवै यज्ञो योऽयं पवत एष यन्निदं सर्वं पुनाति यदेष यन्निदं
सर्वं पुनाति तस्मादेश एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक् च वर्तनी।।

कथितम् अस्ति यत् यज्ञः वातावरणस्य वायुं शुद्धिकरोति तथा सर्वं दोषं निवारयति अथर्ववेदे –

इन्द्रस्य या मही दृषत् क्रिमविश्वस्य तर्हणी।
क्रिमीन दृषदा खल्वाँ इवम्।।

अस्मिन् मन्त्रे यज्ञस्य महिमा तथा यज्ञशक्तिविषये वर्णनं प्राप्यते। आधुनिकयुगेस्मिन् यज्ञविषये बहु अन्वेषणं अपि अभवत्।

एवं प्रकारेण आसासमस्यानां समाधानोपायः वेदे समुपलभ्यते। न केवलं आसां समस्यानाम् अपितु समस्यायाः प्राक्एव सूचना प्रदास्यति वेदः तथा पुराणादिग्रन्थाः अस्माकं मार्गदर्शकरूपेण सदैव तिष्ठन्ति। परन्तु हिन्दुधर्मस्य मूलभूतवेदस्य अनुसन्धानं तावत् अस्माकं देशे न दृश्यते। ये वैदेशिकाः अस्माकं संस्कृतिः तथा शंस्कृतभाषा अजानानाः ते वेदाध्ययनं कृत्वा तदनुसंधानेन बहु तथ्यादीन् आविष्कुर्वन्ति। यदि वयं वेदे वर्णितवाक्यार्थानां सम्यक धारयामः तर्हि वर्धिजनसंख्यायाः प्रदुशितपर्यावरणस्य तथा अन्यान्य समस्यानां सत् समाधानं भवतीति मम आशयः।

द्योः शान्तिन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।।

पादटिप्पणी –

1. ब्र.सू.२.१.५
2. ऋग्वेदभाष्यभूमिका
3. अभिज्ञानशाकुन्तले १. १
4. स्वप्नवासवदत्ते. १/१६
5. रघुवंशे १६/५८
6. उत्तररामचरिते /१३
7. अ.वे.१२.१.१
8. अ.वे.१२.१.७
9. अ.वे.१२.१.१४
10. अ.वे.१.३७.६
11. अ.वे.६.४८.६
12. ऋ.वे.८.२.२५
13. ऋ.वे.८.२०.५
14. ऋ.वे.६.४८.२२
15. ऋ.वे.१०.१७.४, यजु.वे.१२.७.१८
16. ऋ.वे.१.१४३.५
17. ऋ.वे.१२.१.५७,५८
18. अ.वे.१२.१.५७,५८
19. ऋ.वे.१०.१.८६.१—३
20. छा.उ.४.१६.१
21. अ.वे.२.३१.१
22. यजु.वे.३६.१७

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 18-20

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

आतंक की त्रासदी और विस्थापन की पीड़ा : इकबाल

–लक्ष्मी देवी,

पीएच.डी. शोधार्थी, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू – 180006

आतंक शब्द से भय का बोध होता है। आतंकवाद शब्द जहाँ कहीं भी सुनाई पड़ता है या दृष्टिगत होता है तो मन में एक अजीब–सा भय समाहित हो जाता है। आतंकवाद आज वि'व स्तर पर फैला हुआ है। यदि बात करें भारत की तो आतंकवाद का नाम मुख्य रूप से 'कश्मीर' से जोड़ा जाता है, जहाँ आए दिन आतंकी वारदातें होती रहती हैं। 'कश्मीर' में आतंक की त्रासदी के साथ–साथ विस्थापन की पीड़ा भी रही है।

युवा कथाकार जयश्री रॉय के अब तक चार उपन्यास – 'औरत जो नदी है', 'साथ चलते हुए', 'इकबाल' और 'दर्दजा' व आठ कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 'इकबाल' 2014 में आधार प्रकाशन, पंचकूला, हरियाणा से प्रकाशित उनका तीसरा उपन्यास है। इस उपन्यास के केन्द्र में लेखिका ने धरती की जन्नत मानी जाने वाली कश्मीर घाटी को लिया है, जहाँ वर्तमान में आतंक, हिंसा, अविश्वास, असंतोष, साम्प्रदायिकता व दहशतगर्दी का जाल बिछा है, जो बीच–बीच में उग्र रूप धारण कर लेता है। हाल ही में 14 फरवरी 2019 में हुआ पुलवामा हमला इसका ज्वलंत उदाहरण है।

कश्मीर का नाम लेते ही हर किसी के मन में पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलानमर्ग, अचाबल, अहरबल, नगीन झील, हजरतबल दरगाह, परी महल, शंकराचार्य मंदिर, डल झील, मट्टन, शालीमार बाग, ट्यूलिप बाग, चश्म–ए–शाही आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए मन हिलोरे लेने लगता है लेकिन आज के समय में आतंकवाद के कारण आये दिन एनकाउण्टर, सीज फायर उल्लंघन के कारण धीरे–धीरे सब कुछ छिन्न–भिन्न हो रहा है।

'इकबाल' में मुख्य रूप से जिया और इकबाल की प्रेम कहानी है। फेसबुक पर बने कश्मीरी मित्र इकबाल के बार–बार आग्रह करने पर जिया कश्मीर आती है और यहाँ आकर ही उसे इकबाल, बशीर, हारून, मुज्तबा, मेज़र सिद्धार्थ, अशोक कौल आदि पात्रों के माध्यम से कश्मीर की भीतरी परिस्थितियाँ मुख्य रूप से आतंकवाद और विस्थापितों की पीड़ा ज्ञात होती है।

आतंकवाद आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के नाम से आज हम सभी भली–भांति परिचित हैं। छोटे बच्चे से भी यदि हम आतंकवाद के विषय में पूछते हैं तो उसका अर्थ भले ही उसे पता न हो लेकिन आतंक की भयावहता से वह परिचित है। आर.जी. साहनी आतंकवाद को परिभाषित करते हैं – "आतंकवाद वह हिंसापूर्ण नाटक है जो ऐसी मांग या उद्देश्य के प्रति लोगों या जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए रचा जाए जो पूरे न हो पा रहे हो या जिन्हें पूरा करने में बहुत कठिनाई हो। इसका उद्देश्य प्रचार करना ही होता है।"[1]

आतंकवादी संगठन अपनी घटना को अंजाम देने के लिए सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाते हैं जिसमें मासूम व निर्दोष जन मारे जाते हैं। इकबाल में लेखिका ने कश्मीर में फैले आतंकवाद को दर्शाया है। बाहर से आये सैलानियों के लिए कश्मीर 'धरती का स्वर्ग' है। कश्मीर में आतंक के साये में लोग जिंदगी जी रहे हैं। उपन्यास में मुज्तबा के शब्दों में, "सैलानियों के लिये कश्मीर जन्नत है, ख्वाब है, मगर हम लोकल लोगों के लिए एक ऐसी सच्चाई जो हमेशा खूबसूरत नहीं होती।"[2] कश्मीर का भीतरी यथार्थ है।

घाटी में छोटे बच्चों से लेकर नौजवान अधेड़ व वृद्धों के भीतर आतंक का भय समाया हुआ है। युवा पीढ़ी को हम देश का भविष्य व निर्माता मानते हैं, उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा आज़ादी के नाम पर, इस्लाम की रक्षा के नाम पर बरगलाया जाता है। कहीं पैसों का लालच देकर, कहीं रोजगार के रूप में व कहीं धमकी के रूप में युवाओं को अपने जाल में फाँसते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनमें से ही कुछ फियादीन (आत्मघाती हमलावार) बनते हैं।

सरहद पार से आए लोग वादी की भोली–भाली अनपढ़ अवाम को यह कहकर बहलाती है कि वे उनके सच्चे हितैषी हैं। भावना की नदी में बहकर अवाम उन्हें अपना सर्वेसर्वा मानने लगते हैं। हारून कहता है, "उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था – कौन दोस्त और कौन दुश्मन ––– जिन्हें अपना मद्दगार समझकर हमने बुलाया था, वहीं हम पर जुल्म ढाने लगे थे, हमारी औरतों की इज़्जत लूटने लगे थे।"[3] अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये आम जन को माध्यम बनाते हैं जिसमें उन्हें अपनी जान तक गवानी पड़ती है, लेकिन इनकी जानों की कीमत इनके लिए चन्द मोहरों के सिवाय कुछ भी नहीं।

आतंकवाद को बढ़ावा देने में वहां की राजनीति का भी हाथ है। आतंकवादी संगठन और राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने धारदार हथियार धर्म का आश्रय ले रहे हैं। धर्म को लेकर हर व्यक्ति भावुक हो जाता है और सरलता से उनके झांसे में आ जाते हैं। इस संदर्भ में मुज्तबा का कथन है – "––– देखिये मज़हब का एक अहम किरदार होता है यहां। लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिये सियासतदान इसी का इस्तेमाल करते हैं। और आप जानती हैं हम लोग इस मामले में कितने ज़ज्बाती होते हैं – सोचने–समझने की ताकत खोकर उसी तरफ चल पड़ते हैं जिधर हांके जाते हैं ––– ।"[4]

आतंकवाद एक सोच विचार कर किया जाने वाले अपराध है। ये छुपकर हमला करते हैं, इनकी यही नीति लोगों को भयभीत करती है और घाटी में अशान्ति का कारण बनती है। जेहाद के नाम पर किशोरवय युवकों को ले जाते हैं और फिर कभी भी जीवित नहीं लौटते, माँ–बाप बिलखते रोते रहते हैं। इकबाल के शब्द हैं। – "माँ–बाप का दिल तो रोता ही है न जब उनके कलेजे के टुकड़े मौत और तबाही के अनजान स्याह रास्तों पर चलकर खो जाते है, गुम हो जाते हैं – हमेशा के लिये ––– ।"[5]

आतंकवाद ने कश्मीर का अमन–चैन व सुकून लूट लिया है। विवेच्य उपन्यास में लेखिका ने विस्थापन की पीड़ा झेल रहे विस्थापितों की दयनीय स्थिति को भी दर्शाया है। विस्थापन का सामान्य अर्थ उस स्थिति को बताता है जिसमें एक परिवार या एक समाज को अपने हाथों से बनायी हुई स्थायी घर–गृहस्थी परिवेश, दिगन्त आकाश, अपनी मातृभूमि को छोड़कर किसी दूसरे अनजान स्थान पर बसने के लिए बाध्य किया जाता है।

1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के घाटी से विस्थापन की कथा मानवीय यातना और अधिकार–हनन की त्रासद गाथा है। कश्मीर में 1990 में भीषण नरसंहार हुआ था। उस समय वहां कश्मीरी पंडितों को खुले आम धमकी दी जा रही थीं कि कश्मीर में यदि रहना है तो इस्लाम स्वीकार करो या अपनी जान गवा दो या कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। उन्होंने उस समय तीसरा विकल्प चुना था। 1990–1994 तक भारी मात्रा में कश्मीरी पण्डितों का विस्थापन हो चुका था। उन्हें कश्मीर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। विवेच्य उपन्यास में लेखिका ने जम्मू के मुठी कैम्प में रह रहे एक विस्थापित परिवार की पीड़ा को व्यक्त किया है जो जीवन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। 22 वर्षों से एक छोटे से कमरे में रह रहे एक परिवार की दयनीय हालत का वर्णन किया है। उपन्यास में लेखिका ने अशोक कौल के शब्दों में उस विस्थापित परिवार के दर्द को शब्दबद्ध किया है – "एक पीढ़ी आधी से अधिक मर–खप गई, दूसरी पीढ़ी मिटने की तैयारी में है और नई पीढ़ी – उसका न तो कोई आज है न कल है ––– अंधकार की विरासत लेकर पैदा हुए हैं और अंधकार के क्षितिज में ही विलीन होने जा रहे हैं इनके पास कोई विकल्प न पहले था न आज है ––– ।"[6]

अपनी जड़ों से उजड़ने का दंश वे झेल रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी नंगी जड़ों के साथ विस्थापन के 29 साल व्यतीत किये हैं और उनकी पीढ़ियाँ भी व्यतीत कर रही हैं। विस्थापन के समय उनके समक्ष यह समस्या थी कि वे कहाँ

रहेंगे लेकिन उनके मन में यह आशा थी कि यह विस्थापन/निर्वासन अस्थायी है। कुछ समय पश्चात घाटी में अमन व शांति आने पर वे अपने घर वापिस चले जाएँगे। अशोक कौल के माध्यम से लेखिका ने मानवाधिकारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आम अवाम के लिए कोई मानवाधिकार की बात नहीं करता। "एक प्राचीन, सुसंस्कृत जाति अपने ही देश से योजनाबद्ध तरीके से मिटा दी जाती है और सब चुपचाप देख रहे हैं। एके 47 से लैस आतंकवादियों के मानवधिकार की बात की जाती है, मगर एक निरीह देशभक्त समुदाय की नृशंस हत्या, विस्थापन और क्रमशः निःशेष हो जाने पर कोई बुद्धिजीवी या ये तथाकथित मानवधिकार वाले अपने दो बहुमूल्य शब्द भी खर्च करना मुनासिब नहीं समझते ———। क्यों नहीं वे इनके जीवन और सम्मान की रक्षा के लिये आगे आते हैं?"[7]

यह 28–29 सालों से नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं इनकी आवाज़ बनकर कोई आगे नहीं आता। इनका (कश्मीरी पण्डितों) जातीय समूह छोटा है, किन्तु सांस्कृतिक रूप से बहुत विशिष्ट है। आज भी यह अपनी मातृभूमि पर जाने के लिए ललायित हैं। सरकार की ओर से उन्हें उनके पूर्वजों की जमीन पर भेजने के लिए किंचित भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह लोग अपनी मिट्टी से बहुत जुड़े हुए हैं। शरणार्थी कैम्पों/शिविरों में रहते हुए भी ये अपने पैतृक गाँव से लाई मिट्टी, चिनार के पत्तों की पूजा करते हैं – "हर बार हम सोचते हैं, अगली शिवरात्रि कश्मीर में मनायेंगे, अपने घर में, गांव में। हमारे बुजुर्ग कश्मीर की मिट्टी को भगवान की तरह पूजते हैं। अपने–अपने घरों से भागते हुए हम अपने साथ अपनी ज़मीन की मिट्टी ले आये थे, चिनार के पत्ते ले आये थे। आज भी उन्हें छूकर हम अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं, महसूस करते हैं ———।"[8]

मूलभूत सुविधाओं से वंचित, आर्थिक तंगी से जूझते हुए, नारकीय जीवनयापन करते हुए, जम्मू में लू के कारण कुछ लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए और कुछ समाप्त होने के कगार पर खड़े हैं। जन्म दर से मृत्यु दर अधिक है – "जितने लोग मर रहे हैं, उसकी तुलना में बहुत कम जन्म ले रहे हैं। कई कारण हैं इसके – बिमारी, अवसाद, आर्थिक, विपन्नता, निजता का अभाव, स्त्रियों का गिरता स्वास्थ्य ———।"[9]

कश्मीर में हिन्दू–मुस्लिम आपसी सौहार्द भी मिलता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि वहाँ हिन्दु मुस्लिम एकता नहीं है। 90 के दशक से पहले कश्मीर में हिन्दू, मुस्लिम मिलजुल कर आपसी त्यौहार मनाते थे ईद हो या दिवाली। धीरे–धीरे दहशतगर्दी का दौर आया आपसी मनमुटाव बढ़ा और फिर इसी का उग्र रूप आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, विस्थापन के रूप में उपस्थित है। आतंकवाद आज भारतीय समाज के लिए अभिशाप हो गया है। मुख्य रूप से यह धरती का स्वर्ग कश्मीर को अराजकता और गर्त की ओर ले जा रहा है।

वर्तमान समय में आतंकवाद के दौर में यही हासिल है। लेखिका के शब्दों में – "यह डर, यह दर्द, यह विस्थापन बस यही हासिल था आज जन्नत के इन आदिमानवों के पांच हज़ार वर्षों की सांस्कृतिक विरासत का ———।"[10]

विवेच्य उपन्यास में आतंक की त्रासदी और विस्थापन की पीड़ा समान रूप से उपस्थित है।

संदर्भ :-

1. डॉ. निखिल कुमार सिंह, 'आतंकवाद के पसरते पाँव और भारत की भूमिका', शोध विमर्श, वाल्यूम–VI अगस्त, 2011, पृ. 52
2. जयश्री रॉय, इकबाल, पृ. 59
3. वही, वही, पृ. 51
4. वही, वही, पृ. 62
5. वही, वही, पृ. 23
6. वही, वही, पृ. 81
7. वही, वही, पृ. 84
8. वही, वही, पृ. 84
9. वही, वही, पृ. 85
10. वही, वही, पृ. 35

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 21-24

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

'टूटते दायरे' उपन्यास में चित्रित ग्रामांचल का सामाजिक यथार्थ

–नीलम कुमारी,

पीएच.डी. शोधार्थी, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू – 180006

समाज का निर्माण भारत में अनेक जातियों के समूह से होता है। व्यक्ति का सीधा सम्बन्ध सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक वातावरण से होता है। समाज में बदलाव आना एक स्वाभाविक घटना है। किसी परिणामस्वरूप घटना घटने से समाज में परिवर्तन होता दिखाई देता है। आधुनिक सामाजिक परिस्थिति में अनेक घटनाओं के बाद शहरों के साथ गांवों में परिवर्तन होता है। गांवों में परिवर्तन की घटनाओं में भारत के उदारीकरण की नीति स्वीकृत करने की घटना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस कारण आधुनिकता के कारण पुरानी परम्पराओं और रीति–रिवाजों को नकारा जा रहा है।

अनिल काले के अनुसार, "ग्रामीण जीवन के प्राचीन प्रतिमान, ग्रामीण समाज की पुरानी प्राचीन संरचना परिवर्तित हो चुकी है। आज गांवों में परिवर्तन दिखाई देता है, गांव की पारिवारिक, जातीय एवं सांस्कृतिक मान्यताएं बदल रही हैं, उनके पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन लक्षित हो रहा है। कृषि का आधुनिकीकरण, नेतृत्व के बदलते हुए प्रतिमान, शिक्षा के प्रति बदलता दृष्टिकोण, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, सभी कुछ गांव की ओर ले जा रही है। आशय यह है कि आज विकास की नई दिश गांव में परिवर्तन उत्पन्न कर रही है।"[1]

रामधारी सिंह दिवाकर ऐसे रचनाकार के रूप में हिन्दी साहित्य में अपनी पहचान बनाए हुए हैं जिनकी रचनाओं के केंद्र में गांव हैं। ग्रामीण जीवन की खूबियाँ–खामियाँ, राग–द्वेष, हर्ष–विषाद को इन्होंने बड़ी बारीकी से पकड़ा है।

इनका कथा–साहित्य बदलते हुए गांव का जीता–जागता चित्र प्रस्तुत करता है। पिछले कुछ समय से पिछड़ी–दलितों के मध्य एक सम्पूर्ण वर्ग उपजा है। इस वर्ग की अपनी कुछ विशिष्टता तथा विचित्रता है। दिवाकर जी ने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में गांव की सुंदरताओं और कुरूपताओं को उजागर किया है।

विवेच्य उपन्यास की कथा रामधारी सिंह दिवाकर का 'टूटते दायरे' उपन्यास 2002 में प्रकाशित है। विवेच्य उपन्यास की कथा आज़ादी के बाद के बिहार के एक छोटे से गांव सुरपतगंज की सामाजिक स्थितियों का चित्रण प्रस्तुत करती है। जिससे परम्परा सम्बन्धी दायरों के टूटने से उपजे, सुलगते सवाल हैं, तथा नए दायरों के न बन पाने के प्रश्नचिन्ह हैं। आज़ादी के पश्चात् गांवों में बढ़ती असमानता, अस्पृश्यता, अशिक्षा, बेरोज़गारी, अकाल और साम्प्रदायिकता की समस्याएँ मुखर हुई हैं। प्रस्तुत उपन्यास में चित्रित स्थितियों के थोड़े बहुत चित्र आज सारे देश में मौजूद हैं। दिवाकर जी मूलतः उन स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं, जो एक व्यवस्था के टूटने और दूसरी न बन पाने के कारण अव्यवस्था को स्थापित करते हैं। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अन्तर्गत भारतीय समाज में धर्म के योगदान को उचित आचरण से पहचाना गया है। जब सदियों से परेशान हुए लोग धर्म और जाति के भेदभाव को बुलाकर एक हुए तो बलराम जैसे शोषण करने वालों को अपनी गद्दी ही छोड़नी पड़ती है। पर यह शोषक वर्ग धर्म की ही सहायता लेकर ही उनको आपस में ही लड़वा देते हैं।

प्रस्तुत उपन्याय में रवि नाम का युवक शुरूआत से लेकर अंत तक छाया रहता है। वह गरीबों की भलाई चाहता है, गांव में परिवर्तन लाने के लिए वह पढ़ा–लिखा होकर भी कहीं नौकरी नहीं करता है। हर अनुचित कार्य के खिलाफ आवाज उठाता है। वह शोषक वर्ग के कपटपूर्ण व्यवहार को समझ जाता है। उसमे किसी भी तरह का लालच नहीं है,

पर वह उपन्यास का नायक नही बन पाता है। उपन्यास का नायक बनता है नसीब लाल। स्वाभाविक रूप में बहुत सारी अच्छी बातों के बावजूद भी रवि के समीप संघर्ष का कोई वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, उसके पास केवल अच्छी–अच्छी बातें हैं। वह गरीबों के समर्थन में कुछ खास नहीं कर पाता है। शोषक वर्ग धर्म की सहायता से गरीबों को आपस में ही लड़वाकर एक दूसरे के के खून का प्यासा बना देते हैं, जो एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ऐसे समय में रवि से कुछ भी नहीं हो पाता है। रवि हमेशा धर्म को साथ लेकर चलता हुआ और उसके साथ कोई छेड़छाड़ किए बिना बदलाव की कामना करता है पर वह अकेला, असहाय और निरीह हो जाता है। दूसरी तरफ नसीबलाल संघर्ष करता हुआ गरीबों के लिए न सिर्फ लड़ता है, बल्कि न्याय के अनुसार उनको हर अधिकार भी दिलाता है। वह अपने संपर्क में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन लाता है कि वे सभी धर्म के चक्कर में न पड़कर अपने यथार्थ जीवन के अनुरूप आने वाले सुख–दुख के लिए संघर्ष करते हैं।

नसीबलाल के अनुसार सिर्फ यह कहना कि साम्प्रदायिकता गलत है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ मिलकर रहना चाहि,। यह सिर्फ कहने तथा मानने से कुछ नहीं होगा बल्कि हमें साम्प्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ उठाकर ,क निर्मम संघर्ष चलाना चाहिए और ऐसा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समक्ष ही हो सकता है जो रवि तथा उसी की तरह के अन्य पात्र नहीं कर सकते हैं।

विवेच्य उपन्यास के अन्तर्गत यह दर्शाया गया है कि हाशिए पर गुज़ारा करने वाले लोगों में भी राजनीतिक सचेतना का प्रसार हो रहा है। अपने अधिकारों के प्रति वे अब जागरुक हो गए हैं, उनके भीतर यह जागरुकता समाजवादी संगठनों के कारण पनपी है। दलित टोले का नसीबलाल इकलौता दसवीं पास व्यक्ति है। उसकी बहन गितिया के साथ उसी गाँव के सवर्ण बलात्कार करते हैं, जिस वजह से गीतिया आत्महत्या कर लेती है। नसीबलाल उसी दिन से लाल सेना में शामिल हो जाता है, उसके भीतर अपने ही लोगों के द्वारा अछूत होने की जो भावना भरी गई है। उसका वह उपयुक्त विवेचन करता है।

उपन्यासकार नसीबलाल को आधार बनाकर समाज में दलितों के साथ होने वाली असमान स्थितियों को उजागर करता है। भारतीय समाज के अन्तर्गत सदियों से चली आ रही विषमतामूलक परंपरा से प्रस्तुत उपन्यास के दलित पात्र लड़ाई करते दिखते हैं। सुरपतगंज गांव के सामंती दबदबे का कोई जवाब नहीं है।

"किसी सोलकन्ह के घर बारात आये तो वर के साथ पूरी बारात इनकी ड्योढी पर आती है। वर सलाम करता।"[2] इस परंपरा को नसीबलाल द्वारा तोड़ा गया तो उसे गलती का अहसास कोड़े मारकर करवाया जाता है। उसी समय से नसीबलाल ने गांव की सामंती मानसिकता के साथ बदला लेने का फैसला कर लिया था।

रामलुभावन बाबू कथा में केन्द्रित पात्र है। जीवन निर्वाह करने के लिए उसके पास एक माध्यम है। समाजवादी पार्टी जब अस्त–व्यस्त हो गई तो वे जमींदारों से मिलकर पक्के जातिवादी बनते हैं। दल बदलकर कुछ लोग मंत्री भी बन गए। साथ ही उनके समर्थन में बलराम बाबू सुरपतगंज इस्टेट के मैनेजर भोला बाबू प्रचारक जी जैसे लोग थे। सामंत लोग चुनाव की राजनीति तक अपने पैर पसार चुके थे और अपनी जड़ें अटूट करते हुए नज़र आते है। इसका बड़ा मनोरंजक वर्णन प्रस्तुत उपन्यास में हुआ है।

विवेच्य उपन्यास मंडल–विवाद से पूर्व लिखा गया है। उपन्यास के अन्तर्गत गाँव की जिस सत्ता बदलाव तथा मंदिर निर्माण का चित्रण हुआ है, वह मंडल कमीशन लागू होने के पश्चात् हिन्दी–पट्टी की सामाजिक बनावट में होने वाले टकराव तथा बाबरी मस्जिद रामजन्म भूमि विवाद से पर्याप्त मिलता है। मंडल–कमीशन लागू होने का विरोध एक सशक्त राजनीतिक पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण का आन्दोलन चलाकर किया। उसने मंदिर के बहाने विपक्ष पार्टी की सरकार को गिरा दिया। उसने धर्म के नाम पर ऐसा वातावरण बनाया कि निम्न वर्ग का ध्यान शिक्षा, सत्ता, पूँजी आदि से पीछे हट गया और वे मंदिर में ईंटें ढोने लगे। प्रस्तुत उपन्यास में भी ऐसा ही चित्रण मिलता है, मंदिर–निर्माण के नाम पर चलने वाले आन्दोलनों की सच्चाई बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यक्त की गई है।

विवेच्य उपन्यास के माध्यम से साम्प्रदायिकता का चित्रण भी मिलता है कि वह किस वातावरण के अनुरूप किस श्रेणी में किस कार्यों से पनपती है। प्रचारक जी सरीखे सत्तालोलुप धर्म के आश्रय पर दंगा और अत्यधिक प्रेम फैलाते हैं। प्रचारक जी ने मस्जिद के पास अपनी जमीन मंदिर–निर्माण हेतु दी है। धर्म के नाम पर हिन्दु–मुसलसमान अलग–अलग खड़े दिखाई देते हैं। गाँव में साम्प्रदायिकता फैलाकर सामंत स्वयं तो शांति सुकुन से थे, किन्तु नसीबलाल की लाल सेना ने बलराम बाबू और जालो सिंह की हत्या कर दी और उसकी अड़तालिस एकड़ जमीन पर दलितों और आदिवासियों की झोपड़ियाँ उग आयीं। "अब गाँव की सिकुड़ी–सिमटी आबादी गाँव के पूरे नक्शे पर फैल गई थी।"[3]

प्रस्तुत उपन्यास में इसका भी चित्रण है कि शोषण के खिलाफ हर संघर्ष धर्म और जाति पर आकर टूट जाता है। जिसका स्पष्ट माध्यम संध्या की पंक्तियों में मिलता है – "आखिर भूमिहीनों और शोषितों की हर लड़ाई हिन्दू–मुस्लिम की लड़ाई में कैसे तब्दील हो गयी।"[4]

प्रस्तुत उपन्यास के अन्तर्गत आज के आदमी की जिंदगी तथा उसका संघर्ष तेजी से खत्म होते हुए मानवीय मूल्य आदि चिंता के विषय हैं। जिसके फलस्वरूप रामराज बाबू और मिर्जा साहब को ही न जाने कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा। फिर वे अन्त–अन्त तक रात्रि पाठशाला, दलित जागरण, शराबबंदी, पुस्तकालय की स्थापना और जमीन से बेदखल लोगों के हक की लड़ाई में लगे रहे। आज़ादी मिलने के पश्चात् लोग किस तरह हाशिये पर चले जाते हैं और जमींदार सत्ता का लालच रखने वाले स्वतंत्रता–सेनानी बन बैठते हैं और पेंशन पाते हैं। उपन्यासकार इस प्रवृति को भी उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट करता है।

उपन्यासकार ने विघटित होते हुए मानवीय मूल्यों को भी प्रस्तुत उपन्यास के आधार पर बहुत बारीकी से पकड़ा है। गाँव में मजदूर वर्ग के काम के अवसरों की क्या स्थिति होती हैं। इसे बड़ी आत्मीयता से उपन्यासकार ने सामने लाया हे। आज गाँव के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण है वहां रोजगार और काम के अवसर का ना होना है। टूटते दायरे इस वजह से भी अपना विशेष महत्व रखता है कि उपन्यासकार अल्पसंख्यकों एवं असहायों के अस्तित्व के प्रश्नों को उनसे अलग करके नहीं बल्कि उसी समाज के अन्तर्गत बहुत अभिन्नता से चित्रित करता है।

दिवाकर जी उपन्यास के माध्यम से स्थितियों का चित्रण ही नहीं करते बल्कि उन प्रश्नों को भी स्पष्ट करते हैं, जो एक व्यवस्था के टूटने और दूसरी न बन पाने के कारण अराजकता उत्पन्न कर रही है। सवर्णो और अवर्णो के बीच बढ़ता द्वन्द्व, तनाव, हिन्दू–मुस्लिम भाईचारे का दंगों की आग में झुलसना, जमींदारों की बेगारी की चिंता, दलितों की अधिकार चेतना यह सब उपन्यास की कथावस्तु में अन्तर्निहित है। एक वक्तव्य है– "तलवों के नीचे रहने वाले लोग अब बबूल के कांटे बन रहे हैं।"[5] वंचितों, मजदूरों और भूमिहीनों की लड़ाई कैसे मंदिर–मस्जिद के झगड़ों में बदल जाती है, लाल सेना, लोरिक सेना, भूमि सेना का उदय और उनकी हिंसा–प्रतिहिंसा को भी लेखक प्रश्न के रूप में उठाता है। नई पीढ़ी के प्रतिनिधि व पुरानी पीढ़ी के बुद्धू खलीफा जो गांव की दुर्गति के प्रति चिन्तायुक्त व संघर्षशील रहते हैं, इसका रास्ता सुझाते–बुझाते हैं। गांव की टूटती सामूहिकता व स्नेह के लिए आत्मोत्थान व हृदय–परिवर्तन का गांधीवाद रास्ता ही उन्हें आशा भरा दिखता है। जिसका चित्रण एक संवाद में तथ्य से उभरता है – "उदय पूछता है, 'आखिर रास्ता क्या है चाचा?' बुद्धू खलीफा उदय के प्रश्नाहत चेहरे को देखकर कहता है, 'मुझे भी नहीं मालूम। मगर इतना सही है उदय कि जलती हुई धूप में पानी सूखता है, पसीना नहीं सूखता है' बुद्धू खलीफा उपन्यास का केन्द्रीय पात्र न होकर भी समय के साक्षी गांव के उस बूढ़े बरगद की तरह है जो गांव की दशा में व्यथित रहता है – उसी पेड़ की तरह है जो गांव की दशा में व्यथित रहता है – उसी पेड़ की तरह उसकी हालत भी है, 'सन् चौंतीस का भूकंप जिस बरगद को नहीं झुका सका, कितनी आंधियां, कितने तूफान आए–गए लेकिन यह बरगद, अचल खड़ा रहा, अब अपने आप सूख रहा है।"[6]

विवेच्य उपन्यास में गाँव के नव–यथार्थ और अराजकता की ओर मुड़ते सामाजिक परिवेश का दस्तावेज है। जिसमें आज के बिहार का बीज अंकुरित दिखाई देता है। उपन्यास में एक गहरा व्यंग्य भी निहित है– "इसमें भारतीय वामपंथियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारिता और ढहते हुए सामंतवाद पर अचूक व्यंग्य है। भारतीय वामपंथियों के प्रेरणा का स्त्रोत

वेद, मनुस्मृति, गीता आदि है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था असल में वह वामपंथियों को दिया गया उपदेश था। सिर्फ जरूरत है उसकी व्याख्या की।"[7] एक गरीब की ज़मीन हड़पने और गरीबों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाने के लिए बनाए जाने वाले मंदिर में पूजा करके धर्म को अफीम बताने वाली कामरेड वर्षादास अकेली नहीं है, बल्कि यह अधिकांश भारतीय वामपंथियों का सच है। उपन्यास की कथावस्तु गांव के एकदम भीतरी संसार में ले जाती है, जहाँ सीधे–सादे लोगों की रोज़मर्रा की जिन्दगी है।

निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि उपन्यास नायक या पात्र केन्द्रित न होकर ग्रामांचल के सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जिसमें आज के गांव का स्पष्ट रूप झलकता है। 'टूटते दायरे' अपने नाम की सार्थकता के साथ अर्थपूर्ण प्रश्नों का आवरण लिए हुए है तथा सांकेतिक रूप में उनका उत्तर भी इसमें समाहित है। दिवाकर जी के उपन्यास में आधुनिक समय की भयावहता, आतंक, अन्याय, उदासी तथा आज की राजनीति और त्रासदी गहरे स्तर पर व्यक्त होती दिखाई देती है।

संदर्भ :–

1. अनिल विश्वनाथ काले, रामदरश मिश्र के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पृ. 37
2. रामधारी सिंह दिवाकर, टूटते दायरे, पृ. 71
3. वही, वही, पृ. 144
4. वही, वही, पृ. 126
5. जीतेंद्र वर्मा, ग्रामीण जीवन का समाज शास्त्र, पृ. 189
6. वही, वही, पृ. 190
7. रामधारी सिंह दिवाकर, टूटते दायरे, पृ. 92

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 25-28

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह 'अनुगूँज' में व्यक्त सामाजिक समस्याएँ

–निशा देवी,

पीएच.डी. शोधार्थी, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू – 180006

गीतांजलि श्री ने अपने कथा–साहित्य में वर्तमान समाज की समस्याओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय की पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थिति या समस्याओं ने जनजीवन पर किस प्रकार प्रभाव डाला है और मनुष्य इससे किस प्रकार प्रभावित हुआ है। इसी का चित्रण लेखिका के कथा–साहित्य में मिलता है। समाज की ज्वलंत सामाजिक समस्याओं का मार्मिकता से चिंतन किया है और इन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया है।

लेखिका ने समाज को निकटता से देखा है। अपने विचार विनियम और चिंतन मनन करने के पश्चात सामाजिक समस्याओं को समाज के सामने रखा है ताकि इन समस्याओं को समाप्त करने का दायित्व जाग जाए और एक स्वस्थ समाज का ढांचा तैयार हो।

माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, वैराग्य एवं खाली जगह जैसी विविध सशक्त कृतियों द्वारा लेखिका ने कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है। 'अनुगूँज' कहानी संग्रह में संकलित कहानियाँ समाज से उठाए गए अलग–अलग विषय पर आधारित है। जैसे वैवाहिक संबंध, विवाहेतर स्त्री–पुरुष संबंध, पारिवारिक संबंध, परिस्थितियां, सामाजिक रूढ़ियाँ, नारी अस्मिता, हिन्दू–मुस्लिम समस्या, स्त्रियों की पारस्परिक मैत्री, दांपत्य जीवन की कटुता आदि। इस संग्रह में कहानियों के पात्रों के विरोधी स्वर हर स्थिति हर संबंध, हर संघर्ष में व्याप्त रहते हैं। यही विरोधी स्वर हर कहानी को अलग ढंग से रचते हैं।

"औरतों ने जन्म दिया मर्दों को,
मर्दों ने उसे बाजार दिया।
जब जी चाहा मसला–कुचला,
जब जी चाहा दुत्कार दिया।"

साहिर लुधियानवी की यह पंक्तियां नारी जीवन की करुण स्थिति को उजागर करती है। इस काव्य पंक्तियों को गद्य के रूप में चुनौती देने वाली समकालीन लेखिका गीतांजलि श्री का नाम विशिष्ट है। जिन्होंने अपनी कहानियों में नारी स्थिति को दर्शाया है।

'अनुगूँज कहानी संग्रह की कहानी 'प्राइवेट लाइफ' विशेष रूप से महत्वपूर्ण है इस कहानी की नायिका का व्यक्तित्व विद्रोही है जो पुरुषसत्तात्मक समाज को चुनौती देता है। लेखिका नायिका के रूप में कहती है, "मैं अपने ढंग से जीना ठीक समझती हूँ।"[1] इस कहानी की नायिका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली युवती है जो स्वतन्त्रता चाहती है अपने अस्तित्व और अपनी स्वतंत्रता के बीच वह पिता, चाचा और चाची किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी इस स्वतंत्रता पर पहला झटका उसके चाचा देते हैं जब वह उसके अकेला मकान लेकर रहने पर आपत्ति जताते हैं। इस अवस्था में वह बौखला जाती है – "मैं अपने ढंग से जीना ठीक समझती हूँ। आप समझ सकते हैं तो यहाँ रहिए। जबर्दस्ती तो मैं समझा नहीं सकती। मैंने तो यही चाहा था कि आप भी मेरे जीवन में शरीक हो ––– पर मेरी बेइज्जती करने

के लिए नहीं ––– मेरे व्यक्तित्व को ––– मेरे प्राइवेट लाइफ की ––– आपको कद्र करनी ही पड़ेगी। आपको अच्छा नहीं लगता तो चले जाइए ––– ।"[2] पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास में पुरुष (पिता, पति, पुत्र) खलनायक की भूमिका में मिलते हैं। जो बार–बार स्त्री को समाज का डर दिखलाकर उसके अस्तित्व को दबाने का प्रयास करते हैं। "यह जरूरी होता है हमारे समाज में लड़की हमेशा किसी की निगरानी में रहती है। पहले बाप फिर पति, फिर बेटा उसकी देखभाल करता है।"[3] सामंती समाज स्त्री की स्वतंत्रता पचा पाने में सक्षम नहीं है क्योंकि स्त्री की स्वतन्त्रता से समाज की जड़ें हिल जाएंगी। "तुम खानदान की आबरू से खिलवाड़ कर रही हो ––– हमारे समाज की लड़की बहुत बड़ी हस्ती होती है। ––– देवी होती है। उसकी इज़्जत हल्की–फुलकी नहीं होती ––– बहुत संभलकर चलना होता है। हर कदम फूंककर रखना होता है।"[4] पितृशक्ति समाज में अभी भी घर में बहू बेटियों को घूँघट या बुर्के में कैद रखना चाहते हैं। "उसे अपने आपको सबसे दूर रखना, बदन को चादर में लपेट के रखना है।"[5] समाज की ऐसी संकुचित विचारधारा ने सदैव स्त्री को दबा कर रखा है। जिस कारण वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर पाने में भी असमर्थ है और अगर उन्होंने इस सत्ता का विरोध किया उन पर उतना ही अधिक दमन, हिंसा और अत्याचार बढ़ता गया। स्त्री ने अपनी इस हालत पर केवल आंसू ही बहाए हैं। हाड–मांस की बनी स्त्री अपने ढंग से जीवन जीने में केवल छटपटाती ही रहती है। सदियों से लेकर अब तक स्त्री की स्थिति की स्थिति वैसी की वैसी ही है। स्त्री पुरुष के लिए अलग–अलग मानदंडों का कुफल मुख्यतः स्त्री को ही भोगना पड़ता है। पुरुष नारी को बच्चा पैदा करने वाली मशीन, घर के काम करने वाली नौकरानी समझता है। उसे इस बात पर हैरानी है कि आखिर स्त्री में यह हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने बारे में खासतौर से शरीर सुख के बारे में स्वयं निर्णय कर ले क्योंकि सामंती सोच वालों के लिए स्त्री शरीर पवित्र है। "हमारी लड़कियां पवित्र होती हैं सब कुछ देर से जानती हैं।" यहां लेखिका ने स्त्री शक्ति की महत्ता को समझाने का प्रयास किया है कि आज की स्त्री में विद्रोह करने की क्षमता है वह भी अपने हक के लिए लड़ना जानती है।

'बेल–पत्र' एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें समाज में नारी की स्थिति और इसके विरुद्ध नारी के विद्रोही स्वर हैं। यह कहानी अन्तर्जातीय विवाह से उपजे हिन्दू–मुस्लिम वैमनस्य की समस्या पर आधारित है। फातिमा (मुस्लिम युवती) और ओम हिन्दू युवक घर वालों की इच्छा के विरुद्ध भागकर शादी कर लेते हैं। ओम की माँ परिस्थितियों को देखते हुए फातिमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है परन्तु फातिमा और ओम अपने अहम् भाव को त्यागे बिना लड़ने–झगड़ने लगते हैं। फातिमा और ओम में छोटी–छोटी बातों को लेकर तकरार होने लगती है। शादी से पहले दोनों ने कसमें खाई थीं कि शादी होने के बाद हमारा एक दूसरे के धर्म से कोई वास्ता नहीं रहेगा परन्तु शादी के बाद नमाज पढ़ने के लिए फातिमा को रोका जाता है "ये क्या ––– ये क्या कर रही हो? अब यही कसर बाकी है।"[6]

स्वतन्त्रता के पश्चात हिन्दू–मुस्लिम में वैमनस्य बढ़ता गया। देश के विभाजन के समय हिन्दू–मुस्लिम में बढ़ती हिंसा से दोनों धर्म के लोगों को हानि उठानी पड़ी। हिन्दू और मुसलमान अपने–अपने धर्म में कैद होकर रह गए। उनमें मानवीय गुण समाप्त हो गए। वर्तमान समय में भी साम्प्रदायिकता की आग में हिन्दू और मुसलमान दोनों जल रहे हैं। जो व्यक्ति धर्म या सम्प्रदाय से ऊपर उठने की कोशिश करता है, लोग उसे बुरी तरह से चोट पहुँचाते। शन्नो चाची फातिमा की आवाज को भी धर्म के तराजू पर तोलने का प्रयास करती है। "भई मुसलमानिन हमेशा भोंडी आवाज ही पाती है। आदमियों जैसी। भारी! ––– वह मालिन नहीं आती है।"[7]

फातिमा ईंट का जवाब पत्थर से देती हुई कहती, "आवाज तो आवाज ठहरी हिन्दुओं के तो आदमी ही औरतों जैसे हैं पिद्दे ––– से।"[8]

साम्प्रदायिक भेदभाव आज व्यक्ति के भीतर इतना प्रवेश कर गया है कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक प्रतीकों से भी ये लोग घृणा रखने लगे। फातिमा का अपने मायके में अब्बा की सलामती के लिए मुहर्रम पर नौहा पढ़ने पर फातिमा और ओम में तकरार बढ़ जाती है, "तुम रोजा रखो, मातम करो और फिर मासूमियत से कहो, क्या गलत किया? फिर क्यों

ना अम्मी के दिल के सुकून के लिए निकाह भी कर लिया होता? वही क्या गलत होता?"[9] साम्प्रदायिक भेदभाव के कारण दांपत्य जीवन में कटुता आ रही है। बदी उज्जमाँ हिन्दु और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं मानते "जो अंतर दिखाई देता है वह केवल बाहरी है। इससे अधिक अंतर तो खुद मुसलमानो और हिन्दुओं के विभिन्न वर्गों में दिखाई दे जाएगा। आम मुसलमान की जिंदगी जन्म से मृत्यु तक जिन रीति–रिवाजों के दायरे में घूमती है वे आम हिन्दू से ज़रा भी अलग नहीं हैं। दो कौम का नजरिया बहुत बड़ा जाल है।"[10] सबसे पहले व्यक्ति पर धर्म हावी होता है। व्यक्ति अपने धर्म पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता इसके लिए वह सारे रिश्तों की पवित्रता दाँव पर लगाने के लिए सहमत हो जाता है।

इस संग्रह की अन्य कहानी 'सफेद गुडहल' है जिसकी नायिका अपने होने की, अपने पहचान के लिए संघर्ष करती है। इस कहानी में दांपत्य संबंधों में आई नीरसता, ऊब, निरर्थकता का चित्रण हुआ है।

एक समय था जब विवाह नारी के लिए प्रमुख रूप से आर्थिक संरक्षण का माध्यम था। नारी को केवल सेक्स, संतानोत्पति और घर की नौकरानी के रूप में आँका जाता था। किन्तु आज की नारी की भी अपनी कुछ भावनाएँ हैं वह भी खुलकर जीना चाहती है। जब पति उसकी इन भावनाओं की कद्र नहीं करता और मात्र उसे एक मांस का लोथड़ा समझता है तो वह टूटने लगती है। नायिका पति के व्यस्त जीवन से ऊब गई है और वह पति को प्रेमी के रूप में देखना चाहती है जो उसकी हर छोटी–बड़ी इच्छाओं को पूरा करे। पति के व्यस्त कार्यशैली के कारण वह उदास रहने लगती है। "तुम्हारी आँखों की व्यवस्तता में मेरे सारे सपने टूट–टूट जाते हैं।"[11]

"––– मैं चाहती हूँ मेरे चेहरे पर भी संतोष का नकाब पड़ा रहे। मेरा बेताब मन तुम्हारे आगे न छलके।"[12] संबंधों में तनाव का एक बुनियादी कारण सेक्स भी है जिससे दांपत्य जीवन समस्याओं और तनावों से भर जाता है।

दांपत्य जीवन में संबंधों की दूरियों का सबसे बड़ा कारण पति–पत्नी दोनों के बीच एक तीसरे की उपस्थिति है। जो दांपत्य जीवन को खंडित करता है। 'दूसरा' कहानी की नायिका नीलम एक जानी मानी लेखिका है। नीलम का पति भगीरथ अपनी पत्नी की आधुनिक जीवन शैली से नफरत करता है। उसका अपने मित्रों के साथ हंसना बोलना भगीरथ को पसंद नहीं। भगीरथ नीलम से उसके मित्रों के बारे में पूछता है। नीलम आगबबूला होकर कहती है, "भगीरथ तुम मेरे पति हो, मुझे खरीद नहीं ला, हो कि जब चाहो जैसी चाहो जिरह शुरू कर दो। बात–बात पर रिपोर्ट माँगो ––– ।"[13]

त्रिकोणात्मक स्थिति में पति–पत्नी में तनाव होना स्वभाविक है क्योंकि पति विशेषतः पत्नी एक दूसरे को उसकी सम्पूर्णता में पाना चाहते हैं। तीसरी उपस्थिति इस समर्पण को बाधित करती है। वर्तमान समय में पति–पत्नी में व्यक्तिवादिता बढ़ी है। पत्नी स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बन गई है लेकिन उसके साथ ही वह अपनी अत्यधिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करने लगी है। वह पति के अनुकूल बनना उसकी रुचियों का ध्यान रखना अपना शोषण मानने लगी है। 'दूसरा' कहानी की नीलम आधुनिक विचारों से युक्त ऐसी स्त्री है जिसके लिए पति का विरोध करना ही उसकी स्वतन्त्रता की सार्थकता को सिद्ध करता है। दूसरी ओर पति भगीरथ स्त्रियों की स्वतंत्रता की वकालत तो करता है परन्तु कही न कहीं उसका पौरुष स्त्री के बढ़ते हुए अधिकारों को पूर्णतः स्वीकार करने से रोकता है। भगीरथ नीलम में पंकज को लेकर विवाद हो जाता है जिस पर नीलम भगीरथ से कहती है, "भगीरथ तुम्हें कुछ हो रहा है तुम्हें मुझ से हर समय शिकायत है। मेरी किसी बात पर खुश नहीं मैं तो सोचने लगती हूँ कि आखिर तुम मेरे संग हो ही क्यों?"[14]

अतः नारी शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति, स्त्री–पुरुष की समानता स्वतन्त्रता की भावना ने स्त्री में व्यक्ति स्वातंत्र्य के भाव का जन्म दिया। स्त्री कामकाजी नहीं भी है तब भी उसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य की छटपटाहट देखी जा सकती है। वह पति की आज्ञा उसके सुख व आराम को अपना सर्वस्व न समझ अपने अस्तित्व के प्रति जागरुक है।

आज के जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना है आर्थिक विषमता। इसके कारण व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता। सारा जीवन वह इससे जूझते हुए व्यतीत कर देता है। 'पीला सूरज' कहानी वर्ग संघर्ष और आर्थिक विषमता पर आधारित है। नायिका के घर की नौकरानी मँडा बाई आर्थिक अभाव के कारण अपने बेटे का समुचित इलाज नहीं करवा पाती और वह अपाहिज हो जाता है। मँडा बाई नायिका में क्रान्ति का रूप देखती है जो आर्थिक विषमता

से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ करेगी, "मैं सोच रही हूँ कब सूरज उगेगा। जिनेवा की अन्तर्राष्ट्रीय इमारतों पर, देश के मेरे पुश्तैनी मकान पर, उन झोपड़ों पर ———।"[15]

माँ गृहिणी और कामकाजी रूप में स्त्री आज दोहरी, तिहरी भूमिका निभा रही है। आत्मनिर्भर और संतुष्ट होने पर भी पारिवारिक वातावरण में स्वयं के अनुकूल न बनाने के कारण हताश, कुंठित और पराजित हो रही है। 'तिनके' कहानी की चन्दा अध्यापिका है जो बात–बात पर पति से लड़ने लगती है जिससे डिप्रैशन की शिकार हो जाती है, "न तो लड़ पाने के वजह बन रही न इल्जाम ठोंकने की। न चीख सकते थे न रो सकते थे। बस ज़रा सी फाँस ररक भुलाई नहीं जा रही थी। वातावरण में बेकली बढ़ गई थी।"[16] अतः घर परिवार नौकरी तथा अन्य बाहरी कार्य का बोझ स्त्रियों पर पड़ा, फलस्वरूप उसका प्रतिकूल प्रभाव पारिवारिक लोगों पर पड़ना स्वाभाविक था।

इस प्रकार गीतांजलि श्री का कहानी संग्रह 'अनुगूँज' वास्तव में जीवन से जुड़ी विविध समस्याओं पर आधारित है जो वर्तमान समय में समाज में घटित हो रही हैं। कहानियों के पात्र हमारे आसपास के जीवन से जुड़े हुए हैं। सामाजिक हित की दृष्टि से इनका निराकरण करते हुए समाज को जागरुक करना ही लेखिका का उद्देश्य है।

संदर्भ :-

1. गीतांजलि श्री, अनुगूँज (कहानी संग्रह), प्राइवेट लाइफ, पृ. 11
2. वही, वही, वही, पृ. 11–12
3. वही, वही, वही, पृ. 10
4. वही, वही, वही, पृ. 11
5. वही, वही, वही, पृ. 13
6. वही, वही, बेलपत्र, पृ. 20
7. वही, वही, वही, पृ. 22
8. वही, वही, वही, पृ. 22
9. वही, वही, वही, पृ. 26
10. बदीउज्जमां – पुल टूटते हुए, अंतिम इच्छा, पृ. 53–54
11. गीतांजलि श्री, अनुगूँज (कहानी संग्रह), सफेद गुडहल, पृ. 44
12. वही, वही, वही, पृ. 44
13. वही, वही, दूसरा, पृ. 106
14. वही, वही, वही, पृ. 105
15. वही, वही, पीला सूरज, पृ. 15
16. वही, वही, तिनके, पृ– 63

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 29-32

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Professional Enrichment of Teachers in 21st Century Scenario ICT & Professional Development

-Priyanka Deb Sett

Research Scholar, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi

Abstract :-

Information and Communication Technology (ICT) is taking a pervasive role and presence in the educational milieu in our lives. Teachers are widely believed in any educational change. ICT training courses aiming to prepare teachers to integrate ICT effectively across the curriculum. The current study focuses on the conduct and effectiveness of ICT training courses in the field of education. The study also suggest that ICT professional development courses for teacher were helping them to improve their ICT skills and knowledge.

TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT - CONCEPT :-

As a research scholar we all know that teaching in specific is an on going activity. The field of educational practice there is always something new to learn. Most of us start learning about our profession through a formal teacher preparation program. Since, any such preparation is incomplete without practicing the profession.Also the learning continues even after starting the practice of teaching. In the field like teaching the teacher professional development is defined as follows :

Teacher Professional Development (TPD) is *'a systematized, initial and continuous, coherent and modular process of professional development of educators in accordance with professional competency standards and frameworks'.* Teacher professional development would also include training in the adaptation to the evolution of change of the profession of teachers and managers of education systems.

From the definition we understand that it is a systematic activities with clear purpose. The purposes will changed with the needs of teachers that arise from time to time. The teacher professional development is now a developing area in teacher education.

There are different models that are made to fulfill this purpose. One model proposed by Hart J (2010) that speaks of workplace learning.It is useful to understand various avenues for teacher professional development in the context of ICT.

The classroom training is a formal professional education programs. E-learning in this context refers to the teacher development materials available in digital form and learning happening mostly through online mode. Though the content for the e-learning is same as in classroom transactions, the major difference is in the absence of face-to-face learning. E-learning is said to be more flexible.

The blended learning brings together the strengths of both face-to-face and e-learning modes.There will be face-to-face learning as well as e-learning components in this model.

Another is Social learning. It will include a social aspect to the blended mode. Instead of individual learning, here people learn through social interaction platforms. Social media takes an important role among the learners. In the stage of learning one has to collaborate with others as a part of learning. Here learning and working are assumed to take place together.

ICT is becoming increasingly prominent in the process of teacher professional development. If we see this teacher development models, we would see that ICT is more and more important for these models.

CEMCA :-

Continuous professional development of teachers and teacher educators are necessary To reach out large number of teachers and teacher educators in a country like India it is not practically possible. Therefore Commonwealth Educational Media Centre for Asia's (CEMCA)is one of technology for this continuous renewal of knowledge and expertise of teacher educators and implement a community of practice where they grow professionally as a community together.

Massive Open and Online Courses (MOOCs) :-

Today a large platforms is available which offers open and online courses, again many of them are free. The essential feature of MOOC is that it is offered through online learning platforms, where anyone interested in learning, to any number of participants, at a fixed given time frame in a modular form. Usually, the duration of a course in between 6 to 16 weeks. The course contents are structured on a weekly basis. The course participants are expected to go through the readings, videos, workshops, activities, assessment exercises to complete a course. The MOOCs are different from the online learning platforms. In this process ,one would be able to enroll into a full-fledged course, consisting of course structure, instructional video, guided interaction, monitored evaluation, grading of the tasks completed etc. MOOCs provide a complete learning experience online. An online learning platform, might only provide e-content, assessment tasks .There are many MOOC platforms.

Coursera : Coursera is a educational technology company that offers MOOCs. Coursera works with top universities and organizations to make some of their courses available online and free, and offers courses in many subjects. This can be accessed at the following link: https://www.coursera.org.

Social Media Networks :-

Social media networks provide teachers with opportunities to get connected with people who are working in areas connected with educational practice.Most usefull network is Twitter(https://twitter.com/), LinkedIn (https://in.linkedin.com/), Facebook (http://www.facebook.com/) and Google+ (https://plus.google.com/) .They offer instant opportunities to follow and learn from authors, educators, educational leaders.

Web 2.0 Technologies (Blog, Wiki, and Podcasts) :-

Web 2.0 technologies such as blogs, wikis, and podcasts have been considered as 'social software' because they are perceived as being well connected, allowing users to develop web content collaboratively and open to the public. Web 2.0 tools are easy to use and quickly developed and organized. These tools have advantage of requiring minimum technical skills to use their features. So users can focus on the information exchange and collaborative tasks without bothering about technical knowledge.

Blog: Following a blog written by others in the profession is a good way for one's professional development. There is a possibility of social learning.Writing blog is another way of engaging in professional development. Systematic, articulated writing is only a product of thoughtful engagement in the profession.

Wiki :- Wiki is another web 2.0 technology where teacher could contribute and hence engage in professional development. Wiki is a type of interactive website where the web pages are editable by the users of the site. Users are able to edit existing pages and add new pages to the site. This allows groups to collaborate on the creation of web based information. The wiki users can keep the content improving till the members of the community are satisfied with the content. Since putting together information on a particular topic requires research, synthesis and presentation of the idea for others that helps teachers develop their knowledge on the area they are exploring, makes a wiki a powerful tool for professional development.

Social media-based platforms provide access to professional organizations and resources of value to adult learners. Some educators compile much learning from social networking and organize them in Personalized Learning Networks (PLN). An example for such PLN see the link for Educator PLN (http://edupln.ning.com)

Social bookmarking :- Social bookmarking, an online service through which adding, annotating, editing and sharing bookmarks of online resource is possible. . This collection of sources is useful to every teacher teaching the topic. Sharing such a collection of sources is easy when social bookmarking service is used. Since there is no one good collection, collaboration among teachers would help in reviewing the collections, adding new sources to the list of annotations. Some of the most popular social bookmarking service providers are Diigo, stumble upon, delicious. Please see links of few social bookmarking service providers.

Diigo - https://www.diigo.com/

StumbleUpon - http://www.stumbleupon.com/

Delicious - https://delicious.com/

Online groups :- As we mentioned in the beginning of this Unit, WhatsApp groups are popular among teachers. WhatsApp group is an example of online groups. There are other ways to connect people through formation of groups. One of them is a mail group. People having mail ids in a common domain can be brought together. For example people having g-mail account can be grouped together to form a google group. Similar mail groups can also be formed among people with mail id in yahoo domain. Another category of online groups is instant messaging. WhatsApp and Hike are popular instant messaging groups. Instant messaging service is very popular among communities for two reasons. First, it is available in the form of a smartphone application (app), hence easily accessible to many. Second, it has a feature of providing real time interaction.

Every member of a group can post information to the group in variety of forms. The posting could be a text message, image, video, or even an audio file. Documents are frequently photographed and posted in groups. This flexible feature of online groups is its strength as well its weakness. Since posts can be in many formats, there is wider participation in the group interaction.

Podcast :- Podcasts are another web 2.0 technologies that are useful for teachers. Since the archives of the resources are always available for use, podcasts become very handy when they are in need. Since the audio format can be played on mobile phones, they are available for teachers for convenient professional development, i.e., teachers can select what, when and where they learn.

Tele-conferencing: EDUSAT Experiment :-

EDUSAT is an educational satellite dedicated to serve the educational sectors offering an interactive satellite based distance education system for the country. EDUSAT was launched in the year 2004.

It was intended to provide connectivity to schools, colleges, and other similar institutions. Initially it was proposed to use the facilities in four different states for reaching different target groups. In Karnataka State the EDUSAT was used to supplement classroom teaching in all the elementary and secondary schools. Students and Teachers of Elementary and Secondary Education were the target groups of the program.

SUM UP :-

In this Unit, we have discussed various opportunities for a teacher for professional development. Our focus was on those opportunities that are provided by ICTs, teacher professional development through ICT. In this section we have explored various avenues including online learning platforms, MOOCs, social media networks, web 2.0 technologies and web conferencing for providing teacher professional development. . We have learnt that various dimensions like content, pedagogy, technology, technology integration can be addressed by using ICT for teacher professional development.

References :-

1. https://www.riemysore.ac.in/ict/unit__11__ict_for_teacher_professional_development.html
2. http://oasis.col.org/handle/11599/2605
3. https://www.educationcounts.govt.nz/publications/e-Learning/5807
4. https://www.academia.edu/28392006/PROFESSIONAL_DEVELOPMENT_AND_ICT_IN_EDUCATION
5. https://www.slideshare.net/shehuringim1/application-of-ict-for-effective-performance-in-teachin-and-learning-50970245?next_slideshow=1
6. https://ecommons.aku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=book_chapters
7. http://www.news.gov.tt/content/inaugural-ict-teacher-professional-development-training-programme#.XHLWO43hU8o

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 33-35

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

श्री नरेश मेहता के उपन्यासों में मानवीय संवेदना

Sujitha Lakshmi S.G.

Govt- College for Women, Vazhuthacadu, Trivandrum, Kerala

University of Kerala, Trivandrum

श्री नरेश मेहता भारतीय चिंताधारा को संपूर्णता में आत्मसात करने वाले महान रचनाकार है। आपके साहित्य में हमारे समाज का संपूर्ण पक्ष चित्रित हुआ है। आजादी के बाद विशेषकर वैज्ञानिक संसाधनों ने समाज के जिन पक्षों को प्रभावित किया उनमें मानवीय संबंध भी अछूते नहीं रहे। नारी जगत की शिक्षा और जागरण ने भी मानवीय संबंधों को प्रभावित किया उनमें मानवीय संबंध भी अछूते नहीं रहे। नारी जगत की शिक्षा और जागरण ने भी मानवीय संबंधों को प्रभावित किया। इस रूप में पारिवारिक संबंधों में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। इन परिवर्तनों की गूँज मेहता जी के साहित्य में सर्वत्र परिलक्षित होती है।

आधुनिकता और अंधानुकरण की दौड़ में आज हमारे समाजिक और पारिवारिक संबंधों का भी बरबादी हो रहा है। एक ओर जहाँ लोग अपने परिवार से उस आत्मीयता से नहीं जुड़े रह पा रहे हैं वहीं इसका असर सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ रहा है। स्वार्थ– लालच और अधिक से अधिक पा लेने की लालसा के चलते लोग अपने संबंधों को भी उसी मापदंड़ पर परख रहे हैं। रिश्तों के बनने–बिगड़ने का खेल भी इसी से तय हो रहा है। कौन किस के लिए कितना उपयोगी है यह सबसे अधिक मायने रखता है। इसी के चलते संबंधों की विश्वास भी ठंड़ी पड़ रही है। व्यक्ति समाज से पहले अपना सोच रहा है और उसका संपूर्ण कर्म अपने निहित स्वार्थों के इर्द–गिर्द ही घूमता रहता है। संबंधों में आया यह बदलाव श्री नरेश मेहता के उपन्यासों में भी मिल सकते हैं।

श्री नरेश मेहता जी अपनी रचनाओं में मानवीय संवेदना को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आँकने का प्रयास किया। मेहता जी के उपन्यासों में पारिवारिक विघटन को दिखाया गया है। समाज के अंदर अनेक सामाजिक समस्याएँ विद्यमान हैं। उन्हीं समस्याओं के कारण भी पारिवारिक विघटन का संकट पैदा होता है। प्रथम फाल्गुन, यह पथ बन्धु था, धूमकेतुरु एक श्रुति उत्तर कथा खण्ड एक और दो उपन्यास में भी लेखक ने पारिवारिक विघटन और परिवार के सदस्यों के बीच के मनुमुटाव का चित्रण किया है। 'प्रथम फाल्गुन' उपन्यास में गोपा की पिता नाथबाबू द्वारा दूसरी शादी करने के पश्चात् श्रीमती नाथ और दूसरी पत्नी के बीच वैचारिक भिन्नता का चित्रण किया गया है। स्वार्थवृत्ति और सहनशीलता के अभाव में विघटित परिवार का चित्रण 'यह पथ बन्धु था' उपन्यास में मिल सकते हैं। 'यह पथ बन्धु था' उपन्यास के बारे में डॉ. कैलाश उपाध्याय का कथन है कि "दूसरी ओर श्रीधर के माता–पिता, पत्नी एवं बच्चे श्रीधर के चले जाने के बाद पूरा

परिवार बिखर जाता है। दोनों भाई आपसी स्वार्थ के कारण घर से अलग हो जाते हैं। पूरा हरा–भरा संयुक्त परिवार तीन भाग में बँट जाता है।"[१] 'धूमकेतुरू एक श्रुति' उपन्यास में भी लेखक ने संयुक्त परिवार टूटने का चित्रण किया है। मेहता जी ने यहाँ परिवार टूटने का मुख्य कारण बताए हैं– आर्थिक स्वार्थपरक दृष्टि और नियति का खेल।

नरेश जी की साहित्यिक रचना अपने देशकाल से अछूती नहीं है। अब समाज की अनेक सामाजिक समस्याओं में नाजायन संतान की समस्या भी बड़ी गंभीर समस्या मानी जाती है। 'प्रथम फाल्गुन' उपन्यास में नरेश जी ने गोपा के चरित्र के माध्यम से समाज में फैली नाजायन संतान की समस्या का वर्णन किया है। गोपा के पिता नाथबाबू यह जानते हैं कि गोपा उसकी बेटी नहीं है फिर भी सामाजिकता को बचाने के प्रयत्न करते हैं।

मेहता जी अपने समकालीन परिवेश से भली–भाँति परिचित रचनाकार हैं। अपने समय के हर बदलाव और उसके स्वरूप से वे अवगत हैं। बाल मनोविज्ञान का व्यक्त चित्रण मेहता जी ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। 'धूमकेतुरू एक श्रुति' तथा 'नदी यशस्वी है' का बालक और मुख्य नायक उदयन अपने बालमानस में उठते सवालों से परेशान है। जीवन की छोटी–छोटी परिस्थितियाँ किस प्रकार बाल मन को प्रभावित करती है और उसके विकास को दिशा देती है। पुत्र के मानसिक प्रभाव की देन माता की देन है। इसका अभाव यहाँ व्यक्त करते हैं।

आज की युवा पीढ़ी अपने प्रेम को चाहे वह क्षणिक दो या दीर्घकालिक को लेकर इतनी संवेदनशील और व्यग्र है कि उसे पा लेने और न पा लेने के बीच के क्षणों को वह अपने जीवन–मरण का प्रश्न बना लेती है। वे कहते हैं कि पारिवारिक संबंध हो या सामाजिक रिश्ते दृ नातों में आज वो सरल और उदात्त प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता। 'डूबते मस्तूल' नरेश मेहता का प्रथम उपन्यास है। इस उपन्यास में नायिका रंजना के माध्यम से आधुनिक मध्यवर्गीय नारी की समस्या चित्रण किया गया है। इसमें पिता–पुत्री संबंध, मित्रता के संबंध, विवाहेतर स्त्री –पुरुष संबंध आदि व्यक्त करते हैं। रंजना जिस उम्र में लड़कियाँ गुड्डियों का ब्याह रचती हैं, रंजना अपना ब्याह सैयद से रचाती है। यहाँ आधुनिक मानव के उपभोगवादी संस्कृति के कारण बढ़ती लालच का विकराल रूप प्रदर्शित कर रहे हैं।

'यह पथ बंधु था' उपन्यास में श्रीधर गाँव का होकर भी शहर की चमक–दमक और आधुनिकता के मोह में फँसकर माता दृ पिता और अपनी गाँव की पत्नी तक को भूल जाता है। अब उनके पास अपनों से बात करने के लिए विषय तलाशने पड़ते हैं। श्रीधर पारिवारिक संकीर्ण वातावरण को छोड़कर इन्दौर और बाद में काशी चला नाता है। अपने परिवार के टूटने की अवस्था में भी वह रुकता नहीं। यह एक विडम्बना से अधिक कुछ नहीं लगता। उपन्यास के अंत में वह मानव का इतिहास लिखने लगता है और लिखता है– "मानव युद्ध का पर्याय है। नीति, धर्म, अवतारी पुरुष, राजनीति, विज्ञान सब युद्ध भाव को, युद्ध कौशल को, विभिन्न नामों से विभिन्न युगों में संक्षिप्त करते आए हैं। इसलिए युद्ध हमारे रक्त, माँस, मज्जा का अनिवार्य, अविभाज्य अंग है।"[२]

वर्तमान पीढ़ी की नारियाँ शहरी चमक–दमक से आज प्रभावित हो रही हैं। उन्हें आधुनिक सुख–सुविधाओं से अत्यधिक लगाव होता है। इनके लिए वे गरीब नौजवान से ज्यादा अधेड़ उम्र के डॉक्टर, इंजीनियर से रोमांस और शादी भी करती हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह प्रथा को धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग और जीवन का अभिन्न हिस्सा तक माना गया है। इसे पवित्र बंधन के रूप में स्थान दिया गया है। आदर्श, गृहस्थ जीवन के अनेक दृष्टांत और आदर्श स्थापित

किये गये। लेकिन यह सब कुछ यदि वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में हम देखें को वही अंतर मिलेगा जो आदर्श और यथार्थ के बीच में पाया जाता है।

चारित्रिक पतन ने पुरुष और स्वच्छंदता की आकांक्षा ने स्त्री के जीवन और उनके आदर्शों में परिवर्तन ला दिया है। यहाँ वैवाहिक जीवन में पति–पत्नी के बीच संघर्ष, विवाह केलिए दहेज लोभी माता–पिता, बने–बनाये खांचों और रूढ़ परंपराओं से बाहर निकलती स्त्री द्वारा किये जा रहे अंतर्जातीय विवाह और अविवाहित स्त्री द्वारा विवाह पूर्व संबंध बनाने की पश्चिमी संस्कृति और उसमें अपनी आजादू ढूँढ़ती मॉर्डन युवती भी है। 'दो एकान्त' उपन्यास के दोनों पात्र–विवेक और वानीरा की मानसिक स्थिति में जो द्वंद्व चल रहा है। वह वस्तुतः दाम्पत्य जीवन की अपेक्षा और उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुई है। दोनों परस्पर स्नेह और विवाह से जुड़े हुए हैं। किन्तु स्नेह से वंचित वानीरा को मनःस्थिति बदल गयी। विवेक की मनःस्थिति उसकी सोच से झलक रही है – "कितना अच्छा होता कि क्लाइड़ से परिचय तक न होता, तब वे डिब्रूगढ़ न जाते और डिब्रूगढ़ न जाते तो मेजर आनंद से परिचय न होता और तब न इलाहाबाद आते। कितना बदल गया है सब। वानीरा आज कितनी दूर हो गयी है, क्या पूरी में ऐसा थी? क्या फिर भी नैकदय संभ है?"[३]

संक्षेप में कह सकते हैं कि नरेश मेहता ने उपन्यासों में समग्रतया मानव जाति की सभी संवेदनात्मक वृत्तियों का आकलन भिन्न–भिन्न चरित्रों के माध्यम से प्रकट किया है। लेखक स्वयं कवि हृदय होने के परिणाम स्वरूप उनके उपन्यासों में उजागर संवेदनात्मक अनुभूति आम पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव डालती है।

संदर्भ :-

१. डॉ. कैलाश उपाध्याय – नरेश मेहता के उपन्यासों में चरित्र – सृष्टि, पृ.सं. ७५

२. श्री नरेश मेहता – यह पथ बंधु था, पृ.सं. ५६४

३. नरेश मेहता – दो एकान्त, पृ.सं. १४७

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 36-38

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

तेरजोमा सांवहेद रे सारदा प्रसाद किस्कुआक्एनेम

–ज्योत्सना टुडू

शोधार्थी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

सारदा प्रसाद किस्कु आक् जियोन रे आयमा ख्याती ओरजोन आकादाय नोया रेनाक् प्रमुख कारोन दो होयोक् काना रविन्द्रनाथ ठाकुराक् गिताञजली उनी संताली ते तोरजोमा आकादाय उनि आयाक् नोवाको रोचना खातिर नितहं आवोको तालारे जेवेद मेनाया। देस विदेसरे 60 टि खोनहं वेसी भासाते रविन्द्रनाथ ठाकुराक् ग्रन्थ अनुवाद आकाना। मेनखान संताली रेदो वाङ तांहे काना, पुयलु सारदा प्रसाद किस्कु गे संताली ते तोरजोमा आकादाय। जाहादो सेरेञ सेपेञ 1970 सालरे प्रकास आकाना। सरञे सेपेञ रेनाक् आयमा कोविता गे सारदा प्रसाद किस्कु संताली ते तोरजोमा आकादाय। नोया लाहा 1960 सालरे कुहुवाउ आनोड़हे रे रविन्द्रनाथ ठाकुराक् छुटी कोविता रेनाक् सोहोज अनुवाद काराव आकादाय। परवती कालरे उनी रविन्द्रकाव्यदशी आयमागे देश विदेश आते प्रभावित आकाना। तेहेन आवो सेारेञ सेपेञ पुथी रेनाक् जाहा तिनाक् गे कोविता वोन पाड़हावआ झत गे सारदा प्रसाद किस्कुवाक् अनुवाद गे काना। जाहाय गे माराङ होड़ आजाक् जियोनरे नोङकान माराङ कामीदो वाय कोराव आकादा नोया अनुवादरे सारदा प्रसाद किस्कु दो आको तालारे हुडिञ खन माराङ धाविच झत होड़ ठेन जायजुग लागिद जियाड़ गे वाञचव गे तंहेनाय। सारदा प्रसाद किस्कु नोया रेनाक् तोरजोमा नुनाक् चेहेरा कोराव आकादाय जाहा दो अतुलनिय गिताञजली रेनाक् अनुवाद दो सारिगे मानोवा जाती खोन आडी चेतान मान रेनाक् दोरजा ञाम आकादाय। नोया दो संताली साहित्य गे सांवहद चारचा रे नावया होर डाहार, उदुक् आकाद कोया नोया पुथी दारायते होड़ होपोन को एभेन रेनाक्, रिका आकादाय। गिताञजली रेनरक् अनुवाद तायोम सारदा प्रसाद वारेया विसोयरे वाड़ती मनोजोग, एम लेदाय। जेलेका–रविन्द्रनुसारी छनद रेनाक् वेभार रविन्द्रदर्शन वि'ायरे श्रध्य जुक्त आर्कर्षन, पुयलु दो छनद विसोय तेवो आलाचना लेगे। संताली वाङखान एटाक् जाहान गोस्ठी रेनाक् भाासारे –आर ओना रेनाक् वागरिती आर ध्वनी वेशिष्ट लेकाते मुल छनद वारेया –

1. प्रथम आर शक्ति शी छनद दो होयोक् काना दलवृत्त छन्द, Syllabic Metre वाङला रेदो नोया छड़ार छनद को मेताक् आ। नोया सेरेञ रेनाक् उतसो हुयुक् काना ,नेच सेरेञ आर छड़ा रेनाक् ताल जांहा रेनाक् आदिम रूप मादोल रेनाक् मिद् जनप्रिय वोली विकृत।

2. आरमिदटाङ दो होयोक् काना द्रुत गती रेनाक् छनद। नोया खोन आरो द्रुत गती रेनाक् छनद दो वानुक् आ। नोया छनद कोवी सारदा प्रसाद किस्कु गिदरा वाउली नितुम आकादा। नामडाक अनड़हिया सारदा प्रसाद किस्कुवाक् अल तोल खो़न वाडायक् काना जे सारदा प्रसाद किस्कु दो अनड़हिया से ओनोलिया सुमुङ दो वाङ मिद भागे तोरजमायिच हं कानाय, उनियाक् ओल लाहाक् होररे ओनोड़हे पुथि लेकाते नवया पुथि दो 1985 सालरे छाया उछान काना। किस्कु गोमकेयाक् ओनोड़हे गावान नागाम तलास लेखान नेलोकः आ उनिदो पोयलोसेद आयाक् ओनोड़हेरे साधुरामचाँद मुरमुवाक् आपालहेत् ओरसोङ मेनाक् आ़ मनेखान तायोम दाराम सेद उनियाक् ओनोड़हेरे आयमा आरु नेलक् आ, गाम गांदार ओनोड़हे पुथि तायम उनिदो रविन्द्रनाथ ठाकुराक् ओल गितानजली ओनोड़हे पुथि रेयाक् आयमा अनोड़हेगे संताली ते तोरजोमा़ आकादाय। अना तोरजोमा अक्त गे किस्कु गोमके दो ओना ताला रे हं मिद्टाङ नावया आस दिसो काते जियोन रेयाक् लाहा सेद गे लाहाव अनिजगे वाञचाव दो, मानमी जियोन सा़रि होचोय रेयाक् आदर्श दो सेरेञ सेपेञ

रेयाक् ओनोड़हे खोनगे उदगाव, नाम लेदा।

रविन्द्रनाथ ठाकुराक् माराङ आदर्श गे हुयुक् काना नवया मानोया जियोन रे जांह तिनाक् आझाट आनाट तांहे होचोयान से ओना ,तम काते लाहा सेनक् गे मानमियाक कामी, उनि मेन लेदा "इञ दो नवया धारति खोन मोहर मेटाव लागिद दो वाञ जानाम अकाना नवया धारतिरे इञ दो वानचाव ताहेन गेञ कुसियाक् आ'' नोया उयहार दोहो काते कोवी किस्कु गोमके हँ आयाक् 'लाहाक् होररे' ओनोड़हे रे मेनकादा।

"रिमिल ञुजाद् काड़ाङ काड़ाङ
आँजम हिजुक् मुनिम आड़ाङ
एन हँ होयाक् लाहाक्"

कोवि गोमके आयाक् जियोन रेहँ आयमा लेकान ताकिज तलाकिज् , नामकादा ,जाहाते आयाक् जियन काड़ाङ काड़ाङ नुताद् ते एसेद लेदा, मेनखान उनिदो आयाक् दिल दाड़े आर कोलोम रेयाक् दाड़ेते सानाम लेकान आझाट आनाट ,तोम रेयाक् , रिका आकादा। उनि रविन्द्रनाथ ठाकुर लेकागे नवया धारतिरे उपेल लेन रेयाक् पांजा से चिनहा दो ओनोड़हे सांवहेद सिरजोन तालाते दोह हट आकादाय, विदाक् बेड़ा नुतुमान मिद् वाहा सेरेञ रे मेनकादा।

"होड़े ताड़ाम इदिया हो गातेञ
पांजा गे तांहेन
गाडा दाक् दो आंजेतक् हो गातेञ
गाडा गे तांहेन"

नोया काथादो ओनोड़हिया आडी कांहिस आर दुक अन्तर खन नासे वाञचाव ताहेंन रेयाक् आस दोहो कातेय गावान लेदा, मानमिदो नुनोक् चेहेरा धारति बागी कातेय ओकोय हं गुजुक् दो वाङ को कोया। एनहँ सिरजोन ओरि लेकाते जानाम लेखान गुजुक् दो हुयुक् गेया, नवया सारितेद् बाताव काते ओनोड़हिया हं जियोन रेयाक् मुचाद् सेद् दुक दोय आटकार लेदा एनङकागे लाहाक् होररे ओनोड़हे रेयाक् एटाक् ओनोड़हे को गालोच रेहं नङकागे वाञचाव ताहेन रेयाक् आदर्श नावया लेकाते फोटेल काना। नवया ओनोड़हे पुथि रेयाक् ओनेड़हे को छन्द गावान पाहाटा हँ रवीन्द्रनाथ ठाकुर लेकागे जुरि गोपोम आर दोलोवृत्त छन्द रेयाक् नेलोक् आ। जेलेका जापुत् ओनोड़हे रे ओलअकाना –

''रोसकोतेदरे रोटदोको राक्दत् आपान दाड़े
दाक्ते रापुद् राड़ाक् काना वाद् वायहाड़ आते
चाषी कवयाक् मोने रेदो रासकादो वाङ ताँवहा
मने आको रहय दो दाक् उसारागे चावाक्।''

उदुक एन ओनोड़हेते वाडायाक् काना काथा गावान आर सातम जेलेका मिदटाङ नावया सिरजोन रेयाक् आलहा गेमेरेदा, ओनकागे पोयलो आर दोसार पाहिल रेयाक् मुचात् आड़ाङ मुदरे मिल से गापाम नेलक् आ। जाहादो ओनोड़हे रासा आर ओनोड़हे ताड़ सारेड़क् काना। कोवी गोमके याक गाहिर पातियाव तांहे लेना जे ओनोड़हे दो नङका गावान लाकतिया जांहा तालाते सांदेश जे लेकाय गेमेरा ओनकागे सांवहेद रासा हं तांहेन जारुड़ा, जांहादो पिड़ही तायोग पिड़ही मानवया ससनक् आरु रे एनेम आड़तिया।

'वेर चुमोड़ा' ओनोड़हेरे ओनोड़हिया नवया रेन सानाम लेकान फेडात् दाड़े दो वैर से सिञ वंगा कानाय, नवया आइकाउ ओनोड़हियाआक् अन्तरखन नवया ओनेड़हे तालाते फोटेलाकाना, ओनाते उनि वेर चुमोड़ाकाते मोनकेदाय – ''दाराय कानाय दाराय कानाय किसनि दोको लेय,द् उल दारे रेन कः कोदो अमाक् गेक् हें एद गिदरा गिदरा हाड़ाम वुडही गितिज् वानुक् कवया हे जानिच को नामकाद। जाहातिनोक् आक् टवया (टुउयो) अनातेको हिरलो गेया मोने वसांड़ ताको अड़ाक् खोनको ओडोकः कान झत झिको झाका, राकाब एनाय डिगिमिगि धारति रिनिच् पेड़ा मारसाल लेना आतो दिसोम बेबाक् वुरुहारा''।

लाहाक् होररे ओनेड़हे पुथि रेयाक् मुडुत् जसगे हुयुक् काना मानमि आयाक् ताड़ाम डाहाररे आयमा लेकान आझाट आनाट। तहद, हाड़ाक एमाने नाम रेहँ आपनाराक् क़ामी दाड़ेते सानामाक् , एतोम इदिया ,जियोन होररे तिंगु हापे लेखान अनादो गुजुक् सामिलगे। ओनाते ओनेड़हिया जांहा। तिऩाक् तोहद् हाड़ाक् एनाम आकाद रेहें केरमे लाहा सेद् लाहाकः गे आयाक् क़ामी मेनते मोनेयाकादा। उनियाक् आस क़ामी तालातेगे जियोन रेयाक् जुताद् दो लागा गानक् आ आर नवया सिञ चांदो लेका डिगिमिगि मारसाले दाड़ेयाक् आ बेर चुमोड़ारे ओनोड़हेरे जेलेकाय मेनकादा।

''राकाव् एनाय डिगिमिगि ध़ारति रिनिच् पेड़ा
मारसाल लेना आतो दिसोम बेवाक् वुरु हारा।''

सेचेत् आर ओलोक् दाड़ेते जियेन रेन सिञ चांदो दोय मारसाल दाड़ेयाक् आए कोवी गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर हँ मानवया जियोन दो तोहोद् हाड़ाद् आर रपक् तापाकिज् हं लाहान्ती रेयाक् डाहारते मिद् जोरुड़ान हिस काना मेनते मोनेया, नङका आयमा सेदते विचार लेखान नेलक् आ। लाहाक् होररे ओनोड़हे पुथिरे जांहाको ओनोड़हे सेलेद आकाना अनाको रेयाक् हुदिसरे आर छन्द गावानरे रविन्द्रनाथ ठाकुराक् नासे ओरसेङ नेलक् आ।

सारदा प्रसाद किस्कु दो ओनोड़हिया ओनोलिया पानतेते किस्कु गोमके दो आ़डी लाफाङ मानरेन तोरजोमाचिज हं तांहेकाना, उनिदो रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओताक् आयमा ओनेड़ हे तोरजोमा आकादाय जेलेका 'लांगा' जुमान ओनोड़हे नङकाय तोरजोमा आकादा –

''इका काःमे गोसाय इञाक् लांगा
तायनोम सेज ओरगोक्रे जांगा,
थार थाराक् आ होड़मो जोके
नङका होयोक् ठेके जोके
इका काः मे नावया हासो
इञिज् चांदो वंगा।''

नवया तोरजोमा खोनगे किस्कु गोमकेयाक् तोरजोमा क़ारधानी आडी नापाय सोदोरोक् काना।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. किस्कू, सारदा प्रसाद : सारदा अनल माला, मार्च् 2005 सिदू कानहू फाउन्डेसान आसानसोल
2. किस्कू, सारदा प्रसाद : जुडासी ओ़नो़ल माला 1994 डॉ. एस.के. भौमिक, माराङ बुरु प्रेस।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 39-42

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Diel Cycle of Some Abiotic Factors in Winter Season of Talla Pond, sukhjora, Ranishwar, Dumka Jharkhand

-Prof. Dr. Prasant Patar

Assistant Professor, H.O.D Dept of Botany, M.G College Ranishwar,Dumka (S.K.M.U) JHARKHAND

ABSTRACT :-

Fluctuation in different abiotic and biotic factors of aquatic ecosystems at different hours of the day irrespective of day and night is known as 'diel cycle'. Diel cycle refers to the events that recur at 24 hours intervals or less, irrespective of day and nignt. Diurnal studies of water bodies given an idea about succesional changes in the physico - chemical parameters as well as biological spectrum of the water reservoir at different hours of the day. Diel cycle of some abiotic factores of Talla pond, Sukhjora,Ranishwar, Dumka,Jharkhand was assessed during Winter season in the year 2012-2013. Maximum air temperature was found to be 20.2°c at 3.00pm. and minimum 14.5° c at 3:00am in Winter water tempereture of pond flutuated in between at 16.5°c at 3:00am. To 21.2°C at 3:00pm pH ranged between 6 to 6.4 Lowest dissolved oxygen (DO_2) .2 ppm was recorded at 7:00 am and highest 3.9 ppm at 11:00am. Minimum amount 62 ppm of free carbon dioxide (FCo_2) was analysde at 11:00am and maximum 100ppm at 07:00pm. Carbonate (Co_3)alkalinity remainded completely absent throughout the entire period of diurnal study. Bicarbonate(HCo_3) varied from 148.2 ppm at 7:00am to 174.8 ppm at 3:00pm

Keywords : Diel cycle, abiotic, abiotic, physico-chemical, parameters, biological spectrum, successional changes, reservoirs, alkalinity, ecosystem, ecosystem, biota, autotrops, photosynthesis.

INTRODUCTION :-

Fluctuation in different abiotic factors of aquatic ecosystems at different hours of the day irrespective of day and night is reffered to the 'Diel cycle' It reflects the biological activities going on in the aquatic environment. Diurnal fluctuation gives an idea about the variation in the physico-chemical factors caused by the biological activities in the system. Ecosystem is constituted by abiotic and biotic factors which interact in such a way that there is a flow of energy in the form of food, leading to the formation of tropic structure represented by producer, consumer and decomposer. Pond is a fresh water, lentic, aquatic ecosystem. Diurnal fluctuation of some abiotic factors of Talla pond of village sukhjora, Ranishwar, Dumka, Jharkhand was carried in winter season of the year 2012-13. Earlier diel cycle of different ponds have been evaluated by several scientist like Singh and Saha (1981), Khan and Siddiqui (1970), Nesar (1977), Patil, Singh and Harshey (1982) etc. According to Odum (1971) diel is reffered to the events that recur at 24 hour intervals or less, irrespective of day and night. Diurnal studies of water bodies give an about the succesional changes in the physico-chemical parameters as well as biological specturm of the reservoir at different hours of the day. Some research scholars have paid special attention to the diurnal changes in the hydrobiological features of different fresh water ecosystems.

MATERIALS AND METHODS :-

Samples of subsurface water were collected in BOD bottles and standard methods prescribed in standard workbook of Welch (1948) were followed to analyses the different physico-chemical parameters at the spot, as given below :-

TEMPERATURE :-

Air temperature and surface water temperature was recorded with the help of a centigrade mercury thermometer (0-50°c).

HYDROGEN-ION CONCENTRATION (pH) :-

It was assessed by using the water quality analyser (Elico type PE 132). Buffer solution of pH 9.2 and 4.00 were used for standardization.

DISSOLVED OXYGEN(DO2) :-

Modified winkler's method was used to analyse Do2. This standard method was given by welch (1548). Concentrated sulphuric acid, alkaline iodide,magnus sulphate and N/40 sodium thio-sulphate were taken as reagents. Starch solution was used as indicator. Sodium iodide was employed as preservative in alkaline iodide. At the end initial dark blue colour changed to colourless or original colour which was the end point.

FREE CARBON DIOXIDE (FCO2) :-

Method given by welch (1948) was followed to anlyse free carbon dioxide (FCo2). It is the titrimetic method.100ml of sample was titrated against N/44 sodium hydroxide (NaoH) solution. Ten drops of phenalphalein indicator was added to it. Pink colour indicates of absolute FCO2. If the sample colour remained colourless then it was titrated again against N/44 NaOH. At the end,pink colour appeared.

CARBONATE ALKALINITY (CO3) :-

Carbonate (co3) was determined by the method prescribed by welch (1948). It is a titrimatic method. 100ml of sample water was taken in a conical flask.2 to 3 drops of phenopthalein indicator solution was added. if the solution remains colourless then the carbonate alkalinity was absent. if the colour changed to pink, the carbonate alkaliting the solution with 0.02N sulphuric acid (2/50 H2so4) until the colour disappeared, as the end point.

BICARBONATE ALKALINITY (HCO3) :-

Method described by welch (1948) was employed to assess the Bicarbonate alkalinity.100ml of sample water was taken into a conical flask. 2 to 4 drops of methyl orange indicator was added to it. The solution was titrated with 0.02N sulphuric acid (N/50 H2so4) until the yellow colour change to pink as the end point . For diurnal study sample of sub-surface water collected abiotic factors were assessed just after sampling at the spot, using standard methods. The results are given below:

RESULT AND DISCUSSION :-

The range of fluctuation in air temperature at the site, during diel cycle. Air temperature was recorded as 19.2°C at 7.00 am., 22.4°C at 11.00am, 20.02°C at 3.00 pm, 19.5°C at 7.00pm, 17.5°C at 11.00 pm and 14.5°C at 3.00 am. Sunlight has direct impact on air temperature.

WATER TEMPRATURE :-

Water temperature varied from 16.5°C to 21.2°C. It was recorded as 18.5°C at 7.00am, 21.2°C at 11.00am, 21.2°C at 3.00pm, 20.5°C at 7.00pm, 19.5°C at 11.00 pm and 16.5°C at 3.00am.The fluctuation in air and water temperature showed some similar pattern, i.e. increasing trend in day time where as decreasing trend in

night hours. It indicated a direct relation between them, which might be directly correlated with sunlight.

Verma (1976), Vijayraghavan (1971), Bohra (1977), Narsar (1977), Singh and Saha (1986) have reported similar findings. Lesser water volume of water in pond was quickly influenced by ambient temperature, which supports the reports of Pandit (1986).

HYDROGEN-ION CONCENTRATION(pH) :-

Shows the diel variation in pH value of the pond water. It was analysed as 6.2 at 7.00am, 6.3 at 11.00 am, 6.4 at 3.00 pm.6.2 at 7.00 pm, 6.2 at 11.00 pm and 6.00 at 3.00 am. Pond water remained acidic during the whole period of diurnal study. It revealed rising trend in day time and decline during night, which may be attributed to greater accumulation of free Carbon dioxide. It supports the finding of Pandit (1986) and singh & Singh (1985). Co_2 might be utilized in day time by green plants for photo synthesis.

DISSOLVED OXYGEN (DO_2) :-

Do_2 fluctuated in between 0.2 ppm to 3.9 ppm. It was recorded as 0.4 ppm at 7.0am, 3.9 ppm at 11.00 am, 1.5 ppm at 3.00 pm, 0.2 ppm at 7.00 pm, 1.6 ppm at 11.00 pm and 1.1 ppm at 3.00 am. It showed an increasing trend in day time and decreasing trend in night, which might be due to greater photosynthetic activities of aquatic autotrophs. It supports the reports of Hutchinson (1957). Its lower value in night hours was perhaps due to its utilization by biotic components for respiration and lack of Oxygen after photosynthesis by aquatic pants might be the cause of higher. Do_2 in day time.

FREE CARBON DIOXIDE(FCO_2) :-

During the period of diurnal study, free carbon dioxide, fluctuated between 62.00 pppm to 110.00 ppm. It was recorded as 64.00 ppm at 7.00 am, 62.00 ppm at 11.00 am, 68.00 ppm at 3.00 pm, 100.00 ppm at 7.00 pm, 90.00 ppm at 11.00 pm, and 90.00 ppm at 3.00 am. Higher free Carbon dioxide concentration was found during night, might be due to its accumulation by the respiration of biota and non utilization in photosynthsis in want of light, as reported by pandit (1986) and Nasar (1977). FCO_2 indicates the productive nature of aquatic ecosystem.

CARBONATE(CO_3) :-

Carbonate remained completely absent though the period of diurnal study in pond during winter. Absence of Carbonate can be attributed to pH factor. As per the reports of cole (1969) Carbonate alkalinifty may be found when pH value is more than 8.

BICARBONATE (HCO_3) :-

Bicarbonate concentration in the pond water during diel-cycle. It ranged between 148.2 ppm and 174.8 ppm. It was analysed as 148.2 ppm at 7.00 am, 174.8 ppm at 11.00 am, 174.8 ppm. It was analysed as 148.2 ppm at 7.00 am, 174.8 ppm at 11.00 am, 174.8 ppm at 3.00 pm, 148.2 ppm at 7.00 pm, 151.5 ppm at 11.00 pm and 163.1 ppm at 3.00 am. Lower Carbonate alkalinity was recorded during night while higher value was obtained during daytime. This might be due to addition of bicarbonate in the form of soaps and detergents by washing activities. It was almost nil in night. This supports the report of Pandit (1986). High Bicarbonate alkalinity indicates the productive nature of aquatic ecosystems but unpalatable nature of water, as per the reports of Patra and Nayak (1983), Gautam and Agrawal (1984) and Mulgund and Hosmani (1978).

AKNOWLEDGMENT :-

The authors are thankful to the Head,Department of Botany, S.p college, Dumka for providing laboratory and library facilities.

DIEL CYCLE OF SOME ABIOTIC FACTORS DURING WINTER

TABLE

TIME	7.00 am.	11.00 am.	3.00 pm.	7.00 pm.	11.00 pm.	3.00 am.
ParametersAtm. Temp.Oc	19.2	22.4	20.2	19.5	17.5	14.5
Water Temp.oc	18.5	20.2	21.2	20.5	19.5	16.5
pH	6.2	6.3	6.4	6.2	6.2	6.0
Do_2(ppm)	0.4	3.9	1.5	0.2	1.6	1.1
FCo_2(ppm)	64.0	62.0	68.0	100.0	90.0	90.0
Co_3(ppm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HCo_3(ppm)	148.2	174.8	174.8	148.2	151.5	163.1

REFERENCES :-

1. Bohra,o.p.1977.Observation on the diel cycle of a biotic parameters at jatabera, jodhpur comp Cole, G.A. 1969. Text book of limnology second edition,c.v mosby comp: London,pp.426.
2. Gautam, P.C. and Agarwal S. K. 1984. Diurnal variations in physic-chemical factors and planktons in surface water of kishore sagar (C.B Tank) at kota.Acta, Ecol 6 (1): 9-13.
3. Singh, D.K. and singh A.K.1985 Zooplanton density in relation to physic-chemical factors during diel cycle of river ganga at Bhagalpur, Bihar environ. And ecol.3(2): 231-234.
4. Patil, S.G., Singh, D.F. and Harshey D.K. 1994. Diurnal rhythm in abiotic components in atropical fresh water reservoirs, sakhya sagar, Madghav National park, M.p. geobios. 11(6): 279-281.
5. Mulgund, R.K. and Hasmani S.P. 1978. Diurnal studies in a pond in Dharwar, India j. of Karan. Univ 23:58-62.
6. Khan, A. A. and siddiqui, A.q. (1970). Diurnal variations in the pond moat at Aligarh . Indian fish. Soc. India. 2:146-154.
7. Khatri , T.c 1984 Diurnal fluctuations in physicochemical parameters during Winter season in Lakhotia of pale (Rajasthan) Environ. And Ecol. 2;95-97.
8. Saha, L.C. 1986. Diurnal cycle of physic-chemical factors in mukhra pond, Bhagalpur. Nat acad.sci.Letters.9 (1) : 3-5.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 43-45

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

डॉ. सुशीला टाकभौरे की कविताओं में दलित नारी की संवेदना

–वड्डी जगदीश

शोध छात्र, हिंदी विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, आं. प्र.

हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दलित साहित्य बहुत चर्चित का विषय है। जिसका दलन और दमन हुआ, दबाया, शोषित, पीड़ित, वंचित, खंडित, सताया हुआ, उपेक्षित, मर्दित आदि का साहित्य दलित साहित्य होता है यानि दलित वर्ग का आशय समाज का वह वर्ग से नीचा माना गया हो अथवा–दलित को मानवीय प्रगति में सबसे पीछे पड़ा हुआ अथवा पीछे धकेला गया सामाजिक वर्ग मानते है।

दलित साहित्य में नारी का शोषण ज्यादा से अधिक होता है। नारी से आधारित दलित साहित्य आज बहुत विस्तार हुआ। ऐसी दलित नारी एक क्षेत्र में संवेदनाओं को सहते हुए संघर्ष करती है। कई समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष की आवश्यकता महत्वपूर्ण सिद्ध है। प्रस्तुत काल में समाज में संघर्ष कई स्तरों पर दिखाई देता है। परिवार से लेकर जाति, वर्ग, समाज तक व्याप्त हुआ है।

सहित्य जो है वह कई विधाओं का रूपांतर है। साहित्य में कविता, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास आदि विधाओं का सम्मेलन है।यहाँ कविता के बारे में विचार करते हुए दलित कविताओं में नारी संघर्ष को व्यक्त करते हुए सुशीला टाकभौरे की कविताओं में नारी की संवेदनाओं पर विचार किया गया।

सुशीला टाकभौरे प्रारम्भ से भले ही किसी वाद से जुड़ी नही थी। लेकिन यह सच्चाई रही कि वे दलित भी और नारी भी। इन दोनों के प्रति हमारे समाज का दृष्टिकोण है, वह संवेदनशील रचनाकार की कलम से उसका सामाजिक परिवेश उसकी कविताओं में अनायास तौर पर ही सही, छपी शब्द चित्र बनकर साहित्यिक प्रचार पर उभर आती है। दलित होने के कारण संवेदनाओं का संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए , नारी की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं का लेखा–जोखा सुशीला जी ने अपनी कविताओं में व्यक्त की। मूख्यतः वह अपनी जाति एवं नारी के बारे में इस प्रकार लिखती है कि.

''मैं
सवर्णों की बस्ती में
अपने तिमंजिले घर की
छत पर खड़ी
आसपास के घरों और लोगों में
देखा रही थी।
मुझे सब छोटे – छोटे और
बौन नजर जा रहे थे।
तभी दिखाई दी सड़क पर
हाथ में झाड़ू लिए
सफाईवाली
मैं अपने आप धड़ाम से

अंधे मुह सड़क पर गिर गई।'[1]

उपर्युक्त कविता 'मेरा अस्तित्व' नामक कविता में सुशीला लिखी है और यहां उन का विचार है कि अपनी जाति की नारी सवर्णों की बस्ती में सफाई का काम करती थी और उस के साथ–साथ कुछ गालियां भी कानों में पड़ती हैं। तब मैं को बहुत दुःख दर्द लगता है, उस हालात की परिस्तिथियों को व्यक्त किया। इसी नारी दुःख दर्दों को व्यक्त करते हुए अपनी कविता 'भील एकलव्य' में इस प्रकार लिखती है कि...

'भील एकलव्य
तुम्हारा तो सिर्फ
एक अंगूठा कटा था
पर क्या
पूरे समाज के हाथ भी
काट दिए गए थे?'[2]

अर्थात सुशीला कहती है कि महाभारत काल का संधर्भ को व्यक्त किया। तत्कालीन गुरु भिक्षा के रूप में शिष्य का अंगूठा मांगता था। लेकिन आज के बड़े बड़े लोग पूरे दुनिया को मांग रहे है। यानि पूरी दुनिया पर अत्याचार कर रहे हैं। इस प्रकार दलित नारी हर एक संधर्भ में हर एक कोने में पीड़ित हो रही है। इस प्रकार दलित नारी के प्रति वह पूरी तरह संवेदनशील ही है। इस संदर्भ में 'गली' कविता में सुशीला लिखती है कि..

'वहा के नाम पर
अपने आप को
एक कुत्ता
कहा जा सकता है
मगर
कुतिया नहीं
कुटिया शब्द सुनकर ही लगता है
यह एक गली है
क्यों कि वह
स्त्री वर्ग में आती है।'[3]

दलित नारी हर क्षेत्र में निंदा, पीड़ा, दुःख दर्दों को सामना करने पड़ती है। उस का उदाहरण उपर्युक्त कविता में हम देख सकते हैं। सवर्ण की बस्तियों में दलित नारी सफाई का काम के साथ शौचालयों को भी साफ करती है उस समय में सवर्ण के लोग गलियों के साथ चिल्लाते हैं। इस संबंध में दलित नारी अपना दुख दर्द को सामना करती है। एक संदर्भ में दलित नारी शोषण संबंधित 'स्वाति बून्द और खारे मोती' में इस तरह लिखती है कि...

'क्या कहते हो? वे कुछ नहीं! ठीक है
पर इतनी अपेक्षा क्यों वे ही कभी आपकी सीढ़ी बने थे।'[4]

उपर्युक्त पंक्तियों से और एक संदर्भ में अस्तित्व एवं शोषण पर देख सकते हैं कि...

'विश्वास, भक्ति, प्रेम की सीता
बार–बार
धरती में दफनाई जाती है
इसलिए संसार में
पीड़ा की फसलें उग आती हैं।'[5]

यानि नारी का शोषण आज की नही है रामायण में सीता से लेकर आज की आधुनिक नारी तक शोषित एवं पीड़ित हो रही है। उन का मूल भाव जो हैं वह शोषण एवं संवेदनशील है। डॉ. सुशीला टाकभौरे का उद्देश्य है कि अपने कविता संग्रह में व्यक्तित स्त्री चित्रण संवेदन के रूप में की। मूख्यतः नारी का अन्याय, शोषण, अत्याचारों को चित्रित कर उनमें जागृति लाना चाहती है। अपनी जाती एवं नारियों में चेतना लाने की बहुत कोशिश की। अपनी कविता संग्रह 'तुम्हे उसे कब पहचाना' में लिखती है कि.. 'अज्ञानता और अशिक्षा के क्षेत्र में नारी जागृति संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। स्वावलंबन भी आज के युग में नारी के लिए अति आवश्यक बनता जा रहा है।'[6] यानि सुशीला टाकभौरे के विचार है कि अपनी जाति एवं नारीयों में चेतना लाने की कोशिश करती है। डॉ. सुशीला टाकभौरे जी के काव्य संग्रह में नारी संवेदना का चित्रण कई रूपों में दिखाई देता है। मूल उद्देश्य है कि अपना साहित्य से दलित युवक एवं युवतियों में शिक्षा की माध्यम से चेतना लाना चाहती है। इस समाज में पुरुषों से समानता एवं सम्मान चाहती है और पूरे समाज में अपनी जाति समुदाय के हक एवं अधिकारों को पाने के लिए चाहती है।

संदर्भ सूची :-

1. हमारे हिस्से का सूरज– डॉ. सुशीला टाकभौरे–पृ. सं–13.
2. यह तुम भी जानो–डॉ. सुशीला टाकभौरे–पृ. सं.– 29.
3. तुमने उसे कब पहचाना–डॉ. सुशीला टाकभौरे–पृ. सं–52.
4. दलित साहित्य के प्रतिमान– डॉ. एन. सिंह– पृ.सं– 112.
5. तुमने उसे कब पहचाना– डॉ. सुशीला टाकभौरे– पृ. सं– 24.
6. तुमने उसे कब पहचाना– डॉ. सुशीला टाकभौरे– पृ. सं– 11.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 46-51

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारतीय कर नीति एवं कर प्रबन्ध व्यवस्था

–डॉ० विजयलक्ष्मी पारीक

प्राचार्य, एस. एस. जी. पारीक– स्नात्तकोत्तर महिला महाविद्यालय

बी–12 पावर हाउस के सामने, झोटवाडा रोड, बनीपार्क, जयपुर 302016, राजस्थान

"जिस प्रकार से सूर्य जमींन से नमीं को सोंख कर, इसे कई हजार गुणा करके वापस कर देता है। ठीक उसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा से करों की वसूली करके, इसे अपनी प्रजा की भलाई पर ही व्यय कर देता है।"

– रघुवंश में कालिदास राजा दलीप से कहते है।

सारांश :-

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आम–वि'वास रहा है, कि आय तथा सम्पत्ति पर करों की उत्पत्ति कुछ समय पूर्व ही में हुई है परंतु इस बात के पर्याप्त सबूत बताते है कि आदिम तथा प्राचीन समुदायों में भी आय पर कर किसी न किसी रूप में लगाए जाते थे। 'कर' शब्द की उत्पत्ति 'कराधान' से हुई है जिससे तात्पर्य आंकलन से है। इसे माल या पशुधन की बिक्री या खरीद पर लगाया जाता था तथा समय समय पर बेतरतीब ढंग से एकत्र किया जाता था। लगभग 2200 वर्ष पूर्व, सीजर ऑगस्त्स ने एक आदेश जारी कर कहा था कि सारी दुनियां में कर लगाया जाना चाहिए। ग्रीस, जर्मनी और रोमन साम्राज्य में, करों को कभी कारोबार के आधार पर लगाया गया तथा कभी व्यवसाय के आधार पर लगाया गया। कई शताब्दियों तक, करों से प्राप्त आय सम्राट के पास जाती रही। उत्तरी इंग्लैंड में, जमीन तथा चल सम्पत्ति पर कर लगाए गए जैसाकि 1188 में सलादीन सिरनामें में कहा गया है। कालान्तर में, इनके स्थान पर पूरक व्यक्ति–कर और अप्रत्यक्ष करों की शुरूआत हुई, जिन्हें 'प्राचीन–सीमा शुल्क' के नाम से जाना गया जिनमें ऊन, चमड़ें तथा खालों पर शुल्क लगाए गए थे। विभिन्न रूपों और विभिन्न वस्तुओं तथा व्यवसायों पर लगाई गई ये लेवी और कर, प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही नही, अपितु नागरिकों की आम जरूरतों को पूरा करने के लिए, सड़कों के रखरखाव, न्याय व्यवस्था और राज्य के इस तरह के अन्य कार्यों के साथ साथ सरकार द्वारा अपने सैन्य और नागरिक व्ययों को पूरा करने के लिए लगाये गये।

भारत में भी, प्राचीन काल से वर्तमान प्रत्यक्ष कर प्रणाली किसी न किसी रूप में चलती आ रही है। मनु स्मृति और अर्थशास्त्र, दोनों में अनेक प्रकार के करों के संदर्भ मिलते है। प्राचीन मनीषी तथा कानून दाता मनु ने कहा है कि शास्त्रों के अनुसार राजा कर लगा सकता है। यह प्रजा एवं समाज के हित मे परम आवश्यक हैं।

संकेत शब्द :- कर, कराधान, व्यापार, प्रबन्ध, विश्व, भुगतान, समाज, व्यवस्था।

आयकर संग्रह प्रणाली सुनियोजित थी और राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इससे आता था। इसका एक बड़ा भाग नर्तकों, संगीतकारों, अभिनेताओं और नाचने वाली लड़कियों आदि से आयकर के रूप में एकत्र किया जाता था। यह कराधान अस्थिर आय के प्रति प्रगामी न होकर, आय में उतार–चढ़ाव के समानुपाती था। अतिरिक्त लाभ कर को भी

एकत्र किया जाता था। बिक्रियों पर सामान्य बिक्री कर भी लगाया जाता था। इमारतों की बिक्री तथा खरीद भी कर के अधीन थी। यहां तक कि जूआबाजी का संचालन भी केंद्रीकृत था और इन कार्यों पर भी कर की वसूली की जाती थी। तीर्थ यात्रियों पर भी यात्रावेतन नाम से कर लगाया हुआ था। यद्यपि, राजस्व सभी संभव स्रोतों से एकत्र किया जाता था परंतु, इसमें अन्तर्निहित धारणा लोगों का शोषण करना या अधिक कर थोपना नहीं था, अपितु, प्रजा के साथ–साथ शासन और राजा को बाहरी तथा आंतरिक खतरों के प्रतिरक्षा प्रदान करना था। इस तरीके से एकत्र राजस्व को सड़कें बनाने, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, नए गांव बसाने और समुदाय के लिए लाभप्रद अन्य गतिविधियों जैसी सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जाता रहा था।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वित्त और कराधान प्रणाली के अनुसार, सरकार की सत्ता, उसके राजकोष की मजबूती पर निर्भर करता है। उसके अनुसार "– सरकार के पास सत्ता राजकोष से आती है और पृथ्वी का आभूषण खजाना है। जिसे राजकोष और सेना के माध्यम से अर्जित किया जाता है"। कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि भूमि का ट्रस्टी केवल राजा ही था और इसे बचाने तथा इसे अधिक से अधिक उपजाऊ बनाने का कर्तव्य राजा का है ताकि राज्य के आय के मुख्य स्रोत के रूप में भू–राजस्व एकत्रित किया जा सके। कर–राजस्व की उसकी अवधारणा, कर प्रशासन के क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान थी। यह कौटिल्य ही था जिसने शासन को चलाने में कर राजस्व को उचित स्थान दिया है। कोटिल्य द्वारा आर्थिक और वित्तीय प्रशासन सहित राज्य कर व्यवस्था को सटीक शब्दों में दिया गया है।

कर/टैक्स लैटीन भाषा के टैक्सों से बना हैं। टैक्स ण्क अनिवार्य भुगतान या वित्तिय शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिये लगाया जाता हैं। जिसका उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिये किया जाता हैं। कर ना चुकाना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

कर दो प्रकार के होते है :– प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

प्रत्यक्ष कर सरकार देश के नागरिको और संस्थाओं से इनकम टैक्स वसूल करती है। इनकम टैक्स आमदनी पर लगने वाला कर हैं। जो सरकार को आमदनी के एक हिस्से के रूप में दिया जाता है। अलग–अलग आमदनी वालो पर यह अलग–अलग प्रकार से लगाया जाता हैं क्योकि सरकार नागरिको को सेवाऍ जैसे सडक, बिजली, पानी, किसानों को सब्सिडी आदि उपलब्ध करवाती है।

कर पारदर्शिता :–

''विवाद नहीं विश्वास'' से कर पारदर्शिता लागू की गई जिसका उद्देश्य कर विभाग का हस्तक्षेप समाप्त करना व कर दाता को यह बताना था कि उसके द्वारा चुकाया गया कर का उपयोग कहॉ किया गया है।

130 करोड की आबादी में सिर्फ 1–5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने विडियों कानफ्रेसिंग के जरिये आयकर व्यवस्था में सुधार कर टैक्स टेरर मुक्त का ऐलान किया निम्न व्यवस्था लागू की गई।

1. फेसलेस असेसमेन्ट 2. टैक्स पेयर चार्टर 3. फेस लेस अपील

मुख्य बिन्दु नया आयकर प्लेटफोर्म :–

ट्रांसपेन्ट टैक्सेशन ऑनरिंग द आनेस्ट पारदर्शी कराधान में ईमानदार का सम्मान यह व्यवस्था 25 सितम्बर से

लागू होगी।

अब छानबीन, नोटिस या सर्वे में करदाता व आयकर अधिकारी के बीच सीधे सम्पर्क की आवश्यकता नहीं है।

टैक्स पेयर चार्टर करदाता को उचित विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का आश्वासन देता है यह कर दाता की गरीमा व सहनशील बनाये रखने पर भी ध्यान देता हैं।

सर्वे अधिकार सीमित :–

आयकर एक्ट 1961 की धारा 133, में संशोधन कर सर्वे का अधिकार सीमित कर दिया गया। TDS मामले में चीफ कमीश्नर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और सामान्य मामला में D.G JET के पास सर्वे का आदेश होगा।

रेट्रोस्पेरिक्ट ट्रेक नहीं :–

करदाताओं से पिछली तारीख से टैक्स नहीं वसूला जा सकेगा करदाताओं को अधिकार होगा कि कानूनों में बदलाव के चलते उन पर पिछली तारीख से टैक्स नहीं लगाया जावेगा। ट्रेक्स कानून के वर्तमान वर्ष व आगे के वर्षो पर ही लागू होगें। कारोबारियों को परेशान करने वाले मामले में कमी आयेगी व कारोबारियों के मन में डर कम होगा। इससे कारोबारियों व निवेशको को फायदा होगा कि यदि ट्रेक्स रेट बदलती है तो बैक डेट से नई दरो के आधार पर ट्रेक्स नहीं भरना पडेगा।

टैक्स पेयर चार्ट क्या हैं :– आयकर दाताओं की परेशानी कम करने व आयकर व्यवस्था को सरल बनाने के लिये वित्त मंत्री सीतारमण ने बीते आम बजट में टैक्स प्रेयर चार्टर का ऐलान किया भारत टैक्स पेयर लाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया हैं। सिर्फ अभी तक अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया ने ही इसे लागू किया हैं। टैक्स पेयर चार्ट में यह तय किया गया है कि जब तक साबित ना हो जाये कि करदाता ने टैक्स चोरी या गडबडी की है वो एक ईमानदार करदाता माना जायेगा, बेवजह नोटिस भेजकर दबाब नहीं बनाया जायेगा साथ ही रेगूलेटर की तरह काम करने वाले आयकर विभाग को फेसिलेटर की तरह काम करना होगा अर्थात अब तक आयकर विभाग केवल कर वसूलने का कार्य करता था। करदाता उससे कोई जानकारी या सलाह नही मांग सकता था ये काम केवल CA द्वारा ही किया जाता था लेकिन टैक्स पेयर चार्ट में करदाता को यह अधिकार प्राप्त है कि वे आयकर विभाग से कोई भी जानकारी या सलाह मांग सकते है। निम्न कर्तव्यों का पालन करदाता को करना होगा। इसके अन्तर्गत करदाताओं के कर्तव्य दिये गये हैः–

1. ईमानदार रहें।
2. नियमों की पालना करे, आयकर विभाग से सहयोग करें।
3. कानून के आधार पर रिर्कोड मैन्टेन करें।
4. परिस्थिति के बदलाव पर आयकर विभाग को जानकारी दें।
5. अपने कर दायित्व नियमों का पालन करें नहीं तो परिणाम क्या होगें की जानकारी रखें।
6. तय समय पर सही व पूर्ण दस्तावेज और टैक्स जमा करवायें।

इसके साथ ही TCAI के अध्यक्ष CA अतुल कुमार गुप्ता के मुताबिक दिल्ली स्थित नेशनल असेसमेन्ट सेन्टर अब करदाताओं और असेसमेन्ट सेन्टर के बीच टच पॉईन्ट होगा। NEC धारा 143 के तहत असेसमेन्ट को भी नोटिस जारी होगा, नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर असेसमेन्ट को जबाब देना होगा।

नयी कर पारदर्शिता नीति के द्वारा करदाता को मिलने वाले लाभ :–

1. न्यायपूर्ण और तर्क संगत व्यवहार मिलने का अधिकार।

2. जब तक कोई वजह नही हो ईमानदार समझने का अधिकार।
3. इनकम टैक्स से जुडे मामले मे निश्चितता का अधिकार।
4. आयकर विभाग से सहायता व जानकारी लेना।
5. अधिक टैक्स जमा न करवाने का अधिकार।
6. टैक्सेसशन कम्पलेन लागत को कम करने का अधिकार।
7. टैक्स में सलाह लेन या रिप्रेन्ट किये जाने का अधिकार।
8. अपील का अधिकार।
9. निजता का अधिकार।
10. कौनसी जानकारी विभाग के पास है जानने का अधिकार।
11. ऐसी व्यवस्था का अधिकार जिसमें कर दायित्व कम हो।
12. अपना पेमेन्ट प्लान प्रस्तुत करने का अधिकार।

केन्द्र सरकार द्वारा आयकर व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं :-

1. करदाता व कर आंकलन अधिकारी अलग–अलग शहरों में हो सकते है। दोनो का चयन कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम से होगा जैसे लॉटरी का सिस्टम निकलता हैं।
2. वित्त मंत्रालय को आशा हैं कि इस नयी प्रक्रिया से आयकर अधिकारी की ज्यादती व करदाता की रिश्वत देकर मनचाहा असैसमेन्ट पाने की प्रकृति पर अंकुश लगेगा।
3. आप विभाग के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे है इनके अनुसार इस नये सिस्टम से आप कर कलैक्शन के टारगेट पूरे नहीं किये जा सकते हैं।
4. फैस लेस आकलन तथा भुगतान की नई कराधान व्यवस्था आई टी की नवीनतम तकनिक को काम में लेते हुये शुरू की जा रही हैं। जिसमें आर्टिफिशियल इन्टैलीजेन्स तथा अन्य नई तकनिकों को काम में लिया जायेगा।
5. नई व्यवस्था में करदाता पर सन्देह की बजाय भरोसा किया जायेगा तथा नया चार्ट जारी कर करदाता को कर से बचने की बजाय करो का भुगतान कर कर्तव्य पालना के बारे में समझाया जायेगा।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कर आधार को बढ़ाने के क्रम में उठाए गए कदम अंततः लाभदायक हो सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct TaÛ& CBDT) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले चार वित्तीय वर्षों में देश में दायर कर रिटर्न की कुल संख्या में 80 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। कर आधार में वृद्धि किसी भी सरकार के लिये स्पष्ट रूप से अच्छी खबर है वो ऐसी सरकार के लिये जिसने अपने कार्यकाल की शुरुआत से कर संग्रह में सुधार करने का अपना इरादा घोषित कर दिया हो।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार :-

1. वित्तीय वर्ष 2013–14 में यह संख्या 3–79 करोड़ थी जबकि 2017–18 में यह संख्या 6–85 करोड़ है।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में जीडीपी के अनुपात में प्रत्यक्ष कर बढ़कर 5–98 प्रतिशत हो गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है।

व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट करदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई औसत आय में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 लाख करोड़ रुप, से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष

की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) :–

वर्ष 1963 में 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (CBR Act, 1963) के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाओं का गठन किया गया था, जो निम्नलिखित हैं–

1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC)
3. ये दोनों ही संस्थाएँ 'सांविधिक निकाय' (Statutory Body) हैं।

CBDT प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ–साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों का प्रशासन करता है। वहीं CBEC भारत में सीमा शुल्क (Custom Duty), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), सेवा कर (Service Tax) तथा नारकोटिक्स (Narcotics) के प्रशासन के लिये उत्तरदायी नोडल एजेंसी है।

सरकार द्वारा कर में वृद्धि के लिये किये गए कुछ प्रमुख उपाय :-

कर अनुपालन में इस वृद्धि के लिये केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों को जिम्मेदार ठहराया गया है सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में आय के स्रोतों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, रिफंड में आसानी और अन्य कर अनुपालन लागत को कम करना शामिल है।

1. 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी की शुरुआत। इस नई कर व्यवस्था के तहत 17 केंद्रीय और राज्य करों को समाहित किया गया।
2. केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लिये गए तथा इस परिषद के अंतर्गत राज्य वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
3. ब्लैक मनी (अज्ञात विदेशी आय एवं संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 का कार्यान्वयन एवं प्रभाव।
4. करदाताओं द्वारा अपनी अज्ञात विदेशी संपत्ति की शोषण करने के लिये 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2015 तक का समय प्रदान किया गया, जिसके तहत एकल खिड़की के ज़रिये 640 से अधिक लोगों ने 4,100 करोड़ रुप, से अधिक की अज्ञात विदेशी संपत्ति की घोषणा की।
5. 2016 में आय घोषणा योजना (Income Declaration Scheme&IDS) के माध्यम से अज्ञात आय की घोषणा करने हेतु एकल खिड़की की सुविधा प्रदान की गई, विमुद्रीकरण के पश्चात् प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana&PMGKY) के अंतर्गत भी इसी का अनुसरण किया गया।
6. आईडीएस के तहत 71,000 से अधिक लोगों द्वारा 67,300 करोड़ रुप, की अज्ञात आय की घोषणा की गई, जबकि पीएमजीकेवाई के तहत लगभग 21,000 लोगों द्वारा तकरीबन 4,900 करोड़ रुप, की घोषणा की गई।
7. बेनामी लेन–देन (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन किया गया। इसके तहत 900 से अधिक संपत्तियों के मामलों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया।
8. 1 अप्रैल, 2017 से गार (General Anti&Avoidance Rules & GAAR) का कार्यान्वयन किया गया।
9. मॉरीशस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ग्रीमेंट (Double Taxation Avoidance Agreement & DTAA) में संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत को किसी मॉरीशियन टैक्स निवासी द्वारा अधिग्रहित भारतीय कंपनी के

शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर कर वसूलने का अधिकार दिया। यदि भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखना चाहता है तो वैश्विक कर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के दौरान भारत को कॉर्पोरेट कर दरों को कम करने के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष :-

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कर प्रबन्ध एक जटिल मुद्दा रहा है लेकिन अब सरकार के विभिन्न प्रयासों के बाद कर प्रणाली अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। सरकार को कर प्रबन्ध व्यवस्था को और सरल तथा सभी के लिये उपयोगी बनाने के साथ प्रत्यक्ष कर से होने वाली आय में वृद्धि के लिये इससे जुड़े सभी संबंधित पक्षों को अपने दायरे में शामिल करना चाहिये। वर्तमान संदर्भों और विविध आँकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से कर द्वारा एकत्रित राशि में प्रत्यक्ष कर को बढ़ाने के और प्रयास किये जा सकते हैं।

वर्तमान में देश में केवल 1–5 करोड लोग ही आयकर अदा करते है अतः नया सिस्टम द्वारा कर निर्धारण व वसूल करने पर आय कर दाताओं की मुश्किले होगी कम। बडे सुधार व अधिकार :– करदाता चार्टर और फेसलेस असेसमेन्ट की प्रक्रिया लागू।

टैक्स के लिये न इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत न किसी से मिलने की।

संदर्भ ग्रन्थ सूचि :-

1. कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
2. भारत की कर नीति– 2019
3. केन्द्रीय प्रवेश कर बोर्ड द्वारा जारी नीति – 2018, 2019
4. General Anti-Avoidance Rules-GAAR-2017
5. Income Tax बूलेटिन – 2017
6. Income Tax बूलेटिन – 2018
7. Income Tax बूलेटिन – 2019
8. प्रत्यक्ष कर नीति –2018, 2019

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 52-56

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

गाँधी दर्शन और हिन्दी सिनेमा

–राजेश कुमार राजन,

शोध छात्र, एसडीपीजी कॉलेज, गाजियाबाद
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

'गाँधी दर्शन' किसी नए दार्शनिक मतवाद का प्रतिफल नहीं है। यह उन विचारों का दार्शनिक आधार है जो महात्मा गाँधी के जीवन, उनके दृष्टिकोण तथा भविष्य के प्रति उनके चिन्तन पर आधृत है। गाँधी एक दृष्टि हैं और यही दृष्टि 'दर्शन' के रूप में कोटि–कोटि जनमानस का पथ–प्रदर्शक रही है जो सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह की चेतना को अपना अस्तित्व मानकर हमारे जीवन–अनुभवों को दैन्यदिन प्रवृतियों के साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।

भारत के द्वितीय राष्ट्रपति तथा महान दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महात्मा गाँधी को 'मानव जाति का तारक' बताते हुए, उनके विचारों और दृष्टिकोणों को दर्शन की परिधि में स्थान दिया।[1] 'गाँधी दर्शन' को हम सामाजिक व्यवस्था के उन विचारों से जोड़कर देख सकते हैं जहाँ मानवता अपना विकास कर रही है। यह 'सत्य' और 'अहिंसा' पर आधारित एक अवधारणा है जिसमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को एक व्यावहारिक विचार का हिस्सा बनाया गया है।

'गाँधी दर्शन', वस्तुतः सर्वमान्य बुद्धिवादी तत्वों का विवेचन है। यह मनुष्य को 'इंसान' बनाने की कवायद है। हिंसाग्रस्त वैश्विक वातावरण में यह एक नए विश्व निर्माण की संकल्पना है, जिसमें 'सत्याग्रह' को हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। गाँधीजी ने 'सत्याग्रह' का प्रयोग कर बड़ी–से–बड़ी शक्ति को नतमस्तक करने की जिस व्यापक चेतना को व्यावहारिक रूप में दृढ़ता प्रदान करने का सफल प्रयोग किया, वह आज भी 'सत्य' का साथ देने वाली जनसंख्या को 'आशा' की ज्योति प्रदान करने में सक्षम है।

महात्मा गाँधी को राजनीति और राजनीतिक दर्प को अपना सर्वस्व मानकर चल रहे सत्तापीठों की रणनीति का कटु अनुभव था। दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में उन्होंने उन सत्तापीठों की निरंकुश धारणा को भोगा था। उनके भीतर उन अप्रासंगिक प्रवृतियों के विरुद्ध रोष नहीं था, बल्कि उनका ध्यान उस शोषित जनमानस की ओर था जो किसी 'मसीहा' के आने का इंतजार कर रही थी। वह विश्वपुंज थे। उन्हें यह विश्वास था कि उनके तक 'वैश्विक सामंजस्य' के लिए उचित हैं। वह असंतुष्ट नहीं थे, बल्कि उन्हें संतोष इस बात का था कि वैश्विक स्तर पर शान्ति के लिए 'अहिंसा' को मानने वाली एक व हद जनसंख्या 'सत्य' की खोज में लगी थी।

गाँधीजी का मानना था कि लोग 'उदारता' और 'सहनशक्ति' को अपनाकर निरंकुश तथा अनियन्त्रित ताकतों को नियन्त्रित करने और उसे सद्मार्ग पर लाने में सक्षम हो सकते हैं। गाँधीजी मानते थे कि 'उदारता' और 'सहनशक्ति' के बिना 'सत्याग्रह' असम्भव है।

पाश्चात्य दार्शनिकों म्योरहेड, एल्डुअर हक्सले तथा हाकिंग ने गाँधीजी को धार्मिक, नैतिक तथा सामाजिक दार्शनिक माना है। उनकी दृष्टि में तत्व ज्ञान तथा ज्ञान–मीमांसा सभी शास्त्रों की बुनियाद है जिसे 'मानवीय अनुभववाद'

कहते हैं।[2]

'गाँधी दर्शन' इसी मानवीय अनुभववाद का अभिनव रूप है। शास्त्रीय दर्शन नहीं होते हुए भी 'मानवीय अनुभववाद' की उपस्थिति के कारण 'गाँधी दर्शन', दर्शन की मान्यताओं पर खरी उतरती है।

'गाँधी दर्शन' समाज में वैचारिक बदलाव को लेकर आगे बढ़ती है। यहाँ 'आत्मा' से अधिक 'अंतरात्मा' को महत्व मिला है। यहाँ 'आत्मा बुद्धि' से निर्देश प्राप्त करता है। गाँधी जी ने 'अंतरात्मा' और 'आत्म शुद्धि' पर बल दिया था। इस के लिए उन्होंने 'उपवास' को माध्यम बनाया। उपवास 'आत्म शुद्धि' को 'सामाजिक शुद्धि' तक ले जाने का श्रेष्ठतम अहिंसक मार्ग है।

गाँधीजी मानते थे कि मानव अनुभव पशुओं की पाशविकता से भिन्न है तो इसका कारण मनुष्य के भीतर अनुभव और ज्ञान के स्रोत का होना है। यह स्रोत 'बुद्धि', 'अन्तरात्मा' तथा 'शास्त्रीय अध्ययन' से सृजित है। इन प्रवृत्तियों से ही 'मानवीय ज्ञान' को प्रकाश प्राप्त होता है और वह 'दीप्ति' प्राप्त करता है। जीवन के निर्माण के साधन के रूप में गाँधीजी ने इस 'दीप्ति' को बार–बार उद्धत किया है। यही 'दीप्ति' हमारे आचरण का निर्माण करती है। आचरण से ही 'पुरुषार्थ' स्वरूप ग्रहण करता है। गाँधीजी के अनुसार, ''आदर्श के स्वतन्त्र रूप से जानकर चाहे वह कितना कठिन हो तथापि उसे प्राप्त करने का जी–जान से प्रयत्न करना 'परम अर्थ' है, यही 'पुरुषार्थ' है।''[3]

गाँधी दर्शन की एक गतिशील अवधारणा 'स्वदेशी' है। यह राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालती है। भारतीय स्वतन्त्र संघर्ष के दौरान पहली बार 'स्वदेशी' एक विचार के रूप में सामने आया बंगाल विभाजन (1905–11) के बीच यह राजनीतिक प्रतिरोध की प्रक्रिया थी। गाँधीजी ने भारत में 'स्वदेशी' की अवधारणा को विचार तथा दर्शन के रूप में स्थापित किया। 'स्वदेशी' को परिभाषित करते हुए गाँधीजी ने माना था कि आर्थिक क्षेत्र में उन्हें वस्तुओं के उपयोग को महत्व दिया जाए जो आस–पास में निर्मित होती है तथा उन विनिर्माणों को गुणवत्तापूर्ण बना कर सुधार और उपयोग में लाया जाए।

'स्वदेशी' का प्रयोग केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है। बल्कि यह एक नैतिक दिशा है जो 'आत्म प्रावधानीकरण' के साथ एक मानवीय समतावादी सामाजिक व्यवस्था का आधार बनता है। यह सामाजिक समरसता के साथ एकता, अखण्डता और बन्धुत्व की अवधारणा को अधिक व्यापक और विशिष्ट बनाता है।

गाँधीजी ने नागपुर में 23 फरवरी, 1935 को ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित करते हुए 'स्वदेशी' को मानव–दर्शन से जोड़ते हुए, इसे एक ऐसा सिद्धान्त बताया, जिसमें मानवता और प्रेम निहित है।[4]

गाँधीजी का मानना था कि स्वदेशी वैश्वीकरण के युग में व्यक्ति, समाज और समुदाय को एक विकल्प प्रदान करता है जो 'समतावाद' को पुष्ट करता है।

गाँधीजी एक आध्यात्मिक तथा नैतिक आदर्शवादी होने के साथ पाश्चात्य सभ्यता के यान्त्रिक एवं प्रौद्योगिकी पक्षों के आलोचक थे किन्तु गाँधीजी मैक्स वेबर के उस कथन का समर्थन करते नही दिखते जिसमें मैक्स वेबर ने आधुनिक युग की तकनीकी ताकिक दबाव को 'मानवीय स्वतन्त्रता की क्षीण संभावना' करार दिया था। गाँधीजी का आशावाद इस बात में निहित था कि उन्होंने 'तकनीकों पर विजय' और 'नैतिक पुनर्जागरण' को आने वाले युगों की मानवीय चेतना–दृष्टि का संभावित लक्ष्य निर्धारित किया था। प्रौद्योगिकी तथा राजनीति ढाँचे की जकड़ से पीड़ित मानवता की स्वतन्त्रता के लिए व्यावहारिक शुद्धि पर गाँधीजी का विशेष ध्यान था और यही उनका संदेश भी था।

'गाँधी दर्शन' की सामाजिक मान्यताओं का सन्दर्भ तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी स्पर्श करता है। ये हैं .

साम्प्रदायिक एकता, महिलाओं की भूमिका तथा दलितोद्धार। गाँधीजी के लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों में साम्प्रदायिक एकता तथा सद्शव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल हिन्दू–मुसलमानों के बीच एक एकता ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता की एकता के सन्दर्भ में है।

गाँधीजी का मानना था कि साम्प्रदायिक एकता न सिफ ऐतिहासिक अनिवार्यता है बल्कि एक सामाजिक जरूरत भी है। इस सामाजिक जरूरत को पूरा करना 'अहिंसा' और 'शान्ति' से सम्भव है। गाँधीजी के अनुसार, 'मैं ऐसी आशा नहीं करता हूँ कि मेरे सपनों को आदर्श भारत केवल एक धर्म का हो।' मैं चाहता हूँ कि यह पूर्णतः उदार और सहिष्णु बने और सब धर्म साथ–साथ चलते रहें।[5]

महात्मा गाँधी महिलाओं की भूमिका को लेकर स्पष्ट थे। वह महिला और पुरुष को समान मानते थे। उनके अनुसार महिला तथा पुरुष एक तरह की जिन्दगी जीते हैं और उनकी भावनाएँ भी एक समान है। वह महिलाओं और पुरुषों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों में एक–दूसरे को पूरक मानते थे तथा उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं को सशक्त करना समाज के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है।

दलितोद्धार, 'गाँधी दर्शन' का महत्वपूर्ण अवयव है।

गाँधीजी दलितों को उत्थान धार्मिक और नैतिक दृष्टि से करना चाहते थे। वह सवर्ण–अवर्ण के भेद को समाप्त कर सभी जातियों को 'राष्ट्रीय एकता' की धारा में सामंजस्य के साथ आगे ले जाने की प्रक्रिया को अपने क्रियाकलापों का केन्द्र मानते थे।

गाँधी दर्शन का सामाजिक, राजनीतिक, राजनीति तथा आर्थिक समत्व रंगभेद, जातिवाद और अस्पृश्यता से पृथक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व की स्थापना का मूल बिन्दु है। गाँधीजी ने लिखा था ''अस्पृश्यता हिन्दू धर्म के सुन्दर उपवन में उग आया अवांछित खर–पतवार है, जो इस प्रकार फैलती जा रही है कि इसके कारण इस उपवन के सुन्दर फूलों के मुरझाने का खतरा पैदा हो गया है।''[6]

गाँधीजी के इन भाव–विचारों, दृष्टियों अवलोकनों तथा सिद्धान्तों, जिसे समग्र रूप से 'गाँधी दर्शन' कहा जाता है, ने जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित किया है। भारतीय समाज का हर पक्ष 'गाँधी दर्शन' के विविध प्रवृतियों से प्रभावित हुआ है। हिन्दी सिनेमा इनमें एक है जिसमें 'गाँधी दर्शन' का अत्यधिक प्रभाव ग्रहण किया है।

सिनेमा रचनात्मक तथा लोकप्रिय माध्यम है। यह प्रतिबिम्बों का निर्माण करता है तथा प्रतीकों को ढालता है। तकनीक और कला का संगम बन कर 'सिनेमा' आधुनिक युग का अवलम्ब बन चुका है। यह कोटिशः मनुष्यों तक उसी रूप में पहुँचता है, जिस रूप में उसका निर्माण हुआ है। विश्व संस्कृति की धारणा को सिनेमा ने प्रभावित किया हैं।

सिनेमा एक स्वतन्त्र कला है और कई कलाएँ इसमें अंतर्भूत होती हैं। सिनेमा संवाद का सशक्त माध्यम है। यह मनोरंजन के साथ सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक विमर्श का एक विस्तृत पहलू है जिसकी धड़कनें दूर तक सुनाई देती है। गाँधीजी के भारतीय राजनीति का 'पुच्छल तारा' बनने के दौरान ही हिन्दी फिल्में अपने बाल्यावस्था की ओर बढ़ रही थी। गाँधीजी फिल्मों को पसंद नहीं करते थे। फिल्मों को पसंद नहीं करने का कारण इसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकी थी। यह संयोग ही है कि जिस चरित्र ने गाँधीजी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, वही भारत में बनने वाली पहली फिल्म 'राजा हरिशचन्द्र' का नायक था। वर्ष 1913 में हिन्दी की पहली फिल्म 'राजा हरिशचन्द्र' का निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया।

गाँधीजी कला को महत्व देते थे पर उन्हीं कलाओं के प्रति उनकी धारणा संवेदनात्मक थी जो मानवीय दुर्बलताओं

की नियन्त्रित करने में सक्षम हो। हिन्दी सिनेमा के विकास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है स्वतन्त्रता पूर्व तथा स्वतन्त्रता पश्चात की हिन्दी फिल्में। स्वतन्त्रता पूर्व की हिन्दी फिल्मों पर 'गाँधी दर्शन' का प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखता है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान गाँधीजी के विचारों को प्रत्यक्ष प्रभाव उस समय बनने वाली फिल्मों पर दिखता है।

वर्ष 1921 में 'भक्त विदुर' फिल्म का निर्माण हुआ। यह एक मूक फिल्म थी। इस फिल्म के नायक की संवेदनाओं पर 'गाँधी दर्शन' का प्रभाव अत्यधिक था। ब्रिटिश शासन ने 'भक्त विदुर' फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाया था जो इस बात की पुष्टि करता है कि 'गाँधी के विचार' किसी भी रूप में तत्कालीन सत्ता के लिए चिंतास्पद तथा भयभीत करने वाले थे।

वर्ष 1936 में 'धरती माँ' रिलीज हुई। यह एक सवाक फिल्म थी जो महात्मा गाँधी के चरित्र को वैचारिक प्रवृतियों के साथ प्रकाशित करने में सफल रही थी। स्वतन्त्रता के बाद रिलीज हुई फिल्मों पर 'गाँधी दर्शन' का प्रभाव नए रूप में सामने आया। यहाँ 'गाँधी दर्शन' संघर्ष का एक रूप बन गया। मनोज कुमार तथा चेतन आनन्द की राष्ट्रभक्ति से ओत–प्रोत फिल्मों में 'नायक' की जीत को प्रशस्त करने वाला प्रमुख कारक 'गाँधी दर्शन' ही था। हिन्दी सिनेमा में 'हृदय परिवर्तन' की चेतना का प्रसार गाँधीजी के विचारों से ही प्रभवित था।

'गाँधी दर्शन' तथा 'गाँधीवाद' को स्पष्ट छवियों के बावजूद हिन्दी सिनेमा में 'महात्मा गाँधी' को नायकत्व प्रदान करने की क्षमता तथा विश्वास का सृजन फिल्मकारों में नहीं हुआ। गाँधी लम्बे समय तक फिल्मों में 'नायक' के रूप में स्वीकार नहीं किए गए। यह शक्ति और विश्वास ब्रिटिश फिल्मकार रिचर्ड एटनबरो में देखने को मिला। रिचर्ड एटनबरो को 'गाँधी' फिल्म बनाने के लिए मोतीलाल कोठारी ने प्रोत्साहित किया। गाँधीजी को नायकत्व प्रदान करने वाली एक मात्र फिल्म का निर्माण वर्ष 1982 में किया गया, जो गाँधीजी का बायोपिक कहा जा सकता है। 'गाँधी' फिल्म एक और महत्वपूर्ण तथ्य के लिए जाना जाता है। गाँधी की भूमिका एक ब्रिटिश अभिनेता बेन किंग्सले ने निभाई जो हिन्दी फिल्म जगत के लिए एक चुनौती ही थी। 'गाँधी' फिल्म के उपरान्त विभिन्न फिल्मों में गाँधीजी के चरित्र को अभिनीत करने का प्रयास भारतीय अभिनेताओं द्वारा किया गया किन्तु वह अधिक प्रभावी नहीं दिखे।

'स्कूल ऑफ ऑरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज' (यूनिवर्सिटी ऑफ लन्दन) के 'इण्डियन क्ल्चर्स एण्ड सिनेमा' विभाग की प्रोफेसर रेशल ड्वायर द्वारा गाँधी तथा हिन्दी सिनेमा पर किए गए अपने अनुसंधान में इस बात पर गौर किया गया है कि हिन्दी फिल्मों को या तो गम्भीरता से नहीं लिया गया अथवा उनके सामने गाँधी की छवि को उभारने वाली दृष्टि विकसित नहीं हो सकी है।

वर्ष 2007 में 'गाँधी माई फादर' फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक फिरोज अब्बास खान हैं। फिलम में महात्मा गाँधी तथा उनके पुत्र हरिलाल के सम्बन्धों को दर्शाया गया है किन्तु निर्देशक ने कुछ दृश्यों को उसी प्रकार फिल्माया जैसा रिचर्ड एटनबरो की 'गाँधी' फिल्म में प्रस्तुत किया गया था।

हाल के वर्षों में गाँधी तथा गाँधी दर्शन को केन्द्र में रखकर कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया गया है। राजकुमार हिरानी की फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' वर्ष 2006 में रिलीज हुई। यह एक कामेडी फिल्म थी। इसमें गाँधीजी की प्रतिच्छवि को दर्शाया गया था। इस फिल्म में गाँधीजी मनुष्य से अधिक एक मिथक के रूप में थे। गाँधीजी से अधिक उनके विचार फिल्म की 'स्टोरी' को प्रभावित कर रहे थे।

रेशल ड्वायर ने अपने निबन्ध 'द केस ऑफ द मिसिंग महात्मा : गाँधी एण्ड द हिन्दी सिनेमा' में 'लगे रहो मुन्ना भाई' फिल्म की चर्चा करते हुए लिखा है :–

''यह एक राजनीतिक गाँधी नहीं हैं बल्कि यहाँ वह गाँधी हैं जो 'अन्तरात्मा' और 'नैतिकता' के पथ–प्रदर्शक हैं।''[7]

'लगे रहो मुन्ना भाई' के अतिरिक्त 'द मेकिंग ऑफ महात्मा' (श्याम बेनेगल) तथा 'मैने गाँधी को नहीं मारा' (जोन्हू बरुआ) जैसी फिल्मों के माध्यम से 'गाँधी दर्शन' को लघु सूत्र के साथ ही सही किन्तु सफलता पूर्वक व्याख्यायित किया गया है। 'हिंसा' और 'घृणा' के माहौल में 'अहिंसा' और 'सत्य' को प्रश्रय देने वाला अवलम्ब एक ही है जो हमारे पास बचा है, वह है 'गाँधी दर्शन'। समाज को गाँधी से अधिक गाँधी दर्शन की आवश्यकता है। यही सामाजिक एकता, न्याय और अखण्डता का संदेश दे सकता है। गाँधी के विचारों और चेतना को कोटि पीड़ितों–शोषितों तक पहुँचाने में 'सिनेमा' अपनी भूमिका निभा रहा है।

चिन्ता की बात यह है कि अपने विस्तार के बावजूद हिन्दी सिनेमा गाँधी के विचारों की गहराई को आत्मसात कराने में धारदार नहीं दिखता जबकि इसे भारतीय समाज की प्रगति के लिए ऐसा करना चाहिए। दर्शकों तक गाँधी दर्शन को पहुँचाने का उत्तरदायित्व अनिवार्य तौर पर हिन्दी सिनेमा का है क्योंकि फिल्मों का समाज पर प्रभाव 'निर्विवाद' है।

हिन्दी सिनेमा सफल है या नहीं यह इसी बात पर निर्भर करेगा कि उसने 'बदलाव' का पक्ष लिया है या नहीं। वस्तुतः 'गाँधी दर्शन', 'बदलाव' का प्रकाश–स्तम्भ है।

संदर्भ ग्रंथों की सूची :-

1. गाँधी का दर्शन, संगमलाल पाण्डेय, दर्शनपीठ (इलाहाबाद) प्रकाशन वर्ष 1985 पृष्ठ संख्या–38
2. दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, एमके गाँधी; नवजीवन, पृष्ठ संख्या 29
3. हिन्दू धर्म, महात्मा गाँधी, साहित्य मण्डल (नई दिल्ली) पृष्ठ संख्या 25
4. माइण्ड ऑफ महात्मा गाँधी, प्रभु एवं राव (सम्पादक), नवजीवन 1968
5. मेरे सपनों का भारत, महात्मा गाँधी (नवजीवन–अहमदाबाद) प्रकाशन वर्ष–2004 पृष्ठ संख्या 257
6. मोहनदास करमचन्द गाँधी सम्पूर्ण वांड.मय भाग–64 (1976) पृष्ठ संख्या–273
7. The Case of the missing Mahatma : Gandhi and the Hindi Cinema, Rachel Dwyyer — www.researcaghte.net

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 57-61

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

'सपनों की होम डिलिवरी' में रूढ़िमुक्त नारी

–डॉ. नीरजा.वी.एस

सहायक आचार्या, हिंदी विभाग, एनएमएसएम सरकारी कॉलेज कल्पेट्टा
वयनाड, केरला (कालिकट विश्वविद्यालय)

भूमिका :–

प्राचीनकाल में भारत में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया था। उसे तोड़ना आसान नहीं था। आज हम देख सकते हैं शिक्षा के प्रचार–प्रसार के कारण एवं नारी की सजगता और अस्मिता बोध के कारण दाम्पत्य संबंधों में बड़ा बदलाव आ गया है। पति और पत्नी दोनों किसी भी प्रकार का कोई दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। दाम्पत्य जीवन की नींव आपसी वि श्वास पर टिकी हुई रहती है। यह रिश्ता संवेदनशील होने के कारण आसानी से इसमें दरार पड़ जाती है। ममता कालिया के 'सपनों की होम डिलीवरी' काल और समय के अनुसार बदलते रिश्तों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास की नायिका रुचि असफल विवाह से निकलकर अस्मिता की पहचान कर लेती है। नायक सर्वेश पुरुष सत्तात्मक मानसिकता के विरोध करने वाला, नारी की अस्मिता और व्यक्तित्व को सहजता से स्वीकारने वाला व्यक्ति है। रुचि के पूर्व पति प्रभाकर रुचि में कुल वधू वाले रूप ढूँढ़ते हैं। उपन्यास में प्रभाकर की पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता मुखरित हुई है। नारी विमर्श पर आधारित इस उपन्यास में पारिवारिक विघटन और तलाक का बच्चों पर प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है।

समाज में नारी का स्थान स्वयं सिद्ध बात है। मानव जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष नारी ही है। वह पुरुष के जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करती रहती है। भारतीयों की दार्शनिक परंपरा भी नारी को प्रकृति के रूप में मानती है। फिर भी लिंग, कर्तव्य और जाति के आधार पर उसे हमेशा सामाजिक दबाव में रखा गया। सदियों से नारी की स्थिति शोचनीय रही है। नारी अपने जीवन में पुत्री, बहन, माँ, पत्नी आदि अनेक रूपों इतनी भूमिकाएँ निभाती हैं जिन में उसकी स्वतंत्र छवि लुप्त सी हो जाती हैं। समाज द्वारा तय की गयी मान्यताओं के अनुसार इन भूमिकाओं को निभाते वह भूल जाति हैं कि वह एक मानव भी हैं।

हिंदी साहित्य के प्रत्येक कालखंड में नारी की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। हिंदी उपन्यासों में जो नारीवादी परंपरा प्राप्त होती है वह आकस्मिक या नारीवाद से प्रेरित नहीं है। उपन्यासों में जो नारी चरित्र प्राप्त होते हैं उनका विकास प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य से होता आया है। उपन्यासों के आरंभिक युग में बाल विवाह, विधवाओं की दशा, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि के प्रति आक्रोश की भावना प्राप्त होती है। लेकिन उनमें नारी अस्तित्व की भावना का अभाव था। बाद में मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद आदि के प्रभाव के कारण उपन्यासों में नारी की मानसिकता में होने वाले उतार–चढ़ाव आदि को चित्रित किया है।

लेकिन भूमंडलीकरण के बाद देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। इससे संसार के बदलने का रफ्तार बढ गई। भूमंडलीकरण से उत्पन्न उपभोक्तावाद, बाजारवाद एवं मीडिया संस्कार भारतीय जीवन में भी बदलाव लाए। भूमंडलीकरण से उत्पन्न मुक्त बाजार के नाम पर फैला उपभोक्तावाद हमें मानवीयता से अलग कर दिया। इससे रिश्तों में ढीलापन आया। इन सामाजिक समस्याओं घिनौने यथार्थ को परखते हुए अनेक लेखिकाओं ने तूलिका चलायी।

वर्तमान समय का एक प्रगतिशील साहित्यिक विचार है नारी विमर्श। नारी को स्वयं की पहचान कराना नारी विमर्श का उद्देश है। नारी विमर्श, नारी विषयक सोच को जनता तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। नारीवादी सिद्धांतों का पूर्ण रूप से साहित्य के माध्यम से लिपिबद्ध करना इसका उद्देश्य नहीं है। डॉ. राजेंद्र कुमार के शब्दों में'स्त्री विमर्श पुरुष विरोधी नहींहै लेकिन एक प्रकार की मानसिकता बनाये रखने में पुरुष मानसिकता, सहयोग कर रही है तो वहाँ खिलाफत तोहमें करनी ही होगी। स्त्री विमर्श उस अहम विषमता के विरुद्ध है जो स्त्री पुरुष की भिन्नता के नाम पर बनाई जा रही है।'[1]

समकालीन लेखिकाओं ने नारी विमर्श के साथ–साथ उत्तर आधुनिक विसंगतियाँ, दलित विमर्श, राजनीतिक विसंगतियाँ, मूल्यों का विघटन, आदिवासी विमर्श, पारिस्थितिक विमर्श, व्यवस्था विरोध, सांप्रदायिकता एवं आतंकवाद आदि विषयों को लेकर बोल्ड किस्म की रचनाएं की। इन लेखिकाओं ने बंधे–बंधाए परंपरागत शैली को छोड़कर नए–नए शैलियों को अपनाने का साहस किया है। इस तरह से आगे चलकर महिला लेखन को मान्यता मिलने लगी। इस समय की लेखिकाओं में ममता कालिया, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अल्पना मिश्र, चित्रा मुदगल, राजी सेठ आदि प्रमुख है। इनमें ममता कालिया जी को हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान है।

'सपनों की होम डिलिवरी' में रूढ़िमुक्त नारी :–

हिंदी उपन्यास के परिदृश्य पर कालिया की उपस्थिति सातवें दशक से निरंतर बनी हुई है। परिवर्तनशील भारतीय समाज का सजीव चित्र उनके उपन्यासों में दिखाई देता है। साहित्य की सभी विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक एवं कविता में प्रकाशित पुस्तकें इनकी तूलिका की देन है। ममता जी के 13 कहानी संग्रह, 9, उपन्यास, 3 कविता संग्रह, 2 एकांकी संग्रह और 8 से अधिक संपादित पुस्तकें निकल चुकी हैं। 'बेघर', 'नर कदर नरक', 'प्रेम कहानी', 'लड़कियां' 'एक पत्नी के नोट्स, 'दौड़', 'अंधेरा का ताला', 'दुक्खम– सुक्खम', 'सपनों की होम डिलिवरी' आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। ममता जी ने आधुनिक नारी की मनःस्थिति, पारिवारिक जीवन में पति–पत्नी के सम्बन्ध आदि विषयों को लेकर रचनाएँ की हैं। ममता जी ने अधिकांश उपन्यासों में अपने अस्तित्व के प्रति सचेत नारियों स्थान दिया है।

'सपनों की होम डिलीवरी' ममता जी का अंतिम प्रकाशित उपन्यास है। यह उपन्यास नए जमाने में करवट बदलते रिश्तो को केंद्र में रखकर लिखा गया है। 95 पन्नों वाला यह छोटा उपन्यास रुचि शर्मा नामक पाककला और व्यंजन विशेषज्ञा की कहानी है। पत्र–पत्रिकाओं में पाककला संबंधी रुचि के लेख नियमित रूप से छपते थे और दो चौनलों पर सुरुचि और स्वाद नाम से दो कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। रुची इस बात से खुद विस्मित थी कि उनके कार्यक्रमों में ऐसा क्या है इनकी टीआरपीए ग्रेड कार्यक्रम से टक्कर लेती थी। पैसा उस पर बरस रहा था और आयकर की राशि हर साल बढ़ रही थी। लेकिन रुचि मन ही मन दुःखी थी क्योंकि उसका जीवन मशीनी बनता जा रहा था। इसका कारण रुचि के पारिवारिक जीवन की विसंगतियाँ थी।

परिवार सिर्फ एक संस्था नहीं है वह एक भावात्मक इकाई है जिसमें भविष्य का स्वरूप निर्धारित होता है। नारी

और पुरुष दोनों के पारिवारिक स्नेहपूर्ण सहयोग से परिवार का निर्माण होता है। पारिवारिक जीवन सहिष्णुता और सामंजस्य की मांग करता है जिसमें पति और पत्नी दोनों की बराबर की हिस्सेदारी अनिवार्य है परिवार का केंद्र हमेशा नारी ही है महादेवी वर्मा ने नारी की भूमिका स्पष्ट करते हुए लिखा है 'पुरुष का जीवन संघर्ष से प्राप्त होता है स्त्री का आत्म समर्पण से। पारिवारिक जीवन में भावात्मक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अतः जो नारी इन भावात्मक संबंधों में संतुष्ट नहीं होती, वे अपने उत्तरदायित्व से मुँह मोड़कर परिवार के संबंधों में अपने अस्तित्व की तलाश के लिए संघर्ष करती है।'[2]

रुचि का विवाह दादा–दादी के दबाव में आकर जब वह एम.ए पढ़ रही थी तब प्रभाकर शर्मा नामक व्यक्ति से कर दिया जाता है। रुचि को विवाह के पश्चात पता चलता है कि उसका पति आवारा किस्म का आदमी है जो शराब और दोस्तों में अपना सारा दिन बर्बाद कर देता है। प्रभाकर रुचि की भावनाओं को न समझने वाले, पत्नी की अपेक्षाओं को नजर अंदाज करने वाले, पत्नी को सिर्फ काम पूर्ति का उपकरण मानने वाले व्यक्ति थे। प्रभाकर के लिए सिर्फ शादी का मतलब शरीर था।

उन दोनों का इकलौता बेटा गगन बचपन से ही उदण्ड था 'जब रुचि उसे काबू में करने की कोशिश करती थी तब प्रभाकर उसे डाँटता था और गगन पूरी तरह पापाज बोय बन गया। बेटे गगन को सिगरेट पिलाना, शराब देना, नौकराईन को बलात्कार करना आदि प्रभाकर के लिए मामूली बात थी। रुचि पहले पहल सब कुछ चुपचाप सह लेती है, जब उसे लगता है कि वह ज्यादा दिन ऐसे माहौल में नहीं रह पायेगी तो वह अपने पति से तलाक लेकर अलग रहने लगती है। रुचि ने गगन को भी प्रभाकर के पास छोड़ दिया क्योंकि प्रभाकर का दिया हुआ कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं थी। कई महीने भटकने के बाद उन्हें टीवी चौनल पर पहला शो करने का प्रस्ताव मिला। आज वह चालीस साल की सफल कामकाजी महिला है, देश की मशहूर पाक कला विशेषज्ञ है जिन्हें खुद कमाया एक बीएच के फ्लैट और पैसे है। ममता कालिया के अधिकांश उपन्यासों में विवाह सम्बन्धी रूढ़ीधारणा को खंडन किया है। ममता के नारी पात्रों ने विवाह जैसे संबंध में स्वयं निर्णय लेने में सक्षमता दर्शायी।

रुचि के जीवन का दूसरा चरण तब शुरू होता जे जब सर्वेश नारंग नामक खोजी पत्रकार उनके कार्यक्रम में मेहमान बनकर आते हैं। उन दोनों का परिचय पहले दोस्ती में, फिर प्रेम में फिर विवाह में परिणित होता है। सर्वेश भी तलाकशुदा और एक बेटे के बाप थे। तीन साल पहले सर्वेश भी अपनी पत्नी से मुक्त हो चुका था। रुचि ने बहुत सोचने के बाद दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया था। उन्हें नया साथी चुनने में कोई वैधानिक बाधान हीं था और रुचि इसे गलत भी नहीं मानती थी। क्योंकि शोहरत और शाबाशी के बावजूद रुचि के मन में एक सन्नाटा था, पुरुष सानिध्य की प्रतीक्षा थी। सर्वेश रुचि से साथ रहने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन वह उसका तिरस्कार करती है। रुचि के विचार में 'पहली शादी की लाख कड़वाहट रही हो रुचि के जीवन में, वह फिर भी बिना शादी के सर्वेश के साथ सह जीवन के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगता सहजीवन एक नितांत अस्थायी अस्थिर और असंगत अनुबंध है जिसमें पुरुष से ज्यादा स्त्री का नुकसान है। फिर सह जीवन को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने में अभी भी वक्त था। रुचि को लगता, ऐसा निर्णय उसकी छवि को धक्का पहुंचाएगा।'[3] रुचि नहीं चाहती थी कि उसे लेकर भूली बिसरे दास्तानें लोगों के सामने आयें क्योंकि उसकी छवि एक परिवार प्रेमी प्रफुल्लचित्त गृहिणी की थी।

लेकिन वह सर्वेश को खोना भी नहीं चाहती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद रुचि को लगा चालीस साल में उन्होंने खूब काम किया, नाम और धन का मय पर मोहबत के खाते में एक अंडा पाया है। इसलिए सर्वेश के नशीले

बेटे अंश के मृत्यु का बाद उन्होंने दो मित्रों की उपस्थिति में नोटरी से अपनी विवाह की रजिस्ट्री करवाई। सर्वेश ने शादी के बाद रुचि से कहा– 'रिची हम एक –दूसरे के पंद्रह अगस्त बनेंगे। तुम मेरी छब्बीस जनवरी, मैं तुम्हारा पंद्रह अगस्त। हम एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे जिसमें खूब खुलापन हो। तुम अपना काम करती रहो, मैं अपना काम करता रहूँ।'[4]

दूसरे विवाह के समझदार सम्बन्ध में रुचि और सर्वेश ने एक नूतन प्रणाली अपनाया था। दोनों के अलग–अलग बैंक अकाउंट थे और कोई किसी के आय–व्यय में हस्तक्षेप न करता था। सबसे बड़ी आजादी इस बात की थी कि रुचि जब अपने घर जाकर रहना चाहे, काम करना चाहे उसे पूरी छूट थी। पारम्परिक विवाह में लोकतंत्र की संभावना कठिन थी हर पति के इच्छा रहते हैं कि वह अपनी पत्नी के सम्पूर्ण जीवन को संचालित करें, सुबह से रात तक के नक्शा तैयार करें। सर्वेश इसके विरुद्ध थे और रुचि यह गुलामी मानने वाली भी नहीं थी। समय में आये परिवर्तन के साथ नारी को देखने में पुरुष के दृष्टिकोण में बदलाव आज हम देख सकते हैं। पुरुष के इस बदले हुए नजरिये के फलस्वरूप नारी को समानता का दर्जा प्रदान करने को पुरुष तैयार होते हैं। रुचि दूसरी शादी में बहुत खुश थी क्योंकि सर्वेश के मन में पत्नी की छवि एक समर्पित, सहनशील अनुगामिनी की नहीं थी।

नारी के कई रूपों में सबसे महत्वपूर्ण रूप माता का है, वह भी ममतामयी रूप। रुचि इससे भिन्न थी। बिगड़ैल बेटे को पति के पास छोड़कर मायके चली रुचि परंपरागत ममतामयी आदर्श माँ नहीं थी। जब गगन को लेकर उसके और सर्वेश के बीच दरार आये तब वह गगन को घर से निकाल देती है। बच्चों के लिए जीवनभर रो–रोकर सब कुछ सहने वाली माँ से, बच्चे के परवरिश की जिम्मेदार खुद को समझने वाली माँ से रुचि की रूढ़ि मुक्त माँ का रूप नितांत भिन्न है।

शादी के बाद रुचि की समस्या यह थी कि वह गगन सम्बन्धी अपनी चिंता सर्वेश से बाँट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने सर्वेश को यह बताया नहीं कि उसका एक बेटा है जो पूर्व पति के साथ रह रहे हैं। नारी में ममताया वात्सल्य की भावना स्वाभाविक है कई कारणवश नारी में ममता का भाव कभी–कभी कम हो जाता है. इसके पीछे कई कारण होते हैं रुचि के मन में गगन के प्रति प्यार है तो भी प्रभाकर की वजह से कभी–कभी वह गुस्सैली हो जाती थी, गगन पर हाथ उठाती थी। रुचि को इस बात पर जरा भी पछतावा नहीं गगन को चोट पहुँचाना उनके लिए प्रभाकर बदला लेने का एक तरीका था।

रसोई रुचि के लिए महत्वहीन चीज थी। टेलीविजन की मशहूर पाक कला विशेषज्ञ घर में खुद के लिए खाना नहीं बनाती थी। उसके विचार में हिंदुस्तानी औरत की गुलामी की नींव रसोईघर है। विवाह की वजह से उनकी उच्च शिक्षा बर्बाद हो गयी। इसलिए उसे कलम की जगह कर छुल से जीविका कमानी पड़ी। 'रुचि के पास गृह विंज्ञान या अतिथि कला की कोई डिग्री नहीं थी। माता–पिता के घर खाना बनाते उसे रसोई कला आ गयी। प्रस्तुतीकरण का कौशल उसने विदेशी चैनलों पर कुकरीशो देखकर सीखा।'[5] ममता जब उसके बेटे गगन दस साल बाद उसके साथ रहने के लिए आते हैं तब वह फिर से घर में खाना बनाना शुरू कर देती है। परम्परागत सामंती समाज में नारी की भूमिका रसोई और बिस्तर तक सीमित थी। रुचि उन आधुनिक रूढ़िमुक्त नारी का प्रतीक है जो इन बंधनों से छुटकारा पाना जरूरी समझती है।

ममता जी के 'सपनों की होम डिलीवरी' उपन्यास में परम्परागत जीवन मूल्यों और आधुनिक जीवन मूल्यों के बीच संघर्षरत रुचि शर्मा की मानसिकता का चित्रण हुआ है। एक ओर रुचि सर्वेश के साथ सहजीवन के लिए तैयार नहीं होती है तो दूसरी ओर विवाह पूर्व उसके साथ यौन सम्बन्ध रख लेती है। तलाकशुदा रुचि के बहिरंग व्यक्तित्व बोल्ड है तो भी उसके मन में भयंकर असुरक्षा बोध है।

नारी के प्रति ममता जी का दृष्टिकोण विस्तृत है। वे नारी को पुरूष की प्रतिस्पर्धा नहीं मानती, बल्कि वह स्वयं एक स्वतंत्र व्यक्ति है और इसी स्थिति में उसे समाज में अपना स्थान प्राप्त करना है। उनका लेखन का उद्देश एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना है जो पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान न हो। परिवार में स्त्री पुरूष। एक दूसरे के प्रति स्नेह, आदर, सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक परिवार की नींव हँसी खुशी भरा माहौल है। परिवार की रूढ़िगत नीतियों में घर की चारदीवारों में कैद रुचि शर्मा की मानसिक उलझनों की प्रमाण देती इस उपन्यास की नायिका रुचि शर्मा अपने स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। नारी हमेशा स्वयं को पुरुष की आँख से देखती आयी है। जब उसने खुद को खुद की आंखों से देखने की कोशिश की है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है तब से नारी को देखने की पुरुष दृष्टि कोण में बदलाव आया। पुरुष के बदले हुए नजरिया नारी को समानता का दर्जा प्रदान करने पक्ष में है।

उपसंहार :-

'सपनों की होम डिलीवरी' नारी प्रधान उपन्यास है। सामाजिक, वैवाहिक, पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का उल्लेख इसमें किया है। इस उपन्यास में ममता जी ने पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया है। उपन्यास में पति–पत्नी संबंध या पारिवारिक विघटन को मीडिया किस प्रकार विज्ञापन का नया साम्राज्य बना देता है, इस पर भी विचार किया गया है। ममता जी ने इसमें अपनी संवेदनशील दृष्टिकोण से नारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। ममता जी की रचनाएँ समसामयिक सन्दर्भ से जुडी हुई है और साथ ही साथ अपने समाज की सही पहचान भी कराती है। यह उपन्यास शुरू से लेकर अंतत कपठनीय है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. राजेंद्र कुमार, सं. कल्पना वर्मा, 2019, स्त्री विमर्श : विविध पहलू लोक भारती प्रकाशन, पृ सं 15
2. महादेवी वर्मा, 1964, श्रृंखला की कड़ियाँ, लोक भारती प्रकाशन, पृ. सं 38
3. ममता कालिया, 2016, सपनों की होम डिलीवरी, लोक भारती प्रकाशन, पृ. सं. 54, 55
4. ममता कालिया, 2016, सपनों की होम डिलीवरी, लोक भारती प्रकाशन, पृ. सं. 58–59
5. ममता कालिया, 2016, सपनों की होम डिलीवरी, लोक भारती प्रकाशन, पृ. सं. 21

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 62-66

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

मानव मूल्य और संत साहित्य

–डॉ. सिन्धु सुमन

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार

मानव–समाज अपने उत्कर्ष हेतु जिन गुणों को सामूहिक स्वीकृति प्रदान करता है, उसे मानव मूल्य के रूप में जाना जाता है। इसकी परिधि में दया, करूणा, ममता, सहयोग, समानता, प्रेम, भ्रातृत्व भाव आदि सद्‌गुणों का समावेश होता है। डॉ. धर्मवीर भारती ने लिखा है ''मानवीय मूल्य विराट मानव जीवन की अगणित शिराओं में संचारित होते रहता है जहाँ भी यह रक्त प्रवाह रूका वहीं अंग पक्षाघात से आहत होकर सूख जाता है। बेकाम हो जाता है।''[1] जिस समाज की जैसी अवस्था होती है, उन मानवीय गुणों का विकास भी तद्‌नुसार होता है और उसका प्रतिबिम्ब उस समाज के साहित्य में प्रतिबिम्बित होता है।

स्पष्ट है कि जीवन के मूल्यों से काव्य के मूल्यों को विलग नहीं किया जा सकता। नाना भेद–विभेदों में घिरा आज का आकुल पाठक साहित्य के निकट, संज्ञा को मूर्च्छित करने वाले शीतल लेप के लिए नहीं, राख में दबी आत्मा के प्रकाश को पाने के लि, जाता है। 'चक्रवाल' में भावी कविता के स्वरूप पर विचार करते हुए दिनकर ने लिखा हैः ''अगला युग विचारक कवियों का युग होगा, क्योंकि विचारों के कविता का विषय बनने में कोई दोष नहीं है और तर्क भी जब उत्तम कोटि का होता है, तब उसके भीतर से आग धधक उठती है, जो कविता की आग है, एक प्रकार का प्रकाश बल उठता है, जो कल्पना से खिलने वाला प्रकाश है। और, इस प्रकाश के भीतर से सत्य बौद्धिक धारण बनकर नहीं, बल्कि, 'विजन' या अनुभूति के रूप में ही प्रकट होता है।'' अन्य धाराओं की कविता की तुलना में संतकाव्य इस धारणा के अधिक निकट हैं। आने वाले युग व मन्त्र कविता सन्त–काव्य का ही परिष्कृत रूप है जिसका रचयिता तुक्कड़ न होकर साधक और सन्त होगा। कविता में मंत्र की शक्ति केवल विचारों की चट्टान को तोड़ने से नहीं आयेगी उसके लिए उसके रचयिता को 'कथनी छाड़ि करनी करौ' तक आना होगा। ऐसी कविता वाणी का विलास नहीं, सम्पूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। जो विचार–बीज रचयाति की जीवन–भूमि के अनुकूल नहीं पड़ा, वह पराई मिट्टी में क्या पनपेगा। दादू ने ठीक ही कहा है :–

घीव दूध में रमि रहया, व्यापक सबही ठौर।
दादू बकता बहुत हैं, मथि काढै ते और।।

सन्त वैज्ञानिक की तरह जागरूक प्रयोगकर्त्ता थे, संसार–रूपी प्रयोगशाला में अनुभवरूपी यंत्र के सहारे आत्मज्ञान–रूपी सत्य को प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। आज का विचारक जब यह चिल्लाता है कि साहित्य विज्ञान की भूमि की उपेक्षा नहीं कर सकता, तब संतों की वैज्ञानिक जैसी जिज्ञासु वृत्ति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। सत्य अनुभव–सापेक्ष है और वह (वैज्ञानिक की तरह) सन्त की दृष्टि में सर्वोपरि है :

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हिरदे साँच है, ता हिरदे गुरू आप।।

'मुण्डकोपनिषद् भी सत्य को सर्वोपरि मानकर कहती हैः सत्यमेव जयते नानृतम्।

सन्त–वाणी जय और अनृत के क्षय का ही उद्घोष करती है। इस परिपूर्ण दृष्टि के कारण ही सन्त–साहित्य जीवन का सम्पूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, केवल खण्ड–सत्य की अभिव्यक्ति नहीं। संतों ने न तो जीवन से पलायन का भाव व्यक्त किया है, न उसकी उपेक्षा। भगवान को खोजने के लिए मंदिर–मस्जिद और तीर्थ में जाना पाखण्ड है, तो जंगल में जाना भी अनावश्यक है। तो आवश्यक है 'आपा' को चीन्हना। सन्त इसकी साधना के लि, किसी जटिल प्रक्रिया में पड़ने की बजाय सहज मार्ग की साधना पर बल देते हैं। इस भावना के कारण ही सन्त–साहित्य में साधनापूत वाणी का तेज है। इस ऊँचाई तक पहुँचने पर ही कविता मन्त्र हो जाती है, लेकिन यह मात्र वाणी नहीं, 'रहनी' की स्थिति है। सन्त–साहित्य इसी स्थिति की अभिव्यक्ति है। अतः इसी दृष्टि से उसका मूल्यांकन उचित होगा।[2]

कबीर के पहले, अश्वघोष से लेकर सरहपा तक की वाणी वर्णाश्रमवाद का प्रखर विरोध करती है। कबीर और उनके समकालीन संतों को विरोध की इस परंपरा का बल विरासत में मिला, साथ ही जन्मगत भेदभाव, धर्मसत्ता के एक और रूप–इस्लाम से भी उनका पाला पड़ा। इन लोगों ने किसी एक तरह के नहीं, हर तरह के मानवधिकार–विरोधी तर्क का प्रतिवाद किया। जन्माधारित भेदभाव के किसी रूप को कोई रणनैतिक कंसेशन कबीर जैसे विचारक नहीं देते। ''जो तू बांभन बांभनी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया'' जिस पंक्ति में कहते हैं, उसकी अगली पंक्ति में कबीर यह भी कहते हैं – ''जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतरि खतना क्यूं न कराया।'' बात, कबीर के अनुसार यही है कि कोई मनुष्य न हिन्दू होने के कारण हीन है, न मुसलमान होने के कारण। हीन (कबीर का शब्द है – 'मद्धिम') यदि कोई है तो नैतिक कारणों से ही है। कबीर की नैतिक रहनि का प्रतिमान सब जानते ही हैं – राम। सो, ''कहे कबीर मद्धिम नहीं कोई, सो मद्धिम जा मुख राम न होई।''

मुख में राम का होना, कबीर के अनुसार, निश्छल और समतापरका जीवन जीने का, 'समता की वस्तु' की खोज का, उसके लिए संघर्ष का रूपक है। छुआछूत मानने वालों के सामने कबीर तिलमिला देने वाले सवाल तो रखते ही है याद भी दिलाते हैं कि बुनियादी छूत माया की ही है। जो मायामुक्ता हो चुका है, वही छुआछूत से मुक्त होने की बातें करे – ''कहहिं कबीर ते छूति विविर्जत जिनके संग न माया।''[3] बात केवल कबीर की नहीं, सारी निर्गुण संवेदना की है। जन्माधारित मूल्यांकन का विरोध करते इन संतों के लिए भक्ति उच्चतर जाति पुरोहितों या योद्धाओं की नहीं, निर्मल चित्त साधकों– 'हरिजनों'– की है।

संत कवियों में हिन्दू समाज की वर्ण और वर्ग व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश का भाव है वह केवल जातीय या धार्मिक दमन का ही परिणाम नहीं है बल्कि एक भुक्तभोगी का सच्चे हृदय से निकला हुआ वास्तविक उद्गार है।[4] इन संतों ने मनुष्यों की एकता को उद्घोषित करना चाहा। इस नवोत्थित भक्ति रंग में सम्मिलत होकर हिन्दू समाज में प्रचलित इस भेदभाव के विरूद्ध भी आवाज उठाई गयी। रामानंद जी ने सबके लिए भक्ति का मार्ग खोलकर उसको प्रोत्साहित किया। नामदेव दरजी, रैदास चमार, दादू धुनिया, कबीर जुलाहा आदि समाज की नीची श्रेणी के ही थे, परन्तु उनका नाम आज तक आदर से लिया जाता है। वर्ण भेद में उत्पन्न उच्चता और नीचता को ही नहीं, वर्ग–भेद से उत्पन्न उच्चता–नीचता को भी दूर करने का इस निर्गुण भक्ति ने प्रयत्न किया। स्त्रियों का पद स्त्री होने के कारण नीचा न रह पाया। पुरूषों के ही समान वे भी भक्ति की अधिकारिणी हुई। रामानंद जी के शिष्यों में से दो स्त्रियाँ थीं, एक पद्मावती

और दूसरी सुरसरी।[5] दिखावटी धर्म से विद्रोह और वास्तविक धर्म के प्रचार का क्रांतिकारी पहलू यह था कि उसने मध्ययुग के मनुष्य को आत्म–प्रतिष्ठा, आत्म–सम्मान और आत्म–विश्वास दिया और मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सीखाया।[6] उनकी शिक्षा थी :– ''केवल सत्य ही स्वाभाविक है। अपने हृदय में सत्य को खोजो क्योंकि बाह्य धार्मिक आडंबरों में कहीं सत्य नहीं है। सत्य प्रेम में, शक्ति में और प्राणियों के प्रति दया में प्रकट होता है। घृणा पर विजय प्राप्त करो, समस्त मानव जाति के लिए अपने हृदय का प्रेम उंडेल दो, क्योंकि सभी प्राणियों में ईश्वर है।''[7]

संतों का व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में संवेदनशील था। उनका मानस स्वच्छ और उदार था इसलिए उनका साहित्य जन–भावनाओं की सहज प्रवृत्तियों, परिस्थितियों, विकृतियों और विडंबनाओं का विशाल शब्दचित्र है। संत साहित्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का लेखा–जोखा मात्र न होकर, तत्कालीन जन–जीवन का प्रतिबिम्ब है। उस युग बोध एवं युग संतों ने अपने समय के मानव–समाज को दोषमुक्त कर परिष्कृत बनाने की चेष्टा की है। उनकी रचनाओं में मावन की शुद्रता, सीमाओं, स्वार्थपरता, असत्यप्रियता, संकीर्णता, अर्थलोलुपता आदि का चित्रण, विवेचन और विश्लेषण हुआ है। सामाजिक असंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, बहुदेवोपासना, मूर्तिभंजन आदि समस्याओं की अभिव्यक्ति और उनका निदान भी हमें संत काव्य में मिलता है। इसमें संदेह नहीं है कि सन्त कवि अपने समय के समाज के सच्चे प्रहरी थे। सामाजिक स्तर पर इन संतों ने पाखंड एवं अंधविश्वासों का पूरी दृढ़ता के साथ खंडन किया। मिथ्या आडंबरों के प्रति जैसी अनास्था इन संत कवियों ने व्यक्त की, वैसी न तो पहले कभी कोई समाज–सुधारक कर सका था और न परवर्ती युग में ही किसी का वैसा साहस हो सका। इन संत कवियों का एक बड़ा भाग निम्न वर्ग से सम्बन्ध रखता था, किन्तु आचरण की पवित्रता और आचरित सत्य की प्रतिष्ठा के कारण इनकी वाणी का प्रभाव समाज के उच्च वर्ग पर भी पड़ा था। निर्गुण संतों के द्वारा तत्कालीन समाज में एक प्रकार की वैचारिक क्रांति का उदय हुआ और परम्परागत रूढ़िवादिता पर इन्होंने गहरा प्रहार किया।

संत कवियों के पास धर्म, दर्शन, भक्ति और चरित्र–निर्माण के लिए अपना निजी, संदेश था। धर्म के क्षेत्र में संकीर्णता के ये घोर विरोधी थे, दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत–दृष्टि से एकेश्वरवाद के समर्थक थे और चरित्र विकास के लिए आचरित सत्य को जीवन–निर्माण की कसौटी मानते थे।

निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी संतों ने बड़ी ही निर्भीकता से जात–पाति, मूर्ति–पूजा, तीर्थाटन, हिंसा, उपवास, रोजा, नमाज पढ़ना, तिलक लगाना, दाढ़ी बढ़ाना, कंठी फेरना, काशी करवट लेना आदि बाह्याडंबरों और लोकाचार संबंधी कुरीतियों का विरोध किया। हिंसा पर तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए कबीर ने कहा –

बकरी मुरगा किन कुरमाया। जिसके हुकुम तुम छुरी चलाया।
दरद न जाने पीर कहावै। बैता पढ़ि–पढ़ि जग समुझावै।।

इसी प्रकार वे हिंदूओं की आलोचना करते हुए यही मत व्यक्त करते हैं –

तीरथ गये ते बहि मुये, जुड़े पानी न्हाय।
कह कबीर संतों सुनों, राक्षस यै पछिताय।।

इसके अतिरिक्त 'पाहन पूजै हरि मिले, तो मैं पूजूँ पहाड़', 'दढ़िया बढाय जोगी होई' गइले बकरा, एवं 'संतों पांडे निपुन कसाई' आदि कहकर कथित ढोंगी मुल्लाओं, पंडितों और साधुओं की जड़ता का भी अत्यंत निर्ममता के साथ उपहास करते हैं।

संत भक्तों ने जाति–पाति का विरोध करते हुए ज्ञानियों को सर्वोपरि बताया। इन संतों ने भक्ति का मार्ग सबके

लिए खोल दिया फलस्वरूप निम्न जाति के लोगों में भी आत्म–सम्मान की भावना जाग उठी। उन्होंने स्पष्ट शोषण की–

जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान।।

इन ज्ञानी संतों ने अपने उपदेशों और कटु व्यंग्यों के जरिए समाज का एकत्रीकरण तथा समन्वयकरण करने की कोशिश की। शुद्रों, अंत्यजों और मुसलमानों के बीच से रूढ़ियों के सड़े–गले जम्बाल जाल को काटते हुए, भक्ति के सहज–निर्मल प्रवाह में अवगाहन करती हुई और उपेक्षितों, पीड़ितों और पददलितों की जनम–जनम की आकांक्षा को फलवती करती हुई संतों की – अंत्यज, शुद्र और मुसलमान संतों की, ऐसी पंक्ति की पंक्ति सामने आई, अब तक के सांस्कृतिक जीवन के इतिहास में जिसकी मिसाल नहीं है।[8]

कबीर, नानक, दादू, हरिदास निरंजनी आद संतों ने जिस रूप में अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका आधार कोई एक विचारधारा या मतवाद नहीं। अद्वैतवाद, वैष्णवों की भक्ति–भावना, सिद्धों–नाथों की सहज–सरल साधना आदि का जिस पद्धति से इन्होंने समन्वय किया था, वह सर्वजन सुलभ थी, फलतः सामाजिक स्तर पर इनका समन्वय ग्राह्य बन गया था।

संतों ने शास्त्र–वचन को प्रमाण नहीं माना। शास्त्र अनुभूति को प्रमाण मानने से शास्त्र मर्यादा भी शिथिल हो गयी। मानव को परंपरागत रूढ़ि शास्त्र–परंपरा से मुक्ति केवल इन्हीं निर्गुण संत कवियों की आत्मानुभवमयी दृढ़ वाणी से ही मिली थी। तत्कालीन समाज को सुक्रृंखलित बनाने के लिए अंतियों का निरसन युक्ति युक्त था। यही संतों द्वारा हुआ। समाज में उभरती एक अव्यक्त सत्यता का आग्रह उनकी वाणी में उतर आया। जिसमें जोर था और उसमें थी एक तिलमिला देने वाली शक्ति। वे तो बेलाग बोलते थे –

पढ़िवा कौन कुमति तुम लागे, तू राम न जनहि अभागे।
वेद, पुरान पढ़त अस पाड़े, गुन खर चंदन जस भारा।
राम नाम तत समझत नाहीं, अन्ति पड़े मुख छारा।।

कबीर स्वीकारते हैं – हम मूर्ख लोग कीचड़ समान हैं – कीचड़–कीचड़ में सहज ही मेल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ज्ञान, योग, भक्ति, उपासना – इन सबसे उपर मानव–प्रेम को स्थान दिया, जिसमें रत होकर साधक सर्वत्र प्रेममयी सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। सब के सब सार्वभौम मानवता के गायक थे, सद्‌गुण के प्रशंसक, सर्वात्मवादी नियामक और भावत्मक मानववाद के निर्मम कठोर प्रशिक्षक थे। यत्र–तत्र ज्ञान योग रहस्य की जो भी चर्चा की जाती रही हो, वेद–शास्त्र आदि का नाम भी लिया जाता रहा हो, पर सबने वेद–शास्त्र, तीर्थ–व्रत, कुरान–नमाज, मंदिर–मस्जिद, अवतार–पैगम्बर से कतरा कर प्रेम का राग अलापा है, गुणगान किया है – क्योंकि यही वह एक तत्व है जिसकी मानव–समाज में, हर युग में सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है।[9]

इस तरह संत साहित्य धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक–संस्कृतिक परंपराओं का अंधानुशरण न कर वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध, क्रोध–लोभ–मोह–हिंसा आदि की निन्दा सदाचारादि गुणों की प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता के निषेध, आत्मानुभूति की प्रामाणिकत आदि पर बल देता है।

सचमुच, अपने समय में कबीर ने परंपरा से चले आते हुए बहुत कुछ को अस्वीकार किया था। आचार्य द्विवेदी ने यह बहुत सही लिखा है कि कबीर अपने समय में अस्वीकार का बहुत बड़ा साहस लेकर सामने आए थे। इस बिंदु पर व्यवस्था और उसके प्रभुओं की सोच के समानांतर चलती हुई–अस्वीकार, असहमति, 'डिसेण्ट' या 'प्रोटेस्ट' की एक

दूसरी परंपरा से उन्होंने अपने को जोड़ा था। कविताई के सारे आयामों पर तो नहीं, किन्तु उसके एक आयाम पर पूर्ववर्ती सिद्धों और नाथों की तरह उनकी कविता भी असहमति की, डिसेण्ट या प्रोटेस्ट की कविता है। यह असहमति या प्रोटेस्ट की कविता है। यह असहमति या प्रोटेस्ट ही कबीर और उनकी कविता को समय का एक लंबा अंतराल पार करते हुए हमारे अपने समय से जोड़ती है, उसे समकालीन बनाती है, कबीर को हमारा हमसफर, इस बिंदु पर मार्गदर्शक भी। इसी बिंदु पर वह उन्हें आधुनिक भी बनाती है। जरूरी है कि ग्रहण और त्याग के अपने विवेक की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए हम कबीर और उनकी कविता के इस पहलू को अपनी निगाह के दायरे में रखें।[10]

कबीर की कविता की जो सामाजिक अंतर्वस्तु है, उसमें विषमातामूलक चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता और उसे बरकरार रखने वाली शक्तियों की भेदभाव दृष्टि, अपनी समूची त्रासद परिणतियों के साथ मूर्त्त हुई है। निर्गुण संतों की इस खरी पहचान को 'डाईल्यूट' करना उसे हाशिए पर डालना, एक ज्वलंत सच्चाई को हाशिए पर डालना होगा।[11]

स्पष्टतः संत साहित्य मानव–मूल्य का अज्र स्रोत है। इसका प्रयोजन त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित, उत्पीड़ित मानव समाज को परिज्ञान प्रदान कर उनका कल्याण करना है। संत साहित्य अपनी सरलता, जीवन दर्शन की गंभीरता और तत्वबोध के कारण अत्यंत प्रभावशाली तो है ही, यह वह प्रकाश–स्तंभ है जो निराशा, प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के अंधकार में भटकते हुए मानव–समाज को शताब्दियों से प्रकाशित कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा।

संदर्भ सूची :-

1. डॉ. धर्मवीर भारती, ''मानव मूल्य और साहित्य'' पृष्ठ–134
2. प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद, ''साहित्य का मूल्यांकन'', बिहार–राष्ट्रभाषा–परिषद्, पटना–4 प्रथम संस्करण : 2000, पृष्ठ–171
3. पुरूषोत्तम अग्रवाल, ''अकथ कहानी प्रेम की'', राजकमल प्रकाशन, पहली आवृति : 2013, पृष्ठ–353–354
4. त्रिभुवन सिंह, ''साहित्यिक निबंध'', नया संसार प्रेस, वाराणसी, द्वितीय संस्करण : 1976, पृष्ठ–90
5. श्यामसुंदर दास, ''कबीर–ग्रन्थावल'', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पुनर्मुद्रण : 2014, पृष्ठ–13–14
6. अली सरदार जाफ़री ''कबीर बानी'', राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, तीसरी आवृति : 2012, पृष्ठ–26
7. के. दामोदरन, ''भारतीय चिन्तन परम्परा'', पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लि. नई दिल्ली, पृष्ठ–318
8. हरीशचंद्र अग्रवाल, ''कबीर का महत्व'', सुमित प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण : 2001, पृष्ठ–15
9. कामेश्वर शर्मा, ''बोध और व्याख्या'', नोवेल्टी एण्ड कम्पनी, पटना–4, पृष्ठ–133–134
10. शिव कुमार मिश्र, ''भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य'', अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण : 2005, पृष्ठ–79
11. वही, पुष्ठ–81

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 67-69

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

शिक्षा का व्यवसायीकरण : वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में

–डॉ. श्रीमती सुनीला एक्का

सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

''शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं, ताकि वे उसका संरक्षण कर सकें और यदि संभव हो तो उन्नति भी कर सकें''

''विद्या ददाति विनियम अर्थात् विद्या ही विनम्रता की कुंजी है।''

विद्या धन एक ऐसी पूंजी है जो बांटने से बढ़ती है, विद्यार्जन करने से न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, अपितु विद्यार्जन हमारे भविष्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण सीढ़ी है।

वैश्विक स्तर पर देश आज विभिन्न क्षेत्रों में अग्रसर हो रहा है, इनमें कुछ क्षेत्रों में हमने अभूतपूर्व उन्नति कर विश्व ने अपना लोहा मनवाया है। अन्तरिक्ष विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कला एवं साहित्य के क्षेत्र इसका जीवन्त उदाहरण है। परन्तु दूसरी ओर देश शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ रहा है। भारत वर्ष में गुरू शिष्य का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। गुरूकुल में जहाँ एक ओर गुरू अपने शिष्यों को भावी जीवन के लिए हर दृष्टिकोण से तैयार करते थे, वहीं दूसरी ओर शिष्य भी अपने गुरू के प्रति आदर व सम्मान का उच्च उदाहरण प्रस्तुत करते थे। परन्तु वर्तमान में शिक्षकों द्वारा शिष्यों का विभिन्न प्रकार से शोषण करने अथवा शिष्यों द्वारा शिक्षकों के अपमान की घटनाएँ एक आम बात हो गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके दो कारण दिखाई पड़ते हैं। पहला–शिक्षा का व्यावसायीकरण तथा दूसरा–दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली।

शिक्षा का व्यावसायीकरण : वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में :–

शिक्षा के क्षेत्र में राजनैतिक हस्तक्षेप एवं सरकारी तंत्र में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इसे जड़विहीन बनाते जा रहा है, यहाँ तक कि पंचायतों में प्राथमिक पाठशाला में मिलने वाला मुफ्त भोजन में भी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। विधायक तथा सांसद निधि के दुरूपयोग के मामले भी प्रकाश में आए हैं। पर्याप्त बजट निर्धारित होने पर भी विद्यार्थियों को पीने के पानी तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, जो कि बेहद दुखदपूर्ण है।

व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक प्रवृत्तियों का इस प्रकार से समावेश हो कि वह ऐसे सम्पूर्ण मानव में विकसित हो सके, जिसमें मानवता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के आधार मूल्यों को ग्रहण कर सामाजिक व पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता तथा शक्ति हो। व्यक्ति में चिंतन, विश्लेषण व तर्क बुद्धि की शक्ति तथा विद्वता की प्रवृत्ति विकसित हो। व्यक्ति अपने अभिरूचि, कौशल व समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप आजीविका के उपयुक्त हो, तभी हम सही मायनों में शिक्षित कहलाने योग्य होंगे।

कोई भी देश तभी सम्पन्न हो सकता है, जब उस देश की जनसंख्या साक्षर हो, हालाकि सम्पन्न होने के लिए

साक्षरता के अतिरिक्त और कई कारण भी होते हैं, लेकिन बिना शिक्षा के किसी भी देश की, राज्य की, यहाँ तक कि परिवार की प्रगति संभव नहीं है। कहा भी गया है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति मनुष्य रूप से रहते हुए भी पशु के समान होता है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिमार्जन करती है व सभ्यता व संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है।

हर माता–पिता की यह इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापरक शिक्षा दिलवाये और यही सोचकर माता–पिता अपना पेट काटकर रूपये बचाकर अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलवाते है, लेकिन आज देश की शिखा पद्धति से खिलवाड़ किया जा रहा है और सभी मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं। कोई भी विरोध में मुँह नहीं खोलता है। सन् 1998 से शिक्षा का व्यापारीकरण भारत में बडे बाजार के रूप में उभरकर सामने आया है। देश के कोने–कोने में खुले शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन् केवल धन प्राप्त करने का साधन के रूप में देखा जाता है। इन शिक्षण संस्थानों में ना तो गुणवत्ता वाले शिक्षक और न ही वह पद्धति अपनाई जाती है जो भारत को पूरी दुनियाँ से अलग करती थी। आज इन संस्थानों में बड़ी और भव्य इमारतें तो हैं, परन्तु गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं है जो छात्रों को मिलनी चाहिये। शिक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के अपने से भी मूल्यों में गिरावट आ गई। देश में शिक्षा का व्यापार बन गई है। सन् 2015 तक उच्चशिक्षा का बाजार लगभग 15 बिलियन डालर तक पहुँच गया है। विदेशी कंपनियाँ भारत की अर्थव्यवस्था को देखकर सिर्फ अपने लाभ के लिए निवेश कर रही है, ना कि यहाँ के युवाओं की, क्योंकि सन् 2030 तक देश के युवाओं की आबादी बढ़कर 220 मिलियन हो जायेगी और युवाओं की इस बड़ी आबादी को शिक्षा चाहिए, जिस बाजार को देखकर अभी से ये शिक्षण विदेशी शिक्षण संस्थायें भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रही है। इन्हें गुणवत्ता की फिक्र नहीं, इन्हें तो अपना लाभ चाहिए।

आज की शिक्षा का स्वरूप ही व्यवसाय है। विद्यालय व महाविद्यालय हर जगह केवल शिक्षा व्यवसायवाद का ही रूप धारण कर रही है। डोनेशन या चन्दे के बिना कोई काम नहीं होता। साक्षात्कार के बहाने विद्यार्थियों को कई प्रकार की सुविधाओं का लालच देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। शिक्षा के नाम पर डिग्रियाँ बेची जा जा रही है।

शिक्षा की भूमिका बदल रही है। शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। शिक्षा का अर्थ बदल रहा है और अपने चारों तरफ देखिए अचानक कोटा शहर मशहूर हो गया है, कभी भी कोटा कोई महान शैक्षिक शहर नहीं था, लेकिन ये एक राष्ट्रीय स्तर का केन्द्र बन चुका है। जहाँ लोग अपने खर्च पर आकर रहते हैं और यह सीखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पास हुआ जाता है। हम इसे शिखा की दुकान कहते हैं। किस तरह कि शिक्षा की मांग है और क्या करें। इसी तरह की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है।

निष्कर्ष :–

मनुष्य क्यों वापस शिक्षा की ओर मुखातिब होता है। मनुष्य शिक्षित पैदा नहीं हुआ, यदि मनुष्य वैसा पैदा नहीं हुआ होता जैसे कि वह पैदा हुआ है। शिक्षा की समस्या होती ही नहीं उसको भाषा सिखानी पड़ती है, उसको चलन सिखाना होता है, घुटनों के बल चलना सिखाना पड़ता है, कपड़े पहनना सिखाना होता है। हम शिक्षा के इस हिस्से को भूल जाते हैं। जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो हम उसे बहुत ही संकीर्ण दायरे में रख देते हैं। जैसे कि शिक्षा सिर्फ विश्वविद्यालय कॉलेजों या फिर स्कूलों में ही होती हो। जैसे कि इनसे बाहर कोई शिक्षा होती ही नहीं है। वास्तविक शिक्षा बच्चे के स्कूल व कॉलेज जाने से पहले ही शुरू हो जाती है। सीखना जीवन की कला है। जीवन को सार्थक बनाने की

कला है। शिक्षा जीवन के लिये है, जीने के लिये सार्थक रूप से जीने के लिये है।

शिक्षा सदा पूजनीय है। शिक्षा के बढ़ते व्यापार को खत्म कर शिक्षा से दलाली खत्म करनी होगी और यह तभी होगा, जब हम इस व्यव्था के विरूद्ध अपनी चुप्पी तोड़कर आवाज उठायेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर इस बुराई को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिये हमें स्वयं जागृत होना पड़ेगा व सभी को जागृत करना पड़ेगा।

संदर्भ-ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा डॉ. एन.के.–''अधिगम का मनो–सामाजिक आधार एवं शिक्षण''–2007–के.एस. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स
2. शर्मा डी. एल.–''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा'' आर–लाल बुक डिपो, मेरठ
3. राजेश–''शिक्षा का व्यापारीकर.ा कब तक''–2011

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 70-74

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में चित्रित ग्रामीण परिदृश्य : कल और आज

–डॉ. प्रवीण देशमुख

हिंदी विभाग–प्रमुख तथा सहयोगी प्राध्यापक

गुलाम नबी आजाद कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय बार्शीटाकली, जिला– अकोला महाराष्ट्र–444401

सारांश :–

आज हम देखते हैं कि, वैश्विक स्तर पर परिस्थिति पूरी तरह से प्रभावित होकर बदल चुकी है, लगभग पूरा विश्व ही आज हमें ऐसे मोड़ पर दिखाई देता है, जहां वह अपने आप को बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। बेबस और लाचार सा प्रतीत होता है। निम्न, मध्य तथा उच्च स्तरीय सभी तरह के लोग इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। लाखों की तादाद में आज एक कोरोना वायरस से मृत्युमुखी पड़ चुके हैं तो करोड़ो लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जिंदगी और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहें है। आज वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण, निजीकरण के दौर में किसी ने नहीं सोचा था कि, इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा यह भी खासा प्रभावित हुआ और सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ है, तो इस देश का किसान, मजदूर एवं आम आदमी अधिक प्रभावित हुए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि भारत में अलग–अलग राज्यों में फैले हुये मजदूर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। सरकार पूरी तरह से अपनी ओर से जनता के साथ इस जंग में खड़ी हुई दिखाई देती है। पहले के हालात और आज के हालातों में काफी अंतर आया हुआ है।

कूंजी शब्द :– किसान की स्थिति, ग्रामीण परिवेश, बदलता हुआ परिवेश और उससे प्रभावित किसान।

प्रस्तावना :–

आज का दौर वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण का दौर रहा है। 21वीं सदी के संदर्भ में शुरू से ही हम सुनते, कहते आ रहे हैं कि आज का दौर वैश्वीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण का दौर है। इस दौर में अधिकांशतः बाजारीकरण का अधिपत्य बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, और यह भी कहा जाता है कि, हमारे बीच की नजदीकियाँ बढ़ गई, तो दूसरी और हम यह भी देखते हैं की, रिश्तों में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देती है। आज आए हुए इस महामारी कोविड–19 कोरोना ने पूरे विश्व की नींव की जड़े हिला कर रख दी है। जहाँ तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर की बाते चरम सीमा पर थी वहां कुछ रुकावटें तो आ ही गई है। इस महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हो चुकी है। मेरा यह शोध पत्र श्वैश्वीकरण के दौर में साहित्य में चित्रित ग्रामीण परिदृश्यरू कल और आजश है। इस विषय को लिखने के पीछे मेरी मंशा यही रही है कि, वैसे तो समूचे मानव समाज ही नहीं तो बल्कि, जीवित सभी प्रकार के जीव काफी प्रभावित हुए हैं। मैं स्वयं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता हूं इसलिए मैं भली –भांति ग्रामीण दशा व दिशा से परिचित हू। पूरी तरह से परिस्थिति से अवगत हूं। आज के इस महामारी से ग्रामीण परिवेश की जड़े पूरी तरह से हिल चुकी है, जिसमें किसान, मजदूर, छोटे–मोटे काम करने वाले सभी इससे परेशानी में आ गए हैं। इस महामारी से विश्व में ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरह से तहस–नहस होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि, इस महामारी से भी उभरकर निकलेंगे।

सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से इस समस्या से जूझ रही है। हमें आवश्यकता हैं, उनके द्वारा दिये जाने वाली सूचनाओं का पालन करना।

शोध के उद्देश 1. भारतीय अर्थव्यवस्था में किसान के स्थिति का अध्ययन करना।

2. किसान की कल और आज के हालातों का अध्ययन करना।
3. उसके विकास में आने वाली बाधाओं का अध्ययन कर उसे दूर करने की आवश्यकताओ पर प्रकाश डालना।

विषय विश्लेषण : प्रस्तुत शोध में किसान से जुड़े बिंदुओं के माध्यम से प्रकाश डालना।

किसान की स्थिति :-

यदि हम किसान की बात करें तो देखते हैं कि, किसान के हालातों में उसके कल और आज में बदलाव आया है। मानव समाज के शुरू में खेती का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं था यह हम भली–भांति जानते थे। परिचित है। इसकी शुरुआत धीरे–धीरे खाद्य भाव को दूर करने के प्रयास में फल–स्वरूप हम खेती को विस्तारित होते हुए देखते हैं, यदि हम कृषि से संबंधित गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि देश में मानव सभ्यता ने कृषि के रूप में युगान्तकारी परिवर्तन किया है। जैसे –''जमीन गहरी जुतने के कारण धरती की उत्पादन क्षमता का पता चला इससे उसका जीवन ही बदल गया जंगली पौधों की भी खाने की दृष्टी से घर में लगाया जाने लगा। उसकी पुरानी किस्मों में सुधार किया गया और नई किस्में पैदा की गई।''[1] इतना तो हम स्वीकृत करते हैं कि 'आवश्यकता' आविष्कार की जननी होती है। शायद इसी से कृषि में निरंतर आगे बढ़ते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में भी विश्व में ख्याति प्राप्त है। यहाँ का किसान अपनी पूरी ईमानदारी मेहनत लगन और जद्दोजहद से खेती करता है और खेती से प्राप्त फसल से अपना तथा अपने परिवार का लालन –पालन करता है जैसे–

आदि कृषक भारतवासी
कृषि प्रधान सभ्यता देश की
हुई तुम्हीं से उत्पादित।[2]

अर्थात हमारे लिए कृषि का महत्व अधिक है। किसान और उसके लिए किसानी उसकी आत्मा है। यदि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भावनाओं की अभिव्यक्ति करण की लालसा में ही काव्य, साहित्य को जन्म दिया। और साहित्य समाज से जुड़ा होने के कारण समाज के यथा संभव सभी घटकों को अपने साहित्यिक दृष्टि से रखने का प्रयास रहता है। कृषि का हर एक आयाम अपने आप में अपने अंदर एक नवचेतना, एक स्पंदन एक जीवंतता लिए हुए रहता है। श्रम, लगन ईमानदारी, दृढ़ता, कर्मठता, संगठन आदि परिष्कृत मूल्य विकसित होते हुए एक परंपरा प्राप्त हुई। भारतीय समाज एवं सभ्यता में किसान मजदूर अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। साधारण गांव में भी कृषि कार्य होता था, जो आज भी होता है, वही जीवन जीने का मुख्य आधार था। जैसे– 'वर्ण व्यवस्था ग्राम की एक अलिखित पर संविधान जैसी व्यवस्था थी। मानों व्यक्ति स्वतंत्र न होकर वर्ण व्यवस्था, पंचायत तथा समाज के अधीन था। व्यक्ति पर परिवार का शासन था और वह पारिवारिक संबंध तथा ग्राम संचालन के एक टुकड़े, कलपुर्जे की तरह जीता था। इसी व्यवस्था के कारण ऊंच–नीच के भेदभाव, छुआछूत, खानपान आदि के कठोर नियंत्रण थे। परिस्थितियों के कारण मनुष्य और भी पराधीन हो चुका था। इस दायरे के बाहर जीने का वह सोच ही नहीं सकता था। समाज में जो उच्च कूल वर्ग के थे, वे ऊंचे ही थे, वंशगत उन्हें लाभ मिलते थे और नीच माने जाते थे, उनमें चाहे कितनी शक्ति हो, क्षमता हो, उन्हें नींच ही माने जाते थे। समाज की यह असमान व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या थी।'[3]

किंतु आज हम यह कह सकते हैं कि संविधान ने सभी को समानता में रखा है।

ग्रामीण परिवेश :-

किसान अपनी मेहनत से खेती में फसल का निर्माण करता है, जिसके लिए वह जद्दोजहद से कड़ी मेहनत करता

है। उसके बाद भी जब उसे उसके फसल के उचित मूल्य नहीं मिलते तो निश्चित ही उसमें निराशा, हताशा आना स्वाभाविकता है। जगदीश चंद्र द्वारा लिखित 'धरती धन न अपना' उपन्यास में मूल सामाजिक जीवन के वर्ग संघर्ष को तथा कृषि जीवन की समस्याओं पर गहराई से चिंतन–मनन कर मजदूरों की समस्या को प्रमुखता देकर उपन्यास की कथा को समक्ष रखने का प्रयास हुआ है। डॉक्टर चंद्रभानु सोनवणे के मतानुसार 'मजदूर बिगड़ जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है।'[4] कहने का तात्पर्य है कि मजदूर खेती में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए किसानी करते समय मजदूरों को साथ में लेकर करनी होती है, और होते हुए हम देखते हैं। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य केंद्रबिंदु है। आज हम देखते हैं कि किसान तथा मजदूर किस तरह से परेशान और दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई देते हैं –केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता की ये पंक्तियां यहां दृष्टिगोचर है–

मेरे गांव में भी अकाल पड़ा है
और मैं कुछ न कर सका
न किसी का पेट भर सका
ना जीने का सहारा दे सका। [5]

कभी–कभी फसल अच्छी हो जाती है तो उसके उचित मूल्य नहीं मिल पाता, तो कभी कभी बारिश न होने से फसल निर्माण होने में दिक्कत आती है, तो कभी–कभी फसल निर्माण हो जाती है उसे अच्छा मूल्य भी मिल जाता है किंतु उसके बावजूद भी उतना नहीं मिल पाता। किसान के सामने एक समस्या नहीं बल्कि समस्याओं का अंबार खड़ा है। फिर भी वह डटकर उनका सामना करता हैं। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 'सागर' नामक रचना में जीवन रूपी सागर के अस्तित्व की अथाह जल राशि का द्वन्द्व केदारनाथ अग्रवाल जी की यह रचना अपने आप में ग्रामीण चित्र को अभिव्यक्ति देती है। अधीर होना, दहाड़ना, अपनी मानसिक गहराई को मथना, टूटना, उठना–गिरना, बिखरना यह सब सामाजिक संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। जैसे –

जूझता है
अपने ही अस्तित्व की अथाह जल राशि से
दोलायित द्वन्द्व के अनंत मोरचे पर
निरंतर लगा...। [6]

ग्रामीण परिवेश में किसानी या उससे सम्बंधित क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपने जीवन की अभिव्यक्ति में समाज अपना योगदान भली–भांति देते हैं। कभी अकाल, कभी सूखा तो कभी इतनी अधिक वर्षा का होना जिससे किसान की व्यवस्था की जड़ें हिल जाती है। मैंने एक सामाजिक उपन्यास 'कसौटी' उपन्यास लिखने का छोटा सा प्रयास किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को उपस्थित कर उसमें उनकी यथा संभव स्थिति को स्पष्ट एवं उजागर करने का प्रयास किया। उसमें योगेश एक किसान की भूमिका निभाते हुए वर्षा के लिए चित्रित दिखाई पड़ता है। वह अपने पड़ोसी राजाराम से व्यथा को व्यक्त करते हुए कहता है,– गर्मी के चार महीने बड़े मुश्किल से कट गये। क्योंकि सूरज की सवेरे से श्याम तक ऐसी गर्मी की सॉस लेना मुश्किल हो जाता था। घर के अंदर की गर्मी के कारण दम घुट जाता था। इसमें बिजली नहीं होती थी, कम से कम बिजली है तो पंखे की हवा ले सकते है, किंतु उससे भी वंचित रहना पड़ता था। आदमी ऊब जाता हैं ऐसे हालातों।[7]

कहने का तात्पर्य है कि, ग्रामीण परिवेश में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी वहां के लोग रास्ता निकालकर इसे अधिक सुखकर कैसे बनाया जाए इस स्थिति में जीवन–यापन करते हैं। शोषित, पीड़ित किसान एवं मजदूरों से सहानुभूति दर्शायी। किसान में एक अद्‌भुत एवं दृढ़ आत्मविश्वास होता है किंतु कभी–कभी वह किस्मत से टूट जाता है। और चारों और जब अंधेरा सा प्रतीत होने लगता है तो फिर वह आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। यह बड़ी दुख की घड़ी होती है कोई भी आत्महत्या खुशी से नहीं करता है, जब वह परिस्थिति से जूझते हुए थक जाता है, सपनों, उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, कर से दब जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, सरकारी नीतियों का ठीक से

कार्यान्वित ना होना ऐसी कई घटनाएँ हैं जो उसे विवश कर देती है, जिसमें वह सोच नहीं पाता और ऐसे कदम उठ जाते हैं। इसमें हालात ऐसे बन जाते है की उसकी सोच तय नहीं कर पाती की जो कदम वह उठाने जा रहा है, उससे परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। फिर भी वह यह कदम उठाता है। जिससे केवल उसका परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। जो एक प्रकार से निराधार हो जाता है। समाज से वह टूटना, बिखरना नहीं चाहता। हालात कभी–कभी इंसान को प्रवाह के विरोध में सख्त कदम उठाने के लिए विवश कर देता है। किसान भी इसी तरह के हालातों से तंग आकर खुदकुशी जैसे कदम उठा लेता है।

बदलता हुआ परिवेश और उससे प्रभावित किसान :–

स्वाधीन भारत में ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं बनी और बनाई किंतु प्रत्यक्ष रूप में ठीक से कार्यान्वित न होने की वजह से कई दिक्कतें खड़ी हो गई। उन योजनाओं से आम आदमी प्रतीक्षा में ही खड़ा है। मन्नू भंडारी के महाभोज उपन्यास में पैसों की राजनीति पर गहरा प्रकाश डाला है। सुकुल बाबू की रैली निकलने के बाद मुख्यमंत्री दा साहब अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए और चुनाव जीतने के लिए बड़ी रैली का आयोजन करते हैं– दो समय का खाना और पाँच रुपया प्रति व्यक्ति तय हुआ है। बच्चों के लिए भी दो–दो रूपये दिए जाएंगे।[8] आदमी की कोई अहमियत नहीं है, यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे रुपयों में तोला जाता है। आज बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार पनप रहा है, इसलिए भी किसान को उतना न्याय नहीं मिल पाता। शिक्षा, राजनीति, योजनाएं, पुनर्गठन सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती नजर आ रही है। हर्ष की बात है कि, आज भी गांव, देहातों में मानवीयता पूरी तरह से नष्ट नहीं है, वह आज भी जीवित है। वहां कोई सुख या दुख किसी एक परिवार तक सीमित न होकर सारा गाँव उसमें सम्मिलित होता है। इसके प्रमाण हमें श्बेदखलश उपन्यास में देखने को मिलते हैं। इस उपन्यास में रामदेव का बेटा तालाब में डूब कर मर जाता है। तब तालाब पर हजारों की तादाद में गांव के लोग उपस्थित होते हैं इस प्रसंग में गांव का सौहार्दपूर्ण वातावरण अंकित है।[9]

किंतु बड़े दुख की बात है कि शहरों में बिल्कुल इसके विपरीत अवस्था है। जहां व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है कीमत केवल रुपए पैसों की है। जीवन का कोई मूल्य नहीं जैसे मानवीयता नष्ट हो गई हो। जैसे आज के हालात ऐसे निर्माण हो गए एक महामारी ने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को सामाजिकता के दायरे से दूर कर दिया।

उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास 'गोदान' में 'होरी' सही मायनों में भारतीय कृषक जीवन का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। वह भारतीय कृषक जीवन का जीता–जागता चित्र है। जो बड़े जमींदार, सरकार आदि बिच्छू की तरह डंक मारकर छोड़ देते है, और छोड़ देते है। इस सम्बन्ध में डॉ. रामविलास शर्मा का कथन बड़ा सटीक लगता है। वह कहते है, इस उपन्यास का उद्देश्य भारतीय ग्राम्य जीवन के विविध पक्षों को उपस्थित कर ग्रामीण जीवन की स्थिति को उद्घाटित करना है।[10] ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु किसान है, जो हमेशा समाज में अपने अस्तित्व को बनाये रखने की जद्दोजहद में साहूकारों से कर्ज निकालकर वह साहूकारों से तथा खुद से हार न मानते हुए हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति से संघर्ष करता रहता है। यही वास्तविकता आज के दौर में भी दृष्टिगत होती है। भारतीय कृषक जीवन की दास्तां, उसके विविध पहलुओं को उजागर कर उसकी प्रासंगिकता को हमारे सन्मुख रखते है, जो सटीक है।

निष्कर्ष :–

इस बदलते परिवेश में ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। दिखाई दे रहा है जहां व्यक्ति व्यक्ति से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 21वीं सदी के इस वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण एवं बाजारीकरण के दौर में व्यक्ति–व्यक्ति से मानवीय दृष्टिकोण से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर समय रहते ही चिंतन–मनन कर उचित निर्णय ना होते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो निश्चित ही मानव–मानव का व्यक्ति–व्यक्ति का बिखराव होगा। ग्रामीण परिवेश का चित्रण भयावह है, किसान या किसी संबंधित व्यवसाय से जुड़े मजदूरों को समय रहते उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो आने वाले भविष्य में विपरीत परिणाम भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें रोजगार देना चाहिए। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है, और यदि यही नष्ट हो गया तो क्या यह अर्थव्यवस्था

टिकी रहेगी? यह गहन अध्ययन और चिंतन का विषय हो सकता है। कभी–कभी किसान को निराशा, हताशा से बाहर निकालने के लिए व्यवस्था को ऐसे निर्णय लेने जरूरी है, जिससे किसानी बच सके। ऐसे समय व्यवस्था का नुकसान गौन रह जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ. गायत्री सिंह–आधुनिक हिंदी कविता में कृषि संस्कृति– प्रकाशक– साहित्य निलय 49 बौद्ध नगर, नौबस्ता, कानपुर, संस्करण– प्रथम 2008 आईएसबीएन– 81– 902324– 5– 2, पृष्ठ संख्या– 19
2. वही. पृष्ठ संख्या 32
3. डॉ जया पटेल– प्रगतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत के काव्य में ग्रामीण चित्रण – प्रकाशक– सरस्वती प्रकाशन 40/49, बौद्ध नगर, नौबस्ता, कानपुर–21, संस्करण– प्रथम 2013, आईएसबीन– 978–93–82327–04–2, पृष्ठ संख्या– 102
4. डॉ. कुट्टे धनाजी सुभाष– हिंदी उपन्यासों में चित्रित कृषक जीवन– प्रकाशन– विकास प्रकाशन 311 सी. विश्व बैंक बर्रा, कानपुर–208027, संस्करण– प्रथम 2018, आईएसबीएन– 978–93–82409–40–3, पृष्ठ संख्या–44
5. डॉ. डी.जी. रानभरे– केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में ग्रामीण चेतना– प्रकाशन– पराग प्रकाशन 311 सी, विश्व बैंक बर्रा, कानपुर –208027, संस्करण– प्रथम 2015, आईएसबीएन– 978–93–82409–09–0, पुष्ट संख्या– 67
6. वहीं पृष्ठ संख्या–81
7. डॉ. प्रवीण देशमुख– एक सामाजिक उपन्यास कसौटी– प्रकाशन– श्रीराम प्रकाशन गुजैनी, कानपुर, संस्करण– प्रथम 2015, आईएसबीएन– 978–81–929284–4–9, पृष्ठ संख्या–17
8. डॉ. मनोहर भंडारे – सत्तरोत्तर ग्राम– केंद्रित उपन्यासों का मूल्यांकन– प्रकाशक– अमन प्रकाशन– 104 – 1118 रामबाग कानपुर, संस्करण– प्रथम 2009, आईएसबीएन– 978–908320–6–9, पृष्ठ संख्या–112
9. वहीं– पृष्ठ संख्या–22
10. डॉ. कुट्टे धनाजी सुभाष– हिंदी उपन्यासों में चित्रित कृषक जीवन–प्रकाशन–विकास प्रकाशन 311 सी. विश्व बैंक बर्रा, कानपुर– 208027, संस्करण– प्रथम 2018, आईएसबीएन– 978–93–82409–40–3, पृष्ठ संख्या– 23

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 75-78

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

व्यंग्य साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल और उनके व्यंग्य संग्रह

-प्रो. श्रीमती वडगे वृशाली रंगनाथ

सहयोगी प्राध्यापक हिंदी विभाग, महाराजा सयाजीराव गायकवाड
कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मालेगाँव कॅम्प, मालेगाँव, जि. नासिक, महाराष्ट्र।

प्रस्तावना :-

श्रीलाल शुक्ल के रचना संसार की सबसे बड़ी शक्ति हैं – व्यंग्य। शायद ही कोई दूसरा लेखक हो जिसने व्यंग्य का इतना विपुल, विविध और बहुआयामी उपयोग किया हैं। आधुनिक भारत के महान से महान व्यक्तियों, संस्थाओं, अवधारणाओं, घोषणाओं, का भी श्रीलाल शुक्ल ने अपनी रचनाओं से बेधक मार दी हैं। श्रीलाल शुक्ल हिन्दी व्यंग्य के अनुपम हस्ताक्षर हैं। उन्होने व्यंग्य विधा को एक नई दृष्टि प्रदान की हैं। उन्होने समाज के हर क्षेत्र में हो रहे विसंगतियों को दर्शाया हैं। अपने व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने समाज की बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया हैं। शिक्षा, साहित्य, राजनीति व समाज की विरूपताओं की शुक्ल जी को गहरी परख हैं। 'राग दरबारी' की रचना कर के उन्होने अपना नाम विशिष्ट स्थानपर रख दिया। श्रीलाल शुक्ल का लेखन इतना पेचीदा नही हैं उसका सौंदर्य उसकी सहजता और मौलिकता में हैं। श्रीलाल शुक्ल जी ने सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में उन्होने अपने व्यंग्य बाण चलाए हैं। श्रीलाल शुक्ल का आधुनिक भारतीय गद्यकारों में विशेष उल्लेखनीय नाम लिया जाता हैं।

श्रीलाल शुक्ल :-

श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ जनपद के अतरौली में हुआ था। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके दादा अध्यापक थे। वे संस्कृत, हिंदी तथा फारसी जानते थे। श्रीलाल शुक्ल जी अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद गए। इलाहाबाद से बी.ए. परीक्षा पास करने के बाद उन्होने नौकरी करना शुरु कर दिया। घर की आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्होने नौकरी कर ली। बचपन से ही श्रीलाल शुक्ल परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि तथा साहित्यिक रूची संपन्न थे। बारह–तेरह साल की आयु में वे कवि सम्मेलन में भाग लेते थे। श्रीलाल शुक्ल का विवाह कानपुर के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। उनकी तीन पुत्रियां और एक पुत्र हैं। 1953 से उन्होने लेखन शुरु किया। उनका पहला निबंध 'स्वर्णग्रम और वर्षा' नाम का हैं। श्रीलाल शुक्ल एक श्रेष्ठ लेखक की क्षमता के साथ–साथ एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति भी हैं। वे सरल, सहज, निश्चल और विनयी भी हैं। वे मधुरभाषी भी हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में 'रागदरबारी' यह व्यंग्य उपन्यास एक अप्रतिम उदाहरण हैं। 'अंगद का पाँव', 'यहां से वहां', 'कुछ जमीन कुछ हवा में', आओ बैठ ले कुछ देर आदि इनके प्रमुख व्यंग्य संग्रह हैं। 'रागदरबारी' व्यापक कथ्य गहरी संवेदना और भाषिक संरचना की दृष्टि से एक विशिष्ट व्यंग्यात्मक औपन्यासिक कृति हैं।

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के उपन्यास और व्यंग्य लेखन में श्रीलाल शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान हैं। उन्होने उपन्यास को सामान्य पाठक के लिए पठनीय और रोचक बनाया। यह उनके लेखन की मौलिक विशेषता हैं और लोकप्रियता का महत्वपूर्ण आधार भी। इसमें समाज की नई वास्तविकता को पहचानने की क्षमता हैं। श्रीलाल शुक्ल का लेखन वस्तुतः स्वातंत्र्योत्तर भारत की जनतंत्र की कथित आधुनिकता और विकास की आलोचना हैं। श्रीलाल शुक्ल का जिंदगी में गहरा विश्वास हैं। कुछ–कुछ गालिब की तरह वह भी जीवन–रस की आखिरी बुँद तक का स्वाद पाना चाहते

हैं। नए–नए मनुष्यों, स्थलों, आविष्कारों, खेल, संगीत, सिनेमा, समाजशास्त्र, प्रकृति, वनस्पतियों से विपुल लगाव और उनका ज्ञान श्रीलाल शुक्ल में समाया हुआ हैं।

श्रीलाल शुक्लजी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हैं। 'रागदरबारी' के लिए उन्हें 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की ओर से 'पद्मभूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया हैं। इसके अलावा साहित्य भूषण पुरस्कार, गोयल साहित्य पुरस्कार, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान तथा व्यास सम्मान। उन्हे 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार से भी नवाजा गया हैं।

निधन :–

श्रीलाल शुक्ल हिन्दी साहित्यकारों में एक अच्छे व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु 28 अक्तुबर 2011 को हुई थी। उन्हे गंभीर बिमारी के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। 28 अक्तुबर को शुक्रवार सुबह ग्यारह बजे लखनऊ के सहारा अस्पताल में उनका देहांत हुआ। डॉक्टरों के अनुसार उन्हे फेफडो में संक्रमण हो गया था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी मृत्यु पर उनके दोस्त गोपाल चतुर्वेदी ने कहा की "यह केवल उनकी व्यक्तिगत क्षति नही बल्कि हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी क्षति हैं"।

श्रीलाल शुक्ल के व्यंग्य संग्रह :–

श्रीलाल शुक्ल के व्यंग्य में समाज के विविध घटकों पर प्रहार किया हैं। इन निबंधों में शुक्ल जी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों पर कडा व्यंग्य किया हैं। वे अपने व्यंग्य साहित्य के माध्यम से करारी चोट करते हैं।

1. अंगद का पाँव (1956)
2. यहाँ से वहाँ (1969)
3. मेरी श्रेष्ठ रचनाएँ (1978)
4. उमराव नगर में कुछ दिन (1988)
5. कुछ जमीन पर कुछ हवा में (1993)
6. आओ बैंठ ले कुछ देर (1995)
7. जहालत के पचास साल (2004)
8. खबरो की जुगाली (2003)

श्रीलाल शुक्ल के व्यंय साहित्य में समाज की कई स्थितियों का वर्णन किया हैं। व्यंग्य अर्थात उपहासात्मक दृष्टि से उस बात का विरोध करना। उनके व्यंग्य साहित्य का विश्लेषण इस प्रकार हैं।

1) अंगद का पाँव :–

श्रीलाल शुक्ल की यह पहली हास्य–व्यंग्य रचना हैं। इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। उन्होने इसमें सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा आदि क्षेत्र में जो विसंगतियों को चित्रित किया हैं। 'अंगद का पाँव' में विविध प्रकार के व्यंग्य रचनाएँ हैं, जैसे संस्कृत पाठशाला में प्रसाद, साहित्योदयान सुमनगुच्छ आदि। 'अंगद का पाँव' में विविध विषयों को लिया गया हैं। उसमें साहित्य, संगीत, यात्रा, संस्मरण, इतिहास, पुराण आदि का संकलन हैं।

2) यहाँ से वहाँ :–

श्रीलाल शुक्ल जी की यह व्यंग्य रचना 1969 में प्रकाशित हुई हैं। इस रचना में उन्होंने विविध प्रकार की बातों का चित्रण किया हैं। इस व्यंग्य साहित्य में समाज, राजनीति, विचार, चिंतन, कुण्ठा, कुटिलता, विषमता आदि का यथार्थ चित्रण किया हैं। इन सबका वर्णन उन्होने व्यंग्य के माध्यम से किया। 'यहाँ से वहाँ' इस व्यंग्य रचना के अंतर्गत कई बडी समस्याओं को उकेरा हैं। इस रचना के अंतर्गत 'एक हारे नेता हुए नेता का इंटरव्यू', 'जीवन का सुखी दिन', 'हम वहशी नही हैं', 'खलनायक की कहानी', 'बेचारे डाकू', देवता पुराने और न, यह व्यंग्य रचनाएँ हैं। इस रचना से पाठक का मनोरंजन होता है और बहुत कुछ समइने का प्रयास भी होता हैं। श्रीलाल शुक्ल की हर व्यंग्य रचना में व्यंग्य शैली का प्रयोग बहुत अच्छे से किया हैं।

3) मेरी श्रेष्ठ रचनाएँ :–

श्रीलाल शुक्ल जी की यह व्यंग्य रचना 1978 में प्रकाशित हुई हैं। यह व्यंग्य रचनाओं का संकलन हैं। इसके

रचनाओं में शिक्षा, समाज, तथा साहित्य की विविध स्थितियों पर व्यंग्य किया हैं, इससे प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष रूप में उस घटक पर व्यंग्य प्रहार होता हैं।

4) उमराव नगर में कुछ दिन :-

श्रीलाल शुक्ल जी की यह व्यंग्य रचना 1988 में प्रकाशित हुई हैं। यह भी श्रीलाल शुक्ल जी का व्यंग्य संकलन हैं। इस संग्रह में उन कथाओं का समावेश किया गया हैं, उमरावनगर में कुछ दिन, कुंतीदेवी का झोला तथा मम्मीजी का गधा आदि। इन कथाओ के माध्यम से शुक्ल जी ने सामाजिक, राजनीतिक, समस्याओं को चित्रित किया हैं।

5) कुछ जमीन पर कुछ हवा में :-

श्रीलाल शुक्ल की यह रचना 1993 में प्रकाशित हुई हैं। यह श्रीलाल शुक्ल की व्यंग्य रचना हैं। इस व्यंग्य रचना में तीन प्रकार की रचनाएँ हैं। कुछ पत्र–पत्रिकाओं में छपा स्तंभ लेखन, कुछ पुरानी रचनाएँ जो कुछ जमीन पर हैं। बाकी रचनाएँ रेडियो–वार्ताएँ हैं। आकाशवाणी पर प्रसारित होने के कारण यें वार्ताएँ हवा में ही रही, इसलिए शुक्ल जी ने इस रचना का नाम 'कुछ जमीन पर कुछ हवा', में दिया हैं। इस के अंतर्गत कई निबंध संकलित हैं। सामाजिक विसंगतियो, विडंबनाओं और समकालीन जीवन की विकृतियों की बेलाग शल्य–चिकित्सा में उनका गहरा विश्वास हैं, इसके अंतर्गत जीती–जागती सरकार का एक हसीन सपना एक, वर्ष युवावर्ग के भी नाम, महापुरूषों की याद में, फावड़ा बनाम हवाई जहाज, दूरदर्शन का जीवन दर्शन, गरीबी की चपेट में हैं आदि रचनाएँ आती हैं। श्रीलाल शुक्ल यह व्यंग्य कृति हिंदी व्यंग्य को कुछ और समृदध करने में सहायक होगी।

6) आओ बैंठ ले कुछ देर :-

श्रीलाल शुक्ल जी की यह रचना 1995 में प्रकाशित हुई थी। यह रचना अखबारी टिप्पणियों का संग्रह हैं। शुक्ल जी 'नवभारत टाईम्स', के लिए साप्ताहिक स्तंभ लिखते थे। अखबार के लिए यह टिप्पणियाँ लिखी जाती थी। टिप्पणियों का संग्रह के रूप संकलन किया गया हैं। यह टिप्पणियाँ कई–एक किसी घटना या समाचार–विशेष से प्रेरित है, पर वे जिन स्थितियों, धारणाओं या विचार से जुडी हैं। वे संभवतः आज भी हमारी चिंतन–प्रक्रिया को सक्रिय बना सकती हैं। इसमें गेहूँ की तलाश, अफिका में पोर्ट ब्लेअर, प्रोफेसर! प्रोफेसर!, पुष्पक विमान की सवारी, चुनाव के पहले आदि रचनाएँ संकलित हैं।

श्रीलाल शुक्ल की यह रचना भी कई पहलूओं को उदघाटित करती हैं।

7) जहालत के पचास साल :-

यह रचना 2004 में प्रकाशित हुई थी। यह एक व्यंग्य निबंधों का संग्रह हैं। आजादी के बाद की भारत की तस्वीर इस रचना से देखने को मिलती हैं। इस रचना के व्यंग्य हल्के हैं, किन्तु इसके पीछे शुक्ल जी की समझ और मनुष्यता दिखाई देती हैं। 'जहालत के पचास साल', में भारतीय सत्ता और समाज की कारगुजारियों से सीधी भिडंत हैं। इस रचना के माध्यम से समाज का असल चेहरा दिखाई देता हैं। श्रीलाल शुक्ल जी की यह व्यंग्य रचना समाज के हर घटक को स्पष्ट करती हैं, इसलिए व्यंग्य रचनाओं में यह भी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती हैं।

8) खबरों की जुगाली :-

श्रीलाल शुक्ल की यह एक व्यंग्य रचना हैं। जब शुक्ल जी 2003 में दो वर्ष तक 'इंडिया टुडे', के लिए एक पाक्षिक स्तम्भ लिखा था, जिसमें पाठको को रिझाने पर जोर न देकर तत्कालीन घटना या स्थिति को लेकर उसका परिक्षण करने की और उसमें अन्तर्निहित विडंबना को उजागर करने पर ज्यादा जोर था। यह एक प्रकार की जुगाली थी। इस संकलन के अंतर्गत कई ऐसी रचनाएँ है जिनसे लेखक अपने आसपास के घटकों को व्यक्त करता हैं। यह न केवल व्यंग्य लेखन के नजरिए से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के विदुपों के उदघाटन की दृष्टि से भी बेमिसाल हैं। समाज की गिरावट, उसकी अवनति का आखेट करती हैं। 'खबरों की जुगाली', की रचनाएँ नागरिक के पक्ष से भारतीय लोकतंत्र के धब्बो, जख्मों, अंतविरोधों और गड्ढों का आख्यान प्रस्तुत करती हैं। हमारे विकास के मॉडल, चुनाव, नौकरशाही, सांस्कृतिक क्षरण, विदेश

नीति, आर्थिक नीति आदि अनेक जरूरी मुददों की व्यंग्य विनोद से संपन्न भाषा में गंभीर पडताल की है 'खबरों की जुगाली', की रचनाओ में।

इस प्रकार श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं समाज के विविध घटकों को उकेरा हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों पर व्यंग्य बाणों का कड़ा प्रहार किया हैं। श्रीलाल शुक्ल का लेखन वस्तुतः स्वातंत्र्योत्तर भारत की जनतंत्र की कथित आधुनिकता और विकास की आलोचना हैं।

निष्कर्ष :-

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय यथार्थ के अत्यन्त सतर्क और विलक्षण उदघाटनकर्ता है श्रीलाल शुक्ल। उन्होने रचनात्मकता का जैसा जादू बिखेंरा वैसा उनके अतिरिक्त अन्य किसी से संभव न हुआ। श्रीलाल शुक्ल का लेखन कम से कम हिन्दी संसार के लि, विलक्षण घटना की तरह रहा हैं। श्रीलाल शुक्ल ने अपने व्यंग्य साहित्य के माध्यम से पुलिस का गलत व्यवहार, भोली–भाली जनता का शोषण, कानून की अव्यावहारिकता पर प्रहार किया हैं तथा राजनीतिक व्यंग्य में प्रशासनिक अव्यवस्था, सरकारी योजनाएं इन पर व्यंग्य किया हैं। धार्मिक व्यंग्य पर उन्होने लोगों के निकम्मेपन तथा भाग्यवादिता पर व्यंग्य किया हैं। इसलिए श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्य रचना संसार समाज के लिए कड़ा व्यंग्य प्रहार हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 श्रीलाल शुक्ल की दुनिया : संपादक – आखिलेश, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2 मेरे साक्षात्कार – श्रीलाल शुक्ल, किताबघर प्रकाशन, अंसारी रोउ दारियागंज, नई दिल्ली।
3 श्रीलाल शुक्ल का रचना संसार –वेंकटजी, जवाहर पुस्तकालय, सदर बाजार, मथुरा (उ.प्र.)
4 स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी गदय में व्यंग्य – डॉ. हरिशंकर दुबे, विकास प्रकाशन, कानपूर।
5 यहाँ से वहाँ – श्रीलाल शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
6 आओ बैठ ले कुछ देर – श्रीलाल शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
7 जहालत के पचास साल – श्रीलाल शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
8 खबरो की जुगाली – श्रीलाल शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 79-92

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रमुख पक्षों एवं प्रावधानों का समीक्षात्मक अध्ययन

–डॉ. नरेश कुमार

प्रवक्ता (सी.एम.डी.ई.), मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दक्षिण–पश्चिम, घुम्मनहेड़ा, नई दिल्ली

सारांश :–

वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 वह शिक्षा नीति है जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है तथा इस नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। वास्तव में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्वों से युक्त एक ऐसी शिक्षा नीति है जो एक ओर देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देती है; तो वहीं दूसरी ओर यह इस बात पर बल देती है कि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में; बल्कि व्यवहार, बुद्धि, कार्यों और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों एवं सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि सही मायने में वे वैश्विक नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी की एक–समान पहुँच सुनिश्चित करना, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति, नए पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण कला में सुधार, उच्चतर शिक्षा, समान और समावेशी शिक्षा तथा शिक्षक आदि कुछ ऐसे प्रमुख पक्ष एवं प्रावधान हैं जो इस नीति को अपने आप में वर्तमान समय की एक समावेशित एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं।

मुख्य शब्द– विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान, शिक्षक, बाल साहित्य, पोषण और स्वास्थ्य, बहुभाषिकता, कार्य–संस्कृति, समावेशी शिक्षा, सतत व्यावसायिक विकास, विद्यालय प्रशासन, बहु–विषयक समग्र शिक्षा, ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा, विशिष्ट शिक्षक।

प्रस्तावना :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वह प्रमुख शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदीं की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह शिक्षा नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक

क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती है तथा यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ–साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या–समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए; बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना अति आवश्यक है। इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3–6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत् सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह प्रतिस्थापित किया गया है। इस नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि–''रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या–समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग ला पायें। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी–केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने–समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रूचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के आलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाये। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, करूणा और संवदेनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।''–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ–3 एवं 4

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रमुख पक्षों एवं प्रावधानों का समीक्षात्मक अध्ययन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रमुख पक्षों एवं प्रावधानों जिनमें बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान, विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा एवं शिक्षक आदि सम्मिलित हैं, का समीक्षात्मक अध्ययन एवं विवेचना निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है :–

I. **बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान से संबंधित पक्ष एवं प्रावधान–** बुनियादी साक्षरता का सामान्य अर्थ है कि बच्चे छोटे–छोटे अनुच्छेदों को आसानी से लिख एवं पढ़ सकें और उनसे एक समझ बनाने हुए सबंधित सवालों एवं प्रश्नों का जवाब दे सकें; तो वहीं दूसरी ओर संख्या–ज्ञान से अभिप्राय है कि बच्चे अंकों की पहचान कर सकें और उनसें संबंधित जोड़ तथा घटाव आदि से संबंधित बुनियादी संक्रियाओं को कर सकें। बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय अभियान चलाने की बात कही गई है जिसके तहत वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के लक्ष्य को हासिल किया जाना है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत उल्लेखित किए गए बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान से संबंधित पक्षों एवं प्रावधानों का समीक्षात्मक अध्ययन एवं विवेचना निम्न प्रकार अथवा आधारों पर की जा सकती है–

- **बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान सीखने की तात्कालिक आवश्यकता एवं पूर्वशर्त–**

वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को स्वीकारती है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता एवं पूर्वशर्त है अर्थात् इनके अभाव में शिक्षा को एक सही दिशा अथवा गति नहीं प्रदान की जा सकती। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान वास्तव में शिक्षा के वे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण पक्ष

हैं जो समुचित शिक्षा एवं अधिगम को उचित एवं व्यवस्थित आधार एवं सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारत में वर्तमान में ऐसे शिक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्होंने बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान भी नहीं सीखा है। इस संदर्भ में इस नीति में वर्णित किया गया है कि–''सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन–भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्वशर्त भी है। हालांकि, विभिन्न सरकारी, साथ ही गैर–सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जुझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने जिनकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है– बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान भी नहीं सीखा है; अर्थात् ऐसे बच्चों को सामान्य लेखन को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं हैं।''– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पृष्ठ–11

- **प्ले–आधारित "स्कूल तैयारी मॉड्यूल" तैयार करना–**

इस नीति में इस बात का बड़ा ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में ईसीसीई की सभी तक पहुँच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस नीति में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के द्वारा कक्षा–1 के छात्रों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले–आधारित "स्कूल तैयारी मॉड्यूल" बनाया जाएगा जिसमें गतिविधियाँ और वर्कबुक जिनमें अक्षर, शब्द, ध्वनियाँ, रंग, आकार और संख्या आदि सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का भी उचित सहयोग एवं योगदान भी लिया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर छात्र अथवा बच्चा विद्यालय के लिए तैयार है।

- **पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर विशेष ध्यान देना–**

इस नीति के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के संदर्भ में पाठ्यचर्या में इन पर अतिरिक्त एवं विशेष ध्यान दिया जाएगा एवं समूचे प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत सतत् रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे के सीखने को ट्रैक किया जाएगा और मुख्य रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केन्द्रित होगा तथा साथ ही इन क्षेत्रों में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रत्येक दिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा तथा समूचे वर्ष विभिन्न अवसरों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर नए सिरे से ध्यान अथवा जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से बनाया अथवा डिजाइन किया जाएगा जिससे कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान को सुनिश्चित किया जा सके।

- **मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान प्राप्त करना–**

इस नीति के अनुसार सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान को प्राप्त करने के संदर्भ में तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा एवं जिसे तात्कालिक उपायों तथा स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत कक्षा 3 तक के प्रत्येक छात्र की मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सम्मिलित किया गया है। इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों मे सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान को प्राप्त करना होगा। इन नीति के अनुसार सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं; जैसे– मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना एवं अंकगणित आदि को हासिल करने के उपरान्त् ही हमारी यह बाकी शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक होगी अर्थात् इस नीति की प्रासंगिकता के लिए अथवा संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान अति अनिवार्य है। इस नीति में इस संदर्भ में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि–''मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित

किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान के लिए राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारें, 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरण–वार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी।'' –राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पृष्ठ–12

- **पियर ट्यूटरिंग को स्वैच्छिक एवं आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में स्वीकार करना–**

यह शिक्षा नीति इस बात को स्वीकार करती है कि पियर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक एवं आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है तथा स्थानीय और गैर–स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा और यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो इससे देश का परिदृश्य बहुत ही जल्द बदल जाएगा। राज्य मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में पियर ट्यूटरिंग और वॉलेंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन मॉडल पर विचार कर सकते हैं तथा साथ ही साथ अध्यापकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रमों की शुरूआत भी कर सकते हैं। इस नीति यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि–''वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है, सभी के लिए साक्षरता और संख्या–ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस महत्त्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक–दूसरे से सीखते–सिखाते हैं तो यह काफी प्रभावी होता है।''– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पृष्ठ–13

- **रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरना–**

इस शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द–से–जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों एवं उन क्षेत्रों में जहाँ शिक्षक–छात्रों का अनुपात दर ज्यादा हो या जहाँ साक्षरता की दर निम्न हो; वहाँ पर स्थानीय शिक्षक अथवा स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इस संदर्भ में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक–छात्रों का अनुपात 1:30 से कम हो एवं सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षक–छात्रों का अनुपात 1:25 से कम हो। इसके अतिरिक्त इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से अध्यापकों को सतत् व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के साथ संबलित, उत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा।

- **भारतीय और स्थानीय भाषाओं में बाल साहित्य उपलब्ध करना तथा उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराना–**

यह नीति इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प एवं प्रेरणादायक बाल साहित्य तथा सभी स्तरों के छात्रों के लिए विद्यालय और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएंगी एवं जिसके लिए आवश्यकता के अनुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद भी करवाए जाएंगे तथा साथ ही समूचे देश में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और विद्यालय पुस्तकालयों का विस्तार भी किया जाएगा एवं डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक सवंर्द्धन नीति तैयार की जाएगी तथा सभी स्थानों, स्तरों, भाषाओं और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता एवं पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास एवं पहल की जाएगी जिससे कि समुदाय को उचित लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि दीक्षा (द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर उच्चतर–गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा तथा तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त इसमें अध्यापक एवं छात्रों के मध्य भाषायी बाधाओं को भी दूर करने के उपाय भी किए जाएंगे।

- **बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देना–**

इस नीति के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि जब बच्चे अस्वस्थ अथवा कुपोषित होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इस संदर्भ में इस नीति में यह बात उल्लेखित की गई है कि–''कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है, इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है, यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहाँ पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प, जैसे गुड़ के साथ मूंगफली/गुड़ मिश्रित चना और/या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है।''– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पृष्ठ–14

इसलिए उनके पोषण और स्वास्थ्य जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है पर उचित ध्यान दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में पुष्टिकर भोजन तथा अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर एवं विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ–साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत् उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूल के बच्चे विद्यालयों के द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जाँच में भाग लेंगे और सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए बच्चों को स्वास्थ्य (हैल्थ) कार्ड भी जारी किए जाएंगे।

II. **विद्यालयी शिक्षा से संबंधित पक्ष एवं प्रावधान–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख पक्षों एवं प्रावधानों को निम्न प्रकार वर्णित एवं विवेचित किया जा सकता है–

- **विद्यालयी शिक्षा के समस्त स्तरों पर एक-समान पहुँच सुनिश्चित करना–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों प्री–स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी के लिए एक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर बल देती है। इन नीति के अन्तर्गत विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्यध ाारा में लाने के लिए विद्यालय के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इस नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नजर रखने, औपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं एवं प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को विद्यालय के साथ जोड़ने, व्यावसायिक कार्यक्रम, व्यस्क साक्षरता और जीवन–संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रमुख प्रस्तावित उपाय हैं। इस नीति के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि विद्यालय से दूर रह रहे लगभग दो करोड़ बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाया जाएगा।

- **नए पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा–**

इस नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर बल देते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह अब 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। इसके अन्तर्गत अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को विद्यालय पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। इस नई प्रणाली में तीन साल की आँगनवाड़ी/प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी।

- **बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति–**

इस नवीन शिक्षा नीति में कम–से–कम ग्रेड 5 तक एवं अच्छा हो ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। छात्रों को विद्यालय के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा त्रि–भाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी तथा भारत की अन्य पारम्परिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त छात्रों को ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' पहल के तहत ग्रेड 6 से 8 के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर आनंददायक गतिविधि अथवा परियोजना में भाग लेना होगा।

इसके अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा अर्थात् साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी।

- **बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान–**

इस नीति के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए बेहद जरूरी एवं प्राथमिक आवश्यकता मानते हुए इसके अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर एक रा ट्रीय मिशन (National Mission on Foundational Lietracy and Numeracy-NMFLN) की स्थापना किए जाने पर विशेष बल दिया है। इस संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी तथा साथ ही इस संदर्भ में एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार की जाएगी।

- **समान और समावेशी शिक्षा–**

समान और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म अथवा पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्त करने एवं सीखने और उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के अवसर से वंचित न रह जाए। इसके तहत मुख्य बल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों पर रहेगा जिनमें बालक–बालिका, सामाजिक–सांस्कृतिक एवं भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के सक्षम बनाया जाएगा तथा इसके साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण, संसांधन केन्द्र, सहायक उपकरण, आवास एवं प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक राज्य अथवा जिले को कला–संबंधी, कैरियर संबंधी और खेलकूद संबंधी गतिविधियों एवं क्रियाकलापों में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल में रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति में यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय की निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग ''सामाजिक चेतना केन्द्रों'' के रूप में किया जा सकता है।

- **विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण कला में सुधार–**

इस नीति के अन्तर्गत विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से छात्रों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए एवं आवश्यक ज्ञान प्राप्ति और अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने तथा अनुभवनात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस अथवा ध्यान केन्द्रित करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। इसके अतिरिक्त छात्रों को अपने पसंद के विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे तथा कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम एववं पाठ्योत्तर गतिविधियों के मध्य और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप कोई भिन्नता नहीं होगी तथा साथ ही विद्यालयों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020–2021 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित की जाएगी।

- **आकलन से संबंधित सुधार–**

इस शिक्षा नीति में आकलन से संबंधित सुधारों पर भी विशेष बल दिया गया है। इस नीति में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता–आधारित है। यह सीखने के साथ–साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है और उच्चस्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन–मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 एवं 8 की विद्यालयी परिक्षाएं देंगे जो उपयुक्त प्राधिकरण के द्वारा संचालित की जाएगी तथा ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड की परीक्षाएं

जारी रखी जाएगी। लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा तथा एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र 'परख' (समग्र विकास के लिए कार्य–प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक–निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

- **प्रभावकारी अध्यापक भर्ती, पदोन्नति एवं करियर विकास मार्ग–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में इस बात की विवेचना की गई है कि अध्यापकों को पारदर्शी एवं प्रभावकारी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा अध्यापकों की पदोन्नति योग्यता के आधार पर होगी जिसमें कई स्रोतों से समय–समय पर कार्य–प्रदर्शन का आलकन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त इस नीति में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (NPST) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा एवं जिसके लिए अथवा संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा।

- **विद्यालयी शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं विद्यालय प्रशासन–**

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीति–निर्माण, विनियमन, प्रचालनों तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट एवं पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य/केन्द्र शाषित प्रदेश स्वतन्त्र ''स्टेट स्कूल स्टैडर्ड्स अथारिटि'' (SSSA) का गठन करेंगे तथा सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व–प्रकटन जैसा कि ''स्टेट स्कूल स्टैडर्ड्स अथॉरिटी'' (SSSA) द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक जवाबदेही एवं निगरानी के लिए किया जाएगा तथा राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् सभी हितधारकों के परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (SQAAF) का विकास करेगा। इसके अतिरिक्त इस नीति के अनुसार विद्यालयों को परिसरों अथवा कलस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन गवर्नेंस की मूल इकाई होगा और बुनियादी तथा ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी व्यावसायिक शिक्षक–समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा।

III. **उच्चतर शिक्षा के स्वरूप से संबंधित पक्ष एवं प्रावधान–**राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा के स्वरूप से संबंधित प्रमुख पक्षों एवं प्रावधानों की समीक्षात्मक विवेचना निम्न प्रकार अथवा आधारों पर की जा सकती है–

- **बहु–विषयक समग्र शिक्षा–**

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री और एक्जिट बिंदुओं के प्रावधानों के साथ व्यापक बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इन नीति के अनुसार यूजी शिक्षा विविध एक्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 अथवा 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए एक वर्ष के बाद एक्जिट के लिए सर्टिफिकेट, दो वर्ष के बाद एक्जिट के लिए डिप्लोमा, तीन वर्ष के बाद एक्जिट के लिए स्नातक, चार वर्ष के बाद के लिए शोध स्नातक। इसके अतिरिक्त विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Acadmic Bank of Credit-ABC) की स्थापना की जाएगी तथा देश के वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहु–विषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में आईआईटी (IIT), आईआईएम (IIM) के समकक्ष 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universites- MERU) स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त समूची उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' (National Research Foundation- NRF) की स्थापना की जाएगी।

- **विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना तथा छात्रों के लिए वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्ति–**

इस नीति में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने

के जरिए बड़े साधन सम्पन्न, गतिशील बहु–विषयक संस्थानों के परिवर्तित कर दिया जाएगा। संस्थागत संरचना के संदर्भ में विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी जिसमें अनुसंधान केन्द्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केन्द्रित तथा स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय सम्मिलित होंगे। इन नीति के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वयात्ता प्रदान करने के लिए एक राज्यवार तंत्र की स्थापना की जाएगी। इस नीति में ऐसी परिकल्पना की गई है कि कुछ समय पश्चात् प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत इस बात का विशेष प्रावधान किया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना तथा उनकी प्रगति को टैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा इसके अतिरिक्त उच्च निजी शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रव त्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- **भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन–**

इस शिक्षा नीति के अनुसार चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्त्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में 'भारत उच्च शिक्षा आयोग' (Higher Education Commission of Inida- HECI) का गठन किया जाएगा। भारत उच्च शिक्षा आयोग के चार स्वतन्त्र वर्टिकल होंगे– विनियमन के लिए 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद्' (National Higher Education Regulatory Council-NHERC), मानक निर्धारण के लिए 'सामान्य शिक्षा परिषद्' (General Eduction Council-GEC), वित्त पोषण के लिए 'उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद्' (Higher Education Grants Council-HEGC) और प्रत्यायन के लिए 'राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद्' (National Accrediation Council-NAC)। 'भारत उच्च शिक्षा आयोग' प्रौद्योगिकी के जरिए चेहरारहित अंतःक्षेपों के माध्यम से कार्य करेगा और इसके नियमों तथा मानकों का अनुपालन न करने वाले एचईआई (Higher Education Institutions- HEI) को दंडित करने की इसमें शक्ति होगी।

- **सक्षम संकाय तथा अध्यापक शिक्षण–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुस्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतन्त्र, पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कला डिजाइन अर्थात् बनाने की स्वतन्त्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्त्व के जरिए प्रेरक, उर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करती है तथा इन मूलभूत नियमों का पालन नहीं करने वाले संकायों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Educational Research and Training- NCERT) के परामर्श से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education-NCTE) के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा एनसीएफटीई (National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) 2021 तैयार किया जाएगा तथा वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम–से–कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड. डिग्री हो जाएगी एवं गुणवत्ताविहीन स्वचालित 'अध्यापक शिक्षा संस्थान' (Teacher Education Institution-TEI) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा–**

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आनॅलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, एमओओसी (Massive Open Online Course- MOOC) द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता एवं बेहतर छात्र सेवाएं आदि जैसे उपायों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संदर्भ में अपनाया जाएगा तथा यह सुनिश्चित करने का

प्रयास किया जाएगा की इसकी गुणवत्ता नियमित रूप से होने वाले कक्षा शिक्षण कार्यक्रमों के समतुल्य हो। इसके अलावा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन' (Indian Institute of Translation and Interpretation- IITI) की स्थापना करने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

- **व्यावसायिक शिक्षा एवं परामर्श मिशन–**

इस शिक्षा नीति के अनुसार सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सलाह/परामर्श मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें उत्कृष्ठता वाले वरिष्ठ और सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा एवं जिसमें भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगे जो कि महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श
अथवा व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे।

- **शिक्षा में प्रौद्योगिकी तथा ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था –**

इस शिक्षा नीति में शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग एवं विचारों के स्वतन्त्र आदान–प्रदान हेतु एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (National Educational Technology Forum- NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी तथा शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का सही रूप से एकीकरण करके उसका उपयोग कक्षा की प्रक्रियाओं में सुधार लाने, व्यावसायिक शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुँच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को अधिक कारगर एवं प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत मौजूदा समय में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों को व्यापक रूप सम्मिलित किया गया है जिससे कि जब कभी और जहाँ भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध होना संभव न हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों की ई–शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवंसरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी।

- **प्रौढ़ शिक्षा एवं वित्तपोषण शिक्षा–**

प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है; तो वहीं दूसरी ओर वित्तपोषण शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं व्यवहार पर आध ाारित होगी और जिसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र एवं राज्य मिलकर कार्य करेंगे जिससे कि जीडीपी में इसका योगदान जल्द–से–जल्द 6 प्रतिशत हो सके।

- **शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण एवं सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना–**

इस नीति के अन्तर्गत शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और विधार्थी एवं संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और देश में परिसरों को खोलने के लिए विश्व रैकिंग शीर्ष स्थान रखने वाले विश्वविद्यालयों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी; तो वहीं दूसरी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है तथा इसके अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, आदि।

IV. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक से संबंधित पक्ष एवं प्रावधान–

यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में सुयोग्य, सक्षम और समर्पित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की आधारभूत एवं अनिवार्य भूमिका के महत्त्व को स्वीकारती है तथा साथ ही शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षक की अपरिहार्य आवश्यकता एवं उसकी भूमिका को विशिष्ट महत्ता प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की एक केन्द्रीय एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक किसी भी राष्ट्र के भाग्य अर्थात् भविष्य के निर्माता होते हैं और वे ही राष्ट्र की एक सुदृढ़ नींव तैयार करते हैं। इसी संदर्भ में इस नीति में यह उल्लेखित किया गया है–''शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरूओं को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक–शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्ज़ा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की आवश्यकता है।''–राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ–30 एवं 31

अतः इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक से संबंधित पक्षों एवं प्रावधानों का समीक्षात्मक अध्ययन एवं विवेचना निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है–

- **भर्ती और पदस्थापन–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में शिक्षक भर्ती और पदस्थापन के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया गया है कि उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएं यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम में अध्ययन के संदर्भ में बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में लागू अथवा स्थापित की जाएगी जिसके अन्तर्गत 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा। उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण परिवेश अथवा क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे हैं और वहाँ उत्कृष्ट शिक्षकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन विद्यालय परिसर में या उसके आस–पास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा तथा इस संदर्भ में आवास भत्ते में वृद्धि होगी। इस नीति में इस संदर्भ में यह कहा गया है कि–''शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगायी जाएगी। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानान्तरण बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे। इसके अलावा पारदर्शिता बनाये रखने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था के द्वारा किए जाएंगे।'' –राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ–31

इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा सामग्री और शिक्षाशास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित एवं मजबूत किया जाएगा तथा विद्यालय के सभी स्तरों (बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक) के शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को विस्तृत किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी सम्मिलित किया जाएगा तथा साथ ही शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जाँचने के संदर्भ में साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना, स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा; वहीं दूसरी ओर विषयों मे शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने

के लिए विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं आदि जैसे विषयों में, शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्कूलों अथवा स्कूल कॉम्प्लेक्स के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के संदर्भ में विभिन्न विषयों; जैसे– पारम्परिक स्थानीय कला, उद्यमिता, व्यावसायिक शिल्प, कृषि या कोई अन्य विषय जहाँ स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है, में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों अथवा विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- **सेवाकाल के दौरान कार्य-संस्कृति और वातावरण-**

राष्ट्र की इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि विद्यालयों में काम के वातावरण और संस्कृतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना होगा जिससे कि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और वे अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें और जिनका एक सामान्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। सेवाकाल के दौरान कार्य–संस्कृति और वातावरण के संदर्भ में इस दिशा में पहली आवश्यकता विद्यालयों में सभ्य और सुखद कार्यस्थिति सुनिश्चित करने की होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय तथा खेल और मनोरंजन के साधन मुहैया कराने होंगे जिससे कि विद्यालयों के शिक्षक और छात्र, सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली विद्यालयी प्रशासन, संसाधनों की साझेदारी और समुदाय के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूलों के वैज्ञानीकरण जैसे उन्नतिशील प्रारूप अपनी सकती है। उदाहरण के रूप में इस संदर्भ में स्कूल कॉम्प्लेक्सों का निर्माण जीवंत शिक्षक समुदायों के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है; वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को आगे बढ़ाने और सीखने के लिए प्रभावी सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारियों आदि को भी साझा कर सकते हैं। इस संदर्भ में इस नीति यह विवेचित किया गया है कि–''शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हों। शिक्षक सामाजिक–भावनात्मक पक्षों पर भी ध्यान देंगे जो कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नितांत आवश्यक पक्ष है। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो।'' –राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ–33

इसके अतिरिक्त इस नीति के अन्तर्गत अध्यापकों का ज़्यादातर समय गैर–शिक्षण गतिविधियाँ करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं हैं उनको करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से अध्यापकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा जिससे कि वे पूरी तरह से शिक्षण–अधिगम से संबंधित कार्य में उचित ध्यान दे सकेंगे तथा साथ ही यह सुनिश्चित करने के संदर्भ में कि विद्यालय में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो, प्रधानाचार्यों और अध्यापकों की अपेक्षित भूमिका में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपने विद्यालयों में प्रभावी अधिगम और सभी हितधारकों के लाभार्थ एक संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें।

- **सतत व्यावसायिक विकास-**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सतत व्यावसायिक विकास के संदर्भ में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षक को स्वयं में सुधार करने के लिए और व्यवसाय अर्थात् पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ–साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा तथा इस संदर्भ में विशेष रूप से ऑनलाइन

प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए जाएंगे जिससे कि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें तथा साथ ही प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development-CPD) कार्यक्रम में हिस्सा लें। सतत व्यावसायिक विकास के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम शिक्षणशास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षणशास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला–एकीकृत, खेल–एकीकृत और कहानी–आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने नेतृत्त्व और प्रबंधन कौशल को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशीप/प्रबंधन कार्यशालाएँ और ऑनलाइन विकास के अवसर होंगे जिससे कि वे अपनी सर्वोत्तम प्रैक्टिस को एक–दूसरे के साथ साझा कर सकें। इसके अतिरिक्त इन संस्था प्रमुखों से यह भी अपेक्षित है कि वे भी प्रतिवर्ष 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development-CPD) कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा इसमें योग्यता एवं परिणाम आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षणिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने को केन्द्रित करते हुए नेतृत्व और प्रबंधन के साथ–साथ विषय वस्तु और शिक्षण–शास्त्र से संबंधित कार्यक्रम सम्मिलित होंगे।

- **कॅरियर मैनेजमेंट एवं शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कॅरियर मैनेजमेंट और प्रगति के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए जिससे कि सभी शिक्षकों को बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। इस संदर्भ में एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें अध्यापकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा जिससे अच्छे और बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी तथा साथ ही शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा जो सहकर्मियों के द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, सीपीडी के घंटे तथा विद्यालय एवं समुदाय में की गई अन्य सेवा आदि पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी होगी। वे उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशीप और प्रबंधन के कौशलों को दर्शाया होगा उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे कि वे आगे चलकर विद्यालय, स्कूल कॉम्प्लेक्स, बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीई, डीआईईटी के साथ–साथ संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालय में अकादमिक नेतृत्त्व कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक के संदर्भ में इस नीति में यह वर्णित अथवा उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक, शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद् (General Education Council-GEC) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी (Professional Standard Setting Body-PSSB) के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (National Professional Standards for Teachers-NPST) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा तथा मानकों में विशेषज्ञता/रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक में किए गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे जो कि समय–समय पर किए जाएंगे और इन मानकों के आधार पर अध्यापकों का कॅरियर मैनेजमेंट होगा जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य पहचान शामिल होंगे। कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी। वर्ष 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर दस वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त आनुभाविक

विश्लेषण किया जाएगा।

- **विशिष्ट शिक्षक–**

इस शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग/दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई (लर्निंग डिसेबिलिटी) होती है के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल हैं। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय–शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए। इसलिए इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरूआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषता विकसित की जा सकती है। इस संदर्भ में शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व–सेवाकालीन रूप अथवा मोड में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक/मिश्रित कोर्स बहु–विषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे तथा साथ ही योग्य विशेष शिक्षकों, जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनसीटीई और आरसीआई के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सुदृढ़ किया अथवा बनाया जाएगा।

- **शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण–**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि अध्यापक–शिक्षा को धीरे–धीरे वर्ष 2030 तक बहु–विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा; जैसे–जैसे सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय बहु–विषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बी. एड., एम.एड. और पीएच.डी. की डिग्री प्रदान करेंगे तथा साथ ही वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा इसमें स्थानीय विद्यालयों में छात्र–शिक्षण के रूप में व्यावहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री प्रदान करने वाले इन्ही बहु–विषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन बी.एड. कार्यक्रमों को एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित तरीके अथवा रूप से विकसित किया जा सकता है जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहु–विषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परा–स्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में शिक्षक बनना चाहते हो।

इस प्रकार की सभी बी.एड. डिग्रियाँ केवल चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहु–विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जा सकती है। इस संदर्भ यह शिक्षा नीति इस बात को स्वीकारती है कि–''सभी बी.एड. कार्यक्रमों में शिक्षण–शास्त्र की जाँची–परखी तकनीकों के साथ–साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के संबंध में शिक्षण–शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रूचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शिक्षार्थी केन्द्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है। सभी बी.एड. कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा। सभी बी.एड. कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्त्तव्यों (अनुच्छेद–51ए) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवदेनशीलता को भी उचित रूप में एकीक त किया जाएगा, ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बन सके।'' –राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ–36 एवं 37

इसके अतिरिक्त बहु–विषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बी.एड. के बाद कुछ अल्प–अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध करवाएं जाएंगे जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों; जैसे कि. विशेष

आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के शिक्षण, विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर या बुनियादी, प्रारंभिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षक–शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को पूर्ण रूप से बनाए रखने के संदर्भ में देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षा संस्थानों (Teacher Education Instution-TEI) के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि ज़रूरी हुआ तो उन्हें बंद किया जाना शामिल है। इस नीति में यह बड़े ही स्पष्ट तौर पर स्पष्ट किया गया है कि–''वर्ष 2021 तक एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफटीई 2021 तैयार की जाएगी। यह रूपरेखा राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। एनसीएफटीई 2021 में व्यवसायिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। तत्पश्चात्, संशोधित एनसीएफ में परिवर्तन और अध्यापक शिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दर्शाते हुए एनसीएफटीई में प्रत्येक 5–10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा।'' –राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ–37

उपरोक्त के अलावा इस शिक्षा नीति में यह भी स्वीकारा गया है कि विशेष विषयों के शिक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शिक्षा विधियाँ हो सकती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) विभिन्न विषयों के शिक्षण की विविध विधियों का अध्ययन, शोध, प्रलेखन और समेकन करेगी तथा साथ ही इस बात की भी सिफारिश करेगी कि इनमें से क्या सीखकर भारत में व्यवहार अथवा अनुप्रयोग में लाई जा रही विधियों में शामिल अथवा सम्मिलित किया जा सकता है, आदि।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष रूप में उपरोक्त पक्षों एवं प्रावधानों के वर्णन तथा समीक्षात्मक अध्ययन एवं विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध पंरपरा के आलोक में तैयार की गई एक विशेष नीति है सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। यह नीति सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने पर बल देती है। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति में बहुत से ऐसे प्रमुख पक्ष एवं प्रावधान हैं; जैसे– बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान, विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा एवं शिक्षक, आदि जो इस नीति को अपने आप में एक विशिष्ट शिक्षा नीति बनाते हैं। यदि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में इस नीति बात करें तो यह कहा जा सकता है कि यह नीति देश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली को एक नवीन दिशा एवं आधार प्रदान करने वाली एक विशेष एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति है।

संदर्भ :–

1. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 93-96

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संस्कृति का बदलता स्वरूप

–डॉ. देविदास भिमराव जाधव

हिंदी विभागाध्यक्ष एवं शोध निर्देशक, पानसरे महाविद्यालय अर्जापूर
तहसिल बिलोली जिला नांदेड (महाराष्ट्र) पिन –431711

किसी भी देश की संस्कृति, उस देश में निवास करने वाले सामान्य जनता के रहन–सहन, आचार–विचार, खान–पान, वस्त्र–आभूषण, नृत्य, गीत–संगीत, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों से निर्मित होती है। इसलिए अगर किसी देश के मूल्य और संस्कृति के वास्तविक और प्राकृतिक स्वरूप को निरखना–परखना हो तो इसका सबसे अच्छा स्रोत उस देश की संस्कृति और मुख्य रूप से लोकसंस्कृति है। किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणो के समस्त स्वरुप को संस्कृति कहा जाता है। जिसका अर्थ है– उतम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है। वह अपने चारो ओर की प्राकृतिक स्थितियों को निरंतर सुधारने में लगा रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पध्दति, रीति–रिवाज, रहन–सहन, आचार–विचार, अनुसंधान ओर अविष्कार जो मनुष्य को पशुओं से उपर उठा सके संस्कृति है। 'भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, किन्तु इसके बावजूद मन और आत्मा तो अतृप्त ही बने रहते हैं। इन्हें सन्तुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है, उसे संस्कृति कहते हैं।'[1] मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। सौन्दर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आदि अनेक कलाओं को उन्नत करता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संघटनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक् कृति संस्कृति का अंग बनती है। इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान–विज्ञानों और कलाओं, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश होता है। भारतीय संस्कृति समस्त विश्व में अपना अलग स्थान रखती है। बोगार्डस के अनुसार, "किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम संस्कृति है।'[2]

मैलिनोस्की के अनुसार–"संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है, जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है।" आपका कहना है कि "संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।"[3]

वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संस्कृति का विघटन हो रहा है। यहाँ के गाँव शहर में बदलते गए और शहर महानगरों में बदलने लगे। शहर में रहने वाला हर व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने लगा। परिणामतः उनके खान–पान, रहन–सहन, वेशभूषा–केशभूषा, भाषा, व्यवसाय आदि में परिवर्तन के संकेत मिलने लगे। वास्तु कला, नृत्य कला, हस्तकला के लिए भारत को विश्व में जाना जाता था। ताजमहल की ओर आज भी विश्व धरोहर की ओर दृष्टि से देखा जाता है। गढ़ किलो के अद्वितीय नमूने भारत के सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं। राज महल में रहने वाले भारतीय अब दस बाय दस के फ्लैट में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह वैश्वीकरण का ही परिणाम है।

भारतीय संस्कृति में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता रहा है। श्यत्र पूज्यते नार्यस्तु तत्र पूज्यते देवताश यह भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय समाज में नारी को हर पुरुष, मां–बहन से भी बढ़कर सम्मान दिया करता था। पाश्चात्य संस्कृति के परिणाम स्वरूप कम से कम कपड़े पहनना आज की नारी का फैशन बन गया है। इतने कम कपड़ों

में न देवी के दर्शन होते हैं और ना ही भारतीय नारी के। नारी का देह प्रदर्शन संस्कृति नहीं, विकृति बन जाती है। इस वजह से आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं घटित होने लगी है। भारतीय नारी की गरिमा दिन–ब–दिन कम होने लगी है। भूमंडलीकरण और बाजारवाद के दौर में नैतिक मूल्यों का विघटन भारतीय संस्कृति की चिंता बढ़ा रहा है।

भारत विविधताओं वाला देश कहलाता है। यहां संस्कृति का परिचय कराने वाली समृद्ध भाषाएं थी। संस्कृति का संक्रमण एवं संवर्धन करने वाली भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान समय में हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है। इन भाषाओं से भारतीयता की पहचान होती थी। जबकि अब हम अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं। अंग्रेजी पढ़ लिख लेना बड़े गर्व की बात समझी जाती है। हिंदी भाषा से शिक्षा और संस्कृति की जो परिपूर्ति होती है वह अंग्रेजी से नहीं होती। आज हम न हिंदी बोलते हैं और न इंग्लिश बल्कि हिंग्लिश बोलने लगे। प्रत्येक मां–बाप अपने अभिभावकों को हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में पढ़ाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय भाषाओं का भविष्य क्या होगा। अपने ही घर में हिंदी का इतना आनादर हम करने लगे है। जिस भाषा के माध्यम से हमने आजादी हासिल की देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में जिस भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह भाषा अपनों से लाचार बनी हुई है जिससे सांस्कृतिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। यह वैश्वीकरण की देन है।

भारत को पाक कला में भी महारथ हासिल है। भारतीय नारी को विविध प्रकार की पाककला का ज्ञान है। वह कम से कम समय मे पौष्टिक तत्वों से युक्त भारतीय भोजन बनाने में सक्षम है किंतु बाजारवाद के प्रभाव स्वरूप हम क्या खाएं, क्या पिए, यह हमें बाजार सिखाता है। बाजार का मायावी जाल विज्ञापन सभी को अपनी और आकर्षित करने लगा है। परिणाम स्वरूप बच्चे, युवक–युवती घर के भोजन के बजाय पिज्जा, बर्गर, जंक फूड के आदी होने लगे है। उन्हें घर के भोजन में रूचि नहीं है। इससे यह भय होने लगा है कि वर्तमान पीढ़ी भारतीय भोजन को जल्द ही भूल जाएगी। स्वादिष्ट एवं सरस भोजन को बढावा देनेवाली भारतीय संस्कृति अब खत्म होने को है। यह भूमंडलीकरण तथा बाजारवाद की ही देन है।

संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की बुनियाद है। यहां आपसी प्रेम, सद्भावना सहयोग, सेवा, समर्पण आदि भावों से संस्कृति को सींचा जाता था। अतिथि देवो भव की संकल्पना से सभी परिचित थे। घर की दीवारों पर श्आइए आपका स्वागत हैश् के बजाय श्कुत्तों से सावधानश् के बोर्ड लगे हुए हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ किए जाने वाले अभिवादन के तौर–तरीके भी बदल गए हैं। पहले बुजुर्गों से चरण स्पर्श करके प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार आदि अभिवादन रूपों का प्रयोग किया जाता था किंतु उनकी जगह आज हेलो, हाय, सेम टू यू आदि रूपों ने ले ली है। परिवार में सामुदायिक एकता, आत्मीयता, समरसता आदि भाव विद्यमान थे। आज श्हम दो हमारे दोश के बीच भी अनबन का भाव देखने को मिलता है। घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रखना हेय नहीं माना जाता। यह भारतीय संस्कृति का विघटन नहीं तो और क्या है? यह वैश्वीकरण का ही परिणाम है।

प्रकृति पूजा भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। यहाँ पेड़, नदियाँ, परबत, पशु आदि पूजनीय है। प्रकृति की रक्षा मैं स्वयं की रक्षा का एहसास भारतीय लोगों को था। प्रकृति से अपनी सारी जरूरतें पूरी करने वाला मानव आज प्रकृ ति का दोहन करने लगा है। उसका सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। परिणामतः प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाने लगी है। पशुओं के प्रति दया भाव भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग था। किंतु वर्तमान परिवेश में पशुओं की बलि चढ़ाना, उसकी हत्या करना, अपनी उपजीविका चलाना यह विकृति हो सकती है संस्कृति नहीं। पशु हत्या से उपजी वैश्विक महामारी मनुष्य का सर्वनाश करने का संकेत दे रही है। वह दिन दूर नहीं जब पशुओं की तरह मनुष्य प्रकृति से अपनी जान की भीख मांगेगा। गंगा की पवित्रता एवं शुद्धता को बनाए रखने का जिम्मा भारतीय समाज पर था। वहां आज गंगा को गंदगी से भरा जा रहा है, इससे हमे कोई ऐतराज नहीं। हमारे यहाँ पेड़ लगाने की संस्कृति थी, पेड़ काटकर जंगल साफ करने की नहीं। मुक पशुओं का आसरा छिनने का अधिकार भारतीय संस्कृति में नहीं है। हिंसा और क्रूरता यह भूमंडलीकरण की ही देन है।

गुरु–शिष्य की समृद्ध परंपरा भारतीय संस्कृति की परिचायक है। भारतवर्ष में गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना गया है। उनके आशीर्वाद एवं प्राप्त ज्ञान से शिष्य अपने जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने में सफल होता है। भारतवर्ष में नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान–विज्ञान के लिए सर्व परिचित है। यहाँ संसार के विभिन्न देशों से लोग ज्ञान पाने के लिए आया करते थे। किंतु आज भारतीय युवक युवती विदेशों में शिक्षा पाना अपना सौभाग्य समझते हैं, उन्हें इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। वर्तमान समय में गुरु –शिष्य के मायने ही बदल गए हैं। अध्ययन –अध्यापन जो निस्वार्थ रूप से होता था उसमें स्वार्थ भर गया है। गुरुज्ञान आज महज एक व्यवसाय बन गया है। गुरु बाजार और शिष्य ग्राहक बन गया है। गुरु के प्रति उसके मन में कोई सम्मान का भाव देखने को नहीं मिलता। जब तक सफलता नहीं मिल जाती वह गुरु के गुण गौरव करते रहता है। जैसे ही सफलता मिल जाती है वह गुरु को जल्द ही भूल जाता है। गुरु –शिष्य का स्वार्थ पूर्ण व्यवहार भारतीय संस्कृति के विपरीत है। यह बाजार और भूमंडलीकरण के परिणाम का मात्र है।

राष्ट्रप्रेम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारतीय समाज साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि के माध्यम से राष्ट्र के स्वर्णिम अतीत का गुण गौरव करता आया है। राष्ट्र पर आनेवाली वाली हर विपदा को वह अपनी विपदा समझता है और उसे सुलझाने के अथक प्रयास भी करता है। इसमें उसकी राष्ट्रीय भावना बोध होता है। वर्तमान परिवेश में भारत की कुछ कपूत संताने 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद' तथा 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगा रही है। 'भारत माता की जय' बोलने उन्हें शर्म आती है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जिन्हें चिढ हो, वह राष्ट्र का पुत्र कैसे हो सकता है? और वह सांस्कृतिक धरोहर का रक्षक कैसे बन सकता है? सही अर्थ में भारतीय संस्कृति का विघटन यहीं से शुरू हो जाता है और लगातार हो रहा है।

तीज–त्यौहार भारतीय संस्कृति की धरोहर माने जाता है जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियाँ देखने को मिलती है। जिस देश का सांस्कृतिक मूल्यांकन करना हो उस देश के त्योहारों का अध्ययन करना चाहिए। दीपावली दशहरा होली आदि त्यौहार सांस्कृतिक संवर्धन में चार चाँद लगा देते हैं। इन त्योहारों में लोक कला लोक संस्कृति सांस लेती है। नृत्य, गीत की धून पर समस्त समाज थिरकने लगता है। कथ्थक एवं भरतनाट्यम् जैसे लोक नृत्य के कारण भारतीय संस्कृ ति की गरिमा बढ़ जाती है। आज इनकी जगह भांगड़ा नृत्य और पॉप संगीत ने ले लिया है जो उबाऊ लगने लगा है। उसमें समाज के लोगों को आकर्षित करने का गुण नहीं है। इस अवसर पर बहू –बेटियों का अपने मायके में आना–जाना परिवार में खुशियां भर देता था। आज त्यौहार कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक जमाना था जब लोग त्यौहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। वक्त निकालकर लोग आपस में मिल लिया करते थे। दिल की बात खोल दिया करते थे। पर आज सब समाप्त हो गया है। संस्कृति नाम शेष मात्र रह गई है। उसमें किसी की दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। शहर में बसे हुए लोग अब त्योहारों पर भी अपने गाँव नहीं आते। बहन राखी लिए भाई का इंतजार कर रही है पर भाई के पास वक्त नहीं। इस तरह हम प्रथा परंपरा को तोड़ने लगे हैं। और उम्मीद भी करते हैं कि संस्कृति बची रहे ऐसे में यह संभव नहीं।

समाज में व्याप्त संस्कार भारतीय संस्कृति का परिचय देते हैं इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार सांस्कृतिक धरोहर माने गए हैं। भारतीय संस्कृति में जन्म संस्कार विवाह संस्कार मृत्यु संस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। उनकी अपनी कुछ विधियां है और विधियों के अनुसार ही संस्कार किए जाते हैं पर वर्तमान संदर्भ में इन संस्कारों मे बदलाव के संकेत मिलते है। अतीत में विवाह सामूहिक पर्व एवं त्योहार के रूप में मनाया जाता था। आज स्थिति यह हो गई है कि वधू और वर के परिवार के सदस्य ही विधियाँ संपन्न कर रहे हैं। उसने सामूहिक सहयोग की संस्कृति बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसी तरह मृत्यु संस्कार भी अब एक औपचारिकता का भाग बन गया है। जन्म और मृत्यु जैसी घटना भी आज के मनुष्य के लिए कोई मायने नहीं रखती। विदेशों में बसे हुए व्यक्ति अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में पहुँच नहीं पाते। इस बात का उन्हें अफसोस भी नहीं होता क्योंकि भारतीय संस्कृति से कटा हुआ हर व्यक्ति

सामाजिक संवेदना से कट जाता है। वैश्विक परिवेश में इन बातों का कोई मूल्य शेष नहीं रह जाता। उनके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। जो अभी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिनके जहन में संवेदना शेष है वही संस्कृति को भली–भांति जान सकते है।

भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है इस देश में नामदेव, कबीर रैदास, मीरा, तुकाराम, महात्मा बसवेश्वर आदि संतों ने भारतीय संस्कृति की गरिमा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन संतों ने अपने साहित्य के माध्यम से प्रेम, त्याग, सेवा, समर्पण दया, सद्भावना, भक्ति आदि अनेक गुणों से भारतीय संस्कृति को सींचा है। मानवतावादी दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति की बुनियाद है। वर्तमान परिवेश में स्वयं घोषित संतों एवं बाबाओं के आचरण से भारतीय संस्कृति की बड़ी क्षति हुई है, इसे आप सभी जानते हैं। इन संतों ने संत की परिभाषा ही बदल कर रख दी। 'राम नाम जपना पराया माल अपना' की उक्ति इन संतों पर चरितार्थ होने लगी है। संत की भूमि में संतों की पीट–पीटकर हत्या हो रही है। मॉबलीचिंग की घटनाओं से पूरा भारत दहल उठा है। यह भारतीय संस्कृति नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि, वैश्वीकरण के दौर में भारतीय संस्कृति का निरंतर विघटन हो रहा है। जहां एक और प्रगति के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति को पिछड़ेपन का प्रतीक माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति में व्याप्त मानवीय मूल्यों की रक्षा का संकट खडा हो गया है। बाजारवाद और वैश्विक संगठन के इस दौर में कई संस्कृतियों का टकराव आपस में जारी है। इस मे वही टिक पायेगी जिसमें मानव मूल्यों के लिए जगह शेष है। भारतीय संस्कृति को क्षति पहुँचाने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, हम लोग ही उसका अनादर करते है। हम चाहे तो हमारी संस्कृति फिर से पुनर्जीवित हो सकती है उसका संवर्धन करना हमारा परम कर्तव्य है।

संदर्भ :–

1. हरिदत्त वेदालंकार, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 3
2. डॉ. रामानंद तिवारी, शिक्षा और संस्कृति, पृ.18
3. डॉ. विद्या चौहान, लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 21
4. सहायक ग्रंथ– भारतीय संस्कृति, डॉ किरन टण्डन
5. सहायक ग्रंथ– लोकसाहित्य एवं लोकसंस्कृति, सम्पा. राजकुमार सिंह

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 97-100

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संचार क्रांति के दौर में मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकारों का बढ़ता उत्कर्ष व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच पनपता संघर्ष

–प्रो. पवन कुमार

सहायक प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग
मुन्शी सिंह महाविद्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार–845401

परिचय :–

वर्तमान संचार क्रांति और सोशल मीडिया के दौर में पलक झपकते ही सारी सूचनाएं व्यक्ति के उँगलियों के इशारे पर मौजूद है। सूचना के इस क्रांति ने व्यक्ति को काफी जागरूक कर दिया है। हरेक व्यक्ति अपने कर्तव्य के बारे में सजग हो या न हो परंतु वह अपने अधिकारों के प्रति सजग आवश्य है।

युद्ध की विभीषिका से मानव को बचाने के लिए विश्व समुदाय ने 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध की विभीषिका से बचे हुए उसी मानव के हिफाजत के लिए 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकार घोषणा–पत्र जारी किया जो मानव होने के नाते सभी व्यक्ति को प्राप्त है।

इसी समय भारतीय संविधान की भी रचना हो रही थी। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है ही साथ ही कुछ अधिकार मानव होने के नाते विदेशियों को भी प्राप्त है। स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं को मानवाधिकार घोषणा–पत्रने भी प्रभावित किया था।

मानवाधिकार घोषणा–पत्र विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जबकि मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों की स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अतः विश्लेषणोंपरान्त यह पता चलता है कि मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में काफी समानता है। यही कारण है कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं और यही सजगता व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को जन्म दिया है।

व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति :–

भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में काफी लंबे वाद–विवाद के पश्चात भारतीय संविधान के लिए संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका जहां एक–दूसरे से मिली–जुली होती है, वहीं व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका एक–दूसरे से स्पष्टतः भिन्न होते हैं।

भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका को जहां अनुच्छेद–368 के द्वारा मौलिक अधिकार सहित भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वही न्यायपालिका को भी अनुच्छेद–13, 32, 137, एवं 142 के तहत् व्यवस्थापिका के द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करने तथा अपने द्वारा दिए गए निर्णय को पूरी तरह से बदलने या उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के द्वारा समय–समय पर इन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाता रहा है जिससे

इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रही है।

न्यायपालिका ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1993) के वाद में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन कुल आरक्षित स्थानों की संख्या 50: से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण अनुमान्य नहीं होगा।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यवस्थापिका ने 76 वां एवं 77 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। 76 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1994 के द्वारा तमिलनाडू में स्थित शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को 9 वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 77 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद–16 के खंड (4) में एक नया उपखंड (4–ए) जोड़ कर एक उपबंध किया गया है जिसके अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

वीरपाल सिंह चौहान बनाम भारत संघ (1995) तथा अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1996) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 16 सितम्बर, 1999 को अपने निर्णय के द्वारा यह व्यवस्था दी थी कि पदोन्नति में आरक्षण तो दिया जा सकता है, लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिए व्यवस्थापिका के द्वारा 85 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 पारित किया गया, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद–16(4–ए) में संशोधन कर राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के पदों पर अनुवर्ती वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण को 17 जून,1995 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया गया।

एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) के मामले में 77वां एवं 85वां संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय में इन संवैधानिक संशोधनों को तो सही माना, लेकिन यह भी कहा कि सरकार को इन वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के पिछड़ेपन, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं कामकाज की दक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में आंकड़ों का आधार तैयार करना होगा। राज्य सरकार या केन्द्र सरकार यदि पदोन्नति में आरक्षण देती है तो उन्हें इस बात की भी जांच करनी होगी कि–

1. इन वर्गों के लोगों में आज भी पिछड़ापन है या नहीं?
2. इस वर्ग के लोगों का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं?
3. पदोन्नति में आरक्षण से प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?

एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) के निर्णय के बाद से ही कई जनहित याचिकाओं में इस पर पुनर्विचार की मांग उठती रही थी। इस मामले में विभिन्न राज्यों की सरकारों एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल ने पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में गुहार लगाते हुए कहा था कि एक सात सदस्यीय संविधान पीठ को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

26 सितम्बर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उसे बड़ी संविधान पीठ के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है और न ही पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए 2006 के निर्णय में लिखे गए पिछड़ेपन के मापदंडों को पूरा करने और इससे संबंधित जानकारी जुटाने की ही कोई जरूरत है। परन्तु पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव वाली बात आज भी लागू है, क्योंकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कुछ नहीं कहा है।

30 जुलाई, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने बी. के. पवित्रा 2 बनाम भारत संघ के वाद में अपने निर्णय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए गए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता

को बरकरार रखा है तथा पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। उक्त पुनर्विचार याचिका में आए निर्णय से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में क्रीमीलेयर की संकल्पना लागू नहीं होगी एवं परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 27 अगस्त, 2020 को दिए फैसले में कहा है किराज्य सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी में वर्गीकरण का अधिकार है। राज्य सरकार सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती और न ही वह किसी जाति को जोड़ अथवा घटा सकती है लेकिन जाति की जांच कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि विभिन्न रिपोर्ट दर्शाती हैं कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग में सभी जातियां समान नहीं है। अतः, आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा है। जबकि आरक्षण का उद्देश्य सभी वर्गों को ऊपर उठाना है जो राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी है।

2004 में ईसी चिन्नैया मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ही पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में उपवर्गीकरण का राज्यों को अधिकार नहीं है।

अतः जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि ईसी चिन्नैया मामले का फैसला भी समान क्षमता का पीठ ने सुनाया था इसलिए वह मुख्य न्यायाधीश से मामले को सात न्यायाधीशों या उससे बड़ी पीठ के समक्ष विचार के लिए लगाने का आग्रह करते हैं।

व्यवस्थापिका द्वारा 103 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 पारित किया गया जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद–15 में एक नया उपखंड (6) तथा अनुच्छेद–16 में एक नया उपखंड (6) जोड़कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 10ः आरक्षण का प्रावधान किया गया।

आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को यूथ फॉर इक्वालिटी सहित कई संगठनों और लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दिया है। चुनौती देने वालों का दलील है कि संविधान में अनुच्छेद–15(6) और 16(6) को जोड़ कर संविधान के मूल ढांचे में बदलाव किया गया है। इसमें इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को उद्धत करते हुए कहा था कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। साथ ही उस फैसले में यह भी कहा था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोवडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 103 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक तो नहीं ठहराया लेकिन इस पर विचार करने के लिए 5 अगस्त, 2020 को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपने का फैसला किया। जब तक संविधान पीठ द्वारा इसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जाता तब तक सामान्य वर्ग के पिछड़े को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा।

निष्कर्ष :–

वर्तमान समय में सूचना एवं संचार क्रांति ने पूरे विश्व को एक गांव जैसा बना दिया है। सूचना के इस क्रांति से व्यक्ति में जागरूकता बढ़ी है। इसका नतीजा यह है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम से किसी एक भी भारतीय के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो और वह न्यायपालिका में चाला जाये तो उस कानून को अवैध घोषित करने या उसकी वैधानिकता शून्य घोषित करने से न्यायपालिका पीछे नहीं हटती है जिससे दोनों संस्थाओं के बीच पुनः एक नए संघर्ष का जन्म होता है तथा यह सिलसिला चलते रहता है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि दोनों संवैधानिक संस्था को सूचना एवं संचार क्रांति का उपयोग अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अधिकाधिक करनी चाहिए। व्यवस्थापिका में प्रत्येक विधेयक पर उम्दा प्रकृति की बहस होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। इसमें आम जनता से ऑनलाईन सुझाव भी आमंत्रित किए जाने चाहिए तथा व्यवस्थापिका के सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा अपने क्षेत्र की जनता से दिन–प्रतिदिन का संवाद भी स्थापित

करना चाहिए और उनकी समस्या की चर्चा व्यवस्थापिका में भी की जानी चाहिए जिससे विधेयक के कानून बनने तक सभी त्रुटियों का निदान किया जा सके। न्यायपालिका को भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सुनवाई को आम जनता तक आभासी रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा न्यायपालिका के निर्णय को प्रोद्योगिकी के द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे आम जनता कानूनी रूप से भी शिक्षित हो सके और न्यायपालिका के समक्ष वाद में कमी आ सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत 2020, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. डा० जय नारायण पाण्डेय (2019) : भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।
3. डा० जय जय राम उपाध्याय (2019) : भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।
4. ब्रजकिशोर शर्मा (2019) : भारत का संविधान एक परिचय, पेंटिस हाल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. एम० लक्ष्मीकान्त (2019) : भारत की राजव्यवस्था, टाटा मैग्रो हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. डा० पुखराज जैन (2020) : भारत का संविधान, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
7. सुभाष कश्यप (2015) : हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली
8. बालमुकुंद अग्रवाल (2015) : हमारी न्यायपालिका, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली।
9. सुभाष कश्यप (2015) : हमारी संसद, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली।
10. शिवानी किंकर चौबे (2015) : भारतीय संविधान रू रचना एवं कार्य, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली।
11. डा० दुर्गा दास बसु (2019) : भारत का संविधान एक परिचय, जैन बुक एजेंसी पब्लिकेशन, नईदिल्ली।
12. hindi.livelaw.in

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 101-107

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संस्कृत साहित्य में पर्यावरण चिन्तन

–डॉ. वीरेन्द्र कुमार जोशी

सह आचार्य, संस्कृत गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर।

पर्यावरण न केवल मानव अपितु विभिन्न जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति के उद्‌भव, विकास एवं अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण किसी एक तत्त्व का नाम नहीं अपितु अनेक तत्त्वों का सामूहिक नाम है, जो सम्पूर्ण जीव जगत को नियंत्रित करते हैं तथा एक–दूसरे से अन्तः सम्बन्धित हैं। पर्यावरण से तात्पर्य है परितः आवरणम् अर्थात् हमारे चारों ओर स्थित वह घेरा या वातावरण जिसका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षतः उपभोग करते हैं अथवा वह वातावरण जिससे सम्पूर्ण जगत् या ब्रह्माण्डया जीव जगत घिरा हुआ है। पर्यावरण के अन्तर्गत प्रकृति जन्य सभी तत्त्व–आकाश, जल, अग्नि, ऋतुएँ, पर्वत, नदियाँ, तडाग, वनस्पति, जीव–जन्तु, नक्षत्र, दिशाएँ आदि एक तरह से सम्पूर्ण ब्राह्माण्ड ही समाहित हो जाता है। वातावरण के ये सभी तत्त्व मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ये स्वयं भीमानवीय कृत्यों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार मानव तथा प्रकृति अन्योन्याश्रित रूपेण सम्बद्ध हो जाते हैं।

सभ्यता के आदिम युग से आज तक मानव ने जो प्रगति की है, उसमें पर्यावरण की महती भूमिका है। एक ओर पर्यावरण की अनुकूलता सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का आधार है तो, दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण इसमें बाधक है। पर्यावरण प्रदूषण आज एक विश्वव्यापी समस्या है, क्योंकि इससे पारिस्थिति की असंतुलन उत्पन्न होता है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक तकनीक ने जहाँ हमें अनेक सुविधायें प्रदान कर जीवन को सुखद एवंसुन्दर बनाया है, वहीं इसके फलस्वरूप पर्यावरण अवकर्षण जीव–जगत के लिए संकट का कारण बनता जा रहा है। विकास आवश्यक है किन्तु पर्यावरण की हानि पर नहीं।

आज बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, शहरीकरण ने अपने आकर्षक प्रगति की चकाचौंध के साथ ही वायु, जल, मृदा को व्यापक रूप से प्रदूषित किया है। ज्यौं–ज्यौं प्रगति और विकास होता चला जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण का यह प्रकोप स्थानीय एवं क्षेत्रीय न होकर विश्वव्यापी होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति, भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी, असमय बाढ़, अकाल एवं भूकम्प का आना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन से ओजोन परत का विरल होना, विश्व जैव सम्पदा के विलुप्त होने का संकट, आदि अनेक पक्ष पर्यावरण प्रदूषण के व्यापक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं।

पर्यावरण की रक्षा का दायित्व किसी एक देश अथवा कुछ देशों का नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व समुदाय का है। इस दिशा में विश्व का ध्यान सर्वप्रथम जून 1972 ई. में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन से आकृष्ट हुआ। इसी सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। यहाँ पारित स्टॉकहोम घोषणा पत्र पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित गतिविधियों का ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सिद्धान्त वर्णित किये गये हैं। इस सम्मेलन के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तरों पर पर्यावरण कार्यक्रमों के साथ–साथ ठोस प्रयत्न भी किये गये। इसी दिशा में अगला कदम ब्राजील के नगर रियो–डी–जेनेरियो में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन 1992 की संज्ञा दी गई। इसमें विगत 20 वर्षों में हुए

पर्यावरण प्रयत्नों की समीक्षा की गई तथा विश्व के समक्ष उपस्थित पर्यावरण चुनौतियों–पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद, संसाधन संरक्षण, जैविक संसाधनों की विविधता एवं संरक्षण आदि पर विचार एवं पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने हेतु निर्देश तैयार किये गये। भारत में भी इस दिशा में पर्याप्त कार्य सरकारी एवं गैर–सरकारी स्तरों पर हो रहे हैं।

संस्कृत साहित्य तपोवन साहित्य है। तपोवन में रहते हुए ऋषियों ने प्रकृति के नयनाभिराम, चित्ताकर्षक और भयावह रूपों को देखा। संस्कृत साहित्य में ऋषियों और महाकवियों ने प्राकृतिक तत्त्वों को जीवनयुक्त बतलाया, उनमें देवत्व की भावना समाहित की। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य में सामंजस्य और सौमनस्य भी वर्णित किया है। वेदों में नदी, वृक्ष, वायु, पृथ्वी, अग्नि आदि का सूक्तोंके रूप में किया गया स्तवन हमारे पूर्वजों की पर्यावरण सचेष्टता का अनुपम उदाहरण है।

संस्कृत साहित्य में पर्यावरण संरक्षण की उदात्त परिकल्पना है। यहाँ रक्षक देव के रूप में प्रत्येक दिशा की दिकपाल रूप में संकल्पना प्राप्त होती है। प्रत्येक दिशा का प्रेक्षक एक हाथी है जो दिग्गज कहा जाता है। ऋग्वेद का नदी सूक्त पवित्र नदियों के प्रति उच्चाग्रह, हार्दिक अनुराग, प्रकृष्ट प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। ऋग्वेद में अन्तरिक्ष, पर्वत, नदी, तडाग, वन और समुद्र के कल्याणकारी बने रहने का चिन्तन है–

'शमन्तरिक्ष दुश्येनो अस्तु, शनोभवित्र शमुअस्तु वायु, शं न इषिपरो अभिवातु वात।'

अर्थात् अन्तरिक्ष धुआँ, धूल से मुक्त (साफ) रहे, जिसमें हम सब स्पष्ट देख सकें, अन्तरिक्ष में कल्याणकारी हवा चलती रहे और वायु एक स्थान पर बद्ध न रहकर इषिपर अर्थात् स्वच्छ रूप सेदायें–बायें प्रवाहित होती रहे।

शन्नःपर्वता ध्रूवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमुसन्त्वापः।[1]

शं न ओषधिर्वनिनो भवन्तु।[2]

शन्नो अहिर्बुध्न्यः शं समुद्रः।[3]

अर्थात् ये पर्वत ध्रुव रहे, उनकी तोड़फोड न की जाये, जिससे ये हमारे लिए लाभकारी बने रहें। ये बड़ी–बड़ी नदियाँ और इनका जल हमारे लिए हितकारक रहे। हमारे वनों के वृक्ष, वनस्पति हमें सुख और स्वास्थ्य प्रदान करते रहें। समुद्र के गहरे तलीय जल भी हमारे लिए सुख के प्रदाता हों।

प्रकृति एवं मनुष्य एक–दूसरे के पूरक हैं, एक के अभाव में दूसरे के सद्भाव की कल्पना नही ंकी जा सकती। यही कारण है कि प्राचीन काल में पर्यावरण मानवीय जीवन–पद्धति में मिला हुआ था। मानव जीवन का कोई भी पक्ष पर्यावरण से पृथक् नहीं देखा जा सकता। प्राचनी काल में तो मनुष्यों की नित्य–क्रिया, संस्कार, व्रत–अनुष्ठान, त्यौहार, क्रियाकर्म, पूजा–पद्धति, नृत्य–गीत आदि सभी में पर्यावरण समाहित था। चाहे चर हो या अचर सभी के प्रति हमारे मन में आदर एवं सद्भाव था। मनुष्य "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" की भावना से अभिभूत है। सभी नदियाँ देवियाँ है, पर्वत देवता हैं। पृथ्वी और गौ मातृस्वरूपा हैं। अधिकांश पशु–पक्षी देव–वाहनों के रूप में प्रतिष्ठित होकर पूज्य बन गये। भारतीय संस्कृति में तो सिंह और सर्प जैसे हिंसक जीव भी शक्ति और शिव से संयुक्त होकर पूज्य तथा अवध्य हो गये।

अथर्ववेद का देवीसूक्त जल की शुद्धता और पवित्रता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। प्राचीनकाल में गाँव और नगर यथासंभव किसी बड़े जलाशय, या नदी के किनारे बसाये जाते थे। विद्यापीठ और आश्रम तो उनके किनारे ही होते थे। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट परथा। जल प्रदूषित न हो इसका बड़ा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि स्नान, तर्पण आचमन आदि क्रियाएँजल से ही सम्पन्न होती थी। इनमें किसी प्रकार का मल फैंकना निषिद्ध एवं दण्डनीय अपराध था।

मनु ने कहा है कि शौचक्रिया जल में, अग्नि में, उद्यान में, वृक्ष के नीचे, शस्ययुक्त क्षेत्र मेंबस्ती तथा देवस्थान के पास नहीं करनी चाहिए–

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वाष्ठीवनं वा समुत्सृजेत।
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा।[4]

विष्णुस्मृति में भी यही बात कही गई है–

ब्राह्ममुहुर्ते उत्थाय मूत्रपुरीषोत्सर्ग कुर्यात्। ना प्रच्छादितायां भूमौ
न फालकृष्टायाम्। न चोषरे। .....न पथि।
न रथ्यायां। न उद्याने। नोद्यानोदकसमीपयोः। न गो व्रजे। नाकाशे। नोदके।'[5]

नदी के तट पर और पहाड़ी के ऊपर भी मूत्र विसर्जन वर्जित था। मल, मूत्र, थूक, रक्त किसी प्रकार के विष या अन्य किसी अपवित्र वस्तु जैसे जूठन आदि को जल में नहीं डालना चाहिए। अग्नि में भी किसी गन्दी वस्तु को डालना निषिद्ध था, क्योंकि ऐसा करने से अग्नि से दूषित धूआँ निकलेगा, जो सारे पर्यावरण को दूषित करेगा। जल की शुद्धता की इतनी कड़ी व्यवस्था के कारण ही लोक–स्वास्थ्य की रक्षा संभव हो सकती थी। जिन जलाशयों में जल बहुत कम हो या जिनमें फेन उठ गया हो या गन्दा हो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। इससे भिन्न जल में एकान्त में नहाना चाहिए, भीड़ के साथ नहीं क्योंकि अधिक लोगों के साथ मिलकर स्नान करने से एक के शरीर का मल या रोग दूसरे को लगने की आशंका बनी रहती है–

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिभस्तीर्थेषु धर्मवित्।
शौचेप्सुः सदा स्नायादेकान्ते प्रागुदङ्मुखः।।[6]

कूप, नदी या सरोवरादि के जल को प्रदूषित करना निन्दनीय माना जाता था। तैत्तिरीय आरण्यक में कहा है–

नाप्सु मूत्रपुरीषं कुर्यात् न निष्ठीवेत।
न विवसनः स्नायात् गुह्यो वा इषोग्नि।।[7]

पेयजल की शुद्धि के संबन्ध में भी निर्देश थे। जल पीने से पूर्व तीन बार कुल्ला करके मुखको स्वच्छ कर लेना चाहिए और मुँह धो लेना चाहिए– त्रिराचामेदपः पूर्व त्रिः प्रमृज्यात्ततोमुखम्।[8]

अशुद्ध जल को केतकी के फल से शुद्ध किया जाता था। इससे मिट्टी और दूषित कण नीचेबैठ जाते थे। जल मोटे वस्त्र से छाने बिना नहीं पिया जाता था–

फलं केतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्।
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति।।[9]
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्।[10]

सार्वजनिक स्थलों को प्रदूषण एवं शरीर को दोषों से बचाने के लिए ही ये नियम लोगों की दिनचर्या में शामिल थे। अंजली में जल पीना मना था क्योंकि ऐसा करने से उच्छिष्ट जन्य प्रदूषणों या कीटाणुओं से रोग के संक्रमण का भय था।

प्राचीन आर्यों की जीवन पद्धति आश्रमों में व्यवस्थित थी। इनमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रम में मानव प्रकृति की शरण में रहकर उसी का संरक्षण एवं अभिवर्द्धन करता हुआ उसी में अपना जीवन–निर्वाह करता था, जबकि गृहस्थाश्रम पर शेष तीनों आश्रमों की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व था। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था में भी पर्यावरण व्यवस्था ही प्रतिष्ठित थी।

वट सावित्री में वट पूजा, कार्तिक में तुलसी पूजा, एकादशी पर आँवला की पूजा, नागपंचमी पर नाग की पूजा, दशहरे पर नीलकण्ठ एवं अश्व की पूजा, कार्तिक में गोवर्धन की पूजा आदि भारतीय व्रतों, पर्वो एवं मांगलिक कार्यों में पर्यावरण के तत्त्वों की प्रधानता के द्योतक हैं।

वृक्षों में देवत्व की भावना का विकसित रूप पुराणों में मिलता है। पद्मपुराण के अनुसार वृक्षों में देवताओं के निवास के कारण वृक्षों का संरक्षण एवं पूजन पुण्य तथा उनका कर्तन एवं विनाश पापमाना गया है–

तत्र विल्वे स्थितः शम्भूरश्वत्थे हरिरव्ययः।
शिरीषेऽभूत्सहस्राक्षो निम्बे देवः प्रभाकरः।।
स तु तन्मयतां यातस्तस्मात्तं न विनाशयेत्।[11]

सामरिक दृष्टि से वृक्ष बहुत उपयोगी होते हैं। सीमा पर सघन वृक्ष– वनस्पतियों का संरोपण पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है–

सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थकिंशुकान्।
शाल्मलीन्सालतालांश्च क्षीरिणश्चौव पादपान्।।
गुल्मान् वेणूश्च विविधांछमीवल्ली स्थलानि च।
शरान्कुब्जकगुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति।।[12]

आज भी गाँव का व्यक्ति हरा वृक्ष नहीं काटना चाहता है। प्रायः घर के सामने नीम का वृक्ष एवं आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। महाभारत एवं पुराणों में वृक्षों को धर्मपुत्र माना गयाहै।[13] पुत्र हीनों को उनके द्वारा लगाये गये वृक्ष ही तारने वाले होते हैं–

अतीतानागतान् सर्वान् पितृवंशांस्तु तारयेत्।
कान्तारे वृक्षरोपी यः तस्मात् वृक्षांस्तु रोपयेत्।।
तत्र पुत्रा भवन्त्येते पादपा नात्र संशयः।
परं लोकं गतः सोऽपि लोकानाप्नोति चाक्षयान्।।
पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान् ।
इहलोके परे चौव पुत्रास्ते धर्मतः स्मृता।।[14]

सुपल्लवित और फलयुक्त वृक्ष तथा वनस्पतियाँ मनुष्य के मन में अद्‌भुत आनन्द और शक्ति का संचार करती हुई उसे विजय के पथ पर बढ़ाती हैं–

ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः।
अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः।।[15]

महाकवि कालिदास के समग्र साहित्य में ही पर्यावरण संरक्षण की भावना संव्याप्त है। रघुवंशम् के अनुसार भगवान शिव ने देवदारू वृक्ष को पुत्र के समान संवर्द्धित किया और पार्वती ने उसे बड़े स्नेह से सींचा था। जंगली हाथी के कपोल की रगड़ से उस देवदारू की तनिक सी छालछिल गयी। इतने से ही पार्वती जी को उतना ही शोक हुआ, जितना दैत्यों के बाणों से घायल कार्तिकेय को देखकर हुआ था–

अमुं पुरः पश्यसि देवदारू पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन।
यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसा रसज्ञः।।
कण्डूयमानेन कट कदाचिद्वन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्य।
अथैनमदेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढ़मिवासुरास्त्रैरू।।[16]

इसी प्रकार वाल्मीकि ने निर्वासित सीता को यह परामर्श दिया था कि तुम यहाँ आश्रम के छोटे–छोटे पेड़–पौधों को सींचोगी तो तुम्हें सन्तान प्राप्ति से पूर्व ही मातृत्व का आभास हो जायेगा कि बच्चों का लालन–पालन और संवर्द्धन कैसे किया जाये–

पयोघटैराश्रमबालवृक्षान् संवर्धयन्ती स्ववलानुरूपैः।
असंशयं प्राक्तनयोपपत्तेः स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्।।[17]

अभिज्ञान शाकुन्तलम् की नायिका पेड़–पौधों के प्रति परम स्नेहशीला थी। यह उन्हें सींचे बिना जलग्रहण नहीं करती थी। मण्डन–प्रिया होते हुए भी वह उनका पत्ता तक नहीं तोड़ती थी। वनस्पतियों के पुष्पित होने पर उसके हर्ष प्रकर्ष की सीमा नहीं रहती थी–

पातु नं प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या।
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।।
आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः।
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम्।।[18]

आश्रम का मृग पीछे से शकुन्तला का वस्त्र खींच रहा है। कण्व कहते हैं 'पुत्री'! यह वही मृगशावक है जिसके मुखाग्र में हुए घाव को तुमने इंगुदी का तेल लगाकर ठीक किया था।[19] यही हैप्रकृति एवं मानव का परस्पर मंजुल सामंजस्य। यही है पर्यावरण की प्राचीन अवधारणा।

रघुवंशम् में राजा दिलीप गुरू की आज्ञा से नन्दिनी की सेवा करते हैं। वे गाय के चलने पर चलते हैं, उसके बैठने पर बैठते हैं, तथा उसके जल पीने पर जल पीते हैं।[20] इतना ही नहीं अपितु जब सिंह गाय पर आक्रमण करता है तो गाय की रक्षा के लिए दिलीप अपने प्राण तक समर्पण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। महाकवि कालिदास ने तो पर्यावरण के आठ देवताओं तक को शिव में ही उपस्थापित कर दिया है–

यासृष्टिःसष्टुराद्यावहतिविधिहुतं या हविर्या च होत्री,
ये द्वे कालं विद्यतःश्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः,
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः।।[21]

उत्तररामचरितम् में भी प्राकृतिक प्रांगण निर्मल एवं पावन है। मानव मन का प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। यदि मानव प्रसन्न है तो वन, नदियों, सरोवर, सुमन आदि सभी प्रफुल्लित एवं पवित्र हैं–

स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरी वा।
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोर्वर्तनानि।।[22]

मानव के दुःखी मन का भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। राम के दुःख में प्रकृति भी दुःखित होती है, पर्वत भी रो पड़ते हैं। इतना ही नहीं वज का भी हृदय फट जाता है–

जनस्थाने शून्ये विकलकरणैरार्यचरितै–
रपिग्रावा रोदित्यपि दलित वजस्य हृदयम्।[23]
राम पंचवटी के वृक्षों और मृगों को अपना बन्धु बताते हैं–
यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बन्धवो मे।[24]

सीता द्वारा पालित मोर सीता को माता समझता है और सीता का स्मरण करता है।[25] सीतामृगों, पक्षियों और वृक्षों को पुत्रवत् मानकर पालती थी– त एव जातनिर्विशेषा मृगपक्षिणः पादपाश्च।[26] सीता वृक्षों को जल से, पक्षियों को धान्य से और मृगों को घास से प्रतिदिन पालती थी। उनके प्रति उसका पुत्रवत् स्नेह था–

करकमलवितीर्णरबुनीवारशष्यै–
स्तरुशकुनिकुरङ्गान्मैथिली यानपुष्यत्।[27]

पारम्परिक रूप में भी भारतीय चिन्तन जीव जगत् को न केवल ईश्वर की सृष्टि मानता है, वरन् धर्म–शास्त्रों में तो समस्त जीवों के साथ अपनी सन्तान के समान व्यवहार करने की सलाह दी गयी है–

मृगोष्ट्रखरमाखुसरीसृपखगमक्षिकाः।
आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामान्तरं कियत्।[28]

अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को पशु–पक्षियों की देखभाल स्वयं की संतान के समान करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में अन्तर प्रकट करें।

वन्य जीवों की उपयोगिता के कारण इनका संरक्षण भारतीय संस्कृति का विशिष्ट और अभिन्न अंग रहा है। वैदिक साहित्य में पशु–पक्षियों की हिंसा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है साथ हीसेवा को दिव्य कार्य भी कहा गया है। राजा को पशुओं को न मारने के लिए, न केवल चेतावनी दी गई है बल्कि उसे यह सलाह भी दी गई है कि उक्त दुष्कृत्य करने वाले को वह दण्डित करें–

इमं साहस्रंशतधरमुत्सं व्यध्यमानं सरिरस्थ मध्ये।
धृतं दुहानामदिति जनायाग्ने हिंसीः परमे व्योमन्।
गवय मारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद।।[29]

अर्थात् है राजन्! आप पशुओं को जैसे–बैल जो कृषि के उपयोगी हैं तथा गाय जो हमें दूध देती हैं तथा अन्य उपयोगी पशुओं को भी मारें नहीं तथा इस प्रकार का दुष्कृत्य करने वालों को अवश्य दण्ड दें।

विष्णु पुराण में उल्लेख है कि ईश्वर भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हैं जो मूक–प्राणियों को हानि नहीं पहुंचाता है–

ना ताडयति नो हन्ति प्राणिनोऽन्यांश्च देहिनः।
यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः।।[30]

गायों को स्वतन्त्रता के साथ घास चरने से रोकने को ब्रह्म हत्या के समान माना गया है–

भुक्तवन्ती तृणं यश्च गां वारयति कामतः।
ब्रह्महत्या भवेत् तस्य प्रायश्चित्ताद् विशुध्यति।।[31]

मांगलिक उत्सवों के अवसर पर किया जाने वाला शांतिपाठ पर्यावरण प्रेम का निदर्शन है–

ऊँ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष, शांति पृथिवी शांतिरापः
शांतिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिर्वह्मिरू।
शांतिः सर्व ऊँ शांतिः शान्तिरेव शांतिः सा मा शान्तिरेधि।।[32]

अर्थात् धुलोक शान्त हो, अन्तरिक्ष शान्त हो, पृथ्वी शान्त हो, जल शान्त हो, औषधियाँ शान्त हों, वनस्पतियाँ शान्त हो, संसार की समस्त शक्तियों शान्त हों, ज्ञान शान्त हो, सब कुछ शान्त हो, शांति भी शान्त हो और वह शान्त शांति यावज्जीवन बनी रहे। इस शांति की गूंज हमारे पर्यावरण में फैले हुए प्रदूषणों को शान्त करे।

वैदिक ऋषि सार्वभौम हित–चिन्तन से प्रेरित थे और उनकी दृष्टि अतीव व्यापक थी। अथर्वाऋषि पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे पृथ्वी! तेरी गोद में रहने वाले हम लोग रोग रहित और क्षय रहित हों। तेरी कोख से जन्म लेने वाली नैसर्गिक निधियाँ हमारे लिए हितकर हों। हमारी आयुलम्बी हो। हम विवेकशील होकर तेरे लिए बलिदान देने वाले बनें–

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवी प्रसूताः।
दीर्घ न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम।।[33]

इस प्रकार संस्कृत साहित्य वैदिक काल से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहा है। ऋषियों ने प्रकृति के उपादानों का अपने जीवन में सही उपयोग किया तथा उसकी सुरक्षा एवं सन्तुलन के भी प्रयास किये। वे सदैव सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय एवं समृद्धशाली राष्ट्र की भावना से आप्लावित थे।

आज हम प्रकृति का दोहन तो भारी मात्रा में कर रहे हैं लेकिन उसे दे कुछ नहीं रहे हैं। मानव प्रकृति से मेल मिलाप का भाव रखें उसमें माँ की ममता खोजें, तब दूर–दूर तक बाहर फैली हुई प्रकृति भी मनुष्य की भीतरी प्रकृति के साथ मिलकर सत्यं शिवं सुन्दरम् की सृष्टि करती रहेगी। इसके लिए वैदिक ऋषि के इस निर्देश की पालना आवश्यक है कि शतहस्त समाहार, सहस्रहस्तसंकिर' अर्थात् सौ हाथों से लो, लेकिन हजार हाथों से दान भी करो।

संदर्भ-संकेत :-

1. ऋग्वेद 7/35/6
2. वही 7/35/5
3. वही 7/35/13
4. मनुस्मृति–4/56
5. विष्णुस्मृति – 60.1/24
6. मनुस्मृति–2/61
7. तैत्तिरीय आरण्यक– 1.2.6.5–7
8. मनुस्मृति–4/203
9. वहीं –6/67
10. वही–4/46
11. पद्मपुराण– उत्तरखण्ड
12. मनुस्मृति–6/246–247
13. महाभारत अनुशासन पर्व –58/27,30,31
14. शिवपुराण–5/12/17–21
15. बृहदारण्यकोपनिषद् 3/2
16. रघुवंशम्–2/36–37
17. वही– 14/78
18. अभिज्ञानशाकुन्तलम्– 4/9
19. वही–4/14
20. रघुवंशम्–2/6
21. अभिज्ञानशाकुन्तलम्– 1/1
22. उत्तररामचरितम्– 1/26
23. वही–1/28
24. वही–3/8
25. वही–3/20
26. वही– तृतीय अंक गद्यवाक्य 93 पृ. 203
27. वही– 3/25
28. श्रीमद्भागवत 7/14/9
29. यजुर्वेद भाष्य– 13/99
30. विष्णुपुराण 3/8/15
31. ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्णजन्म खण्ड 21/90
32. यजुर्वेद–36/17
33. अथर्ववेद– 12/1/43,61

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 108-110

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ग्रामीण विकासात शासकीय योजनांची भूमिका : एक अभ्यास

–प्रो. डॉ. व्यंकटेश काळूराम मदनुरे

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, पानसरे महाविद्यालय अर्जापूर, ता–बिलोली, जि–नांदेड

प्रस्तावना :–

भारत हा खेड्याांचा देश आहे भारताचा विकास करण्यासाठी खेड्याांचा विकास होणे अत्यावश्यक आहे–भारतातील ग्रामीण समाजाचा विकास किंवा प्रगती करण्यासाठी ग्रामीण लोकांच्या हजारो समस्यांचे निराकरान करण्याचे ध्येय शासनाने ठरविले आहे– प्रथम खेड्याचा विकास करण्याचे ठरविले गेले– ग्रामीण विकास व्हायला पाहिजे अशा पध्दतीचे निश्चित धोरण ठरविले जाते– ग्रामीण विकास म्हणजे परंपरेने चालत आलेल्या अनेक कालबाह्या बाबींना हटवून त्या ठिकाणी नवीन गोष्टिंना कसे स्थापन करता येईल यासाठी शासन प्रयत्नशील असते– ग्रामीण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शासनाने ग्रामविकास संकल्पना कार्यान्वित केली– खेड्याातील लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि इतर विकास व्हावा यासाठी ग्रामीण विकासाच्या योजनाला गती दिली जाते– राज्यातील ग्रामसभांना जादा अधिकार प्रदान करण्यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमात वैशिष्टपूर्ण तरतूदी करण्यात आल्या आहेत– राज्यात पंचायत राज पध्दतीला 1962 साली प्रारंभ झाला– भारतीय राज्यघटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार ग्रामसभांना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला– विकास कामांमध्ये लोकांना प्रभाविपणे सहभागी करणे यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्याचा उद्देश यामागे होता–

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाःया योजना :–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षण व वेतनी रोजगार प्रकल्प :–

ग्रामीण भागातील दारिद्र्या रेशेखालील युवकांची मुळात असलेल्या कौशल्याची कार्यक्षमता वाढवून त्यांना विविध संघटीत क्षेत्रात वेतनी रोजगार उपलब्ध करुण देण्याचा प्रयत्न या योजनेअंतर्गत करण्यात येतो– ग्रामीण भागातील युवकांना उपलब्ध असलेल्या किंवा होणाऱ्या संधीच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या कौशल्य क्षमतेचा विकास व्हावा, यासाठी केंद्र शासनाने हा कार्यक्रम राबविलेला आहे– या योजनेचे प्रशिक्षण व वेतनी रोजगाराचे प्रकल्प NGOS, CSOs, SHG Frderations, पंचायतराज संस्था किंवा इतर शासकीय संस्थामार्फत राबविण्यात यावेत, असे केंद्र शासनाने निर्देश आहेत– या योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे प्रमाण हे 75 टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा, 25 टक्के राज्यशासनाचा हिस्सा असे असते– कौशल्यवृध्दी वेतनी विशेष प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत 41295 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षिण घेतले आहेत।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांर्त्त महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना :–

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजने अंतर्गत केंद्र शासनाने दि. 7 जानेवारी 2011 अन्वये मार्गदर्शक सूचना विहित केल्या आहेत– सदर योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिला शेतकऱ्यांचा दर्जा उंचावणे, ग्रामीण भागातील महिलांना शाश्वत कृषी क्षेत्रातील जीवनमानाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, या महिलांच्या कृषी तसेच अकृषी क्षेत्रातील कौशल्य व क्षमतेमध्ये वाढ करणे, या महिलांचा शासकीय तसेच शासनाच्या इतर संस्थाशी संपर्क करुन देणे आणि या महिलांना कुटूंब व समाज स्तरावर खाद्य व पोषक सुरक्षा देणे हा आहे।

हे करीत असताना त्यांच्यातील कौशल्याचा विकास करणे, त्यांच्यातील व्यवस्थापन क्षमता वाढविणे जेणेकरुन शेतीमध्ये बायोडायव्हरसिटीच्या व्यवस्थापनामध्ये याचा उपयोग होईल, याबाबतचा विचार या योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे। या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारे प्रकल्प NGOS, CSOs, SHG Frderations, पंचायतराज संस्था किंवा इतर शासकीय संस्थामार्फत राबविण्यात येतात। या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधिचे प्रमाण हे 75 टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा, 25 टक्के राज्यशासनाचा हिस्सा व प्रकल्प राबविणारी संस्था असे असते। सदर योजनेअंतर्गत राज्यात बजरंग रीसर्च फाऊंडेशन। बीड व एम.एस. स्वामीनाथन, वर्धा हे प्रकल्प सुरु आहेत।

3. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास कार्यक्रम :-

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई या महामंडळाची स्थापना शासन निर्णय क्र. अमामं 1998 / प्र.क.363 / रोस्वरो–1, दि–27 / 11 / 1998 अन्वये करण्यात आलेली आहे। महाराष्ट्र राज्यात ज्या जाती जमातीसाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही अशा आर्थिकदृष्ट्याा दुर्बल घटकांची संख्या लक्षात घेऊन या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग खुला करण्यासाठी, त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराच्या योजना राबवून त्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, असा या महामंडळाचा उद्देश आहे। सदर महामंडळ हे कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे।

4. रस्तेबांधणीतून ग्रामविकास--- मुख्यमंत्रीग्रामसडक योजना :-

ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासाला अधिक गती देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरु केली आहे। केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे। या योजनेतून राज्यातील वाड्याा, वस्त्या, गावांना रस्ते बांधून देण्याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या व दुरवस्था झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे। राज्यातील अनेक गावे, विशेषतः दुर्गम भागातील गावे अजुनही रस्त्यांपासून दूर आहेत। रस्ते नसल्याने या गावातील विद्यार्थी, मुली यांना शिक्षणापासून दूर रहावे लागते। अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर इत्यादी लोक या गावात जाण्यास उत्सुक नसतात आणि त्याअभावी हे गाव गारोग्य, शिक्षण, पोषण, रोजगार इत्यादी प्राथमिक बाबींपासून कोसो दूर राहते– त्यामुळेच केंद्र शासनाने अशा दुर्गम वाड्याा, खेडी, पाडे, वस्त्या किंवा ज्या गावांना अजूनपर्यंत रस्त्याची जोडणी मिळाली नाही, त्यांच्यासाठी 'पंतप्रधान ग्रामसडक योजना' सुरु केली। राज्यातील अनेक वाड्याा–वस्त्या, छोटी गावे यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे। पण तरीही सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात अद्याापही रस्त्याने न जोडता गेलेल्या गावांची संख्या अधिक आहे। त्यामुळेच राज्य शासनाने आपली स्वतंत्र अशी 'मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना' सुरु केली आहे। या योजनेअंतर्गत 730 हजार किमी लांबीची नवीन जोडणी व 30 हजार किमी लांबीवर रस्ते दर्जोन्नतीसाठी काम करण्यात येणार आहे। राज्यातील सर्व गावे, वाड्याा, वस्त्या दर्जेदार रस्त्यांनी जोडण्याचा शासनाचा मानस आहे। सर्वसाधारण क्षेत्रात 500 पेक्षा जास्त तर आदिवासी क्षेत्रात 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या पण अद्याप रस्त्याने न जोडलेल्या गावांना या याजनेतून प्राधान्याने रस्ते दिले जात आहेत। त्यानंतर उर्वरित लोकसंख्येच्या न जोडलेल्या वाड्याा–वस्त्यांची लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने निवड करुन जोडणी करण्यात येणार आहे।

5. आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प :-

''लोक सहभागागतून ग्राम विकास व लोक कार्यक्रमांत शासनाचा सहभाग'' या संकल्पनेवर आधारित असलेली आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना कार्यक्रम हा एक गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्शवत उपक्रम आहे। ही योजना ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सन 1992 पासून कृषी विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे। गाभा व बिगरगाभा क्षेत्राचा विकास आणि चराईबंदी, कु-हाडबंदी, नसबंदी, नशाबंदी, (लोटाबंदी) बोअरवेल बंदी व श्रमदान या सप्तसुत्रीचे पालन गावाने व ग्रामसभेने निवडलेल्या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून करणे हा योजनेचा उद्देश आहे। गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारे मिळून 30 टक्क्यांहून अधिक सिंचन क्षेत्र नसावे। गावाची लोकसंख्या 4000 च्या आत

असावी। गावाचे महसूली क्षेत्र 1500 हेक्टरपर्यंत असावे। गट ग्रामपंचायती अंतर्गत स्वतंत्र वाडी/वस्तीत सहभागी होता येते। ग्रामविकास निधी उभारुन तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे। सप्तसुत्रीचे पालन करण्याची ग्रामस्थांची तयारी हवी। विविध ग्राम अभियानांत (उदा. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता, निर्मलग्राम, तंटामुक्ती आदी।) पुरस्कार प्राप्त गावे।

6. ग्रामीण सवरोजगार प्रशिक्षण :-

भारत देश आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे। अशा परिस्थितीत केवळ शहरी भागाचा विकास होऊन चालणार नाही तर ग्रामीण भागाचाही विकास होणे गरजेचे आहे। सध्याच्या काळात ग्रामीण भागातील तरुणांचा ओढा शहरी भागाकडे अधिक दिसून येतो। शहरी भागातील रोजगाराच्या संधी या तुलनेत कमी असल्याने ग्रामीण भागातील तरुणांना बेरोजगारीच्या समस्येला सामोरे जावे लागते। ग्रामीण भागातील तरुणांना गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यास त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत तर होईलच, पण देशाच्या विकासातही त्यांचे योगदान राहील। याच हेतूने ग्रामीण भागातील तरुणांना उद्योग उभारणीसाठी प्रशिक्षण देऊन आर्थिक दृष्ट्याा सक्षम करण्याासाठी स्टेट बॅंक ऑफ हैद्राबादच्या ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत 'खेड्याकडे चला' हा महात्मा गांधीजींच्या संदेश खऱ्या अर्थाने अंमलात आणण्यात येत आहे। ग्रामविकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही– हे लक्षात घेऊन ग्रामीण भागात उद्याोग व्यवसायाला चालना देण्यात येत आहे। स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने नाबार्ड व सिडबीच्या सहकार्याने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था (एसबीएस आरसेटी) स्थापन केली आहे।

ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न गटातील बेरोजगार तरूणांना निवडून प्रशिक्षण देणे व स्वयंरोजगार तरूणांना प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण भागात उद्योग व्यवसाय विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणे, ग्रामीण भागातील विकासाला चालना देणाऱ्या संस्था प्रतिनिधींना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करणे तसेच ग्रामीण भागात स्वयंसहायता बचत गट वाढीसाठी मार्गदर्शन करणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्देश आहेत। या संस्थेमार्फत सुमारे 18 प्रकारचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जातात।

7. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास :-

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचाच एक भाग म्हणून दीन दयाळ उपाध्याय। ग्रामीण कौशल्य योजना ही महत्वाकांक्षी योजना केंद्र शासनाने सरू केली आहे। ग्रामीण भागातील 15 ते 35 वयोगटातील युवकांची मुळात असलेल्या कौशल्याची कार्यक्षमता वाढवून त्यांना विविध संघटीत क्षेत्रात वेतनी रोजगार उपलब्ध करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे। ग्रामीण युवकांना उपलब्ध असलेल्या किवा होणाऱ्या संधीच्या दृष्टीकोनातून त्यांच्या कौशल्य क्षमतेचा विकास व्हावा यासाठी शासनाने सदर कार्यक्रम आखलेला आहे।

समारोप :-

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी वरिल योजनांबरोबरच ग्रामीण घरांकरीता कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य योजना, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम, रोजगार हमी योजना, ग्रामस्वच्छता अभियान, जलस्वराज्य योजना, निर्मल ग्राम पुरस्कार, राष्ट्रीय कृषी विमा योजना अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून शासनानी ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचा प्रयत्न करीत आहे।

संदर्भ सूची :-

1. संपूर्ण शासकीय योजना – मनोज आवळे
2. ग्रामीण समाजशास्त्र – डॉ. दा.धों. काचोळे
3. भारतातील ग्रामीण समाजशास्त्र – डॉ.दा.धो.काचोळे

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 111-114

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

'अपने–अपने कोणार्क' में नारी मनोविज्ञान

–षमीना० टी

एम० फिल हिन्दी छात्रा, अविनाशी यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर

–डॉ० शोभना कोक्काडन

प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, अविनाशी यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर

हिन्दी कथा साहित्य की उन्नति के विकास में महिलाओं का योगदान अमूल्य है। आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य के विकास के हर क्षेत्र में महिला कथाकारों का योगदान दृष्टिगत होता है। साठोत्तर महिला कथाकारों की परंपरा में श्रीमती चंद्रकांता का स्थान अनोखा है। मानव जीवन की विभिन्न अनुभूतियों तथा मानव जीवन की आधुनिक चुनौतियों को स्वीकार कर जीवन के यथार्थ को बडी मार्मिकता से व्यक्त किया है।

महिला उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में नारी के अन्तर्मन की परतों को खोलने का प्रयास किया है। जिससे नारी के विभिन्न भावों का चित्रण हुआ है। जैसेरू अहं, कुंठा, बेचौनी, छटपटाहट, तनाव, घुटन, संदेह आदि मनोभावों को महिला लेखिकाओं ने अपने उपन्यास में उजागर किया है। 1995 में प्रकाशित 'अपने–अपने कोणार्क' चंद्रकांता जी का छटा उपन्यास हैं। इसमें उड़ीसा की सांस्कृतिक पृष्टभूमि पर आधारित उड़ीसा के एक मद्यवर्गीय संस्कार सम्पन्नपरिवार की बड़ी बेटी 'कुनी'की जीवन कहानी है। उड़ीसा की जीवन शैली , लोकरंग और परम्पराओं की झलक इस उपन्यास में देखने को मिलता है।

श्री. श्रीयुत सनातन मिश्र के सात बच्चे हैं। उन सात बच्चों में 'कुनी' सबसे बड़ी है। कुनी के पिता ए० जी ऑफिस से हाल ही में सेवा निवृत्र हुए है। दादी पूरे घर का ध्यान रखती थी। वह अपने जरिए पुरानी परम्पराओं को कायम रखी हुई है। संस्कार सम्पन्न परिवार में पली कुनी का स्वभाव और आचरण इतने अच्छे थे कि उनके बंधुजन, जान पहचानने वाले, मुहल्लेवाले सब अपने बच्चों को उपदेश देते समय कुनी को ही उनके सामने आदर्श नमूने के रूप में पेश किया करते हैं। सब का एक ही अभिप्राय है–"लड़की हो ये सनातन मिश्र की कुनी जैसी" (अपने–अपने कोणार्क पृ. 46)

पढ़ाई में समर्थ कुनी पी० एच० डी की उपाधि प्राप्त करके एक स्थानीय कालेज में अध्यापिका बन जाती है। कुनी के लिए रविनाथ मिश्र का पुत्र प्रभाकर का रिश्ता आया है किन्तु प्रभाकर के पिता द्वारा मांगे गये दहेज देने के लिए कुनी के पिता असमर्थ थे। दहेज देकर शादी करने के लिए कुनी स्वयं मना कर दिया। जिंदगी में पहली बार वह बुजुर्गी के सामने आवाज उठाकर शादी के लिए अपनी असहमति प्रकट करते है "नहीं मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरा मोल नहीं लगेगा।" (अपने–अपने कोणार्क पृ. 46)

इसके बाद भी कुछ रिश्ते दहेज के कारण पक्का नहीं हो पाए। वह मन में आजन्म कुंवारेपन का निर्णय लेकर जीना शुरू करती है। दो तीन मुलाकातों से ही अपने स दो तीन साल छोटे सिद्धार्थ के साथ कुनी का प्रेम संबंध स्थापित होता है। सिद्धार्थ के मिलन, कुनी के जीवन में नई स्फूर्ति का प्रतिफलन होता है। इसी बीच सिद्धार्थ विदेश चले जाने का निर्णय लेता है। दोनों एक साथ पूरी जगन्नाथ के दर्शन के लिए चले जाते हैं। वह प्रार्थना करती है कि सिद्धार्थ के मन का कोना हमेशा उसके लिए सुरक्षित रहे। सिद्धार्थ को उम्र के अंतर से सुरक्षित रहे। सिद्धार्थ को उम्र के अंतर से फर्क नहीं पड़ता। जाने से पहले वह दस मिनट के लिए कुनी को अपने होटल के कमरे में बुलाता है, लेकिन वह इनकार

करती है। सिद्धार्थ के जाने के बाद कुनी संबलपुर कालेज में तबादला ले लेती है और कालेज में पढ़ाने के साथ–साथ आदिवासी बच्चों को पढ़ाना भी शुरू करती है। पहले विदेश से पत्र आते थे बाद में पत्र आना बंद हो जाता है।

एक दिन सिद्धार्थ के मित्र प्रियंदक से कुनी को पता चलता है कि सिद्धार्ध के साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें वह अपना एक पैर खो चुका है। नासिरा नाम की एक नर्स,वह सिद्धार्थ की सेवा करती थी उसके साथ उसका विवाह भी हुआ है। नासिरा का अपना कोई नहीं है, उसकी सेवा के बदले सिद्धार्थ ने उसे अपना लिया है। कुनी अपने माता पिता और छोटी बहन टुटुल को लेकर वापस संबलपुर जाने की तैयारी करती है। जाने से पहले मौसी उसके सामने डॉ० अनिरुद्ध के साथ विवाह करने का प्रस्ताव करती है। जिसकी पत्नी का देहांद हो गया था और दो बच्चे भी हैं। कुनी डॉ० अनिरुद्ध को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लेती है और नई जिंदगी शुरू करती है। प्रस्तुत उपन्यास में एक अविवाहित युवती के मानसिक अंतर्द्वंदों और जीवन संघर्ष का मार्मिक अंकन हुआ है।

स्थान अहं की भावना :–

'अपने–अपने कोणार्क' की नायिका कुनी एक ऐसी पात्र है जो बुद्धिवादी एवं समाज में अपने पैरों पर खड़ी नौकरी पेशा स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। वह नौकरी करते हुए पूरे घर का खर्च उठाती है इसलिए ही उसके अहं भाव, गर्व में कोई अतिशयोक्ति नहीं। कुनी, सुरक्षित, सुसंपन्न है, तथा विश्वविद्यालय में नौकरी पाने वाली महिला है उसे अपने इन सब गुणों का ज्ञान है, इसलिए वहसदा दूसरों के प्रति सजग और जागरूक रहती है। घर में स्वयं के प्रति सभी छोटे बड़ों को आदर व सम्मान, प्यार देखकर उसमें अहं की तृष्टि होती है। लेकिन व्यवहार से विनम्र और शालीन है। घर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर लेली इसलिए घर में भी उसका महत्व बढ़ गया। घर में माँ के रहते हुए 'मति' की आदि के वक्त माँ का स्थान प्राप्त करना उसके अंदर आये अहं को दर्शाता है।

हमारे जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ हो गई जिसमें सामाजिक या व्यक्तिगत अवरोधों या द्वंदों से बचना असंभव हो जाता है। अवरोधजन्य दबाव से कुछ लोग निराश होकर टूट जाते है कुछ लोग डरकर इसका सामना करता है। व्यक्ति यदि अंतर्द्वन्द्व का निराकरण नहीं कर पाता तब चिंता और उद्विगता उसके पास आ धमकती है।

अंतर्द्वन्द्व व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख रूप से सहायक होता है। कुनी की मानसिकता में अनेक अक्सरों पर इस तरह का अंतर्द्वन्द्व दिखाई पड़ते है। इस द्वंद के कारण कुनी का व्यक्तित्व कहीं कहीं बिखरता हुआ दिखाई देता है। कुनी के अचेतन में प्रेम और परिवार के बीच का द्वंद चलता रहता है। वह सिद्धार्थ से उतना प्रेम करती है जितना अपने परिवार से।

कुनी एक अध्यापिका होने के नाते अपना घर का पूरा कामकाज में भी ठीक तरीके से शामिल थी। अपनी छोटी बहिनों की पढ़ाई के लिए भी बड़ी प्रेरणा और प्रोत्साहन भी समय समय पर देने में वह नहीं भूला। छोटी बहिन प्रीति को ओड़ीसी नृत्य सिखाने के लिए घर में मास्टर जी को रखवा दिए। पर बप्पा ने थोड़ी अनिच्छा दिखाई। उनके अपने कारण थ। एक बाह्य कारण यह था कि प्रीति इधर अचानक बागी होने लगी थी। अपनी जिद पर अड़ जाना और बात–बात कर गुस्सा करना उसका जैसे स्वभाव ही जा रहा था।

माँ भी अपनी तीसरी बेटी के, 'गंगा बोझले थिबि, गांगी बोईले जिबि' वाले व्यवहार से दुखी थी। मगर कुनी इन्हें समझाती। "बोऊ, गंगा को बांधने वाले शिव तो मिले थे, तुम्हारी बेटी को भी बस में करनीवाला कोई लड़का मिल ही जाएगा। तुम चिंता मत किया करो।" (अपने–अपने कोणार्क–पृ 19)

श्रेष्ठता भाव :–

हीन भावना के कारण जब व्यक्ति अपनी निजी कमी को पूरा करने की चेष्टा करता है तब श्रेष्ठ भाव का उदय होता है। श्रेष्ठता प्राप्ति के लिए प्रयास करना व्यक्ति की स्वाभाविक क्रिया है। कुनी नौकरी के कारण बाहर हर जगह उसका सम्मान होता है। कुनी जो कहती है वही होता है– और उसके अन्दर श्रेष्ठता भावना उगती है। अपने भाई बहनों के लिए माँ बन जाती है उनकी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाती है।

"लड़की हो तो सनातन मिश्र की कुनी जैसी" अपने बारें में लोगों की यह प्रशंसा सुनकर स्वयं के प्रति श्रेष्ठता उत्पन्न हो जाती है। वह सिद्धार्थ से प्रेम करती है फिर भी परिवार में अपनी श्रेष्ठता को ठुकराते प्रेम को स्वीकार करना नहीं चाहती है। कुनी अच्छी लड़की है, यह घर–परिवारवाले ही नहीं, मुहल्ले, नातेदार, दोस्त आदि सभी जानते हैं। अपने बाल–बच्चों और लीक तोड़कर चलनेवाली बागी लड़कियों की सामने कुनी को एक अच्छी लड़कियों के रूप में सब लोग व्यक्त किया था।

कुंठा भाव :-

व्यक्ति की दूच्छपूर्ति में प्रकृति या व्यक्ति द्वारा बाधा पहुंचाने पर कुंठा का निर्माण होता है। कुंठा अधिकतर सुशिक्षित व्यक्तियों में होता है। यह व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए विवश कर देती है। कुनी अपने घर की बड़ी संतान है। वह अपने पैरों पर खड़ी है और अपने परिवार वालों की खर्च करती है। जब भी उसके सामने शादी का जिक्र होता है तो वह गुस्से से भर उठती है– "शादी का सौदा घ्तन के व्यापार के लिए सामाजिक ठप्पा! नहीं, मुझे यह सौदा मंजूर नहीं। बस मुझे यह घर ही भला।" (अपने–अपने कोणार्क, पृ. 54)

कुनी की छोटी बहिन मति को बी० कॉम पास करने पर बैंक मैं नौकरी मिल गयी, और कुनी मति की शादी भी कर देती है। शादी के अवसर वह पूरे समय संयम रहने की कोशिश करती हैं परंतु रह नहीं पाती। छोटी बहिन की शादी, अपनी शादी से पहले होना असुरक्षा की भावना–कुनी के अन्दर कुंठा की भावना उमंग पड़ता है। सहज नहीं रह पाती है। वह सोचती है– "मेरे सहज बने रहने की सभी कोशिश व्यर्थ क्यों हुई जा रही है? क्या एक पल लोग भूल नहीं सकते मैं कुंवारी हूँ? अविवाहित होना इतना मनहूस हो गया कि मेरे सामने हंसने बोलने के लिए भी सोचना पड़ेगा? नाते रिशतेदारों के दूरगामी सोच में मेरे लिए वर न मिलने के दुर्भाग्य से लेकर छोटी बहन को ससुराल जाते देख दिल टूटने जैसी मेरी संभावित यातना शामिल थी। आह! छोटी गयी पर बड़ी बैठी है घर में! बेचारी।" (अपने–अपने कोणार्क, पृ. 64)

राधानाथ मौसा ने कुनी के लिए योग्य वर को ढूंढा। उनके अनुसार "वर सब तरह से योग्य है कुनी बेटी के लिए।" दोनों पसंद भी किया। लेकिन लड़का का पिता रतिनाथ की मांगें काफी ऊंची थी। वो देने के लिए बप्पा के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो हाथ में सिर्फ प्रोविडेंट फंड का पैसा रखा है। रिटायर्ड है और चार बेटियों का पिता भी। कुनी को बप्पा का दीनता जताना सहा न गया। कुनी ने सोचा "मेरे कारण बप्पा का ऊंचा सिर झुक जाएगा? ऐसा नहीं होने दूँगी।" (अपने–अपने कोणार्क पृ. 47)

कुनी अड़ गई। कुनी तो बप्पा से कुछ न कहा पर माँ से जोरदार शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त की, "नहीं बोऊ, बप्पा मेरे लिए किसी का पैर नहीं छुएंगे। मौसा हमारी तरफ से उन लोगों को कई भी संदेश नहीं देंगे। मुझे यह शादी नहीं करनी है।" (अपने–अपने कोणार्क पृ. 47)

प्रेम और काम :-

पारिवारिक कर्तव्यों से बंधी हुई कुनी सिद्धार्थ से प्रेम करती है। वह जानती है कि कर्तव्यों से चलते वह कितने दिनों तक सिद्धार्थ से जुड़ी रह पाएगी क्योंकि आत्मा और शरीर इन दोनों के समान भाव से एक दूसरे में लय की प्रक्रिया का नाम ही प्रेम है। प्रेम साँसो की तरह हमारे दिलों में धड़कता रहेगा। यह सिद्धार्थ ने कहा था "तुम ज्वार भाड़े उतरने की बात कहती हो, पर यह क्यों भूलती हो कि भाड़ा उतारता है दोबारा ज्वार बनकर उफरने के लिए वह खत्म कहाँ होता है। कुछ देर थमकर दोहरे वेग से उफन आता है प्यार करने वालों के साथ भी वैसा ही होता है। तुम्हारे साथ ही मैं ने प्रेम का अर्थ समझा है कुनी।" (अपने–अपने कोणार्क, पृ. 17) कुनी की उम्र बढ़ती जाती है। अतः दैहिक स्तर पर प्रेम और सन्तोष खोजती हुई कुनी अंततः मानसिक विकृति तक पहुँच जाती है, उस पुरुष को सपने मैं देखती जिससे उसकी शादी की बात चली थी।

राधानाथ मौसा ने कुनी के लिए रतिनाथ मिश्र का बेटा प्रभाकर को सुझाया था जो "सब तरह से योग्य है कुनी बेटी के लिए। योग्यता का आधार जो है सो सब उनके पास! ऊंचा कुल, भरा–पूरा घर, सोफा–कालीन, घर में बड़ी

पीकदान, भारी कांसे के कलसे, हंडे, थालियां, पूजा–अर्चना का चलन, भो–आडंबर, पिठा–पना, चौन से चलने का कायदा।" (अपने–अपने कोणार्क पृ. 47)

प्रभाकर ने कुनी को देखा, पसंद भी किया। लेकिन रातनाथ की मांगें काफी ऊंची थीं। लेकिन चार बेटियों का पिता विवश हो गई। कुनी स्वयं ही शादी के लिए मना किया। लेकिन कुनी के भीतर सचमुच ही कुछ घटा है। प्रभाकर से हुई बात के बाद लाख कोशिशों के बावजूद भी पहली– जैसी कुनी नहीं रही। कुनी के मन कल्पना की दुनिया में घुमाते रहे। कुनी की रातों में रोज वह लंबा–ऊंचा लड़का आने लगा था जिसे कुनी सिर्फ एक बार देखा था। सपने में प्रभाकर आकर बहुत प्यार से बात करते है और पास आकर आँचल छू लेता है। कभी कभी बांह पकड़कर रोक लेता है। कुनी न–न कहकर पीछे हट जाते है। कुछ दिनों तक ऐसा था। एक दिन बाहर से प्रभाकर को अचानक देखा। लेकिन उसने जल्दी ही वहाँ से चला गया। बाद में ऐसा सपना भी नींद मैं कम हो गया चलते चलते एकदम बंद हो गया।

निष्कर्ष :-

प्रस्तुत उपन्यास 'अपने–अपने कोणार्क' मैं एक अविवाहित नारी की जिंदगी का पूरा वर्णन बहुत विस्तार से चंद्रकान्ता जी ने किया। एक लड़की अपनी घर मैं बड़ी होने से पूरा दायित्वों को संभालना होता है यानि संभालना पड़ता है। कुनी भी ऐसी एक जिम्मेदारी लड़की है जो अपना घर का पूरा काम मैं व्यस्त होने के साथ साथ अपनी समाज की संस्कृति और सभ्यता को आगे निभाने के लिए पूरी तरफ से कोशिश करती है। चन्द्रकान्ता जी द्वारा लिखित यह उपन्यास एक नारी की जिन्दगी का पूरा वर्णन है। यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक है।

संदर्भ सूची :-

1. अपने–अपने कोणार्क, चन्द्रकान्ता, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि., नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली–110002।
2. चन्द्रकान्ता का कथा साहित्य : विश्लेषणात्मक, शोध छात्रा, आनंतलक्ष्मी, केरला विश्वविद्यालय।
3. चन्द्रकान्ता के उपन्यासों में संस्कृति, शोध छात्रा, श्री जा.ए.एस., केरला विश्वविद्यालय।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 115-117

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार में मिडिया का योगदान

–डॉ. माया बी. मसराम

शरदराव पवार कला वाणिज्य महाविद्यालय, गडचांदूर ता. कोरपना जिल्हा चंद्रपूर पिन–442908

सार :–

19वी शताब्दी में भारत में भावनात्मक संदर्भ क्रांति शुरू हुई तब देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात बहूत खराब थी। देश में जो आंदोलन हो रहे थे, उसका असर सभी देशवासियों पर हो रहा था। भारत की राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक भाषा होना जरूरी था। क्योंकि देश की विभिन्न भाषा से समाज के लोगों में समानता लाना बहुत कठिन कार्य है। 1957 का आंदोनल हुआ तब राष्ट्रीय एकता का अभाव होने से यह आंदोलन असफल हुआ फिर भी इस आंदोनल का प्रभाव इतना हुवा की, भारतवासियों के मन पर स्वतंत्रता की अभिलाषा प्रकटी हुई बाद में विभिन्न प्रांतो में स्वतंत्र्यता आंदोलन के विचार होने लगे प्रांतों में स्वतंत्रता के लिएं संघठित प्रयत्न प्रारंभ हुये तो यह स्पष्ट हो गया का बिना एक सामान्य भाषा के देश में संघटन होना असंभव है। राष्ट्रीय भावना जगाने हेतू हिंदी को संपर्क भाषा के रुप में प्रयोग किया गया। समाज के लोंगो के मन मे विभिन्न गीतों द्वारा राष्ट्र भक्ति कि भावना जागृत करने का प्रयास लगातार होता रहा। हिंदी भाषा के माध्यम सें समाज को संगठित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रसार माध्यम का रहा भारतवासियों कें मन में राष्ट्र प्रेम की जागृति करने में हमारे देश के समाज सुधारक और संत इसका भी उल्लेखनिय योगदान है।

हिंदी भाषा बहती नदी के समान है। जब हंम कोई सुंदर गीत सुनते है। तो मन को बहुत शांति मिलती है। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों कि संख्या दिनबदिन बढ़ती जा रही है। हंम अंग्रेजी जादा तर समझ नही पाते। लेकिन हिंदी में कोई भी जानकारी दि जाए तो हम जल्दी उसकी बात समझ पाते है। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार सबसे जादा मिडीया सें होता है। जैसे की, हम जब व्हॉट्सअप, फेसबुक देखते ही कोई अच्छ विचार बहुत आसानी से पढकर और समझकर उसका तुरंत उत्तर देकर मनको हलका सा महसूस करते है। विचारों का आदान प्रदान करणे में सोशल मिडीया का महत्वपूर्ण योगदान है। जब लोगो के विचारो में समानता आ जाती हैं। तो देश में जल्दी संघटन हो जाता है। और देश के हित के लिए संगठित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमे संगठित करणे में हिंदी भाषा का महत्व हैं। क्योंकि आम आदमी हिंदी जल्दी समझ पाते है। आजकल कॅम्प्युटर पर हिंदी में काम करणा बहुत आसान हो गया है। खासकर गुगल हिंदी इनपुट और मायक्रोसॉफ्ट इंडिक लॅग्वेज टुल्स की सहायता से अंग्रेजी के लेआऊट के जरिऐ अंग्रेजी के गति से हिंदी में भी कॅम्प्यूटर पर आसानी से काम किया जा सकता है। नेट–इंटरनेट यह हमारी जीवन का एक भाग बन चुका है। किशोर पिढ़ी में इसका जादा आकर्षण बढ़ते जा रहा है। हम देखे तो छोटे बच्चो से लेकर बढ़े बच्चे इंटरनेट का उपयोग करते नजर आते है। समाज के लोगों में सामाजिक परिवर्तन करने में इंटरनेट की भूमिका महत्वपुर्ण है।

कीवर्ड – हिंदी भाशा, सोशल मिडीया इंटरनेट भारतवासी योगदान कार्य समानता संघटन, प्रांत हेतू।

1) हिंदी भाषा की महानता की जानकारी देना।
2) सोशल मिडीया की भूमिका क्या है उसकी जानकारी देना।
3) हिंदी भाषा का महत्व।

देवनागरी मे लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रुप मे स्वीकार किया गया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर यह दिन हिंदी भाषा दिन के रुप में मनाया जाता है। राजभाषा कानून लागू किऐ जाने के बावजूद हिंदी भाषा केंद्र की राजभाषा बन गई है। किंतू यह हिंदी भाषा व्यावहारिक तौर पर इस देश की संपर्क भाषा बन चुकी है। भारत देश के साथ संपर्क करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते है। हम टिण्व्ही के हर चॅयनल में हिंदी भाषा मे हर एक कार्यक्रम दिखाई जाता रहा है। बहुत से लोक अपना व्यवहार हिंदी भाषा में करते हुए नजर आते है। नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी शिक्षक हिंदी भाषा में अपने छात्र का ज्ञान बढाते है। आज हम देखते है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक योगदान सोशल मिडीया यानी रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट दे रहा है। सोशल मिडीया भाषा के प्रचार प्रसार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में फेसबुक व्हॉट्अप, ट्विटर, टेलिग्राम आधी प्रमुख का भी बहुत बढ़ा योगदान है। हिंदी भाषा केवल शहरों के लोगों तक सीमित नही रहीं बल्कि ग्रामीण भागो में भी इंटरनेट, टेलिविजन का उपयोग करते है। इस माध्यम सें गावों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। यदि हम हिंदी साहित्यकारों की बात करे तो हम देखते है की, फेजबुक व्हॉट्अप पर जुडे गए लोंग हिंदी भाषा मे कविताएं या लेख प्रकाशित किया तो वह अधिकतर पढकर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे है। पहले सभी साहित्यकारों के अपने विचार लोगों तक पहुंचाने में कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ता था। और वह कार्यक्रम कि माध्यम से अपने विचार जन समुह में प्रकट किया जाता था। किंतु अब ऑनलाईन का आयोजन करके अपने विचार फेजबुक, व्हॉट्अप के जरिए आम जनता तक उसका प्रचार प्रसार कर रहे है। कभी अपनी कविताएं युटयूब पर भी अपलोड कर जनमानस तक आसानी से पहुंचा रहे है।

इंटरनेट ने ऐसा मायाजाल बिछाया है कि दूर रहने वाला व्यक्ति आसानी से एक–दुसरे के साथ जुड जाता है। दुनिया के किसी भी कोनें में रहने वाला व्यक्ति अपनी कला से हर एक व्यक्ति का परिचित बन जाता है। अपने देश के कोने पर कौन सी भी घटनाएं घटी होगी तो उसका तुरंत प्रचार होता है। और सब लोगों को उसकी जानकारी होती है। जैसेकि पंजाब में किसानों का आंदोलन हो रहा था। उसकी जानकारी जादातर लोगों को नही थी। लेकिन फेजबुक, व्हॉट्सअप के माध्यम से भारत के हर किसान इस आंदोनल में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गये। विज्ञापनों की दुनिया में अब हिंदी भाषा का ही बोलबाला है। अखबार में आने वाले विज्ञापनों को अपना माल बेचने वाले उत्पादनकर्ता हिंदी में ही अपनी पहचान बनाकर अपना माल बेच रहे है। क्योंकि वह जानते है कि इस तरह वह सहजता से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते है। सरकारी कार्यालयों में भी जादातर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। सोशल मिडीया अपनी एक अलग भाषा बना रही है। जिसमें व्याकरण दोष, अंग्रेजी शब्दों की अधिकता बोलने की अलग शैली है। इससे एक खिचड़ी भाषा बनाकर किशोर पिढी इस भाषा पर प्रभावित हो रही है। किशोर पिढी ज्यादातर हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हुऐ नजर आते है। हिंदी भाषा का आम जनता पर गहरा असर हो रहा है। और यह सब करने में सोशल मिडीया का एक बहूत अच्छा योगदान है।

आज हिंदी भाषा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लेकर देश को जोड़ने वाली भाषा बनी है। हिंदी भाषा में हर देश को जोड़ने की ताकत है। हिंदी भाषाओं में जुड़ा समूह अपने दुःख–दर्द आपस में बांटते है। इसके अलावा दुसरे देश के लोगो में भी हिंदी भाषा का लगाव हो रहा है। सोशल मिडीया नें सार्वजनिक अभिव्यक्ति और एक बड़े समुदाय तक निडर और बिना रोक–टोक तक नियंत्रण की अपनी बात अपनी सोच और अनुभव से करोड़ों लोगों को एक नई ताकत देकर बरसो सें भागेदारी की नई हिंम्मत दी है। सरकारों और शासकों ज्यादा पारदर्शी संवादमुखी जवाब बनाया है। जनता के मन को जानने का एक नया माध्यम दिया है। शोशल मिडीया की ताकत से सरकार को अपने फैसले और नितियां व्यवहारों को बदलने पर मजबूर भी किया है। गहरा असर जनता पर हुआ है कि लोक मंचो पर बोल लिख रहे है। और अपना स्तर बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का स्तर उंचा है। हम सब जानते है कि भारत में संपर्क भाषा और राजभाषा के रुप मे हिंदी के विकास की प्रक्रिया संविधान बनने के बहुत पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हो चुकी थी। पर सच तो यह है कि भारत को स्वतंत्र बनाने के लिऐ सभी प्रांत को जोड़ने में हिंदी भाषा का बहुत

बडा योगदान हैं तभी सब भारतीय लोग एक होकर अपना देश स्वतंत्र होना चाहिऐ यह सोचकर एक साथ लड़ाई लड़ी और भारत को स्वतंत्र भारत बना लिया। महात्मा गांधी अपना भाषण हिंदी भाषा में ही देते थे। एक समय था जब पढे लिखे लोगों का मतलब था अंग्रेजी भाषा का लाभ ज्ञान होना, आजादी के समय सभी अखबार अंग्रेजी में छपते थे। किंतु शिक्षा और साक्षरता कें प्रचार और प्रसार सें सभी अखबार और समाचार हिंदी अंग्रेजी भाषा में छापे जा रहे है। हिंदी और अन्य भाषाओं के अखबार पढने वाले लोगो की संख्या बढ़ने लगी है। हिंदी अखबारों ने नये–नये प्रयोग किए और समाचार को औपचारिकता के घेरे से निकालकर उसे स्थानीय रोचकता प्रदान की। जिला स्तर पर अखबार पढ़ने में केवल उच्च शिक्षित लोग ही है। बल्कि कम पढ़े लिखे लोगों का ही शौक बन गया। आज हालत यह है कि आम लोग एकत्र होने पर हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंग्रेजी के जानकार गावों मे रहने वाले आम आदमी नहीं है। लेकिन हिंदी भाषा जानने वाले लोग ज्यादा है। इसलिए अंग्रेजी अखबार की संख्या कम होती नजर आ रही है और हिंदी अखबार कि संख्या बढ़ रही है। हम टेलीविजन पर हिंदी फिल्म देखते है। हिंदी में जो फिल्म हम देखते है। तो उसे अच्छी तरह समझ पाते है। उसका असर हमारे व्यावहारिक जीवन पर होता है। जैसेकि हम संच्ची रुप से अपने जीवन में बदलाव लाते है। कपड़े पहनने का ढ़ंग, बोलने की कला, अच्छा बुरा सोचने का प्रयास करते है। समाज में जो बदलाव दिख रहा है। यह सब मिडिया का प्रभाव है। एक समय ऐसा था कि बाल धोने के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था और बाद में साबुन आया। और अभी हर प्रकार के शैम्पू आए यह सब प्रचार और प्रसार सोशल मिडीया ने ही किया है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को प्रसारित करने में रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी समाचार आचार विचार शिक्षा, सामाजिक कार्य, संगीत, मंनोरंजन आदि सभी स्तरों पर अपने प्रसारण के माध्यम सें देश की सभी कोने–कोने में पहुंचाने मे उल्लेखनिय भुमिका रही है। हिंदी फिल्म और गीतों का भी हिंदी भाषा का प्रसार करने में अहम भूमिका रही है। हिंदी फिल्मी गीतों की लोकप्रियता भारत कर सीमाओ को पार करके चीन, जापान, अमेरिका, यूरोप तक जा पहुंची है। आकाशवाणी पर विविध गीतो द्वारा होने वाला कार्यक्रम देश के हर एक कोने में जा पहुंचा है। हिंदी भाषा को देशव्यापी भाषा बनाने में फिल्मी गीतो का भी बहुत महत्व है। फिल्मी गीत अधिक लोकप्रिय है। लोगो के जबान पर कोई ना कोई गीत आ ही जाता है। आकाशवाणी कें अधिकतर चैनल हिंदी भाषा में ही अपना कार्यक्रम प्रसारित करते है। मिडीया का सबसे प्रभावी और आकर्षक माध्यम टेलीविजन माना जाता है। भारत में शुरू–शुरू में लगभग 30 वर्ष तक टेलीविजन की गति धीमी थी। किंतू 1980 और 1990 के दशक में दुरदर्शन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम और समाचारो के प्रसारण के जरिए हिंदी भाषा को लोग प्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी तो टेलीविजन पर दिखाने वाले धारावाहिक के रूप में दिखाई जाने पर लोग बहुत अच्छी तरह से हिंदी भाषा समझ रहे है। कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम मे लभगभ पूरे देश को बांध रखा है। देश के हर एक कोने से प्रतियोगिता में आते हैं। और इस कार्यक्रम मे हिंस्सा लेते है। जब इंटरनेटर ने भारत में प्रायः प्रसारण शुरू किए तो यह आशंका व्यक्त की गई थी कि कंम्प्यूटर के कारण देश में अंग्रेजी का महत्व बढ़कर हिंदी का महत्व कम हो जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ आज हिंदी वेबसाईट के माध्यम से देश के लोगों के साथ बातचीत और आचार विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इस प्रकार इंटरनेट भी हिंदी के प्रसार में सहायक होने लगा है।

संदर्भ :–

1. http://hindiscreen.com/hindi-bhasha-ka-mahatva-essay-in-hindi/
2. https://www.hindivyakran.com/2017/09/essay-on-hindi-bhasha-ka-mahatva.html

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 118-120

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

खोरठा नाटकों की विभिन्न श्रेणियॉ

–संजय रविदास

शोधार्थी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

कला सौंदर्य की साधना है। नाटक जीवन का अभिराम अर्थात् सुंदरम रूप है। नाटक में जीवन का प्रदर्शन अभिव्यक्ति के कलात्मक सौंदर्य के द्वारा समृद्ध रूप में होता है। अतः नाटक जीवन का अभिरमणीय और आदर्श रूप है। उत्कृष्ट साहित्यिक नाटकों की विद्यमानता में भी जननाटक की रचना होने का मुख्य कारण बताते हुए डॉ0 कीथ कहते हैं संस्कृत में जो नाटक मिलते हैं, वे जनभाषा से बहुत भिन्न थे और उस भाषा के स्वरूप को समझना जनता के लिए प्रायः असम्भव था। केवल अल्पसंख्यक शिष्टवर्ग उस भाषा के समझने में समर्थ था और उसी उच्चपदस्थ अल्पसंख्यक पठित समाज के लिए साहित्यक नाटक लिखे जाते थे।

प्रसिद्ध विद्वान मैक्समूलर का अनुमान है कि ऋग्वेद का इन्द्र–मरूत संवाद मरूतों के सम्मान में होने वाले यज्ञों के अवसर पर दुहराया जाता था। डॉ0 रिवजे श्राध्द कल्प के तुल्य पितरों और मृतवीरों के प्रति श्रद्धा को नाटक की उत्पति का कारण बताते हैं।

डॉ0 सीता रूम चदुर्वेदी कहते हैं– नाटक वह रचना है, जो अभिनेताओं द्वारा खेले जाने के लिए लिखी गयी हो। नाटक का व्यापक अर्थ है– ऐसा खेल, जिसमें कुछ लोग किसी कथा के पात्रों का रूप धारण करके अपने साथियों के सामने उन पात्रों के समान आचरण करते हैं। यह अनुकरण या रूप धारण ही नाटक का प्रथम और मूल तत्व है।

भारत में प्रारंभिक नाट्य साहित्य में रामलीला, रासलीला, नौटंकी के सदृश जन नाट्यों की परम्परा विकसित हो रही थी। ये जननाट्य ही लोक नाट्य है। लोक और जन पर्यायवाची शब्द हैं। नृत्य, संगीत और स्वांग नकल नामक तत्व का अविकसित अभिव्यंजन लोक–नाटक का आदिम स्वरूप था। कालान्तर में मानव की निरभिप्राय चेष्टाओं ने क्रमशः दृश्यत्व का योग लेकर अपनी चेष्टाओं को प्रदर्शन प्रधान बनाया।

खोरठा नाटक के दो प्रमुख श्रेणी होते है :–

1. एकांकी नाटक :–

मनुष्य को पल भर की फुरसत नहीं मिल पाती। रेल, तार, बेतार का तार, हवाई विमान ये मनुष्य की गतिशीलता को स्पष्ट करते हैं। आदमी का जीवन यंत्रवत् हो गया है। यही कारण है कि उसको अरूचि हो गयी साहित्यिक माध्यमों के प्रति। नाटकों को देखने या पढ़ने, उपन्यासों और काव्य–महाकाव्यों को पढ़ने के लिए उसे अवकाश कहां? अतः ऐसी साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ जो अपने संक्षिप्त आकार में ही अपनी वि ाष्टताओं के बल पर स्थिर रह सके। महाकाव्यों से खण्काव्य, उपन्यासों से कहानियां, नाटकों से एकांकियां, कहानियों से भी लघु कहानियां, खण्डकाव्यों से लम्बी कविताएं, लंबी कविताओं से चिनगिनियां और फुनगिनियों का निर्माण हुआ। पटोतोलक (दर्शकों को मूल नाटक प्रदर्शित करने के पूर्व प्रतीक्षाकाल में प्रदर्शित अति साधारण कोटि का अभिनय) ही छोटे–छोटे अभिनय आधुनिक एकांकी के पूर्वज हैं।

डॉ0 नगेन्द्र ने कहा, ''एकांकी की टेकनिक का एक घूट 'में पूरा निर्वाह है, उतना ही जितना कमलाकान्त के उस पार' में ''उक्त मत के समर्थक डॉ0 सत्येन्द्र का कथन है कि इसमें संस्कृत से कुछ भी नहीं लिया गया, यह निर्विवाद है।

डॉ0 गोविंद त्रिगुणायत ने एकांकी की परिभाषा इस प्रकार दी है–'एकांकी वह लघु नाट्य रूप है, जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना या एक भावनाजनित संवेदना की अभिव्यक्ति किसी संघर्ष के सहारे, उसमें प्रभाव ऐक्य का उद्‌बोध हो और उस उद्‌बोध से दर्शक और पाठक दोनों की रागात्मिकता वृति तिलमिलाकर तड़प उठती है।

जिस नाटक में नायक जीवन के एक ही लक्ष्य को प्रमुखता देने के लिए उतेजक, सूचक अथवा प्रभाव व्यंजक पात्रों की सहायता से घटनाओं तथा भाव–विचारों की तहें खोलता हुआ हमारी जिज्ञासा को उभारकर या तो सन्तुष्ट कर देता है अथवा किसी उलझन में छोड़ देता है, वह एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक एकांकी है।

एकांकी के निम्नांकित तत्व होते हैं –

1. **कथा**
2. संघर्ष/द्वंद्व
3. संकलन त्रय
4. पात्र और चरित्र–चित्रण
5. कथोपकथन/संवाद
6. अभिनय शीलता
7. रंगमंच–निर्देश और
8. प्रभाव–साम्य।

रचना-पद्धति की दृष्टि से एकांकी के पांच प्रकार होते है।

1. एक दृश्य का एकांकी।
2. अनेक दृश्यों का एकांकी।
3. उपक्रम और उपसंहार वाले एकांकी।
4. प्रवक्तायुक्त एकांकी कथानक के बिखरे सूत्रों को संबंध करने वाला नैरेटर।
5. एक पात्री एकांकी। इसे स्वागत नाट्य भी कहा जा सकता है।

एकांकी नाटक के विशेशता :–

1. इसमें एक अंक होता है।
2. एकांकी अपनी संक्षिप्तता के साथ अपने आप में पूर्ण होता है।
3. एकांकी अपने सीमित पात्रों के साथ घटना को विद्युत की तरह चरम सीमा पर पहुंचा देता है।
4. एकांकी में जीवन का एक पहलू जीवन की एक तंरगित घटना को घटित होती है।
5. एकांकी मृग की तरह तीव्र गति से आंखो के सामने आता और शीघ्र ही ओझाल हो जाता है।
6. एकांकी के संवाद छोटे और अर्थपूर्ण होते है। अत्यंत आवश्यक वर्णन भी संक्षिप्त कर दिया जाता है।
7. एकांकी में कौतूहल तुरन्त सामने आ खड़ा होता है। उसकी चरम सीमा स्वप्न की तरह शीघ्र समाप्त होती है।
8. एकांकी 15 मिनट से 1 घंटे की अवधि में समाप्त किया जा सकता है।

2. बहुपात्री

नट् धातु 'ण्वुल' प्रत्यय कर मेल से नाटक बनल हे, जकर माने हेल सात्विक भावेक प्रदर्शन 'अवस्थानुकृति नाट्यम' कइहके नाटकेक गुण (प्रकृति) अनुकरण (नकल) बतवल गेल हे। एकरा छेब इया लीलाउ कहल जा पारे, मनेक मनुस दोसरेक नकल (अनुकरण) करेक छेब करहे, ओकर लीला अभिनय कर हे एहे नाटक कहा है।

नाटक वह रचना है, जो अभिनेताओं द्वारा खेले जाने के लिए लिखी गई हो। नाटक का व्यापक अर्थ है–ऐसा खेल, जिसमें कुछ लोग किसी कथा के पात्रों का रूप धारण करके अपने साथियों के सामने उन पात्रों के समान आचरण करते हैं। यह अनुकरण या रूपधारण ही नाटक का प्रथम और मूलतत्व है।

नाटक का विशेषता :–

1. इसमें अनेक अंक होते हैं।
2. नाटक अपने विस्तार के साथ अपने आप में पूर्ण होता है।

3. नाटक अनेक पात्रों के साथ अनेक घटनाओं को संजोकर चलता है।
4. नाटक में सम्पूर्ण जीवन या जीवन का विस्तृत भाग चित्रित होता है।
5. नाटक वृशभ की तरह मंथर गति से आगे बढ़ता है। देर तक ऑखों के सामने रहता है।
6. नाटक के संवाद बड़े हो सकते हैं। पात्र, प्रदेश, पदार्थ या विचार का वर्णन विस्तार से हो सकता है।
7. नाटक में कौतूहल का प्रसार होता है और चरम सीमा के पश्चात भी नाटक अपनी तहें खोल सकता है।
8. नाटक के अभिनय में कई घण्टे लग सकते हैं।

निष्कर्ष :-

इस प्रकार कहा जाता सकता है कि खोरठा नाटक का विशेष महत्व है। झारखण्ड के 24 जिलों की सदान एवं आदिवासियों के प्रमुख खोरठा भाषा का वर्चस्व देखा जाता है लगभग 15 से 16 जिलों में इए खोरठा भाषा का प्रयोग होता है।

खोरठा नाटक विशेष कर गॉव देहात में नाटक खास (प्रमुख) पर्व, त्यौहार या शादी विवाह में नाटक खेलने का परम्परा वहुत ही सदियों से चली आ रही है। नाटक का उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना नहीं होता बल्कि गांव के सीधे–साधे लोगो का जागरुक कराना होता है। खोरठा नाटक के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि यह नाटक आपनी मातृ भाषा खोरठा में मंचन होता है। नाटक का गांव मे वर्चस्व इसलिए भी देखा जा सकता है कि बहुत से लोगों को किताब अथवा पत्रिका पढ़ने का समय नही हो पाता है, नाटक देख के ही मनोरंजन और सीखने का प्रयास करते हैं। गॉव के लोग एक दूसरे के सम्पर्क में रहते है, जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसके शुभ अवसर पर नाटक का मंचन एक निश्चित स्थान एवं समय पर दूर–दराज से भी पंहुच कर नाटक का आनन्द लेते है। इसमे विशेषकर बच्चे बुढ़े तथा महिलाऍ आनन्द पूर्वक खोरठा नाटक का मजा लेते है। ओर कोई आगार सिखने वाली वाते सामने आती है तो नाटक के द्वारा ही कलाकार बहुत ही कुशलता पूर्वक मंचन के माध्यम से अपने कला का प्रदर्शन किया करते है।

खोरठा नाटक में एकांकी एवं बहुपात्री नाटकों का अपना–अपना विशेष महत्व है। एकांकी नाटक, यह नाटक बहुत ही छोटा होता है। एकांकी नाटक उद्देश्य कम से कम समय में अधिक से अधिक मनोरंजन और उद्देश्यों की प्राप्ति कराना होता है। ये 5 मिनट से एक घन्टे की अवधि में किया जा सकता है। एकांकी मे जीवन में किसी एक घटना को दिखाया जाता है। इसमे वहुत ही सीमित पात्र होते है। एकांकी में संवाद भले ही छोटे होते है परन्तु अर्थपूर्ण होते है। बहुपात्री नाटक, इसमे अनेक अंक होते है। एक से अधिक घटना पर आधारित हो सकता है। इसमें अनेक पात्रों के सहयोग से और उनके अंक पर निहित होता है। नाटक के संवाद बड़े पैमाने पर हो सकता है।

एकांकी एवं वहुपात्री नाटक का महत्व अपने–अपने क्षेत्र मे विशेष महत्व रखता है।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. साहित्य के तत्व डॉ0 विनोद मणि दिवाकर।
2. नाटक का उद्भव एवं विकास – डॉ दशरथ ओझा।
3. खोरठा भाषा एवं साहित्य (उदभव एवं विकास) – डॉ. वी. एन. ओहदार।
4. खोरठा शिष्ट साहित्य एक अध्ययन – डॉ. अर्चना कुमारी।
5. खोरठा भाषा और साहित्य – डॉ. गजाधर महतो।
6. साढोतरी खोरठा पद्य–साहित्य एक विश्लेषणत्मक अध्ययन – डॉ. आनन्द किशोर दांगी।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 121-123

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

बाहुबली चलचित्र में रस–विमर्श

–प्रियंका कालिया

शोधकत्री, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़।

आधुनिक जीवन में चलचित्र मानव जीवन के अभिन्न अंग एवं मनोरंजन के लोकप्रिय साधन बन गए हैं। निर्देशक एस० एस० मौली द्वारा निर्मित चलचित्र बाहुबली ने न केवल भारत के अपितु विश्व के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसका प्रथम भाग बाहुबली : द बिगिनिंग वर्ष 2015 में एवं द्वितीय भाग बाहुबली : द कंक्लूजन वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ। प्रभास (शिवा, महेन्द्र बाहुबली, अमरेन्द्र बाहुबली), अनुष्का शेट्टी (देवसेना), तमन्ना (अवन्तिका), राम्या कृष्णन (शिवगामी), राणादग्गुबती (भल्लालदेव), सत्यराज (कटप्पा) एवं नासिर (बिज्जाला) आदि अभिनेत्रियों और अभिनेताओं द्वारा अभिनीत यह चलचित्र विभिन्न रसों से ओत–प्रोत है।

न हि रसादृते कश्चिदथर्रु प्रवर्त्तते। (नाटयशास्त्र, काव्यमाला, पृष्ठ 67)

भरतमुनि के अनुसार रस उत्पत्ति के हेतु चार रस हैं :– शृंगार, रौद्र, वीर तथा बीभत्स। इन्हीं से ही शृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत तथा बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अतः भरतमुनि के अनुसार आठ रस हैं :– शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत। (नाट्यशास्त्र 6,40)

नाट्यशास्त्रियों के अनुसार शांत रस नौवां रस है। जिसका स्थायीभाव शम है। (नाट्यशास्त्र, 6.84)

विश्वनाथ ने वात्सल्य नामक दसवां रस भी माना है। जिसका स्थायीभाव उन्होंने वात्सल बताया है। (साहित्य दर्पण, 3.251) इस प्रकार नाट्य में रसों की संख्या दस है।

वीर रस :–

उत्साहाव्यवसायादविषादित्वादविस्मयान्मोहात्।
विविधादर्थविशेषाद्वीररसो नाम सम्भवति।।
स्थितिधैर्यवीर्यगवैरुत्साहपराक्रमप्रभावैश्च।
वाक्यैश्चाक्षेपकृतैर्वीररसरू सम्यगभिनेय।। (नाट्यशास्त्र, 6.68–69)

बाहुबली चलचित्र में मुख्य रस वीर रस है। चलचित्र में नायिका देव सेना के आगमन का प्रथम दृश्य वीर रस पर आधारित ही है। देवसेना स्थिरता, धैर्य, शौर्य, चातुर्य आदि अनुभावों का अभिनय करती है। गर्व, आवेग, उग्रता, धृति आदि संचारी तथा सात्विकभाव भी इस समय देखने को मिलते हैं। (बाहुबली–2.00:21)

शृंगार रस :–

ऋतुमाल्यालंकारैः प्रियजनगान्धर्वकाव्यसेवाभिः।
उपवनगमनविहारैः शृंगाररसः समुद्भवति।।
नयनवदनप्रसादैः स्मितमधुरवचोधृतिप्रमोदैश्च।
मधुरैश्चांगविहारैस्तस्याभिनयरूप्रयोक्तव्यः।। (नाट्यशास्त्र, 6.48–49)

अमरेंद्र बाहुबली देवसेना को अपने साथ माहिष्मती ले जा रहा होता है, उस समय एक गीत ओ ओ रे राजा के माध्यम से बहुत ही सुंदर रूप में श्रृंगार रस का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ नायक नायिका का साहचर्य आलंबन विभाव

तथा सौंदर्य युक्त स्थान उद्दीपन विभाव है। नयन चातुर्य, भ्रूविक्षेप, कटाक्ष संचार मधुर तथा ललित अंगों के परिचालन, मधुरशब्दों द्वारा इसे अभिनीत किया गया है। (बाहुबली–2,01 : 07)

हास्य रस :–

विपरीतातांकारैर्विकृताचारभिधानवेषैश्च।
विकृतैरंगविकारैर्हसतीति रसः स्मृतो हास्यः।। (नाट्यशास्त्र, 6.50)

जब बाहुबली और कटप्पा कुंतल साम्राज्य पहुंचते हैं, उस समय कुमार वर्मा को मूर्ख बनाकर कई दृश्यों में हास्य उत्पन्न किया गया है तथा कटप्पा के द्वारा विकृत व्यवहार, वाक्य एवं चेष्टाओं के द्वारा हंसाने का प्रयास किया गया है। (बाहुबली–2,00 : 37)

करूण रस :–

इष्टवधदर्शनाद्वा विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि।
एभिर्भावविशेषैरू करुणरसो नाम सम्भवति।।
सस्वनरुदितैर्मोहागमैश्च परिदेवितैर्विलपितैश्च।
अभिनेयरू करुणरसो देहायासाभिघातैश्च।। (नाट्यशास्त्र, 6.63–64)

जिस पुत्र को शिवगामी देवी ने अपने पुत्र से भी ज्यादा स्नेह किया, उसकी मृत्यु का मंगलकारी समाचार सुनकर उसके चित्त को आघात पहुंचने वाले भावों द्वारा करुण रसप्रधान मर्मस्पर्शी दृश्य को दर्शाया गया है। पश्चाताप, रूदन, पूर्वस्मृति आदि अनुभवों द्वारा इसका अभिनय किया गया है। (बाहुबली–2, 02 : 02)

रौद्र रस :–

युद्धप्रहारघातनविकृतच्छेदनविदारणैश्चौव।
संग्रामसम्भ्रमाद्यैरेभिः संजायते रौद्रः।।
नानाप्रहारणमोक्षैः शिरः कबन्धभुजकर्तनैश्चौव।
एभिश्चार्थविशेषैरस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः।। (नाट्यशास्त्र, 6.65–66)

कालकेय द्वारा शिवगामी का अपमान करने पर उसके पुत्रों, कटप्पा और सेना के द्वारा उसके साथ युद्ध किया गया। रौद्र रस को प्रहार, चोट, विकार, छेदन, विदारण आदि युद्ध में त्वरित व्यापारों द्वारा प्रकट किया गया। (बाहुबली–1, 02 : 23)

भयानक रस :–

विकृतरवसत्वदर्शनसंग्रामारण्यशून्यगृहगमनात्।
गुरूनृपयोरपराधात्कृतकश्च भयानको ज्ञेयः ।। (नाट्यशास्त्र, 6.70)
करचरणवेपथुस्तम्भगात्रसंकोचहृदयकम्पेन।
शुष्कोष्ठ–तालु–कण्ठैभयानको नित्यमभिनेयः।। (नाट्यशास्त्र, 6.73)

शिवा (बाहुबली) और अवंतिका पर माहिष्मती के सैनिक आक्रमण कर देते हैं और उसके साथ ही अचानक हिमस्खलन होने लगता है। इस समय नायिका काफी भयभीत हो जाती है। उसके मुख और नेत्रों में परिवर्तन, उद्विग्न होने आदि से यहां भय को अभिनीत किया गया है। (बाहुबली–1, 01 : 08)

बीभत्स रस :–

अनभिमतदर्शनेन च गन्धरसस्पर्शशब्ददोषैश्च।
उद्वेजनैश्च बहुभिर्बीभत्सरसः समुद्भवति।।
मुखनेत्रविघूर्णननयननासाप्रच्छादनावनमितास्यैः।
अव्यक्तपादपतनैर्बीभत्सः सम्यगभिनेयः।। (नाट्यशास्त्र, 6.74–75)

बाहुबली और कटप्पा देशाटन के लिए जा रहे होते हैं, ताकि वे प्रजा के सुख–दुःख को देख सकें। वे एक नदी पर रुकते हैं और बाहुबली जल का प्रयोग करने ही वाला होता है कि अचानक उसकी दृष्टि शवों पर पड़ती है। तब कटप्पा बताता है कि यह पिंडारियों का किया हुआ कार्य है। यहां अप्रिय पदार्थ के दर्शन एवं दोषों से पूर्ण त्रासदायक वस्तुओं के अनुभव करने पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है। मुंह एवं नेत्रों को घुमाने अकस्मात् पीछे हटने द्वारा इसका अभिनय किया गया है। (बाहुबली–2, 00 : 19 : 23)

अद्‌भुत रस :–

यत्वतिशयार्थयुक्तंवाक्यंशिल्पंचकर्मरूपंवा।
तत्सर्वमद्‌भुतरसेविभावःपंहिविज्ञेयम्।। (नाट्यशास्त्र, 6.76)
स्तम्भः स्वेदौथरोमांचगद्‌गदस्वरसंभ्रमाः।
तथानेत्रविकासाद्याअनुभावाः प्रकीर्तिताः।। (साहित्यदर्पण, 3.244)

जो भी अतिशयोक्ति पूर्ण वाक्य,शिल्प कर्म तथा रूप होंवे अद्‌भुत रस में विभाव समझे जाते हैं। जब बाहुबली देवसेना को माहिष्मती ले जाता है, उस समय के सारे दृश्य अद्‌भुत रस पर आधारित है। माहिष्मती के सौंदर्य को देखते हुए देव सेना के द्वारा नेत्र विस्तार करते हुए अद्‌भुत रस को अभिनीत किया गया है। (बाहुबली–2, 01 : 12)

शान्त रस :–

मोक्षध्यात्मसमुत्थस्तत्त्वज्ञानार्थहेतुसंयुक्तः।
नैः श्रेयसोपदिष्टः शान्तरसोनामसम्भवति।।
बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियसंरोधाध्यात्मसंस्थितोपेतः।
सर्वप्राणिसुखहितः शान्तरसोनामविज्ञेयः।। (नाट्यशास्त्र, 6.84–85)

शान्त रस मोक्ष का आपादक है। जब शिवगामी द्वारा बाहुबली तथा देवसेना को राजमहल से निकाल दिया जाता है, उस समय वैराग्य एवं चित्तशुद्धि आदि विभावों पर आधारित बाहुबली का व्यवहार शांत रस को उत्पन्न करता है। सब प्राणियों पर दया, पवित्रता, धृति, रोमांच, समभाव द्वारा नायक ने शान्त रस को अभिनीत किया जाता है। (बाहुबली–2, 01:38)

वात्सल्य रस :–

स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः।
स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्।।
उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौर्यदयादयः।
आलिंगनांगसंस्पर्शशिरश्चुम्बनमीक्षणम्।। (साहित्यदर्पण, 3.251–252)

संपूर्ण चलचित्र में शिवगामी देवी के द्वारा बाहुबली के प्रतिस्नेह को प्रदर्शित किया गया है। परंतु जब बाहुबली की मृत्यु होती है, उस समय इस वात्सल्य की संपूर्ण यात्रा का प्रदर्शन किया गया है। पुत्र की चेष्टाओं को देखना, आलिंगन अंग स्पर्श, रोमांच आदि अनुभावों तथा हर्ष गर्व आदि व्यभिचारीभावों द्वारा वात्सल्य को प्रस्तुत किया गया है। (बाहुबली–2,02:03)

बाहुबली चलचित्र में सभी रसों का श्रेष्ठ रूप प्रस्तुत किया गया है और विश्व के सर्वाधिक चर्चित चलचित्रों में इसने अपना स्थान बनाया है। पहले इस फिल्म को तेलुगु और तमिल भाषा में बनाया गया और बाद में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अन्य भाषाओं में इसकी डबिंग की गई। अतः हम कह सकते हैं कि बाहुबली चलचित्र लोकप्रिय और रसात्मक चलचित्र है।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 124-128

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

तृतीय लिंगी समुदाय और भारतीय समाज

–डॉ. हिमानी सिंह,

सह आचार्य 'हिन्दी' म. न. 18, गली नं. 2, सरस्वती कॉलोनी, बाराँ रोड, कोटा (राज.)–324001

सामाजिक उपेक्षा का सबसे अमानवीय शिकार यदि कोई हैं तो वह है तृतीयलिंगी समुदाय। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति परिवार और समाज में प्रेम, स्नेह, सुरक्षा और संवेदना पाता है लेकिन अपने परम्परागत आचरण, व्यवहार और लौंगिक विकलांगता के कारण तृतीय लेंगी समुदाय समाज के हाशिये पर खड़ा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इनका सम्पूर्ण जीवन यातना और अमानवीयता का क्रूर दस्तावेज है। समाज से प्रेम, स्नेह, सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग प्राप्त करना इनके लिए आकाश कुसुम है। नकारात्मक और हेय दृष्टि से देखे जाने वाले तृतीय लिंगी समुदाय को समाज में किन्नर, हिजड़ा, छक्का, मौसी, हाथी, यूनक, जनखा, मेहला, उभयलिंगी, रव्वाजासरा, कोती, थर्डजेंडर इत्यादि नामों से जाना जाता है। जो न ही सम्पूर्ण स्त्री है और न हीं सम्पूर्ण पुरुष। ''भावनाएँ, जरूरतें, महत्वाकांक्षाएँ – ये सब एक स्त्री की – लेकिन शरीर पुरुष का! एक बेहद दर्दनाक परिस्थिति जिसमें ज़िन्दगी, ज़िन्दगी नहीं, समझौता बन कर रह जाती है। ऐसे इन्सान और उसके घरवालों को हर मकाम पर समाज से दुर्व्यवहार और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है।''[1] लोग इन्हें देखकर घृणा करते हैं। उपहास उड़ाते है। इनसे किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक सम्पर्क नहीं रखना चाहते।

समाज द्वारा अपमानित और घृणास्पद व्यवहार देखकर महेन्द्र भीष्म के उपन्यास 'किन्नर–कथा' की मुख्यपात्र 'तारा' समाज से प्रश्न करती है– ''भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मैं हिजड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझ निर्दोष को किस बात की सजा मिल रही है? मेरा अपना कौन है? .....ईश्वर से बस एक शिकायत है आखिर क्यूँ उसने हमें ऐसा बनाया? क्यों हिजड़ा होने का दण्ड दिया? हिजड़ा होना कितनी बड़ी सजा है, यह कोई हिजड़ा ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं, कभी नहीं।''[2] यह पीड़ा, यह प्रश्न केवल तारा का नहीं वरन् उस प्रत्येक किन्नर का है जो समाज द्वारा उपेक्षित, अपमानित और तिरस्कृत है। मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित है। जिस पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में अभी तक स्त्रियों को खुले हृदय से स्वीकार नहीं किया है उस समाज में किन्नरों के लिए मानवियता और संवेदना की बातें अर्थहीन लगती हैं।

किन्नरों का जीवन रहस्यों से भरा होता है। आम मनुष्यों के मन में इनके बारे में जानने की असीम जिज्ञासा है। तृतीयलिंगी समुदाय के अपने नियम हैं, रीति–रिवाज़ है, भिन्न तरह का पहनावा है, इनकी अपनी एक अलग भाषा है। किन्नरों द्वारा एक विशेष प्रकार का मेला तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कूवगम गाँव में प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। यहाँ के सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर कूतान्दवर मंदिर में भगवान अरावन के शीश की पूजा की जाती है। तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा से 18 दिवस तक उत्सव चलता है इस उत्सव में सम्पूर्ण भारत के तथा आस–पास के देशों के किन्नर उपस्थित होते हैं। 'अरावन' भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। इनके समुदाय में किसी भी नये किन्नर को सम्मिलित करने से पहले नाच–गाना और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अन्तिम

संस्कार भी बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नर भाव को जलाते नहीं है वरन् दफनाते हैं। इनकी शवयात्रा रात्रि में ही निकलती है। कोई गैर किन्नर इन्हें नहीं देख सकता। इनके भाव को जूतों–चप्पलों से पीटा जाता है। किसी किन्नर के शरीर त्यागने के उपरांत पूरा हिजड़ा समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। परन्तु ये किसी किन्नर के मरने पर मातम नहीं मनाते है बल्कि खुशी मनाते है कि यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति प्राप्त हुई। अपने समुदाय के नियमों का किन्नर बहुत कठोरता से पालन करते हैं। ये अपने विशय में ये किसी भी बाहरी व्यक्ति से कुछ साझा नहीं करते।

पौराणिक तथा ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। दूसरी मान्यता के अनुसार अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति मानी गई है। महाभारत में पांडव जब एक वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे तब अर्जुन ने किन्नर वृहन्नला बन कर विराट नगर में अंतिम वर्ष पूर्ण किया था और राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा दी थी। गुजरात के किन्नर अर्जुन के बृहन्नला रूप की पूजा करते हैं और यहाँ बहुचर देवी के मंदिर में किन्नर बनने के इच्छुक लोग आते रहते हैं। बहुचर देवी किन्नरों की इष्ट है जिनका वाहन मुर्गी है। महाभारत में शिखंडी को भी किन्नर ही माना गया है जो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना था। मुगलकाल में भी किन्नरों की उपस्थिति दर्ज होती है। बेगमों और हरम की रक्षा हेतु इन्हें रखा जाता था। दास–दासी के रूप में इन्हें क्रय करने की प्रथा थी। दूसरों का मनोरंजन करके यह अपनी आजीविका चलाते थे।

किन्नर समुदाय की सबसे दारूण स्थिति आधुनिक काल में हुई है। भौतिक और आध्यात्मिक रूप से आधुनिक समाज जितना विकसित हुआ है, नैतिक रूप से उतना ही पतन के गर्त में डूबा है। आँकड़ों पर यदि गौर करें तो देश की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत ही प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाले किन्नर है अर्थात जन्मजात किन्नर है। देशभर के अधिकांश किन्नरों में से 90 प्रतिशत ऐसे होते हैं जिन्हें किन्नर बनाया जाता है या स्वेच्छा से किन्नर बनते हैं। इनका समुदाय ऐसे बच्चों की तलाश में रहता है जो शारीरिक रूप से सुन्दर हो तथा स्वभाव व चाल–ढाल से कोमल हो या जनाना भाव रखते हों। ऐसे बच्चों को यह समुदाय प्रलोभन देकर या अपहरण करके अपने साथ ले जाते है और उसे बधिया कर दिया जाता है अर्थात उसे लैंगिक रूप से विकलांग कर दिया जाता है। जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। अत्यन्त दुखद बात है की आपसी रंजिश या बदला लेने की भावना से बहुत से लोग ऐसा घृणित कार्य करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के तथा अधिक धन कमाने की लालसा के कारण भी अनेक पुरुष किन्नर समुदाय में शामिल हो जाते हैं। परिवार तथा बाल–बच्चों वाले पुरुष भी लालचवश इस समुदाय में रहते हैं। जिसका सबसे बड़ा नुकसान या दंश प्राकृतिक रूप से बने किन्नरों को होता है। जन्मजात किन्नर कभी किसी को श्राप नहीं देते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। वे दान धर्म का कार्य करके सहायता ही करते हैं।

मूलरूप से किन्नर समाज को समझने के लिए इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है– बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। वास्तविक किन्नर तो 'बुचरा' ही होते हैं क्योंकि ये जन्मजात न पुरुष होते है न स्त्री। 'नीलिमा' किसी कारणवश स्वयं को किन्नर बनने के लिए समर्पित कर देते हैं। 'मनसा' शरीर के स्थान पर मानसिक रूप से स्वयं को विपरीत लिंग या कहें कि स्त्रीलिंग के अधिक निकट अनुभव करते है और 'हंसा' शारीरिक कमी तथा नपुंसकता आदि यौन न्यूनताओं तथा जनाना आचरण के कारण बने किन्नर होते हैं। नकली किन्नरों को 'अबुआ' कहा जाता है जो वास्तव में पुरुष होते हैं। किन्तु धन के लालच में किन्नर का स्वांग रच लेते हैं, जबरन बनाए गये किन्नर 'छिबरा' कहलाते हैं। किन्नर समुदाय में गुरू–शिष्य जैसी प्राचीन परम्परा आज भी विद्यमान है। प्रत्येक क्षेत्र के किन्नरो के एक गुरू होते है जिन्हें सभी किन्नर अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक या शुभ कार्यों में ही (शिशु के जन्म लेने या विवाह आदि के) शामिल होते हैं मातम में नहीं। हमारा दकियानूसी रूढ़िवादी समाज किन्नरों को मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं करना चाहता। इसी कारण ये अपना पारम्परिक कार्य अर्थात

शुभ अवसर पर नाच–गाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन इससे किन्नरों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती। यही कारण है कि अब इन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया है और देह–व्यापार जैसे अनैतिक कार्यों में भी संलग्न हो गये हैं। साथ ही किन्नरों के साथ होने वाले अनैतिक एवं आपराधिक कार्यों के लिए समाज में कोई न्याय या सुनवायी नहीं है।

मूलभूत अधिकार प्रत्येक इंसान के प्राथमिक अधिकरों का अहम हिस्सा है किन्तु हिजड़ा समुदाय अपने अधिकारों से आज भी वंचित है। जहाँ प्रकृति ने ही इस समुदाय के साथ क्रूर मजाक किया वहीं परिवार और समाज ने भी इनके जीवन को अपमानजनक और नारकीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मानवीय मूल्यों के हनन के साथ यह समुदाय दो वक्त की रोटी का भी मोहताज हो जाता है। ''आप रोज देखते हैं सड़क पर, बसों में, अपने घर के पास या फिर मार्केट में। साड़ी पहने हुए, होठों पर लाल लिपिस्टिक, हाथों में चूडियाँ, मटकती कमर और ताली बजाते हाथ। भीख मांगते, लोगों से पैसा वसूल करते, कुछ लोग भार्माकर तुरन्त दे देते और कुछ नौटंकी करते। कोई कहता है, ''हम बहुत गलत करते हैं।'' आखिर तुमने अपने समाज से हमें निकाला है तो खाने का इन्तजाम तुम ही करोगे न! इसमें बताइये हम क्या गलत करते है ? अच्छा–खासा पढ़ रही थी, पढ़ के नौकरी करती। अब निकाल दिया अपने समाज से तो हमें खाने के लिए तो देना पड़गा न! हम मुफ्त में थोड़े न कुछ लेते हैं, आपको दुआएँ भी तो देते हैं।''[3] जिन्दगी 50–50 उपन्यास की किन्नर हर्शा के ये भाब्द रूढ़िवादी पारम्परिक सोच वाले समाज की वास्तविकता से अवगत कराते हैं इसी तरह नीरजा माधव के उपन्यास 'यमदीप' की पात्र 'महताब' किन्नर गुरू हैं वह अपने चेलों के स्वास्थ्य को लेकर चिन्तित है। वह ताली बजाकर कम पैसा कमाने के पक्ष में है लेकिन अप्राकृतिक रूप से वैश्यावृत्ति करके पैसा कमाने के पक्ष में नहीं है। नाजबीबी तथा चेले, गुरू के सामने सहमति व्यक्त करते है परन्तु उनके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं – वे अपने आप को समाज के उपेक्षित वर्ग मानते है जहाँ सरकार भी उनके प्रति बेरूखीपूर्ण रवैया अपनाती है। चमेली किन्नर के भाब्दों में ''तन को भगवान ने आधा टुकड़ा बनाया कि किसी लायक नहीं रहे और पेट? पेट तो नहीं बंद करके भेजा। यह तो खुला ही है रोज भरो, रोज खाली।'' चमेली की इस बात पर 'मंजू' किन्नर कहती है ''हमारे पेट की सुध किसे है ? न सरकार को, न जजमान को.....''[4] इसमें कोई दो राय नहीं कि सच में सरकार हिजड़ों के प्रति सतर्क और संवेदनशील नहीं है। तृतीय लिंगी समुदाय के उत्थान हेतु सरकार ने जिस प्रकार उदासीनता और बेरूखी अपनायी है वह अत्यन्त निराशाजनक है। न्यायालय के फैसले से नागरिकों को दिये जाने वाले सभी अधिकार इस समुदाय को मिले परन्तु लचर कानूनी व्यवस्था के कारण यह समुदाय आज भी अपनी पहचान और मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्षरत है।

तृतीय लिंगी की इस तिरस्कृत और अमानवीय स्थिति के लिए काफी हद तक आई. पी. सी. की धारा 377 जिम्मेदार है सन् 1871 तक हिजड़ों को समाज में स्वीकार्यता प्राप्त थी। किन्तु सन् 1871 में तत्कालीन अंग्रेज सरकार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या जरायम पेशा अपराध अधिनियम ले कर आई जिसमें किन्नरों पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये और 1879 में इनमें संशोधन करते हुए इन्हें अपराधियों की कोटी में रखा तथा धारा 377 के अन्तर्गत इनके कृत्यों को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। आजादी मिलने पर इन्हें जरायमपेशा जातियों की सूची से तो हटा दिया गया किन्तु धारा 377 की तलवार तब भी इनके ऊपर लटकती रही। ''धारा 377, 1860 में पास हुआ ऐसा अंग्रेजी औपनिवेशिक कानून था जो 377 के रूप में सेक्स और जेण्डर की विविधता पर एक रूपता थोपने के अलावा समलैंगिकता के नाम पर स्त्रियों, बच्चों, युवक, युवतियों को सरेआम दण्डित करके उनके मानवाधिकारों को चुनौती देने, उनका इलाज कर उन्हें ठीक कराने सम्बन्धी प्रताड़ना का प्रतीक बन गया था। नवम्बर 2009 में भारत सरकार ने इनकी पुरूषों एवं महिलाओं से अलग पहचान को स्वीकृति प्रदान की तथा निर्वाचन सूची एवं मतदाता पहचान पत्रों पर इनका 'अन्य' के तौर पर उल्लेख किया।[5] 15 अप्रैल, सन् 2015 को उच्चतम न्यायालय ने तीसरे लिंग के रूप में इनके अधिकारों को मान्यता दी है और आवेदनों में तीसरे लिंग

का उल्लेख अनिवार्य कर दिया गया। इतना ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार भी दिया तथा चिकित्सा के माध्यम से पुरूष या स्त्री बनने का भी अधिकार दिया।

तृतीय लिंगी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सदियों के संघर्ष के उपरान्त और लम्बी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 6 सितम्बर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करके समाप्त कर दिया क्योंकि यह स्वायत्तता, अंतरंगता और पहचान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी ने अपने फैसले में लिखा कि ''इतिहास द्वारा गलत को सही करना मुश्किल है। लेकिन हम भविष्य के लिए रास्ता तय कर सकते हैं। इस मामले में सिर्फ समलैंगिकता को वैध बनाने से ज्यादा कुछ शामिल है। यह ऐसे लोगों के बारे में है जो सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।''[6] 15 अप्रैल 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के हकदार ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग घोषित किया। उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान आधिकारिक दस्तावेजों पर तीसरे लिंग की मान्यता को अनिवार्य करता है और लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही रोजगार में भेदभाव को रोकने तथा ट्रांसजेंडर लोगों के शोषण और हिंसा को रोकने का प्रावधान भी किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आम इन्सान की तरह सारी योग्यताएँ और क्षमताएँ होने के बाद भी उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता। किन्नरों के लिए बनायी गई कल्याणकारी सरकारी योजनाएँ सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गयी। समाज अभी भी इन्हें हेय दृष्टि से देखता है जो सिर्फ तिरस्कार और उपेक्षा पाने के लायक हैं। इन तिरस्कृत और उपेक्षित किन्नरों के जीवन की व्यथा, पीड़ा और त्रासदी को जन–जन तक पहुँचाने का काम साहित्यकारों ने किया क्योंकि समाज का कोई भी कोना साहित्य की पकड़ से दूर नहीं है। संसार के जो कुछ भी घटित हो चुका है, हो रहा है, सब साहित्य की परिधि में निहित है। अमानवीय त्रासदी को झेलते हुए तृतीयपंथी समुदाय की पीड़ा भी साहित्य में प्रकट हुई और इसने संवेदनशील जन मानस को झकझोरा। अब यह समुदाय भी मुख्यधारा के दरवाजे पर दस्तक देने लगा है। इस समुदाय को निरन्तर कोशिश करते रहना होगा क्योंकि समाज यकायक बदलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समाज में परिवर्तन बहुत धीरे–धीरे ही संभव है।

समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव के कारण किन्नरों की क्षमताएं और प्रतिभाएँ नष्ट हो रही है। रोजगार के नाम पर भीख मांगने, घर–घर जाकर बधाई गाने, वेश्यावृत्ति करने और अन्य अपराध करने को विवश किन्नरों की वर्तमान स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से इनको मुख्य धारा से जोडना समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। पारम्परिक रूप से जो कार्य या जीविकोपार्जन हेतु जो साधन इनके लिए निर्धारित थे उनमें बदलाव आ रहा है और यह समुदाय शिक्षा, स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी कदम इनके मतदाता सूची में नाम जुड़ने पर आया। जिससे राजनीति में इनके लिए दरवाजे खुलने लगे। आज कई किन्नर मेयर, वार्ड पार्षद बन कर अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। शिक्षित होकर न्यूज़ एंकर, लेखक, शिक्षा जगत, फैशन जगत, सामाजिक हितों के कार्य, पत्रकारिता, आन्दोलनकर्ता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण दस्तक दे रहे हैं। इन्होंने अपनी पारम्परिक भूमिका से बाहर निकल कर अपनी एक अलग पहचान बनायी और स्वतन्त्र रूप से जीवन यापन करके, हाशिए पर खड़े अपने ही समुदाय के लिए पथ–प्रशस्त किया।

किन्नरों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इन्हें मुख्य धारा को इन्हें इसी रूप से स्वीकार करना होगा। यह भी हमारे समाज की ही जेंडर आधारित संरचना का रूप है। इस समुदाय की भी सामाजिक एवं राजनीतिक उपयोगिता है। किन्नरों के सशक्तिकरण एवं मूलभूत अधिकारों की रक्षा सचमुच क्रियान्वित हो सके इसके लिए समाज को इन्हें मनुष्य मानकर भावनात्मक और संवेदनात्मक स्तर पर सहारा देना और अपनाना होगा

जिससे इनकी स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हो सके। ''किन्नर के आस–पास दैविय शक्ति का आभामंडल व्याप्त रहता है। किन्नर कभी किसी को श्राप नहीं देते, वे केवल और केवल आशिष देना जानते हैं। दूसरों के सुख में खुश होकर नाचते–गाते–बजाते है और एकांत में ईश्वर से अपना कसूर पूछते हुए कहते है, हे ईश्वर! उन्हें हिजड़ा क्यों बनाया? कोई भी हिजड़ा कभी नहीं चाहता कि अगले जन्म में वह फिर हिजड़ा ही पैदा हों। बावजूद इसके बुछ मर्दों को किन्नर वेश धर ताली पीटने से गुरेज नहीं है और ऐसे ताली पीटने वाले न केवल किन्नरों की रोजी–रोटी में सेंध लगा रहे है बल्कि आम जन के मन मस्तिष्क में किन्नरों से तटस्थ रहने की भावना को बल दे रहे हैं।''[7] नकली किन्नरों की पहचान करके इन्हें दण्डित करने की आवश्यकता है तथा जन्मजात किन्नरों की अधूरी देह हम सब के स्नेह और प्रेम से पूर्ण होने का अनुभव कर सके, बस समाज से इतनी अपेक्षा है। इनकी बहुत छोटी सी चाहत है कि इन्हें इंसान समझा जाये। सम्पूर्ण समाज को इन्हें अपनाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। आशा है सामान्य लोगों की भांति यह समुदाय भी अपने मानवाधिकारों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन–यापन कर सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिन्दगी 50–50 – भगवंत अनमोल, आवरण पृष्ठ से
2. किन्नर कथा – महेन्द्र भीष्म, सामयिक प्रकाशन, पृष्ठ 64
3. जिन्दगी 50–50 – भगवंत अनमोल, पृष्ठ 164
4. यमदीप : नीरजा माधव – सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली
5. जनकृति अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका 'थर्ड जेंडर विशेषांक 2016
6. www.wikipediya.com
7. किन्नर कथा – महेन्द्र भीष्म, प्राक्कथनं से सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. बोहल शोध मंजूषा, साहित्य समाज और किन्नर, विशेषांक 2019।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 129-132

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Role of Education for the growth of Woman

-Dr. Aruna Anchal

Dean & HOD Dept. of Education, Baba Mast Nath University Asthal Bohar, Rohtak

Abstract :-

We know that education is the key factor for empowerment, prosperity, development and welfare. It is seen that the discrimination of women from womb to tomb is just like web. We have noticed that women is oppressed in all spheres of life. She has to swim against the system that requires more strength. Such strength comes from the process of empowerment and this power will come from education. I personally feel that educational empowerment, political and psychological empowerments were the significant predictors for overall empowerment. The process of empowering entails much more than awareness at alternative, women's rights and the nature of the requirements. With education women have greater access to employment opportunities and increase the ability to secure their own economic resources. And by the help of economic growth nalion can be build up strong and developed. Napoleon was once asked, what the great need of the nation was. He answered, "Nation's progress is impossible without trained and educated mothers. If the women of the country are not educated, half of the people will be ignorant".Shehastoplaythreerolesinthecourseofherlife.Itisonlywiththehelpofeducation that she would be able to do them successfully as good daughter, good wife and good mother. Education teaches woman, what she should be? How she can be a good mentor as daughter, mother or wife? How she can be economic sound and how she can help nation's growth and development?

There is a saying in English, "The hand that rocks the cradle rules the world" . She is able to mould thoughts and character of her children In history we have many exemplary examples of great women who gave nation strong stand in all ways as Education Empire as Jeeja Bai mother of Shivaji, Raziya Sultan, SavitriPhule, Annie Beasant and many more.

One may ask why education of women is even important, or why the nation ought to focus on it, beyond improving the numbers and statistics to reflect figures at par with the rest of the developed world. Thus in my view education for women is an important determinant of their enhanced self esteemand self-confidence helping to buil dapositive image, developing their ability to think critically, fostering better decision making and helping them make more in formed choices about health, employment and even the education of their children. Educated woman can contribute to society, policy and the economy of thenation.

Keywords :- EMPOWERMENT, SELFSTEEM, SELF CONFIDENCE, GROTH

Education for all' is one of the major tasks being carried out by the Indian government but still we have the lowest female literacy rate in Asia. India is working but the pace is slow as we haven't achieved what we should have been so far. At

the start of British Raj till independence just 2-6% of females were literate. The percentage went up to 15.3% in 1961 and 28.5% in 1981. Literacy rate crossed 50% in 2001. By 2011 female literacy rate in India stood at 65.46%.

So there is an obvious increase in the female literacy rate but India is far behind as compared to other countries at global level. Female illiteracy rate varies with the state. In Kerala 86% of women are literate whereas literacy rate in Bihar and Uttar Pradesh is just between 55-60%. Shockingly the rural areas of India have the lowest female literacy rate. Rural Rajasthan has less than 12% female literacy rate.

Sex based discrimination is prevalent in India. Thus you must have seen or heard that many parents especially in lower strata of society send their male child to school but not the girl child. This is one problem where parents do not send their daughters to school. Secondly, it is also common to see that parents especially in urban areas often send their male child to better schools. Even if girls are enrolled, their dropout rate is very high. Why girls are treated in this manner?

We must understand the consequences of not educating our girl child. When a woman is not educated then it not only affects her but the entire family as well as the nation. In many studies it has been found out that illiterate women have high fertility as well as mortality rate. It has been seen that infant mortality rate reduces to half in case women have received primary education as compared to illiterate female. Apart from this children, of illiterate woman are malnourished. Illiteracy also reduces the overall earning potential of the family.

Women must be educated for a healthy and a happy life. An educated woman can be a better human being, successful mother and a responsible citizen. Educating women will definitely increase the living standard both at and outside home. An educated woman will force her kid study further and wish them to live a better life than hers.

Educating women results in promoting self respect and also helps in raising the status of women. An educated woman will be aware of her rights. She can fight against social evils such as domestic violence, dowry demand, low wages etc.

Educating girls and women is so important for the world as a whole. When we consider the entire human population, the percentage of educated women is at much lower level than men. The importance of women education are briefly summarized below :-

1. Economic development and prosperity :-

Education will empower women to comeforward and contribute towards the development and prosperity of thecountry.

2. Economic empowerment :-

So long as women remain backward and economicallydependent on men, the helpless condition of them cannot be changed. Economic empowerment and independence will only come through proper education and

employment of women.

3. Improved life :-

Education helps awoman to livea good life. Her identity as anindividual would never get lost. She can read and learn about her rights. Her rights would not get trodden down. The life or condition of women would improve a lot, if we take a broad outlook in the field of female education.

4. Improved health :-

Educated girls and women are aware of the importance of health and hygiene. Through health education, they are empowered to lead a healthy life-style.Educated mothers can take better care of both herself and herbaby.

5. Dignity and honor :-

Educated women are now looked upon with dignity and honor. They become a source of inspiration for millions of young girls who make them theirrole-models.

6. Justice :-

Educated women are more informed of their rights for justice. It wouldeventually lead to decline in instances of violence and injustice against women such asdowry, forced-prostitution, child-marriage, female foeticide, etc.

7. Choice to choose a profession of her choice :-

Educated women can prove be highly successful in the fields of life. A girl-child should get equal opportunity for education, sothat, she can plan to become a successful doctors, engineers, nurses, air-hostesses, cook,or choose a profession of her choice.

8. Alleviate poverty :-

Women education is a pre-requisite to alleviate poverty. Women need to take equal burden of the massive task of eliminating poverty. This would demandmassive contribution from educated women. There cannot be much social and economic changes unless girls and women are given their rights for education.

The educated women should insist on exercising their civil, social, political and economic rights. Thiswillhelpimprovetheoverallconditionofwomeninthesociety.Wecanhopeforbetterdays while all women of our country will be enlightened andeducated.LastAn educated woman is more likely to marry later in life improving the chances of survival of the mother and baby. Educated mothers are more aware of their children's needs and nutrition, and take well care of them resulting in a low child mortality rate; providing them betterhealth, hygiene andnutrition.

An educated woman is more likely to marry later in life improving the chances of survival of the mother and baby. Educated mothers are more aware of their children's needs and nutrition, and take well care of them resulting in a low child mortality rate; providing them better health, hygiene and nutrition.

Conclusion :-

Women education refer stoe very form of education that aim sat improving the knowledge, and skill of women and girls. It includes general education at schools and colleges, vocationa land technical education, professional education, health education, etc. Women education encompasses both literary and non-literary education. Educated women are capable of bringing socio-economic changes. The constitution of almost all democratic countries, including India, guarante esequal rights to both men and women.

India is now aleading country in the field of women education. History of India is never blank of brave women how ever it is full of women philosophers like Gargi, Viswabara, Maritreyi (of Vedic age) and other

famous women are like Mirabai, Durgabati, Ahalyabi, Laxmibai, etc. All the famous historical women in India are inspiration for the women of this age. We never forget their contributions to thesociety

In simple words–getting education is the fundamental human right of every individual irrespective of gender. But some people in our society do not understand this and make sucha simple thin gextremely complicated. We must beaw are of the fact that if she is un educated then close to half of the population is uneducated. Educatinga woman means educating the family and thenation.

Reference :-

1. http://www.litencyc.com/php/stopics.php?rec=true&UID=664
2. http://www.aauw.org/
3. Literary Encyclopedia, Education of Women 1650-1750
4. Essay by Gene Sperling on girls' education
5. Pathak S; and Gupta, A. (2013). "Status of Women in India with Particular Reference to Gap in Male Female Literacy Rate in India", International Journal of EnvironmentalEngineering and Management, 4(6): 549-552.
6. shodhganga.inflibnet.ac.in
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India
8. http://mhrd.gov.in/rte
9. http://www.educationforallinindia.com/ssa.htm

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 133-136

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संस्कृत साहित्ये महाकवि भारवेः चित्राशरस्य योगदानम्

-डॉ0 वैदेही तिवारी

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, कटवारिया सराय, दिल्ली।

महाकविः भारविः न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्व साहित्यस्य देदीप्यमानं नक्षत्रमस्ति। तस्य सूक्ष्मदृष्टिः बाह्यजगतः अन्तर्जगतश्च तात्विकविधानां साक्षात्कारं कुर्वती, मनोरमपदावलिभिः तामनुस्यूतां च कारयति। तस्य कलात्मक चमत्कारं पदे–पदे दृष्टि पथमायाति। काव्य मर्मज्ञेषु तस्यानेकानि सूक्तिवचनानि सुभाषितानि वा प्रचलितानि सन्ति। यथा –

प्रदेशवृत्त्यापि महान्तमर्थ प्रदर्शयन्ती रसमादधाना।
सा भारवेः सत्पथदीपिकेव रम्या कृतिः कैरिव नोपजीव्या।।[1]

अपि च –

विमर्दव्यक्तसौरभ्या भारती भारवेः कवेः।
धत्ते बकुलमालेव विदग्धानां चमत्क्रियाम्।।[2]

महाकवेः भारवेः संस्कृत साहित्येऽन्यतमं स्थानं वरीवर्ति। तेन हि संस्कृत साहित्याय नूतनदिशा प्रदत्ता।

महाकविना भारविणा स्वकाव्यानि अलगाराणां माध्यमेन चमत्कृतानि सन्ति। तत्रभवता कव्यन्तरवत् शब्दालगाराणाम् अर्थालगाराणां च यथास्थानं समुचितप्रयोगो विहितोऽस्ति तथा चोपमा–रूपक–उत्प्रेक्षा–अतिशयोक्ति– दृष्टान्त–काव्यलि (एकावली–अर्थान्तर न्यासादिविविधालगाराणां प्रयोगैः महाकाव्याम् अलङ्कृतमस्ति। परन्तु काव्यं विशिष्टतया योऽलगरोति सोऽलगरोऽस्ति– अर्थान्तरन्यासः, पाण्डित्यप्रदर्शकालगारो वर्तते–चित्रालगारः।

एवमेव महाकवेर्भारवेः श्रृद्धारचित्रणम्, प्रकृतिचित्रणम्, युद्धवर्णनम्, राजनैतिक वर्णनम् इत्यादीनां हि नैकपरिवर्तिभिः कविभिरनुसरणं कृतमस्ति। अत उत्तरकालिक कविषु महाकवेर्भारवेरत्यन्तं लाघनीयस्थानमस्ति।

महाकावेर्भारवेः काव्यम् अद्वितीयमस्ति, यस्य चरमोत्कर्षता माघस्य श्रीहर्षस्य च काव्ययोः प्राप्यते। यतो भारवेरेव प्रभावः तयोः वर्तते। उक्तपद्येन भारवेरेव चरमोत्कर्षो दृष्टिगतो भवति। वस्तुतः काव्यकौशलस्य वैशिष्ट्यपूर्णरसास्वादस्तु महाकविकालिदासे, माघे तथा च श्रीहर्षादिकविश्वपि अवश्यमेव प्राप्यते परन्तु काव्यास्वादस्य य आशदः किरातार्जुनीयमहाकाव्ये प्राप्यते, सः सहजमेव सह दयान् आत्मानं प्रति आकर्षयति। आचार्यविश्वनाथेन हि अयं रसास्वादो ब्रह्मास्वादसहोदरत्वेन मतमस्ति। तथाहि –

सत्वोद्रेकादखण्ड स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः।
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः।।[3]

अतः सर्वैः सह दयैः ब्रह्मास्वादसहोदरानुभवेर्लाभं प्राप्तुं किरातार्जुनीयमहा काव्यस्य भावोत्कर्षस्य रसास्वादनमवश्यमेव करणीयम्।

अतः महाकवेर्भारवेः महाकाव्यमिदं पूर्ववर्तिभ्यः कालिदासादिभ्यः परवर्तिभ्यश्च श्रीहर्षादिभ्यः प थगेव संस्कृतसाहित्यस्योच्चैः स्थाने प्रतिष्ठितमस्ति।

यथा हि उपमालग्ारस्य आधिक्येन तथा च आश्चर्यकारित्वेन प्रयोजनात् कविकुलगुरोः कालिदासस्य कृते उपमा कालिदासस्य इतिरूपेण प्रसिद्धिरभवत्, तथैव महाकविना भारविणाऽपि उपमाया आधिक्येन प्रयोगकारणाद् आतपत्रोपाधिः

प्राप्ता।

तथा हि –

उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादमुःमादुद्धूतः सरसिजसम्भवः परागः।

वात्याभिर्वियति विवर्तितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीम्।।[4]

पद्येनानेन महाकविः भारविः विद्वज्जनेषु आतपत्रलक्ष्मीम् इत्यस्य स्थाने आतपत्रभारविः इतिरूपेण प्रसिद्धिमवाप्नोत्।

अर्थातन्तरन्यासालगाकारो हि महाकवेर्भारवेः अतिप्रियालगारोऽस्ति। महाकाव्येऽस्मिन् अर्थगरिम्णोऽधिकांशतः श्रेयः अनेनालगारेणैव प्राप्तमस्ति। अस्य प्रयोगकारणाद् अर्थगरिमवतीनां हृदय स्पर्शिनीनां च सूक्तीनाम् उद्भवः काव्येऽस्मिन् सप्रजातः। किप्रचैतेन साकं काव्यं सरसं रोचकं च विधातुमपि अलगारस्यास्य विशिष्टं योगदानं विद्यते। अर्थान्तरन्यासयुक्ताः काश्चन सूक्तयो निम्नलिखिताः सन्ति –

– वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः।
– अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता।
– प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः।
– निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विशादेन समं समृद्धयः।
– वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि।

इत्थं हि महाकविना अलगारान्तराणामपि प्रयोगो यद्यपि विहितस्तथापि अर्थान्तरन्यासागकारेण समलङ्कृताः सूक्तय आधिक्येन पाठकानां चित्ताकर्षिक्यो विद्यन्ते।

अन्येनाप्येकेन अलग्कारेण महाकवेः वैशिष्ट्यम् अभिव्यज्यते, स हि चित्रालङक्ारः। अस्यसालग्कारस्य प्रयोगे सर्वे कवयो न भवन्ति समर्थाः। अतः कविनानेन चित्रालग्कारस्यास्य प्रयोगेण स्वींय पाण्डित्यं प्रदर्शितमस्ति तथा च एतद्द्वारा स्वीयमहाकाव्यस्य भावपक्षापेक्षया कलापक्षः प्राधान्यतां नीतः।

महाकविः भारविः चित्रकाव्यजनकत्वेनापि प्रख्यातोऽस्ति। अस्य महाकवेर्भारवेः नूतनप्रयोगस्य दर्शनं माघकाव्येऽपि प्राप्यते। अन्यैरपि कविभिरनुकरणं कृतमेवास्ति। तथा हि –

भारवेः चित्रबन्धः –

देवकानिनिकावादे वाहिकास्वस्वकाहिवा।

काकारेभभरेकाका निस्वभव्यव्यभस्वनि।।[5]

माघस्य चित्रबन्ध :–

सकारना नारकास कायसाद दसायका।

साहवा वाहसाहर नादवाददवादना।।[6]

एवंरीत्या किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य पप्रचदशसर्गे तथा शिशुपाल वध महाकाव्यस्य अष्टादश–एकोनविंशसर्गयोः चित्रकाव्यद्वारा युद्धवर्णनं कृतमस्ति।

एवं हि महाकविना भारविणा चमत्कारविशिष्टायाः काव्यरचनापद्धतेः सूत्रपातः कृतः, यस्यां पाण्डित्यप्रदर्शन–कृत्रिमालग्कारसन्निवेशादीनां प्रधानता वर्तते।

तत्र हि महाकविना सर्वतोभद्र–पदान्तादियमक–प्रतिलोमानुलोमपाद– द्व्यक्षर–एकाक्षर– गोमूत्रिकाबन्ध– अर्धभ्रमकप्रभृतीनां चित्रालङक्राणां चमत्कृतिपूर्वकं प्रयोगो विहितोऽस्ति। किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्य पप्रचदशसर्गः कवेः चित्रालग्कारप्रियतायाः सुन्दरं निदर्शनं विद्यते। सर्वतोभद्राख्यचित्रालग्कारमाध्यमेन युद्धस्थलस्य सुन्दरं चित्रमग्िकतमस्ति। तथा हि–

देवाकानिनिकावादे वाहिकास्वस्वकाहिवा।

काकारेभभरेकाका निस्वभव्यस्वनि।।[7]

पाठकैः सर्वतोभ्रदाचित्रालग्कारस्य सरलतया आत्मसाद् इत्थं कर्तुं शक्यते –

दे	वा	का	नि	नि	का	वा	दे
वा	हि	का	स्व	स्व	का	हि	वा
का	का	रे	भ	भ	रे	का	का
नि	स्व	भ	व्य	व्य	भ	स्व	नि
नि	स्व	भ	व्य	व्य	भ	स्व	नि
का	का	रे	भ	भ	रे	का	का
वा	हि	का	स्व	स्व	का	हि	व
दे	वा	का	नि	नि	का	वा	दे

एवंरीत्या श्लोकमिदं वामतः पठ्येत उत दक्षिणतः पठ्येत उपरितः पठ्येत अथवा अधस्तात् पठ्येत सर्वथा उच्चारणक्रम एक एव भवति। तथा हि–यदि वामतो दक्षिणाते वा वयं पठामस्तर्हि देवाकानिनिकावादे वाहिकास्वस्वकाहिवा इत्येवोच्चारणं भवति तथा च यदि उपरितः अधस्ताद् वा पठामस्तर्हि अपि तथैवोच्चारणं भवति। उच्चारणक्रमे न किमपि परिवर्तनं जायते। अतः सर्वतः समोच्चारणवत्तवाद् अयं सर्वतोभद्रचित्रालङक्ार उच्यते।

स	स्	त्व	र	ति	दे	नि	यं
स	छ	रा	म	र्श	ना	शि	नी
त्व	श्रा	धि	क	क	सं	ना	दे
र	म्	क	त्व	म	क	र्श	ति

श्लोकोऽयं यदि अर्धमर्धं विभज्य बोध्यते तर्हि सरलतया बोद्धुं शक्यते। यथा–श्लोकस्यार्धभागस्य वामतो दक्षिणे पठनक्रमे चतुर्ण्णां वर्णानाम् उच्चारणं 'ससत्वर' इति भवति। एतदेवोच्चारणं उपरिष्टाद् अध उच्चारणेऽपि जायते। परन्तु उत्तरार्धपठनसमये 'तिदेनियं' इत्युच्चारणं भवति तद्धि उपरिष्टाद् अधः उच्चारणे न जायतेऽपितु तद्विपरीतम् अधस्ताद् उपरि पठनक्रमे जायते। श्लोकस्यास्य अधार्धभागेन विभागे सति इत्थं भवति –

स	स	त्व	र
स्	द	रा	म
त्व	रा	धि	क
श्र	म	क	त्व

अयं पूर्वार्धोऽस्ति :–

थ्त	दे	नि	यं
र्ष	ना	शि	नि
क	सं	ना	दे
म्	क	र्ष	ति

अयम् उत्तरार्द्धोऽस्ति

गोमूत्रिकाबन्धः –

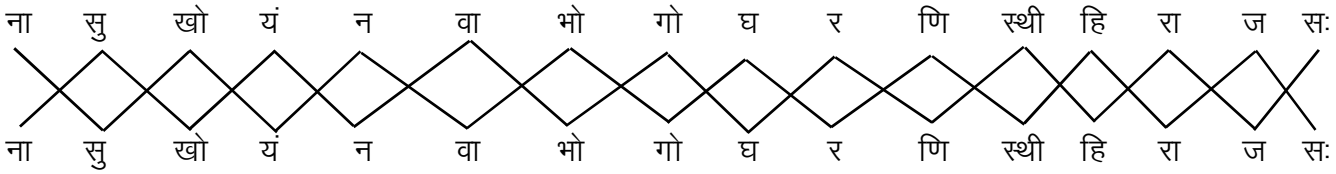

कविना भोजराजेन सरस्वतीकण्ठाभरणाख्ये स्वीये काव्ये बन्धस्यास्य लक्षणं कृतामस्ति। तच्च –

मतिरूच्चावचा यत्र मार्गे मूत्रस्य गोरिव।

गोमूत्रकेति तत्प्राहुर्दुष्करं चित्रवेदिनः।।[8]

अर्थात् चलतो वृषभस्य मूत्रपाताद् यथा भूमौ बहुकोणवत्य उच्चावचयुता रेखाः निर्मीयन्ते। तादृशीभिरेव रेखाभिः गोमूत्रिकाबन्धो निर्मीयते।

एवंरीत्या महाकविना भारविणा चित्रालत्राराणां सूत्रपातः कृतः, अतः ते स्य जनकत्वेन संस्कृतसाहित्ये प्रतिष्ठिताः सन्ति। अस्यानुकरणं परिवर्तिभिः नैकेः कविभिरपिस्वकाव्ये विहितम्। चित्रलत्रारेण यद्यपि दुरूहतां प्राप्तमस्ति परन्तु अत्रापि नास्ति सन्देहो यद् एतन्माध्यमेन कविना पाण्डित्यपराकाष्ठा प्राप्तेति।

संदर्भ :–

1. कृष्णकविः
2. अज्ञात
3. साहित्यदर्पणः 3/2
4. किरातार्जुनीयम् 5/39
5. किरातार्जुनीयम् 15/25
6. शिशुपालवधम् 19/27
7. किरातार्जुनीयम् 15/25
8. सरस्वतीकण्ठाभरणम् 2/115

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 137-141

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

शिक्षा के क्षेत्र में संचार और तकनीक की उपादेयता

–डॉ. प्रकाश भगवानराव शिंदे

हिंदी विभाग, पानसरे महाविद्यालय अर्जापूर, तहसील बिलोली जनपद नांदेड, महाराष्ट्र 431711

समय और समाज सदा ही परिवर्तनशील रहा है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है और इस नियम से मनुष्य, साहित्य और शिक्षा आबध्द है। प्राचीन काल से यह विदित है कि, जो भी कार्य प्रकृति के विरुद्ध किया जाता है उसे प्रकृति कभी माफ नहीं करते जैसे वर्तमान दौर में समग्र विश्व कोरोनावायरस जैसी महामारी से झुज रहा है। इस दौर में भी मनुष्य यदि अपने आप को सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास कर रहा है तो उसका अत्याधिक श्रेय शिक्षा को जाता है। वर्तमान समय में हम भारत की भव्य एवं उच्च प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति श्वसुधैव कुटुंबकम्श पर आधारित हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। कोरोनावायरस जैसी महामारी का समूचा विश्व एक परिवार की भांति सामना कर रहा है यह शिक्षा से मनुष्य में आय बदलाव तथा शिक्षा के क्षेत्र में आई संचार और तकनीक के उपादेयता के कारण ही संभव हो रहा है।

मनुष्य के जीवन में शिक्षा की उपलब्धि बेजोड़ है। शिक्षा मनुष्य के विचारों और भावों को बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुति करने का साधन है। सामान्यतः शिक्षा दो प्रकार की पाई जाती है– एक संकुचित और दूसरी व्यापक शिक्षा। संकुचित शिक्षा का अर्थ है – 'जब प्रत्येक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारी ओ को निपुण बनाने के लिए उन्हें पाठ्यक्रम पर आधारित ज्ञान प्रदान करती है।' तथा व्यापक शिक्षा वह है, ष्जो जीवन पर्यंत संचालित रहती हैष्, किंतु इन शिक्षाओं में जो निरंतर बदलाव आ रहे हैं उसका स्वीकार करना ही वैश्विक शिक्षा कहलाती है। किसी भी देश की शिक्षा उस देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का दर्शन कराने में सक्षम होती है। भारत में भी जिस प्रकार समाज का विकास हुआ उसी रूप में शिक्षा का स्वरूप भी निरंतर विकासशील रहा है। भारत में अंग्रेजों का आगमन होने से पूर्व मठों में, गुरुकुल में शिक्षा के पाठ पढ़ाए जाते थे किंतु 1850 के बाद लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कर गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दिया। शिक्षा व्यवस्था ने इस बदलाव को अपनाया और इस बदलाव को वर्तमान समय में संचार और तकनीकी की उपादेयता उल्लेखनीय है।

शिक्षा के क्षेत्र में संचार की भूमिका अनन्य साधारण है। वर्तमान समय में शिक्षा में संचार का अहम और महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी है कि संचार की वजह से संचार प्रौद्योगिकी की अलग से पढ़ाई होने लगी, जिसमें संचार के अलग–अलग माध्यमों ने शिक्षा को गति प्रदान की। आज संचार के द्वारा शोध–कार्य आसान हुआ है इतना ही नहीं तो संचार ने न केवल छात्रों को बल्कि प्रशासनिक कार्य को भी अत्याधिक गतिशील बनाया है। संचार का परिचय उपकरण और उसकी उपयोगिता अर्थात उपादेयता या प्रदेय आदि का उल्लेख करना आवश्यक बनता है।

'संचार' शब्द संस्कृत के 'चर' धातु से बना है। 'चर' का अर्थ है चलना। इससे संचार शब्द बना संचार अर्थात – आगे बढ़ना, फैलना आदि संचार से अभिप्राय मानव समूह के सभी मिले–जुले वर्गों तक बड़े तौर पर चाहे वह समीप

हो या दूर कुछ विचार, भाव अथवा सूचनाएं शब्दों या प्रतीकों द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि का प्रयोग किया जाता है। संचार का अर्थ ही है, 'विभिन्न उपकरणों से सूचना और शिक्षा को एक स्थान से अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है।' संचार का कार्य ही है कि अधिक से अधिक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू, सुलभ, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने में अपने उपकरणों को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाना संचार हैं। अतः किसी सूचना विचार या भाव का संप्रेषण बड़ी संख्या में होता है, वहां संचार होता है। संचार के संदर्भ में विभिन्न विचारकों ने अपनी–अपनी दृष्टि से उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ परिभाषाएं संचार का अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहां देना आवश्यक है जैसे रेड फिल्ड के अनुसार 'संचार तथ्यों तथा विचारधाराओं में मानव विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है।' वही डेनिस मैकबेल ने कहा, 'संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेशों के प्रेषण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कोई भी व्यक्ति संचार के बिना जी नहीं सकती।' संचार को और अधिक स्पष्टोक्ति देते हुए श्री राजेंद्र ने कहा है, 'संचार विचारों, सूचनाओं, उत्प्रेरक संकेतों के आदान–प्रदान से हमारे समग्र जीवन मुल्यों और संस्कृति की संरचना होती है।' इस प्रकार संचार के मूल तत्व की हमारे जीवन में स्थापना किस तरह से होती है यह संचार से स्पष्ट होता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि विचार, भाव, मत, तथ्य, संदेश आदि का उद्देश्य पूर्ण संप्रेषण तथा उनका लोगों पर होने वाला निश्चित प्रभाव ही संचार कहलाता है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन की प्रभावशीलता को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि पारंपरिक कक्षा के वातावरण की तुलना में संचार के माध्यम से पढ़ना अत्याधिक स्फूर्ति दायक लगता है। कक्षा में और पढ़ाई में सुधार लाने के लिए संचार साधनों की भूमिका उत्प्रेरक साबित हो रही है। संचार के माध्यम न केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित रहे हैं बल्कि आजकल आकलन और मूल्यांकन के पहलुओं को भी प्रवाहित कर रहे हैं। साक्षरता आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा अभियान, जनजागृति आदि सभी क्षेत्रों में संचार साधनों की उपादेयता अतुलनीय है।

शिक्षा के क्षेत्र में संचार की उपादेयता के साधनों में दो प्रकार के साधनों की उपादेयता या योगदान को रेखांकित करना आवश्यक है। संचार के परंपरागत साधन और आधुनिक साधन। परंपरागत साधनों में लोकगीत, लोककथा, लोकनाट्य और मेला, उत्सव के माध्यम से शिक्षा को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न कथा लोकनाट्य को माध्यम बनाकर शिक्षा को विकसित किया गया जिसमें लोककथा, लोकतत्व, लोकनाट्य लोकगीत, लोककला आदि है किंतु वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में संचार के योगदान का महत्व और अधिक बढ़ गया। शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में समाचार–पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा या फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट, ई–मेल, फैक्स, फोन, फेसबुक, फेसबुक पेज फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, प्रोजेक्टर, मॉडेम, गूगल, गूगल क्लासरूम, झूम ऐप आदि विभिन्न संचार और तकनीक के प्रयोग से शिक्षा को एक उच्च स्तर पर विकसित करने में योगदान दे रहे हैं।

संचार और तकनीकी आज के दौर में शिक्षा के विकास में सबसे बड़े साधन है। संचार आज के अर्थात वर्तमान मानव के दैनिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। संचार का उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल, टेबलेट, लैपटॉप आदि किसी भी साधनों का उपयोग कर प्रयोग कर सकते हैं जो प्रयोग करने के लिए बड़ा सहज, सरल और आसान तथा मनोरंजक भी होता है।

'रेडियो' संचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसका आरंभ 19वीं शताब्दी में लगभग 1920 में हुआ जो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। रेडियो पर किसी भी जानकारी को गांव के अंतिम चरण के लोगों तक

आसानी से पहुंचाया जा सकता है। किसी भी जानकारी को वह सहज ही पहुंचाने में उपयोगी होता है। ग्रामीण लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक या सजग करने में रेडियो ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। रेडियो के साथ–साथ टीवी अर्थात टेलीविजन दूरदर्शन ने भी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान काल में आधुनिक संचार माध्यमों में दूरदर्शन प्रभावशाली रहा है। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो आज घर घर में पहुंचा है। वर्तमान परिस्थिति को देखकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तथा विद्यमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक टीवी चैनल अर्थात शैक्षिक चैनल के लिए 12 विशेष चौनल को चलाने के लिए विशेष पैकेज घोषित किए हैं इससे यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि कोविड–19 हो या उससे पहले की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में हर समय रेडियो और दूरदर्शन का अपना विशेष उल्लेखनीय स्थान रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में संचार माध्यमों का साधन 'फिल्म या सिनेमा' का अपना विशेष योगदान है क्योंकि फिल्म या सिनेमा एक कलात्मक माध्यम है, इससे कथा, पटकथा लेखन, दिग्दर्शन, संगीत, नृत्य, शिल्प कला एवं कलाकार को निरंतर कुछ न कुछ नया करने के लिए प्रवृत्त करता है जिससे शिक्षा में भी नए नए विषयों पर चर्चा होती है। साहित्य और सिनेमा का अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रेमचंद के शमिल मजदूरश की पटकथा से वर्तमान समय में उदय प्रकाश की 'पीली छतरी वाली लड़की', 'मोहनदास', 'मैंगोसिल', आदि विभिन्न रचनाओं पर फिल्म बनी है। कमलेश्वर के लगभग तीन उपन्यासों पर फिल्म बनी है साथ ही हिंदी की रचनाओं में 'आषाढ़ का एक दिन', 'सूरज का सातवां घोड़ा', 'मारे गए गुलफाम' आदि रचनाओं पर फिल्में बनी हैं। भारतीय सिनेमा समाज को जागृत करने का सफल प्रयास करता है। फिल्म न केवल मनोरंजन बल्कि मनोरंजन के साथ जन जागृति का अभियान भी चलाता है, जैसे एड्स महामारी और भविष्य में कोरोना वायरस की दुष्परिणामों को लेकर भी रचनाकार लिखेंगे और उस पर फिल्में बनेंगे यह शिक्षा के क्षेत्र में फिल्म का या सिनेमा का उल्लेखनीय योगदान है।

शिक्षा के क्षेत्र में 'कंप्यूटर' का योगदान बहुत अधिक रहा है क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से छात्र अध्यापन की सामग्री को एकत्रित कर सकते हैं जिससे समय और कागज दोनों की बचत होती है। वर्तमान समय में प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। इसे हम ऑनलाइन लाइब्रेरी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों का अहवाल अब कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही अध्यापक पावर पॉइंट के जरिए कक्षा में अत्यधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं और छात्र बड़ी रुचि से पढ़ सकते हैं। छात्र अपने नोट्स बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं साथ ही नोट्स के लिए पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड आदि का प्रयोग कर प्रभावी रूप से ज्ञान का अर्जन कर सकते है। इतना ही नहीं तो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन शिक्षा भी लेने में कंप्यूटर मददगार है। अतः कहा जाएगा कि कंप्यूटर अब शिक्षा का एक अंग बन गया है। जिस व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं वह आज के समय में पढ़कर भी अनपढ़ समझा जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की तरह 'इंटरनेट' का प्रयोग अथवा इंटरनेट की उपयोगिता छात्र और अध्यापक दोनों के लिए अमृत से कम नहीं है क्योंकि किसी भी शिक्षक या विद्यार्थी के पास यदि मोबाइल या कंप्यूटर है तो वह किसी भी विषय के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट शिक्षण की तीसरी आंख बन गई है ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति न होगी। कोरोनावायरस ने वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा के द्वार सबके लिए खोल दिए हैं। जो शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाना नहीं जानता उन्हें भी अलग–अलग संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेट पर आज कई विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षण के प्रयोग सफल होते हैं दिखाई दे रहे हैं। दूर शिक्षण में जो शिक्षा

से कोसों दूर है, किंतु इंटरनेट का उसे ज्ञान है तो वह ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकता है जिसमें समय और श्रम दोनों की बचत होगी। आज के दौर में न केवल दूर शिक्षा बल्कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर की कक्षाएं वैश्विक महामारी के कारण इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन हो रही है यह स्थिति विगत 25 मार्च से आज 25 मई 2020 तक निरंतर चलते आ रहे हैं। यदि किसी छात्र में या जो व्यक्ति सीखना चाहता है उसमें यदि योग्यता है तो वह स्वतंत्र रूप से सीखने की आवश्यकता को इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट पर विभिन्न वेब आधारित साइटों से वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है अर्थात इंटरनेट शिक्षण के क्षेत्र में व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि एक देश के किसी कोने में बैठ कर दूसरे देश के छात्रों एवं छात्राओं को तथा छात्र अध्यापकों के साथ जुड़ सकते हैं और ज्ञानार्जन कर सकते हैं। वर्तमान समय में 'यूट्यूब' पर शिक्षा एवं ज्ञान के लिए अनेक प्रकार के ज्ञानवर्धक चौनल चलाए जा रहे हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के साथ अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचान सकता है। वर्तमान समय में युटुब को तथा गूगल को गुरु के रूप में स्वीकृत किया गया है। आप यूट्यूब पर जिस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यदि उसे सर्च करते हैं तो उससे संबंधित कई वीडियो आपको प्राप्त हो सकते हैं और उसे सब्सक्राइब करने पर निरंतर नहीं नहीं जानकारी को आप देख सकते हैं इंटरनेट के भांति ही यूट्यूब भी शिक्षण के क्षेत्र में अमृततुल्य बनता जा रहा है।

शिक्षण के क्षेत्र में 'फेसबुक' तथा 'झूमऐप' काफी असरदार सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। फेसबुक लाइव पर अध्यापक अपने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में चर्चा कर सकते हैं इसका बृहत उदाहरण कोविड–19 में भारत के प्रधानमंत्री तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कई बार नागरिकों को संबोधित किया यही काम अध्यापक अध्यापन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। साथ ही वर्तमान समय में झूमऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लास की सुविधा शिक्षण क्षेत्र में उपलब्ध हुई है। कई महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन झुमऐप के द्वारा बड़ी सफलता के साथ किये जा रहा है। हजारों अध्यापकों का प्रशिक्षण झूमऐप के द्वारा सफलता से पूरा हो रहा है। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अब एमफिल तथा पी–एच.डी. की मोखिकी परीक्षा को ऑनलाइन लेने के लिए आदेश जारी किए हैं इसमें महाराष्ट्र के यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक के द्वारा अभी–अभी पी–एच.डी. की मौखिकी परीक्षा का आयोजन किया है जिसमें शोधार्थी मुंबई में, कुलपति तथा अधिष्ठाता नासिक में, शोध निदेशक सोलापुर में और बहिस्थ परीक्षक नांदेड़ में स्थित होने के बाद भी इस ऑनलाईन प्रक्रिया के द्वारा पी–एच.डी. की मौखिकी परीक्षा का सफल आयोजन किया है यह शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में विशेष बात है।

मानव और मानव निर्मित यंत्रों की परस्पर क्रिया जिसमें मानव के द्वारा जो यंत्र बनाए गए हैं, जिससे शिक्षा में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, उच्च शिक्षा को उसे तकनीकी शिक्षा कहा जाएगा। तकनीकी शिक्षा में 'गूगल डॉस' और 'गूगल क्लासरूम' यह दो अत्याधिक प्रचलित और तकनीक के व्यवहारिक उपयोग के लिए सहज है। गूगल डॉस 22 भारतीय भाषाओं में उपयोग में लाया जाता है इसके लिए gmail अकाउंट होना आवश्यक है जिसमें आप gmail +Dos.google.com इसमें आप टूल्स में जाकर वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं जिसके लिए आपको भाषा का चयन करना पड़ेगा और आप इसमें अनुवाद भी कर सकते हैं। फाइल सेव कर पीडीएफ मोड भी दे सकते हैं। यह तकनीक के व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत लाभदायक है। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा के लिए 'गूगल क्लासरूम' का अत्याधिक प्रयोग किया जा रहा है। gmail अकाउंट पर कंटिन्यू बटन को दबाने के बाद ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास दो ऑप्शन दिखाई देती है छात्र ज्वाइन क्लास को क्लिक करें और अध्यापक क्रिएट क्लास को गूगल क्लासरूम में आप

स्ट्रीम, क्लास वर्क और अंक भी दे सकते हैं।

संक्षिप्त रूप में यही कहा जाएगा कि, ऑनलाईन शिक्षण अब शिक्षा का एक भाग बन गया है यदि हम अपने आपको इसके साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम अपने आप को पीछे छोड़ेंगे। कोविड–19 की वजह से हमें ऑनलाइन शिक्षा का महत्व अत्याधिक प्रभावित कर रहा है यही कारण है कि आज अनेक विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं ऑनलाइन लिए जा रही है असाइनमेंट हउंपस पर स्वीकृत किया जा रहा है और अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वेबीनार, फैकल्टी डेवलपमेंट कोर्स सभी ऑनलाइन के जरिए चल रहे हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में संचार और तकनीकी का ही प्रभाव कहा जाएगा। वर्तमान समय में संचार माध्यम और तकनीकी छात्र तथा अध्यापक दोनों को अत्याधिक प्रभावित कर रहे हैं उसका कारण यह है कि इसमें श्रम और समय दोनों की बचत होती है किंतु कहा जाता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं अर्थात किसी भी चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं संचार माध्यम तकनीकी का प्रयोग अच्छे कर्मों के लिए यदि किया जाए तो वह अवश्य लाभदायक होगा।

संदर्भ सूची :-

1. प्रयोजनमूलक हिंदी तथा भाषा कंप्यूटिंग संपादक अल्लाबख्श जमादार जान अहमद।
2. प्रयोजनमूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग – दंगल झाल्टे।
3. कंप्यूटर अनुप्रयोग– महेश कुमार गुप्ता।
4. प्रयोजनमूलक हिंदी – विनोद कुमार देवरा।
5. नव निकष – लक्ष्मीकांत पांडे।
6. छत्तीसगढ़ विवेक – संपादक डॉ. सुधीर शर्मा।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 142-144

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

कुँड़ुख़ (उराँव) लोकगीतों की विशेषताएँ

-सुनीता कुमारी

शोधार्थी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्विद्यालय, राँची

कुँड़ुख़ लोकसाहित्य में 'लोकगीत' महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन गीतों में लोकजीवन का सच्चा सजीव चित्रण होता है। लोकगीत में सामूहिक गान की संगीतात्मक अभिव्यक्ति रहती है। मानवीय भावों को प्रकट करने के लिए वाणी के लयात्मक स्वरूप को लोकगीतों में प्रमुखता दी जाती है। इन गीतों में प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के चित्र अंकित रहते हैं।

कुँड़ुख़ लोकगीत की विशेषताएँ है कि ये ऋतु के अनुसार, श्रम की उपलब्धि के अनुसार, उत्सव के अनुसार आनंद की अनुभूति पर आधारित है। ये गीत कहीं अकेले में तो कहीं समूहों में, राह चलते–चलते या बैठकर कहीं बाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं। इसमें निहित मिठास और छंद के स्थानों पर इसके लय अद्भूत मिठास और संवेदना भरा होता है जिसे पढ़ने में जितना आनंद नहीं मिलता उससे ज्यादा सुनने में आनंद मिलता है।

गीत अलिखित होते हुए भी इनकी पारंपरिक निधियाँ है जो युगों–युगों से विराजमान है। आज यह लोक साहित्य का मुख्य अंग बन गया है। गीत की सबसे प्रमुख विशेषता स्वतः रंजक है जो इस लक्ष्य की सिद्धि में अधिक सबल है, वही अधिक स्वाभाविक है। इनके गीत में अधिक लचयित, लेखक अथवा रचना काल का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता, इसका महत्व तो उसकी सहज रसानुभूति की शक्ति तथा सरल सौदंर्य में रहता है। लोक गीत में एक व्यक्ति की अनुभूति की अपेक्षा लोक हृदय की अनुभूति अधिक रहती है। गीत में कविता की विशेषताएँ बहुधा प्राप्त होती है, छंदो का मिलन भी होता है विद्यालय, महाविद्यालय में लोक गीतों की पढ़ाई होने के कारण गीतों को कविता का रंग दिया जाने लगा है। फिर उराँव समाज के गीतों में कविता की विशेषताएँ भी मौजूद है। लोक गीत का सृजन अनंतकाल से होता आया है, इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसकी विशिष्ट परंपरा स्वाभाविक रूप से स्वतः प्राप्त है।

उराँव (कुँड़ुख़) समुदाय के लोकगीत का निमार्ण ऐसा है कि इसके एक गीत रचना को एक प्रकार के धुन (लय) दूसरे धुन में परिवर्तन हो पाता है। जैसे– असारी करम (धुड़िया करम) का तीसरा रचण का धुन स्वरूप अत्यंत उदास है किंतु इस धुन (लय) को श्रवण माह के दो चरण के धुन में परिवर्तन करते है। यह लय (धुन) भादों माह राज करमा के धुन में भी सहज ही परिवर्तन होता है, फिर इंद करम एवं दशहरा करम के धुन में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार बाद्य यंत्रों के धुन में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रकार के गीत को छः सात प्रकार के धुन में परिवर्तन कर गाया जा सकता है।

कुँड़ुख़ लोक गीतों में निम्न मुख्य विशेषताएँ हैं–

1. गीतों में ऐतिहासिक घटना
2. कुँड़ुख़ गीतों में जीवन की संपूर्णता का चित्रण
3. गीतों के द्वारा आनंद की उपलब्धि
4. उराँव जाति के महान चरित्र एवं उनके कार्यों का अनुकरण संबंध
5. वीर भावना

6. भाषा और शैली की पर्याप्तता
7. लोकगीत उत्तम गुणों से भरा है
8. लोकगीत किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने की अनुकृति करती है।
9. कुँडुख़ लोक गीत में वीर रस, श्रंगार रस, करूण रस, भयानक रस आदि सभी मौजूद हैं।
10. लोकगीतों में मानवीय विश्वासों और उराँव जीवन के सांस्कृतिक सभ्यता का चित्रण है। उतने प्रकार के नृत्य भी हैं।
11. कुँडुख़ लोकगीतों में सामाजिक भावनाओं तथा उद्‌गारों की अभिव्यक्ति है।
12. इनका जीवन शौर्य, वीरता और प्रेरणा का श्रोत है।

कुँडुख़ लोकगीत मौसम अनुसार गाया जाता है। प्रत्येक मौसम में अलग–अलग राग एवं ताल होते हैं। इस प्रकार जतरा डण्डी (गीत) को सरहुल या करमा में नहीं गाया जा सकता है। यह मौसम आधारित गीत विभिन्न राग–रागिनियों में निहित है। संस्कार, पर्व–त्योहार, श्रम आधारित गीत होते है अतः बारह महीने में बारह प्रकार के गीत एवं राग होते है। यह गीत काफी मनमोहक होते हैं।

उराँव समुदाय के जितने प्रकार के गीत के लय (धुन) हैं उतने प्रकार के नृत्य भी है।

विद्वानों की विभिन्न मतों की जानकारी के बाद लोकगीतों की सामान्य विशेषताओं की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है :–

1. **सामूहिक रचना** – इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में नाम व्यक्ति हीन रचना को परंपरा के प्रवाह में पड़ने वाला गीत है, जिसके रचयिता का हमें ज्ञान नहीं इसलिए समस्त जनसमूह इसे अपनी रचना मानने लगता है। रचयिता के अज्ञात होने के कारण लोकगीतों के रचनाकाल का भी सही निर्धारण नहीं हो पाता है। अपने आप बनने और बिगड़ने वाले इन गीतों के संबंध से यह पता नहीं लगाया जा सकता है ये कब बनते हैं और कब बिगड़ते हैं। सीधे सरल ग्रामीण गीतकार का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि यह निश्चित है कि प्रत्येक गति किसी न किसी व्यक्ति की रचना हे लेकिन किसी भी संपति को सामूहिक मानने वाली आदिम जाति ने गीतों को भी सामूहिक रचना मान लिया है। गीतकार प्रयत्न पूर्वक किसी खाश उद्देश्य को ध्यान में रखकर गीत नहीं लिखा करता था। उसे धन प्राप्ति की या नाम कमाने की चाह नहीं थी।
2. **मौखिक परंपरा** – लोकगीत लिखित नहीं होते मौखिक होते हैं। मौखिक होने के कारण इनके रूप में परिवर्तन और परिवर्द्धन होते रहते है। एक मुख से दूसरे मुख को हस्तानतरण की प्रक्रिया गुजरते हुए नित्य अपना रूप कुछ न कुछ बदलते रहते है। लिपिबद्ध रहते है। लिपिबद्ध न होने के कारण इनके मौखिक रूप का पता ही नहीं चलता है। सुनकर अनुकरण करने की प्रवृत्ति में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, जिसे पूरी करने के लिए कुछ और ही जोड़ लिया जाता है। घटने बढ़ने और बदलने की इस प्रवृत्ति के कारण ही लोकगीत निरंतर विकसित होते रहते हैं।
3. **संगीतात्मबु और गेय** – लोकगीत कण्ठ से गाने के लिए होते है और ह्‌दय से आनंद लेने के लिए। इसमें संगीत और गेयता होती है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक से गाये जाते हैं। मानव स्वानूभूति से प्रेरित होकर जब भी सुख–दुख की संवेदना से आन्दोलित हुआ तभी लोकगीतों की स्वरधार उसके कंठ पर लहर उठी। यह लोक मानस की लयात्मक अभिव्यक्ति है। छन्दोबद्ध गीत, नृत्य की ताल और लय के अनुकूल बने रहते हैं। शास्त्रीय संगीत जैसी नियमबद्धता न होने पर भी लोकगीत संगीतात्मक है और गेय भी है।
4. **आशु रचना** – लोकगीत आशु रचनाएँ हैं अर्थात् इनकी रचना अनायास ही प्रकृत भावनाओं एवं विभिन्न राग वृतियों की अभिव्यक्ति के लिए होती है। मन ने जो अनुभव किया उसे व्यक्त कर दिया वही गीत बन गया। मानव ह्‌दय की मूल वृतिया एक सी होती है। यही कारण है कि लोकगीत देशकाल की सीमा में बंधे नहीं होते हैं। भावावेश में की जाने वाली रचना शब्दों के चुनाव के लिए या भाषा की सजावट के लिए कोई अवसर नहीं होता है। सामान्य शब्द गहनत्तम भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम होते हैं। आशु रचना होने के कारण लोक गीतों में लंबे–चौड़े कथानकों का अभाव होता है। नपे–तुले

शब्दों के माध्यम से इनमें गहन एवं व्यापक भावों की अभिव्यक्ति होती है। लोकगीत प्रायः संक्षिप्त और भाव प्रधान होत हैं। इनमें विभिन्न भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति होती है।

निष्कर्ष :-

कुँडुख लोकगीत ऋतु (मौसम) आधारित होता है यह उराँव जन के कंठ से सहज ही प्रस्फूटित होता है, सुख–दुःख, पर्व–त्योहार संस्कार सभी परिस्थितियों में राग, ताल और लय से गाया जाता है। तथा अंदर के भावों को प्रकट करता है। कुँडुख लोकगीतों में रचनाकार अज्ञात होता है। यह गीत मौखिक पंरपरा से चलता आ रहा है। यह गीत रसयुक्त, लयात्मक होता है तथा सौंदर्य पूर्ण होता है। इनके लोकगीतों में मिठास भरा पड़ा है।

मूख्य रूप से इन गीतों को पूर्वजों के कंठ से उत्पन्न माना जाता है जो युगों से चलता आ रहा है। जिसे आधुनिक युग में लिखित रूप से संग्रह किया जा रहा है तथा कविता के रूप में भी उभरकर सामने आ रहा है।

इस प्रकार कुडुख लोकगीता की मुख्या विशेषता है–

(I) अज्ञात रचनाकार
(II) मौखिक परंपरा
(III) सहजता
(IV) भावों की लयात्मक अभिव्यक्ति

रचनाकार का पता नहीं चलता तथा मौखिक रूप से ही इसका विस्तार होता जा रहा है जो काफी काफी सहजता से आम जन तक पहुँचता है और स्वतः कंठ से निकल पड़ता है जिसमें भावों की लयात्मक अभिव्यक्ति होती है।

सहायक संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खलखों डॉ० शांति, उराँव संस्कृति परिवर्तन एवं दिशाएँ, 2009
2. भगत डॉ० नारायण, छोटानागपुर के उराँव रीति रिवाज, 2017
3. तिग्गा जुलियस, कुँडुख़ भाषा, नृत्य कला और संस्कृति
4. डॉ० सत्येन्द्र, लोक साहित्य विज्ञान 1962
5. तिर्की सोमरा, डण्डी–पण्डी, 2018
6. गौंझू डॉ० गिरिधारी राम, झारखण्ड का लोक संगीत, 2015
7. जैन कुमारी संतोष, कुरमाली लोकगीत, 1987
8. कुंवर गौतम भाइदास, आदिवासी लोकसाहित्य, 1962

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 145-147

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

योगः कर्मसु कौशलम्

–डॉ. प्रमिला मिश्रा

सहायक आचार्य, प्रभारी संस्कृत विभाग, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट (उ0प्र0)

अमरकोश में 'योगः सन्नहनोपायध्यानसग्ङतियुक्तिषु' कहा गया है। पुराणकाल में जब देश की बोली संस्कृत थी, तब युद्ध के लिये योधाओं को 'सन्नहन' सन्नद्ध हो जाने कवच पहनने और हथियार उठाने के लिये, 'योगो योगः' ऐसी पुकार होती थी। 'उपाय' को भी 'योग' कहते हैं। वैद्यक में नुस्खे को भी 'योग' कहते हैं– 'इत्येको योगः' 'इति द्वितीयो योगः' अर्थात् रोग को दूर करने का उपाय। 'ध्यान' के विशेष प्रकार का नाम 'योग' प्रसिद्ध ही है। 'सग्ङति' संगम, दो वस्तुओं का मिलना भी योग है। तथा युक्ति भी। दूसरे कोशकारों ने 'योग' शब्द के पैंतीस–चालीस तक अर्थ गिनाये हैं। इन सब रूढ़ अर्थो का मूल यौगिक अर्थ ही हैं, अर्थात् दो पदार्थों का मिलना, संयोग। यथा– योद्धा का कवच और हथियार से संयोग किसी इष्ट फल के साधन के लिये विविध कारणों और करणों का संयोग, औषधों का संयोग चित्त का ध्येय विशय से संयोग, अन्ततः जीवात्मा– परमात्मा का अभेदानुभवात्मक संयोग।

'योग' के विशय को इतना जटिल बना दिया। इस कारण से कुछ लोग इसे हठयोग – केवल आसन – मुद्रादि को समझने लगे हैं। आसन–मुद्रादि एक तो स्वयं जटिल विषय हैं, दूसरे इन शारीरिक क्रियाओं से आध्यात्मिक क्या लाभ हो सकता है।' यह समझना कठिन है। सत्य बात तो यह है कि अभ्यासात्मक योग के सर्वांग तत्वों को गुरु के बिना समझना कठिन है। परन्तु थोड़ा सा विचार करने पर इतना स्पष्ट हो जाता है कि 'हठयोग' यद्यपि योगांग अवश्य है पर स्वयं 'योग' नहीं अर्थात् योग का साधन मात्र है, वह भी प्रधान नहीं। योग के आठ अंग कहे गये हैं –

1. यम 2. नियम 3. आसन 4. प्राणायाम 5. प्रत्याहार 6. धारणा 7. ध्यान 8. समाधि।

इनमें पहले पाँच योग के 'बाह्य अंग' है बाकी तीन 'अन्तरंग' हैं[1] ये तीन है धारणा, ध्यान, समाधि। ये तीन प्रधान हैं। कारण यह है कि ये ही तीन प्रक्रियायें हैं जिनका उपयोग सब कार्यो में होता है। जिस किसी ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हो उस ज्ञान के विशय में जब ये तीनों लगाई जाती हैं तभी उचित ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक ज्ञेय पदार्थ पर मन एकाग्ररूप से नहीं लगाया जाता तब तक उसका ज्ञान असम्भव है। इसलिये प्रथम श्रेणी यही एकाग्रता जिसे 'धारणा'[2] कहा है इसके बाद मन लगाकर बहुत समय तक इसी तरह एकाग्र रहे तो यह हुआ 'ध्यान'[3] और जब मन इस ध्यान में इस तरह मग्न हो गया कि उसका ध्येय पदार्थ में लय हो गया तो यहीं 'समाधि'[4] किसी कार्य की सम्पन्नता हेतु इन तीनों की आवश्यकता होती है। यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास या ज्ञान के लिये आवश्यक नहीं है अपितु कार्य मात्र के लिये आवश्यक है। कोई भी कार्य हो, जब तक उसमें मन नहीं लगाया जाता, कार्य सिद्ध नहीं होता। इसी मन लगाने को 'धारणा–ध्यान–समाधि' कहते हैं।

ये तीनों एक ही प्रक्रिया के अंग है। इसी से इन तीनों का साधारण एक नाम 'संयम' कहा गया है।[5] इसी संयम (अर्थात् धारणा–ध्यान समाधि) से ज्ञान की शुद्धि होती है।

गीता का प्रतिपाद्य विषय योग है। भगवान का ही वचन है– इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। योगसूत्र भाष्य में कहा गया – 'स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोगः'[6] जिसका मन स्वाध्याय में, मोक्षशास्त्रों के अध्ययन में प्रणव आदि पवित्र मंत्रों के जप में, सच्ची मुमुक्षा से लगा हो, उसके पास देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष, आप ही आकर उसकी सहायता

जाग्रतावस्था अथवा स्वप्नावस्था में करते हैं। यह बात ऋग्वेद से प्रमाणित होती है। ऋग्वेद के पंचम मण्डल में कहा गया है– यो जागार तमश्चः कामयन्ते।[7] अर्थात् जो रहता है उसके लिये ऋचायें कामना करती हैं। बिना सात्विक तपस्या के बिना यम–नियमादि का अंशतः भी सेवन किये 'योग' कैसे मिले? कठोपनिषद् में कहा गया है कि कठिन परीक्षा के बाद यमराज ने नचिकेता बालक को 'योगविधिं च कृत्सनम्'[8] बताया तथा मुण्डक में कहा गया है– तेषा में वैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तुचीर्णम्। नैतदचीर्ण व्रतोऽधीते।[9] जिन्होंने 'शिरोव्रत' नामक योग और तपस्या के प्रकार का चरण नहीं किया वे ब्रह्मज्ञान के अधिकारी नहीं। देवी भागवत के एकादश स्कन्ध में 'शिरोव्रत' के प्रकार का संकेत किया है। सुप्त 'कुण्डलिनी' शक्ति के जागरण, उत्थान, सञ्चालन, सिरः स्थित ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त उन्नयन आदि की बात 'शिरोव्रत' के सम्बन्ध में कहीं है। पर इस सबका ठीक अर्थ क्या है, 'कुण्डलिनी' क्या है उसका उत्थापन, संयमन कैसे होता है, यह सब केवल पोथी पढ़ लेने से सम्भव नहीं है। यह प्रक्रिया अभ्यास के और सदगुरु के देखरेख में ही प्रयोग के अधीन है। उदाहरण के लिये यदि वायुयान का वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तक में पढ़ लेने से वायुयान को बनाने और उड़ाने–चलाने की भाक्ति नहीं हो जाती विशेषज्ञ प्रयोक्ता के पास बहुत परिश्रम और अभ्यास से ही हो सकती है।

श्रीमद्भगवद्गीता के सातसौ भलोकों में, योगः, योगी, युक्तः, योगारूढ, योगयज्ञाः योगसेवया, सांख्यायोगौ इत्यादि 'युज' धातु से बने शब्द और उनके साथ समस्त पद एक सौ अट्ठारह बार आये हैं। गीता की शब्दानुक्रमणिका देखने से पता चलता है। इनके सिवा प्रति अध्याय समाप्ति पर उसका नाम दिया है उसको भी गिनें तो अट्ठारह और होते हैं। 'आत्मा' 'अहं', 'बुद्धि', 'योग' – ये चार शब्द और इनके प्रकार – विकार सबसे अधिकबार गीता में कहे गये हैं।
स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने योग की परिभाषा इस प्रकार की है।

योगस्थः कुरु कर्माणि सग्ङंत्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।[10]

अर्थात् हे धनञ्जय! तुम आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धिवाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्यकर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम 'योग' है। प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम 'क्षेम' है। जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम 'समत्व' है।

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ।।[11]

समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात् उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा, यह समत्वरूप योग ही कर्मो में कुशलता है अर्थात् कर्मबन्धन से छूटने का उपाय है।

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पृयति योऽर्जुन।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।[12]

अर्थात् हे अर्जुन! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुःख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेश्ठ माना गया है। जैसे मनुश्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, भाूद्र और म्लेच्छादिकोंका–सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात् अपनापन समान होने से सुख और दुःखको समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना 'अपनी भाँति' सम देखना है।

सर्वगुह्यतमं भूयः श्भणु मे परमं वचः।
मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
मामेवैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।[13]

सम्पूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तुम फिर भी सुनों। तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं

तुझसे सत्य प्रतीक्षा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय हैं।

सार यही है कि भगवान श्रीकृष्ण का अर्जुन को यही समझाना था कि जीव का परमात्मा के साथ अपना अभेद सर्वदा सर्वथा अनुभव करते रहना, और इसके कारण सब जीवों के साथ 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' व्यवहार करना – यही परम योग, जीवात्मा – परमात्मा का अभेदात्मक संयोग और भेदभाव जनित दुःखों का वियोग है। यहाँ 'योग' शब्द योग से साधनीय अवस्था के अर्थ में कहा गया है। योग तो साधन है। जीवात्मा–परमात्मा का अभेद, कैवल्य यह साध्य है। योग सूत्र, योगभाश्य सिद्धान्त सब इस निश्कर्श के अनुकूल ही जान पड़ते हैं।

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। ''तदादष्टुःस्वरूपेऽवस्थानम्।'

चित्त की वृत्तियों का भेदानुभवात्मक स्वछन्द प्रवृत्तियों का निरोध करना यह योग है। यदि सब वृत्तियों का निरोध हो जाये तो द्रष्टा, पुरुष जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। 'अध्मेव केवलः' 'अहमेव न मत्तोऽन्यत्। [14] इस कैवल्य का अनुभव करता है।

निष्कर्ष यह है कि योग साधन द्वारा स्वार्थ बुद्धि से सिद्धियों की आकांक्षा–अभिलाषा न करें, नहीं तो दुर्गति हो जायेगी। जैसी दैत्यों, दानवों, राक्षसों की, कठिन–कठिन तपस्या से भारी–भारी शक्तियाँ प्राप्त करके हुई और जैसी प्रत्यक्ष हम लोगों के समक्ष पाश्चात्य विज्ञान की यन्त्रात्मक सिद्धियों से पाश्चात्य समस्त मानव जगत की हो रही है। एक मात्र सात्विक भाव से ''आत्मौपम्येन सर्वत्र'' सर्वदर्शी हो, मन्मना हो तपस्या, सदव्यवहार, त्याग, धर्म का आचरण करे, जब तक शरीर रहे तब तक। यदि इस बीच में उसकी चित्त शुद्धि के कारण अन्तरात्मा परमात्मा को ही मंजूर हो कि उसके शरीर से कुछ विशेष लोक सेवा ली जाये, तो वही इस शरीर में सिद्धियाँ स्वयं उत्पन्न करेगा। जैसे विश्वासपात्र सज्जन को लोग अपनी निधि न्यास रक्षा के लिये आप सौंपते हैं, वह मांगने नहीं जाता और उन सिद्धियों शक्तियों से लोकसेवा अधिक कर सकेगा। इस प्रकार से यही समझ में आता है –

'समत्वं योग उच्यते,' 'योगःकर्मसु कौशलम्'।
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्मं करोति यः।
स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।।

संदर्भ सूची :-

1. योग भाष्य 3/1
2. योग सूत्र 3/1
3. योग सूत्र 3/2
4. योग सूत्र 3/3
5. योग सूत्र 3/4
6. योगाङ्क– दसवें वर्ष का विशेषांक, पृ0 104, गीता प्रेस गोरखपुर
7. ऋग्वेद, 5/44/14
8. योगाङ्क– दसवें वर्ष का विशेषांक, पृ0 104, गीता प्रेस गोरखपुर
9. योगाङ्क– दसवें वर्ष का विशेषांक, पृ0 104, गीता प्रेस गोरखपुर
10. गीता, 2/48
11. गीता, 2/50
12. गीता, 6/32
13. गीता, 18/64–65
14. श्रीमद्भागवत 11/13/24

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
January 2021 Page No. : 148-151

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

कोरोना महामारी का समाज पर प्रभाव

–लखन सिंह दांगी

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय महाविद्यालय ढोढर, जिला–श्योपुर (म. प्र.)
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म. प्र.)

शोध सार :–

विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगाए जाने के कारण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों और नियुक्तियों पर हानिकारक प्रभाव हो रहा है। इस वायरस ने रोजाना हजारों लोगों को शिकार बनाने के अलावा इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव पूरी दुनिया में राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक उथल–पुथल के रूप में नजर आया। वायरस चुटकियों में पूरी दुनिया में फैल गया। लोग घरों में कैद हो गए और लोगों का रोजगार छिन गया। बुजुर्ग लोगों में सामाजिक रूप से अलगाव की भावना उत्पन्न हुई। इस महामारी के कारण समाज के विभिन्न तबके बच्चे, नौजवान, मध्य आयु वाले और बुजुर्ग प्रभावित हुए। यात्रियों ने विमान, बस एवं रेल सेवाएं बंद कर दी, दुनिया भर में पर्यटन क्षेत्र बंद हो गया और मनोरंजन से संबंधित उद्योग भी बंद हो गया देश अपने आप में सिमट गया। सामाजिक समारोह में भी कई बदलाव आए।

हम सब जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरा विश्व संघर्षरत है। अचानक 24 मार्च 2020 कीरात 8:00 बजे देश में कोराना महामारी के चलते दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया उस दिन देश में कौन संक्रमण के 574 मामले थे और एक मौत दर्ज हुई थी। वहीं आज दिनांक 25 नवंबर 2020 तक भारतमें 92,22,216 मामले हैं और 1,34,699 मौतें दर्ज हुई। इस महामारी ने भारतीय समाज को नकारात्मक रूप से काफी प्रभावित किया। इस महामारी ने ऐसी समस्या उत्पन्न की कि लोगों को जीवन और आजीविका में से एक को चुनना पड़ा। कई लोग बेरोजगार हो गए। कईयों को काम पर से निकाल दिया गया। समाज में भयानक डर का माहौल बन गया। विद्यार्थियों की शिक्षा भी इसे प्रभावित हुई उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाई।

परिवार :– कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रहना सीख गए। बच्चों और परिवार के साथ लोग समय बिताने लगे। इससे परिवार में सहयोग और एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बढ़ा है। पारस्परिक सामंजस्य और एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। आपाधापी और भागदौड़ की जिंदगी से लोग बचे और स्वस्थ रहे। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत 24 घंटे साथ रहने पर मजबूर होने के कारण परिवारों में तनाव, अवसाद तथा चिंताएं बढ़ने लगी थी। अधिकांश लोगों के लिए लॉकडाउन के बिन फीवर (एक ही जगह पर बस जाने से लोगों में होने वाला तनाव) मैं बदल गया। इस महामारी का सबसे गंभीर प्रभाव तो उन परिवारों पर ही पडेगा जिनके सदस्य इस बीमारी के चलते मृत हो गए हैं। वे अगर परिवार के मुखिया हैं तो ऐसे में परिवार संभालने की जिम्मेदारी बच्चों का वर्तमान एवं भविष्य सब कुछ अनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या लाखों में है। अतः इसका व्यापक प्रभाव उन देशों के समाज और परिवार पर भी देखने को मिला जिनको इस महामारी ने चपेट में ले लिया है।

समाज :– मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे दूसरों के साथ बातचीत करने की एक बुनियादी आवश्यकता है।

लॉकडाउन की वजह से महीनों घर पर रहने से लोगों में अकेलेपन की भावनाओँ ने जन्म लिया है जिससे व्यक्तियों में अवसाद, चिंता, तनाव, नींद की खराब गुणवत्ता और हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद थे जरूरतें सीमित हो गई थी। लोगों को लगने लगा कि कम संसाधनों से काम चलाया जा सकता है। लोगों ने सामाजिक दूरी से रहना सीखा। लोग एक दूसरे के संपर्क में रहने से बचकर रहने लगे थे। लॉकडाउन की वजह से व्यक्तियो में सामाजिक अलगाव की प्रवृतियाँ उत्पन्न होने लगी थी जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने को समाज से पर्यावरण से तथा स्वयं अपने आपसे उदासीन महसूस करने लगा था।

शिक्षा :– कोविड–19 तथा लॉकडाउन का परंपरागत शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऑनलाइन तथा अन्य माध्यमों से कुछ और तत्कालिक शैक्षणिक कार्य तो हो सके किंतु प्रयोगात्मक तथा शोधात्मक गुणवत्ता प्रभावित हुई। लॉकडाउन के शुरुआती दौर मैं तो बच्चे छुट्टियों का आनंद ले रहे थे लेकिन फिर धीरे–धीरे घर में कैद रहने जैसा अनुभव करने लगे, ऑनलाइन गेम खेलना, टेलीविजन देखना, खाना पीना और सोना, बस जिंदगी इतने तक सीमित होने लगी। न दोस्तों से मिलना, न घर से बाहर निकलना और घर पर सारा दिन माता–पिता के निर्देशों में चलने की बाध्यता ने बच्चों में गुस्सा, आक्रमकता और चिड़चिड़ापन भर दिया।

रोजगार :– लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव रोजगार पर पड़ा था। औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य संस्थानों के बंद हो जाने से मजदूरों और दैनिक वेतनभोगी लोग बेरोजगार हो गये थे। घर से काम करने के निर्णय से कई प्रतिष्ठानों में कार्मिकों की छंटनी कर दी गई। रोजगार की तलाश में दूसरे प्रांत गए लोगों के लिए कोरोना संकट आफत बनकर टूटा। उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों पर तालाबंदी के बाद मालिकों ने इन मेहनतकश लोगों के हाथों में चंद रुपए थमाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। देशव्यापी तालाबंदी के दौरान ना तो इनके रहने की व्यवस्था की गई और ना ही राशन पानी का इंतजाम किया गया। नतीजन, ये सभी लोग अपने घर की ओर लौटने को मजबूर हो गये। रेल और बस सेवा बंद होने की वजह से धूप और जंगली जानवरों के खतरों का सामना करते हुए मीलों पैदल चलकर अपने घर पहुंचने को मजबूर हो गए। "अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे।"[1] "दूर संचार क्षेत्र की चीनी कंपनी हुआ वे टेक्नोलॉजीज ने 2020 तक भारत के अपने राजस्व लक्ष्य में 50 प्रतिशतः तक की कटौती की है और अपने आधे से अधिक कर्मचारियों को छंटनी कर रहा है। इसी तरह खाद्य वितरण सेवास्विगी ने 1000 से अधिक लोगों को हटा दिया। कैब एग्रीगेटर ओला ने 1400 कर्मचारियों को निकाल दिया और एक भारती वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग से वाशेयर चौट में 100 के करीब कर्मचारियों को हटा दिया। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी तेल और गैस डिवीजन के कुछ शीर्ष कर्मचारियों के वेतन में 50 प्रतिशत तक कटौती की घोषणा की है और यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण है।"[2] लगभग हर परिवार के पास सुनाने को वेतन कटौती, नौकरी छूटने और खर्चों को कम करने के दबाव जैसी कहानी है। आगे क्या होगा? इसको लेकर बड़ी चिंता और अवसाद था। 30 से 50 साल के बीच के लोग विशेषरूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि जीवन की अपेक्षाएं उनसे जुड़ी हुई थी। बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं से जुड़े जिम्मेदारियां हैं। यह आर्थिक रूप से सबसे अधिक उत्पादक आबादी भी है लेकिन महामारी और उससे उत्पन्न आर्थिक गिरावट से निपटने में आ रही दिक्कतों ने भावनात्मक बोझ को विशेष रूप से बढ़ा दिया था।

"जुलाई 2020 मैं नौकरी डॉटकॉम के एक सर्वे से पता चला है कि कोविड–19 का प्रभाव 80 प्रतिशत कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट पर पड़ा है। 66 प्रतिशत छात्रों को नौकरी में लेने के बाद उनकी जॉइनिंग की तारीख टाल दी गई है, सेंटर फॉरमॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एमडी और सीएमओ महेश व्यास कहते हैं कि कोविड–19 ने केरियर का दीर्घकालीन तौर पर नुकसान किया है। यह 20 से 24 आयु समूह की युवा पीढ़ी है जो कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से नौकरियां जाने के मामले में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। सेंटर फॉरमॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मई 2020 मैं जारी कंज्यूमर पिरैमिड्स हाउस होल्ड सर्वे से पता चला कि लाकडाउन लगने के बाद एक महीने में जिन 12 करोड़ लोगों ने

अपनी नौकरियां गवाई उनमें से 11 प्रतिशत 20 से 24 वर्ष के आयु समूह वाले नौजवान थे अर्थात 20 से 24 आयु समूह में कोई एक करोड़ 32 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ।"[3]

आपसी सद्भावना का विकास :- कोरोना काल में मानवीय दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है। शुरुआत में जरूरतमंद के हितार्थ सेवा का जो सिलसिला चला, उससे लगता है कि समाज में संवेदनशीलता का विकास हुआ है। समाज सेवी जोर–शोर से जरूरतमंद की सेवा में जुट गए। हर संपन्न व्यक्ति किसी ना किसी रूप से मददगार बन गया। यही नहीं भारत ने इस महासंकट में विश्व के दूसरे देशों की भी मदद की है। भारत हमेशा सर्वधर्म सम्मान पर विश्वास रखता आया है और यही भारत की विशेषता है की जब भी कोई विपत्ति आती है तो अपार जनसमूह पूरी संवेदना के साथ मानवीय सेवाओं में जुट जाता है। अतः कोरोना की वजह से समाज ही नहीं वैश्विक स्तर पर संवेदनशीलता बढी है।

रस्मों से जुड़े नए रिवाज :- कोरोना काल में विवाह समारोह का तरीका तो बदला ही है, मेहमानों की सीमित संख्या भी सरकारी गाइडलाइन के चलते नवाचार भी होने लगे हैं। 50, 100 या 200 मेहमान बुलाने की विभिन्न शहरों की बाध्यता के कारण मेजबान नए सिरे से योजना बना रहे हैं। सभी मेहमानों को एक साथ नहीं बुलाकर अलग–अलग दिन एवं रस्मों के लिए न्योते दिये गये। इसके लिए निमंत्रण पत्र भी अलग–अलग छपवाए गये। इनमें बंदोली, बारात, माता पूजन, मंडपछाया और प्रीतिभोज के लिए अलग–अलग निमंत्रण–पत्र होते थे। ताकि सबकी उपस्थिति अलग–अलग कार्यक्रमों में ही सही लेकिन विवाह समारोह में हो जाए। सबसे बड़ा नवाचार शादी का लाइ वटेलीकास्ट किया जाना था जो रिश्तेदारिया परिचित विवाह समारोह में शामिल नहीं हो पा रहे थे उनके लिए आयोजन का लाइव प्रसारण करवाया जा रहा था ताकि वे घर बैठे आयोजन का आनंद उठा सकें। इसके लिए निमंत्रण– पत्र पर लाइव शादी का लिंक दिया गया था। साथ ही कहा जा रहा था कि पासवर्ड शादी के लिए बनाए गए विशेष व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाएगा। निमंत्रण– पत्र देते हुए मनुहार (आग्रह) की जा रही थी कि सेहत ठीक ना हो तो अपने घर पर ही रहे। देवउठनी एकादशी दिनांक 25 नवंबर 2020 को देशभर में रिकॉर्ड शादियां हुई। कोविड–19 की गाइडलाइन का पालन भी हुआ। अभी तक बारातियों का स्वागत फूलों से होता था, लेकिन उसकी जगह अब मास्क ने ले ली। बारातियों को मास्क पहनाए गए उनके हाथों को सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने के नए रस्म–रिवाज हुए।

कोविड–19 से बुजुर्गों का प्रभावित होना :- कोविड का सबसे बुरा प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ा है, "पूरे देश में 16 करोड़ बुजुर्ग हैं जो कि देश की एक अरब 30 करोड़ की आबादी में 12 प्रतिशत है। 9 जुलाई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पत्रकारों से बातचीत में बताया गया कि अभी तक देश में कोविड से दर्ज 21,129 मौतों में 53 प्रतिशत 60 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र वाले हैं और देश में कोविड के शिकार 60 से 74 वर्ष की उम्र वाले कुल 39 प्रतिशत है। बुजुर्गों पर बीमारी का शारीरिक ही नहीं मानसिक प्रभाव भी काफी हुआ है। कोलकाता के मौन फाउंडेशन से जुड़े मनोचिकित्सक अनिरुद्ध देव कहते हैं कि मौजूदा महामारी महज जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया ही नहीं है इसका मानसिक, सामाजिक प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। आदमी के दिमाग पर कोविड का प्रभाव गंभीर चिंता का विषय है। दूसरों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत और अकेलेपन ने उन्हें बेइंतहा दुश्चिंताओं, तनाव , अवसाद ने घेर लिया है और किसी भी तरह का मानसिक तनाव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद घटा देता है जिससे कमजोर मानसिक अवस्था वाले बुजुर्गों की हालत खराब होने का अंदेशा बना रहता है। कोविड के दौर में बुजुर्गों की मानसिक अवस्था को जानने के लिए एक सर्वेक्षण के तहत हेल्पेज इंडिया ने जून 2020 में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 5099 लोगों से बातचीत की। सर्वेक्षण में पाया गया कि 61 फीसदी बुजुर्ग लोग एक जगह बंधे हुए और सामाजिक रुप से अलग–थलग महसूस कर रहे थे जिनकी ज्यादातर की उम्र 60 वर्ष से 69 वर्ष के बीच थी उनमें कोविड से ग्रस्त होने का डर भी सबसे ज्यादा था।"[4]

लौट चलें गांव की ओर :- "उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि यहां की बहुत बड़ी आबादी देश और विदेशों में प्रवास पर हैं। राज्य में पलायन से करीब 17000 गांव पूरी तरह जनशून्य हो चुके हैं और यह पलायन लगातार जारी

है लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद इसका उल्टा असर होता नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से उत्तराखंड के गांवों का पलायन रुका है। वहीं इससे रिवर्स पलायन की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। उत्तराखंड पलायन आयोग के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते 59,360 से ज्यादा लोग विभिन्न प्रदेशों से उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अपने गांव में लौट आए हैं। हालांकि जो प्रवासी वापस लौटे हैं वे राज्य के गठन के बाद पलायन कर चुके करीब 15 लाख लोगों की आबादी का महज एक छोटा सा हिस्सा है। ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की ओर से रिवर्स पलायन को लेकर सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि लाकडाउन खुलने के बाद भी देश के अन्य हिस्सों में रह रहे प्रवासी अपने गांव लौट सकते हैं। फिलहाल जो प्रवासी लौटे हैं उनमें 65 प्रतिशत लोग विभिन्न राज्यों से और 5 प्रतिशत लोग विदेश से लौटे हैं। आयोग की रिपोर्ट में दावा है कि इनमें से 30 प्रतिशत ने लॉकडाउन खुलने और स्थिति सामान्य होने के बाद भी गांव में ही रुकने की इच्छा जताई है।"[5]

होटल, रेस्तरां और उड्डयन पर प्रभाव :– इस महामारी की सबसे ज्यादा मार उड्डयन और होटल–रेस्तरां सेक्टरों पर पढ़ी है। मार्केट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर एशिया पेसिफिक एविएशन के भारत व पश्चिम एशिया के सीईओ कपिल कॉल कहते हैं 'हम कोविड–19 की वजह से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की पहली तिमाही को लगभग गवां चुके हैं और बीमारी पर काबू नहीं पाया गया तो घरेलू यात्रियों को भी गवा देंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि दुनियाभर के मैं एयरलाइन ओ को 113 अरब डालर का नुकसान हो सकता है। यात्रियों की तादाद घटने से शहरों में टैक्सियों और कैब कारोबार भी प्रभावित हुआ है। पूरे देश में 80 प्रतिशत प्राइवेट बसों और टैक्सियां खड़ी हो गई है। आयोजनों के रद्द होने से होटल की होटलों की बुकिंग भी रद्द हो गई है। पूरे देश में सरकारी आदेश से सभी माल और मल्टीप्लेक्स बंद है। कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अनुमान है कि केवल कर्नाटक राज्य में ही करीब 50 माल 55 मल्टीप्लेक्स 600 सिंगल स्क्रीन थियेटर 100 सुपर मार्केट, ic और 150 छोटे उद्योग बंद हो गए हैं इससे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इस प्रकार पूरे देश में हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है।"[6]

इतिहास गवाह है कि महामारी समाज को बदल देती है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कोविड–19 से समाज में क्या फर्क आएगा हालांकि कुछ बदलाव दिखने लगे हैं। सेहत और साफ–सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ गई है और लोग सार्वजनिक घोषणाओं पर गौर करने लगे हैं। यह संकट लोगों में मेलजोल बढ़ा रहा है। समाज में लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं क्योंकि लोग एक दूसरे से सलाह मशविरा कर रहे हैं।

संदर्भ–सूची :–

1. ई दैनिक भास्कर ग्वालियर, 24 नवंबर 2020, पेज 1
2. इंडिया टुडे 12, अगस्त–2020, पेज– 44
3. इंडिया टुडे 12, अगस्त–2020,पेज– 35 और 36
4. इंडिया टुडे 12,अगस्त–2020,पेज–48, 49 और 52
5. इंडिया टुडे 13, मई–2020, पेज–11
6. इंडिया टुडे 1, अप्रेल –2020, पेज–16 और 17